ISSN-2319-9997
Volume: V, Issue: 1 & 2, Year: 2016

Journal of Nehru Gram Bharati University

Published By
Nehru Gram Bharati Deemed to be University
Allahabad, U.P. India
www.ngbu.edu.in

ISSN-2319-9997
Volume: V, Issue: 1 & 2, Year: 2016

Journal of Nehru Gram Bharati University
(A Biannually Published Peer Reviwed Journal)

Editor-In-Chief
Dr. Prabuddha Mishra
Nehru Gram Bharati Deemed to be University
Allahabad, 221505 U.P. India
www.ngbu.edu.in

Editorial Board

Prof. K.P. Mishra (India)
Prof. K. B. Pandey (India)
Prof. L. J. Singh (India)
Prof. Mohi Rezvani (U.K.)
Prof. Carmel E. Mothersill (Canada)
Prof. J. K. Kim (Sauth Korea)
Prof. H. Mastsumoto (Japan)
Prof. S. G. Praksh (India)
Prof. R. P. Mishra (India)
Prof. Z. Zhumadilov (Khazakastan)
Prof. Kazuo Suzuki (Japan)
Prof. C. Rudowicz (Poland)
Prof. Prabuddha Ram Nishra (U.S)
Prof. Suneet Dwivedi (India)
Prof. S. Mitaku (Japan)
Prof. G. Safrany (Hungry)
Prof. Anna Giovanetti (Italy)
Prof. R. P. Hill (Canada)

Patronage and Guidence

Hnb'l Shri J. N. Misra (Chancellor)
Prof K. B. Pandey (Vice Chancellor)
Dr. S.C. Tiwari (Pro V.C.)
Dr. K.N. Pandey (Registrar)
Shri Maneesh Mishra (Secretary)

ISSN-2319-9997

Journal of Nehru Gram Bharati University

(A Biannually Published Peer Reviwed Journal)
Volume: V, Issue: 1 & 2, Year: 2016

Contents

- **Chitosan based polymer electrolyte for natural dye sensitized solar cell**
  Priyanka Chawla[1], Ghanshyam M. Mishra[1], Mridula Tripathi[2] 6-13
- **रक्त नलिका में तरंग संचरण का एक गणितीय मॉडल**
  पवन कुमार मिश्र 14-23
- **Concern for the Discriminated Girl Child in India**
  Mamta Bhatnagar 24-30
- **An Experimental Study of Slow Learners**
  Sangeeta Singh 31-33
- **Concept of Corporate Criminal Liability in India**
  Swapnil Tripathi 34-47
- **ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक शिक्षा की दशा : चुनौतियां और समाधान**
  लाल जी रामपाल 48-52
- **ग्रामीण परिवेश में लोक चेतना**
  अनुराधा देवी 53-57
- **बाबर की आत्मकथा और उसका भारत–विवरण**
  राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता 58-61
- **प्राचीन भारतीय समाज में श्रेणियों की भूमिका : (प्रारम्भ से द्वितीय शती ई0 तक)**
  बीरेन्द्र मणि त्रिपाठी 62-71
- **ग्लोबल वार्मिंग – कारण, प्रभाव एवं दुष्परिणाम**
  संजय कुमार सिंह 72-79

➢ प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन : शिक्षकों के दृष्टिकोण से
तुषार रंजन 80-85
➢ उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन
राघवेन्द्र मालवीया 86-94
➢ नेहरू के शैक्षिक उद्देश्य एवं शिक्षा का स्वरूप आधुनिक भारतीय शिक्षा दर्शन के विकास में 'योगदान'
अरुण कुमार मिश्रा 95-117
➢ भारतीय मत पर सूफी दर्शन का प्रभाव
संध्या सिंह 118-124
➢ आरक्षण और उचित जातियां
शशि कुमार पाण्डेय 125-127
➢ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पर सूफीवाद का प्रभाव
निशान्त कुमार 128-133
➢ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन
श्रवण कुमार एवं मीनू पाण्डेय 134-140
➢ बौद्ध धर्म और अहिंसा
आलोक कुमार 141-146
➢ गाँधी जी का समाज–दर्शन
मधु तिवारी 147-151
➢ तीन तलाक : एक संवैधानिक नैतिकता
दिलीप द्विवेदी 152-155
➢ उषा प्रियंवदा के कथा–साहित्य में चित्रित नारी समस्या
अरूण कुमार वर्मा 156-166
➢ पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की आध्यत्मिक मीमांसा
अच्छेलाल यादव 167-172
➢ 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' में परिलक्षित मानवाधिकार की अवधारणा
प्रमा द्विवेदी 173-176

➢ **कामायनी का संदेश**
ओंकार नाथ 177-179

➢ **उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की शाहगंज तहसील में साक्षरता का परिवर्तित प्रतिरूप**
विकास कुमार मिश्रा 180-188

➢ **जौनपुर जनपद की शाहगंज तहसील में जनसंख्या वृद्धि का भौगोलिक विश्लेषण**
एस0 के0 मिश्रा 189-194

➢ **भारत में उच्च शिक्षा का बदलता परिदृश्य**
मीनू पाण्डेय 195-203

➢ **मन्नू भंडारी के कथा–साहित्य में नारी जीवन**
गरिमा गुप्ता 204-207

➢ **आधुनिक जीवन शैली में योग**
अवध नारायण 208-214

➢ **समकालीन समाज में स्त्रियों की भूमिका**
बालसुधा यादव 215-218

➢ **युवा एवं ग्रामीण विकास**
ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी 219-221

➢ **उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों मे अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन**
रितेश कुमार केसरवानी 222-229

➢ **मुगल बादशाहों की पारिवारिक महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता**
दिवाकर त्रिपाठी 230-235

➢ **Prime Minister Modi And Good Governance Initiatives**
Chanchal Kumar & Dinkar Tripathi 236-247

➢ **न्यू मीडिया की अवधारणा एवं स्वरूप**
सुमीत द्विवेदी 248-256

All the visions, thoughts and opinions published in JNGBU are of contributors. The acceptance of the Editor is not mandatory**.**

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

Chitosan based polymer electrolyte for natural dye sensitized solar cell

Priyanka Chawla[1], Ghanshyam Mani Mishra[1]
Mridula Tripathi[2]*

Abstract

To avoid the negative effects of current energy systems on environmental pollution and global warming, research have been focused on renewable energy sources for the future. Among the renewable energy sources, solar energy has attracted a great interest due to its availability and non polluting. As a result, the conversion of solar energy into different forms has been the core of research for the past few years. Therefore, it is necessary to develop low-cost devices for harvesting solar energy. Dye-sensitized solar cells (DSSCs) have been widely investigated as a next-generation solar cell because of their simple structure and low manufacturing cost. Long term stability is very important for the future application of dye sensitized solar cells (DSSCs). Therefore solidification of electrolyte in DSSCs is the most crucial research direction as the leakage and vaporization of liquid electrolyte limiting the long term durability of these cells. In the present work dye sensitized solar cell was assembled using electrolyte system composed of Chitosan as host polymer, ethylene carbonate as plasticizer, LiI: I2 as redox couple and TiO_2 as filler; and anthocyanin as sensitizer. The prepared DSSC is not only stable but also eco friendly due to use of natural polymer and dye.

Introduction-

Since the breakthrough work by Gratzel in 1991, dye sensitized solar cells (DSSCs) have attracted the attention of researchers and academia worldwide (1-2). Comparing with conventional silicon based solar cells DSSCs have simple design structure and are cheaper to develop. But they suffer from relatively lower efficiency in comparison to silicon based solar cells. A DSSC is composed of following components nanocrystalline porous semiconductor based working electrode, sensitizer, counter electrode and an electrolyte (3). The researchers and scientist working in the field of DSSCs are concentrating their work on improving the one or the other component

so that highest efficiency comparable to traditional silicon based solar cells can be achieved.

The liquid electrolyte which is the most important component of DSSC hinderers its stability as the electrolyte leaks and vaporizes with time. Thus scientist are focusing their attention in the solidification of electrolyte such as inorganic or organic hole conductors, ionic liquids, polymer electrolyte, gel electrolyte (4-5). In the present study we used chitosan a natural bio polymer as electrolyte to make DSSC more eco friendly. Chitosan has gain interest due its various specific properties like biodegradability, non toxicity, odourless, homogeneity with high mechanical strength (6). Chitosan consist of β-(1, 4)-linked 2-amino-deoxy-D-glucopyranose. The nitrogen and oxygen present in it make it suitable as a host for polymer electrolyte. The atoms serve as electron donors giving it ability to host ionic conduction (7-8). Further to enhance the ionic conduction of chitosan we added nanoparticle of TiO_2 as filler. The addition of filler will enhance the amphoursity of polymer which will improve conduction of ions.

The second important component of DSSC is the photosensitizer which absorbs sunlight and converts into electricity. Various synthetic dyes have been employed in DSSCs based on noble metals like ruthenium and osmium but these dyes suffer from some of the major drawbacks such as its rarity, high cost and complicated synthesis which limit its use in DSSCs (9). Therefore we are focusing our attention on natural dyes because they present many advantages, such as high molar extinction coefficients, easy to prepare, low in cost, non toxic (10-11).

The working electrode or photoanode is other important component of DSSCs. Nanocrystalline TiO_2 (ns-TiO_2) is generally used semiconductor material for the photoanode of DSSCs.

In the present work we fabricated DSSC with polymer electrolyte system composed of chitosan as a host polymer, LiI: I_2 as a redox couple, EC as plasticizer, TiO_2 as filler with anthocyanin dye. The properties like short-circuit photocurrent density (JSC), open circuit voltage (Voc), fill factor (ff) conversion efficiency and stability of the fabricated DSSC has been studied.

Experimental- Extraction and purification of dye

The anthoacyanin dye extracted with ethanol was obtained by the following steps: fresh black grapes were washed with water and vacuum dried at 60 ˚*C*. After crushing, these materials were immersed in absolute ethanol at room temperature in the dark for one week to extract the dye. Then the solids were filtrated out and the filtrates were concentrated in rotavapor at 40 ˚*C*. These ethanolic extracts were refined by chromatogram method.

Synthesis of TiO_2 photoelectrode- TiO_2 nanoparticle was prepared by sol-gel method using Titanium isopropoxide as starting material. $Ti[OCH(CH_3)_2]_4$ was added slowly to isopropanol drop by drop. Deionized water was slowly added under vigorous stirring conditions for the duration of 10 minutes leading to the generation of a white precipitate then 1 ml of dil. HNO_3 was added to the mixture. The mixture was then stirred for 15 min at 80 ˚*C*. Propanol, together with some water was allowed to evaporate during this time. The resulting solid was dried and calcined at 450°*C* to get pure TiO_2 nanoparticles. ITO conductive glass plates with a sheet resistance of 15–20 Ω/cm2 were first cleaned in a detergent solution using an ultrasonic bath for 15 minutes, rinsed with water and ethanol, and then dried. TiO_2 nanopowder pastes were deposited on the ITO conductive glass by doctor-blading technique in order to obtain TiO_2 film. The film on the substrate was annealed in oven at 150^{o}C for 5-10 minutePreparation of polymer electrolyte

Chitosan based polymer electrolyte film was prepared by well known solution cast technique. To prepare thin film, appropriate amount of chitosan was dissolved in 100 ml of 1% acetic acid. LiI: I_2 was also dissolved in the same polymeric solution. The solution was stirred for 6-8 hrs resulting in a homogenous solution. In this homogenous solution EC along with graphite nanopowder was mixed thoroughly for one night. TiO_2 powder is synthesized by sol–gel process, by hydrolysis of titanium isopropoxide, in presence of propanol and ammonia as catalyst. Finally, the solution of chitosan, LiI: I_2 (redox couple), graphite and EC was casted in polypropylene

dish. The solvent free polymer electrolyte film was obtained by slow evaporation in ambient temperature followed by vacuum drying.

Structural Characterization

The structural and morphological characterization of TiO nanomaterial was carried out through XRD by employing a Philips PW 1710 Diffractometer (CuKα radiation) equipped with a graphite monochromater and scanning electron microscope (JEOL-JXA-8100 EPMA). In order to explore the spectral response, the absorption spectra of anthocyanin dye-coated TiO_2 on quartz glass substrates was carried out through double beam spectrophotometer (Systronics, 2201). Impedance measurements were carried out using computer-controlled HioKi (Japan) LCZ HI Tester (model 3522). During all the measurements, humidity level was maintained at ~55 % (constant).

Fabrication and cell performance measurement of DSSC— TiO_2 based electrode was immersed in an ethanol solution containing a natural anthocyanin dye for 10–12 hrs. Dye-sensitized electrode and Pt counter electrode were assembled to form a solar cell by sandwiching a nanocomposite polymer electrolyte containing redox couple. All electrochemical measurement was carried out by using a Biologic SP-150. A Xenon-Mercury lamp (Oriel Corporation, USA) was used as illumination source. The intensity of incident radiation was adjusted and fixed at 100 mW/cm^2.

Results and Discussion- Figure 1 shows the XRD pattern of the prepared TiO_2 nanomaterial. The strong and intense peak shows that the nanoparticle produced are fined crystalline devoid of amorphous phase. The crystallite size obtained using this formula is 5-15 nm.

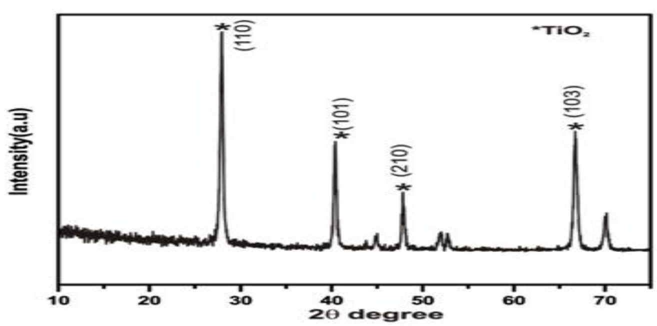

Figure 1: X- Ray Di□raction pattern of TiO_2 nanomaterials

The SEM image of the TiO_2 nanoparticle sintered at 450°C are shown in Figure 2, reveals the highly porous nature of the film which resulting large surface area offers many docking sites for dye molecules so that these molecules can anchor numerously and harvest immense amounts of light.

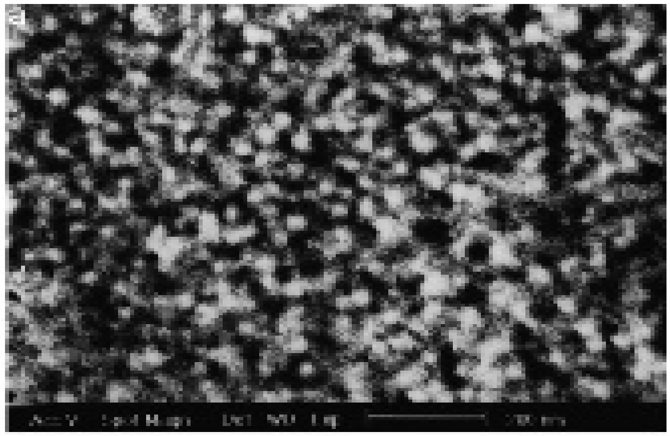

Figure 2: Scanning Electron Micrograph of TiO_2 nanomaterials

Figure 3 shows the absorption spectra of anthocyanin dye coated TiO_2 photoelectrode. The absorption peak is shifted toward the longer-wavelength region.

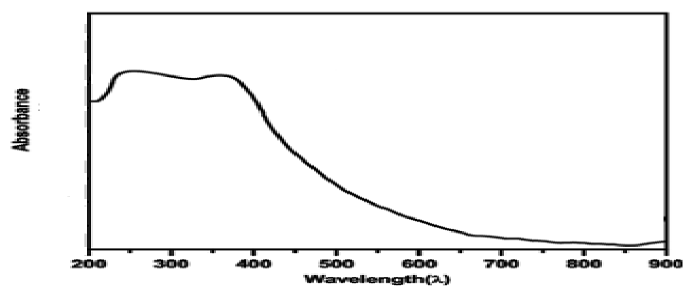

Figure 3: Absorption spectra of anthocyanin dye coated TiO_2 photoelectrode on ITO glass substrate

The XRD pattern of 99 {90 Chitosan- 10 LiI: I_2}: 1 TiO_2 film prepared by solution cast technique is shown in figure 4 (normalized). The XRD pattern of pure chitosan film shows sharp and intense peaks at 11.7 º, 14.2 º and 23º respectively. From the comparative study of the XRD patterns it is clear that the addition of filler (graphite) in the polymer reduces the intensity of the main peak followed by broadening of the

peak area, which is the indication of the increase in the degree of amorphousity. The intercalation of the polymer chain with oxide filler increase the interlayer spacing which results in increase in the amorphous nature of the film. The amorphous nature of the film helped in better conduction of ions resulting in better conductivity of the film.

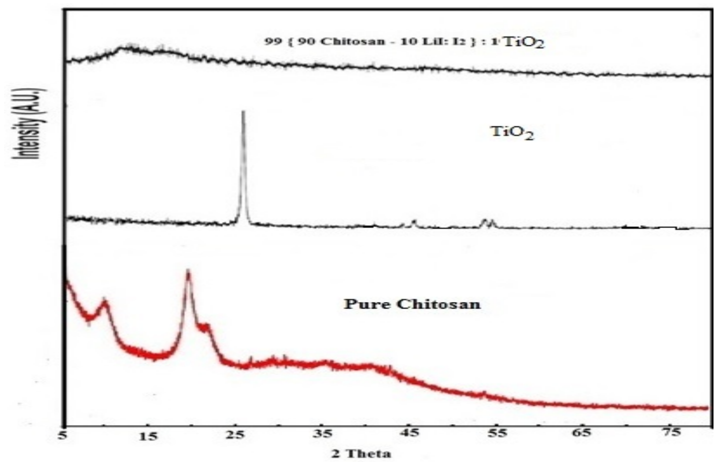

Figure 5 shows that the ambient ac conductivity of the chitosan based polymer electrolyte reaches 10^{-5} S/cm. The conductivity increases linearly up to 5 kHz. From Fig. 5, it can be assumed that ac conductivity of the samples depend on the frequency according to the well-known power law $\sigma^{ac} = A\omega^{\rho}$

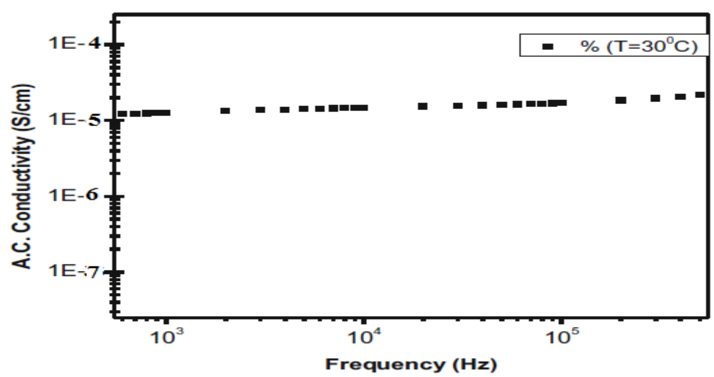

Figure 5. Variation of ac conductivity of the film with frequency

Where A is constant and ρ is the frequency exponent (ρ<1). The ω^{ρ} power law is very frequently observed in a wide range of materials among which is polymer.

Figure 6 shows the cell performance of the chitosan based DSSC with TiO_2 photoelectrode sensitized with anthocyanin dye. The photocurrent (Isc) was found to be 4.9 mA/cm^2 and photovoltage (Voc) 0.3 V. The conversion efficiency and fill factor of anthocyanin dye coated TiO_2 photoanode was found to be 47 % and 0.69 % respectively. The cell was found to be stable for 10 weeks as it does not suffers from leakage and vaporization of liquid electrolyte.

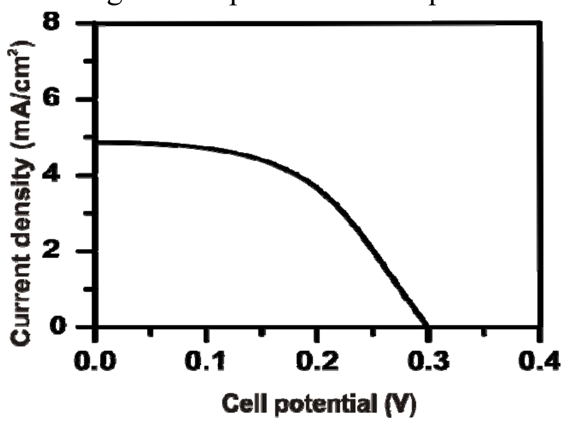

Figure 6: Current-Voltage characteristic curve of anthocyanin dye coated TiO_2 photoelectrode based DSSC

Conclusion- In the present paper, we fabricated natural dye sensitized solar cell with chitosan based polymer electrolyte having TiO_2 as filler. From the studies it can be calculated that the use of Chitosan polymer electrolyte improved the stability of the cell. Chitosan being a natural polymer also make the prepared cell eco friendly. Anthocyanin dye showed better complexation with TiO_2 surface as clearly shown by absorption band which aided in better charge transfer between dye molecules and TiO_2 surface. Therefore, this dye provides a more efficient incident photon to electron conversion. Hence the fabricated cell is eco friendly as well cheaper to develop.

References

1. Sastrawan R, Beier J, Belledin U, Hemming S, Hinsch A, Kern R, Vetter C, Petrat FM, Prodi-Schwab A, Lechner P, Hoffmann W. A glass frit-sealed dye solar cell module with integrated series connections. Solar Energy Materials Solar Cells 2006; 90:1680–1691.

2. Gratzel M. Photoelectrochemical cells. Nature 2001; 414:338–344.
3. Nazeeruddin, M.K., Pechy, P., Renouard, T., Zakeeruddin, S.M., Humphry-Baker, R., Comte, P., Liska, P., Cevey, L., Costa, E., Shklover, V., Spiccia, L., Deacon, G.B., Bignozzi, C.A. and Grätzel, M., J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 1613–1624.
4. Seidalilir Z, Malekfar R, Wu HP, Shiu JW, Diau EWG. High-Performance and Stable Gel-State Dye-Sensitized Solar Cells Using Anodic TiO_2 Nanotube Arrays and Polymer-Based Gel Electrolyte. ACS Applied Materials and Interfaces 2015; 23: 12731-12739.
5. Chawla P, Tripathi M. Nanocomposite polymer electrolyte for enhancement in stability of cocktail dye sensitized solar cells. ECS Solid State Letters 2015; 4: 21-23.
6. Varshney PK, Gupta S. Natural polymer based electrolyte for elecytrochemical devices. Ionics 2011; 17: 479-483.
7. Koev ST, Dykstra PH, Luo X, Rubloff GW, Bentley WE, Poyne GF, Ghodssi R. Chitosan: an integrative biomaterial for lab-on-a-chip devices. RSC Lab on a Chip 2010; 10: 3026-3042.
8. Kadir MFZ, Majid SR, Arof AK. Plasticized chitosan- PVA blend electrolyte based proton battery. Electrochimica Acta 2010; 55: 1475-1482.
9. Buraidah MH, Teo LP, Yong CMA, Shah S, Arof AK. Performance of polymer electrolyte based on chitosan blended with poly (ethylene oxide) for plasmoic dye sensitized solar cell. Optical Materials 2016; 57; 202-211.
10. Hao S, Wu J, Huang Y, Lin J. Natural dyes as photosensitizers for dye sensitized solar cells. Journal of Solar Energy 2006; 80: 209-214
11. Chawla P, Tripathi M. Novel improvements in the sensitizers of dye sensitized solar cells for enhancement in efficiency- a review. International Journal of Energy Research 2015; 39: 1579-1596.

Priyanka Chawla[1], Ghanshyam Mani Mishra[1]
and Mridula Tripathi[2]*
[1]Department of Chemistry, NGBU, Allahabad
[2*]Department of Chemistry, CMP Degree College,
University of Allahabad, Allahabad, India-211002

रक्त नलिका में तरंग संचरण का एक गणितीय मॉडल

– पवन कुमार मिश्र

सारांश – जीव यांत्रिकी में अनुप्रयुक्त शोधकर्ताओं द्वारा मानव धमनियों में तरंग संचरण पर अनेक गणितीय माडलों का निर्माण किया गया है (एटिंगर[1] 1964)। हमने कुछ आदर्श द्रव के लिये अध्ययन को सीमित किया है। सर्वप्रथम हम एक अनन्त लम्बाई वाले सीधे (सरल रेखीय) पृथक वृत्तीय, वेलनाकार, प्रत्यास्थ्य रक्त नलिका की कल्पना करते है जिसमें समांग, असंपीडय तथा अश्यान द्रव मौजूद है। प्रस्तुत शोध–पत्र में रूधिर–नलिका में संचरित तरंग के वेग का मापन किया गया है। इसके लिये हमने एक गाणितीय प्रतिमान का निर्माण किया है।

मुख्य शब्द – रक्त–नलिका, विक्षोभ, तरंग–चाल, प्रत्यास्थ्यता गुणांक, दाब।

प्रस्तावना – जब रूधिर नलिका के एक स्थान पर हलचल या विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है, तब यह विक्षोभ तरंग के रूप में नलिका के समानान्तर परिमित/सीमित वेग से आगे की ओर बढ़ता है। इस शोध पत्र में हमने इस तरंग गति के वेग को सुनिश्चित करने के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित किया है। वाई सी फुंग[2] (1993) द्वारा किये गये अध्ययन से आवश्यक सैद्धान्तिक तथ्यों का इस शोध–पत्र में उपयोग किया गया है। वाई.सी. फुंग[3] (1993) ने तरंग संचरण के अध्ययन में रक्त नलिका के पदार्थ की भौतिक विशिष्टताओं को केन्द्र में रखा है। फुंग के पूर्व डी.एल ड्राई[4] (1964) द्वारा रक्त वाहिकाओं में विक्षोभ का गाणतीय अध्ययन किया गया है। हमने पत्र में ड्राई के कार्य को अग्रमति दी है।

गणितीय विश्लेषण – कल्पना कीजिए कि तरंग आयाम अल्प है तथा नलिका त्रिज्या की तुलना में तरंग दैर्ध्य की माप अत्यन्त उच्च है जिससे नलिका के विरूपित दीवार का झुकाव/प्रवणता सदैव 1 से अति कम है (अर्थात <<1)। गति को हमने एक विमीय माना है जिसमें अनुदैर्ध्य वेग घटक $u(x,t)$ है जो कि अक्षीय निर्देशांक χ तथा समय t का फलन है। u की तुलना में अन्य वेग घटक अत्यन्त अल्प हैं, अतः वे उपेक्षणीय हैं। तब सातत्यता का समीकरण इस प्रकार है–

$$\frac{\partial A}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}(uA)=0 \text{————————————} (1)$$

गति का समीकरण है $\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial p_i}{\partial x}=0$ —————— (2)

जहाँ $A(x,t)$ नलिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा $p_i(x,t)$ नलिका में दाब है। तथा p_i तथा A के बीच संबंध अत्यन्त जटिल हो सकता है। गणितीय सरलता के लिये हम यह कल्पना करते हैं कि A अन्तरण दाब $p_i - p_e$ पर मात्र निर्भर करता है।

अतः $p_i - p_e = P(A)$ —————————— (3)

जहाँ p_i नलिका पर वाह्रय रूप से लगने वाला दाब है। प्रत्यास्थ्य नलिका के सिद्धान्तों में, नलिका विरूपण प्रयुक्त भार से संबंधित होता है जो आंशिक अवकल समीकरणों के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बाह्य भार में नलिका के दीवार का जड़त्व बल शामिल हो जाता है। अतः समीकरण (3) यह प्रदर्शित करता है कि नलिका का द्रव्यमान उपेक्षणीय है तथा आंशिक अवकल समीकरण बीजगणितीय समीकरण द्वारा हटा दिये गये हैं। नलिका के दीवार की श्यान–प्रत्यास्थ्यता को अपेक्षित किया गया है।

सैद्धान्तिक रूप से फलन $P(A)$ का अवकलज अन्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है।

$$c=\sqrt{\frac{A}{P}\frac{dP}{dA}} \qquad \text{————————————} (4)$$

जहाँ c प्रगामी तरंगों के संचरण का बेग है।

<u>स्थिति 1</u> (फुफ्फुस धमनी या शिरा नलिका हेतु गणितीय सूत्रीकरण) हम नलिका की प्रत्यास्थ्यता की कल्पना करते हैं कि नलिका पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा की भांति व्यवहार करता है। तब इस स्थिति में पल्मोनरी शिरा की भांति व्यवहार करता है। इस स्थिति में पल्मोनरी धमनी का व्यास $2a_i$ नलिका में रक्त दाब p_i के रेखिकतः समानुपाती है। अतः हम उपरोक्त संबंध को इस प्रकार व्यक्त करते हैं–

$$2a_i = 2a_{io} + \alpha p_i \qquad \text{——————————} (5)$$

जहाँ a_{io} तथा α नियतांक हैं जो फुफ्फुसावरणीय दाब P_{PL} तथा वायुदाब P_A पर निर्भर करते हैं परन्तु रक्तदाब p_i से स्वतंत्र है। α नलिका का अनुवर्ती (अप्रतिरोधी) स्थिरांक है। जब $p_i = 0$ तक नलिका की त्रिज्या a_{io} है।

समीकरण (5) का अवकलन करने पर हमे निम्न संबंध प्राप्त होता है।

$$da_i = \frac{\alpha}{2} dp_i \quad \text{————————————} \quad (6)$$

उपरोक्त समीकरण (1), (2) तथा (6) तरंग संचरण प्रघटना को प्रतिबिम्बित/प्रदर्शित करते है।

<u>**समस्या का हलः**</u> (स्थिति 1 के लिये) सर्वप्रथम हम इन समीकरणों के एक रेखीय रूप का हल ज्ञात करते हैं। हम किसी प्रारम्भिक रूप से स्थिर द्रव–भरा वृत्तीय बेलनकार नलिका मे अल्प विक्षोभ या हलचल की कल्पना करते हैं। इस स्थिति में u अल्प है तथा समीकरण (2) दूसरे पद को उपेक्षित किया जा सकता है। अतः

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p_i}{\partial x} = 0 \quad \text{..................} \quad (7)$$

समीकरण (1) में A के लिये क्षेत्रफल $A, \pi a_i^2$ के बराबर है। तरंग आयाम, तरंग दैर्ध्य की तुलना में अत्यन्त कम होने की पूर्वमान्यता/अभिकल्पना के कारण $\frac{\partial a_i}{\partial x} << 1$

तब द्वितीय कोटि की अल्प राशियों की अपेक्षा करने पर, समीकरण (1) को इस रूप में बदला जाता है।

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{2}{a_i}\frac{\partial a_i}{\partial t} = 0 \quad \text{——————————} \quad (8)$$

समीकरण (8) तथा (6) को संयुक्त करने पर हमें इस प्रकार प्राप्त होता है –

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\alpha}{a_i}\frac{\partial p_i}{\partial x} = 0 \quad \text{——————————} \quad (9)$$

समीकरण (7) को x के सापेक्ष तथा समीकरण (9) को t के सापेक्ष अवकलन करने पर तथा परिणामी समीकरणों को घटाने पर तथा द्वितीय

पद $\frac{\alpha}{a_i^2}\left(\frac{\partial a_i}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial p_i}{\partial t}\right)$ को उपेक्षित करने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है– $\frac{\partial^2 p_i}{\partial x^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p_i}{\partial t^2}=0$ ———————— (10)

समीकरण (10) तरंग समीकरण है जहॉ $c^2=\frac{a_i}{\rho\alpha}$ ——— (11)

ब तरंग की चाल है जो पुनः इस प्रकार व्यक्त करने योग्य है – $c=\sqrt{\frac{a_i}{\rho\alpha}}$ ———————— (12)

स्थिति–2 (सामान्य रक्त नलिका हेतु गणितीय सूत्रीकरण) सामान्य रक्त नलिकाओं के लिये प्रायोगिक शोधकर्ताओं द्वारा, दाब तथा नलिका व्यास के बीच गणितीय संबंधों को अनेक गणितीय फलनों में व्यक्त किया गया है। यहॉ सर्वाधिक उपयुक्त व प्रायोगिक संबंध (अरेखीय फलन संबंध) चरघातांकीय फलन के रूप में निम्न रूप में व्यक्त किया जा रहा है– $2a_i=2a_{io}+e^{\alpha p_i}$ ——————— (13)

जहाँ a_{io} तथा α उपयुक्त स्थिरांक है।

इस स्थिति में समीकरण (1), (2) तथा (3) तरंग गति को प्रदर्शित करते हैं।

समीकरण (13) का अवकलन करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है– $da_i=\alpha(a_i-a_{io})dp_i$ ——————— (14)

समस्या का हलः (स्थिति–2) स्थिति (1) की भांति समीकरण (7) तथा (8) इस स्थिति के लिये भी ठीक उसी प्रकार लागू होते हैं। आगे समीकरण (8) तथा (14) द्वारा हम निम्न प्राप्त करते हैं–

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\alpha(a_i-a_{io})}{a_i}\frac{\partial p_i}{\partial t}=0 \quad \text{———————— (15)}$$

समीकरण (7) को x के सापेक्ष तथा समीकरण (15) को t के सापेक्ष अवकलन करने तथा परिणामी समीकरणों को घटाने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है– $\frac{1}{\rho}\frac{\partial^2 p_i}{\partial x^2}=\frac{\alpha a_{io}}{a_i^2}\frac{\partial a_i}{\partial t}\frac{\partial p_i}{\partial t}+\frac{\alpha(a_i-a_{io})}{a_i}\frac{\partial^2 p_i}{\partial t^2}=0$

पद $\frac{\alpha a_{io}}{a_i^2}\frac{\partial a_i}{\partial t}\frac{\partial p_i}{\partial t}$ की उपेक्षा करने पर उपरोक्त समीकरण इस प्रकार होगा–

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial^2 p_i}{\partial x^2} = \frac{\alpha(a_i - a_{io})}{a_i}\frac{\partial^2 p_i}{\partial t^2} \qquad \text{———————— (16)}$$

समीकरण (16) तरंग समीकरण को प्रदर्शित करता है। तरंग का वेग C_0 मानने पर, $\frac{1}{C_0^2} = \rho\alpha\frac{(a_i - d_{io})}{a_i}$

जो यह निर्गत करता है – $c_0 = \sqrt{\frac{a_i}{\rho\alpha(a_i - a_{io})}}$ —————— (17)

टागे हम पतली दीवार वाली प्रत्यास्थ्य नलिका में तरंग–चाल ज्ञात करते हैं– हम नलिका की दीवार को पतता मान लेते हैं तथा यह भी कल्पना करते हैं कि नलिका की दीवार हुक नियम का पालन करती है। तब त्रिज्या में अल्प परिवर्तन da_i के लिये परिधि में $2\pi da_i$ द्वारा परिवर्तन हो जाता है।

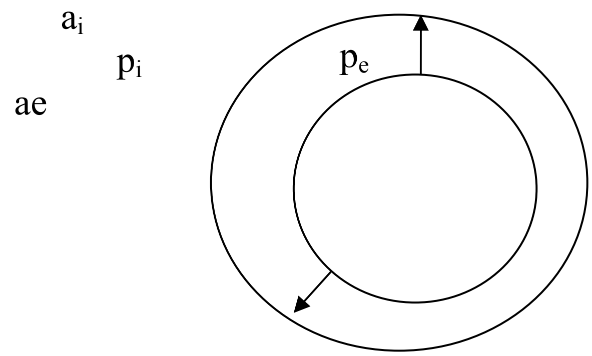

तब परिधीय विकृति $\frac{2\pi da_i}{2\pi a_i} = \frac{da_i}{a_i}$ हो जाता है।

परिधीय प्रतिबल राशि $\frac{Eda_i}{a_i}$ द्वारा परिवर्तित हो जाता है जहॉ E यंग प्रत्यास्थ्यता गुणांक है।

दीवार में तनाव $\frac{Ehda_i}{a_i}$ का परिवर्तन हो जाता है जहॉ h दीवार की मोटाई है। तनाव में यह परिवर्तन दाब परिवर्तन dp_i द्वारा संतुलित हो

जाता है। अतः मुक्त पदार्थ पर कार्यस्थ बलों के संतुलन के लिये शर्त इस प्रकार होगी– $\frac{Ehda_i}{a_i} = a_i dp_i$ ———————— (18)

समीकरण (18) को समीकरण (6) से तुलना करने पर हमें निम्न तथ्य प्राप्त होता है– $\frac{\alpha}{2} = \frac{a_i^2}{Eh}$

स्थिति (1) के लिये (जब नलिका के व्यास तथा नलिका दाब में रेखीय गणितीय फलन संबंध है), हम समीकरण (6) को स्वीकार करते हैं। समीकरण (6) तथा (18) को तुलना करने पर $\frac{\alpha}{2} = \frac{a_i^2}{Eh}$ ——— (19)

इस स्थिति में नलिका में ध्वनि की चाल इस प्रकार है (समीकरण (12) द्वारा) $c = \frac{\sqrt{Eh}}{2\rho a_i}$ ————————— (20)

स्थिति (2) के लिये (अर्थात जब नलिका का व्यास तथा नलिका दाब में अरेखीय चरघातांकीय संबंध है), हम तरंग–वेग c_o इस प्रकार ज्ञात करते हैं– समीकरण (18) को समीकरण (14) से तुलना करने पर

$\alpha(a_i - a_{io}) = \frac{a_i^2}{Eh}$ ———— (21)

इस स्थिति में तरंग वेग C_o समीकरण (17) द्वारा प्राप्त होता है। समीकरण (17) में समीकरण (21) का प्रयोग करने पर

$$c_o = \sqrt{\frac{a_i}{\rho\alpha(a_i - a_{io})}} = \sqrt{\frac{a_i}{\rho\left(\frac{a_i^2}{Eh}\right)}}$$

$$c_o = \sqrt{\frac{Eh}{\rho a_i}} \qquad \text{—————————— (22)}$$

समीकरण (22) तथा (20) को तुलना करने पर $c_O = \sqrt{2}c$ ——— (23)

परिणाम व निष्कर्ष– रक्त नलिका में तरंग वेग को दो स्थितियों में प्राप्त किया गया है। दोनों स्थितियों में वेग c तथा c_O इस प्रकार संबंधित है कि $c_o = \sqrt{2}c$

अतः निष्कर्ष निकालता हैं कि स्थिति (1) में फुफ्फुस धमनियों तथा फुफ्फुस शिराओं में संचरित तरंग की चाल परिसंचारण तंत्र के अन्य भागों में संचरित तरंग की चाल की तुलना में कम पायी जाती है।

इस शोध पत्र में ज्ञात होता है कि तरंग की चाल रक्त नलिका की दीवार की यंत्र प्रत्यास्थ्यता के बढ़ने पर तंरग–चाल बढ़ती है तथा घटने पर तरंग–चाल भी कम हो जाती है।

नलिका दीवार की मोटाई बढ़ाने पर तरंग की चाल भी बढ़ती है तथा घटने पर तरंग की चाल भी घट जाती है। नलिका की त्रित्या कम होने पर तरंग चाल बढ़ती है जबकि त्रिज्या बढ़ने पर तरंग चाल कम हो जाती है।

अतः यदि शरीर के किसी भी भाग में रक्त नलिका सिकुड जाती है या किसी रोग के कारण अवरूद्ध होती है तो उस भाग में तरंग की चाल तेज होती है। इस प्रकार के परिणाम यंग द्वारा भी प्राप्त किये गये हैं। इस शोध पत्र में स्थिति (2) (अरेखीय संबंध) की तुलना यंग द्वारा तरंग चाल हेतु प्राप्त समीकरण (स्थिति 1) से की गई है।

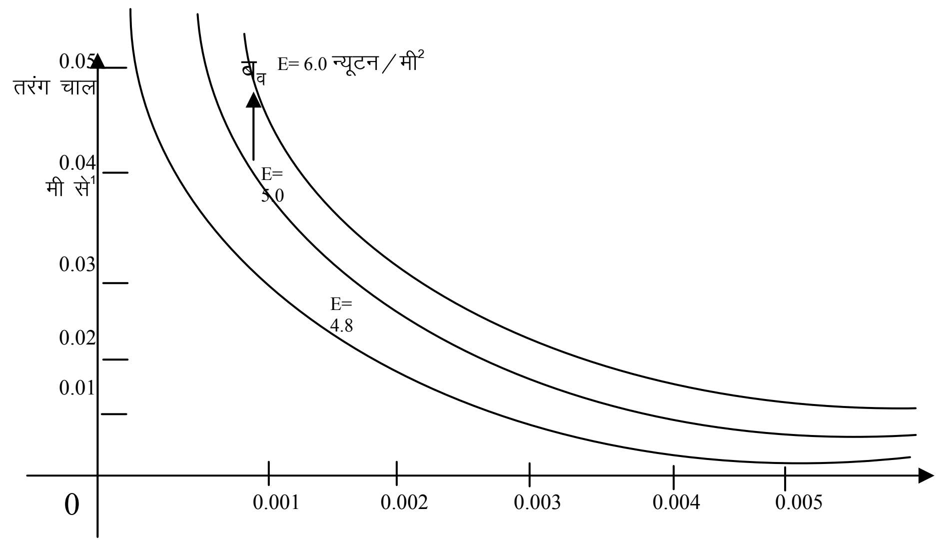

नलिका त्रिज्या (मी0) चित्र 1 : नलिका त्रिज्या व तरंग चाल में संबंध

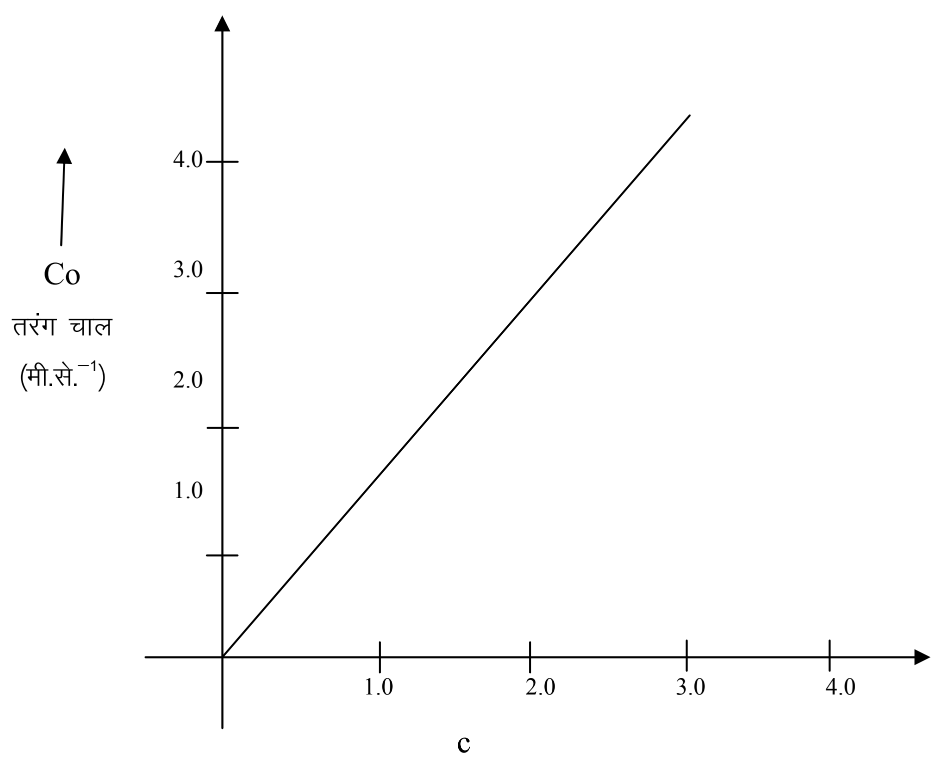

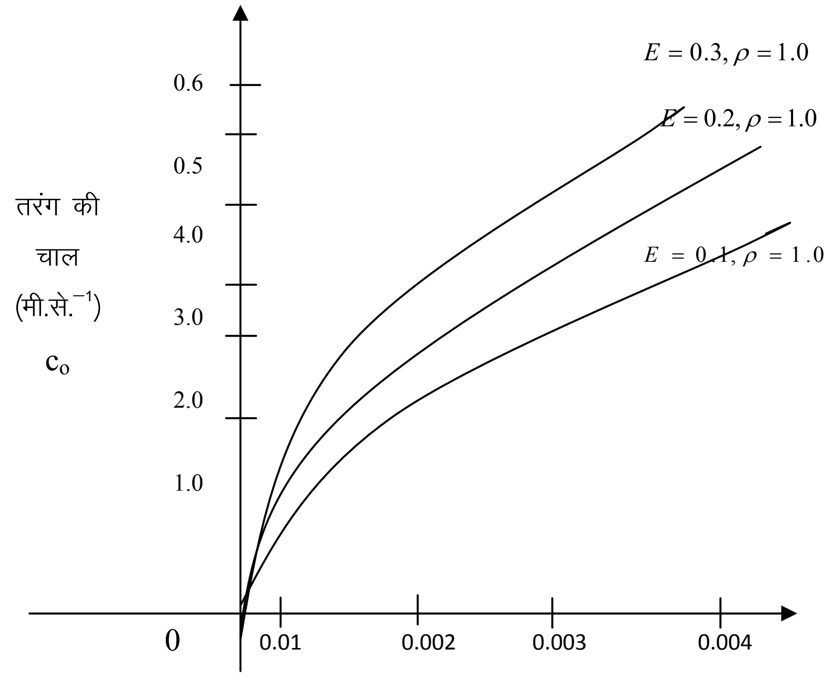

चित्रः 3 नलिका दीवार की मोटाई तथा तरंग चाल में संबंध

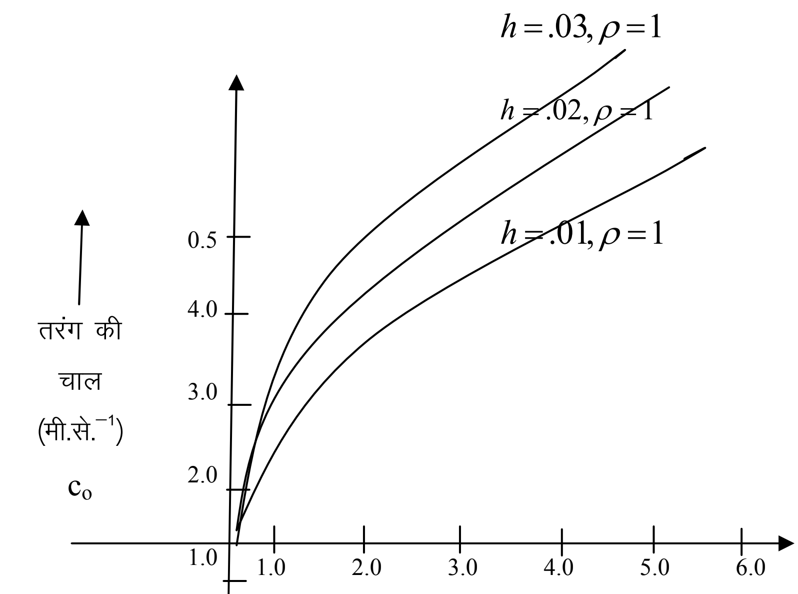

नलिका दीवार का प्रत्यास्थ्यता गुणांक E (न्यूटन मी$^{-2}$) चित्रः 4 प्रत्यास्थ्यता गुणांक तथा तरंग चाल में संबंध

सन्दर्भ :–

- एटिंगर, ई.ओ. (1964) पल्सेटाइल ब्लड फ्लो मैक ग्रा हिल, न्यू यार्क।
- फुंग, वाई.सी. (1993बी) बायोमेकेनिक्स : मेकेनिकल प्रापर्टीज आफ लिविंग टिशूज द्वितीय संस्करण स्प्रिंजर वरलाग, न्यू यार्क।
- फुंग, वाई.सी. (1993 ए) फर्स्ट कोर्स इन कांटिनम मेकेनिक्स थर्ड संस्करण प्रेंटिस हाल, ईंगल वुड क्लिफ, एन.जे.।
- फ्राई, डी.एल. (1964) इन विवो स्टडीज आफ पल्सेटाइल ब्लड फ्लो : रिलेशनशीप आफ प्रेसर ग्रेडिएन्ट टू द ब्लड वेलासिटी मैक ग्रा हिल, न्यू यार्क।

पवन कुमार मिश्र

सह आचार्य, हिन्दी विभाग

नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

Concern for the Discriminated Girl Child in India

- Mamta Bhatnagar

Female children, girls and women are all victims of discrimination from ages. Most parents want to have male children so that they can supplement their family income and to have a help when the parents will grow older. They think the female child is a burden to them. The society discriminates girl child in different manners. The girl child in rurals is discriminated by abuse, forcing to work, forced to child marriage. In urban areas, the girl child is discriminated by child labour , abuse and making differences between a boy and a girl. The people usually think that boys are better performers so the money is usually spent on boys in matters of education and schooling. The girl child is discriminated in almost every house .

In India, situation of girl child is exactly same as described as above. Apart from the governmental and non-governmental initiatives, present paper is an additional effort to create awareness among the people against this gender disparity.

Keywords- discrimination, Girlchild, uneqal

Introduction- It has been said that Gods prevail where woman are worshiped. Probably in ancient times, women were given a venerable position; but this situation does not apply to the modern society. Presently, we have a male-dominated society around us.

Most of the underdeveloped and developed countries nuture bias against females. The forum of the South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) systematically traced the seeds of this discrimination in the unequal treatment meted out to girls right from their infancy or even before their birth.

To reorient the social attitude and government policies, the year 1990 was declared the ‘Year of Girl Child’ for the SAARC countries indicating that the girl children in these countries faced problems in addition to the problems faced by children in general. The year 1990 for the Girl Child was followed by SAARC decade.

The problems of girls in India and other SAARC countries are not only the problems of the privations of poverty and general issues associated with conditions in the developing countries, but they refer to situations arising from their being girls. The Indian society, despite being divided on the basis of cast, religion, wealth and region, universally regards the birth of the girl child as unwelcome. On the contrary, the birth of a male child is celebrated with sweets, music and gaiety. He is looked upon as a savior on whom the parents will be able to lean in their old age, the one who will perform their last rites and carry the family through ages.

The girl child faces many odds in the struggle for survival, caught in the maze of cultural practices and prejudices that strip of her individuality and mould her into a submissive, self-sacrificing daughter and then a mother. Her labour as an important contributor to the family income either as a domestic servant, an agricultural hand ,or a caretaker for her young siblings , robs her not only of her childhood ,but also her innocence ,making her ignorant and weak in the process.

The discrimination against a girl child begins with the birth of the 'unwanted daughter' who does not receive a sufficient quantity of mother's milk which is fundamental for her nourishment. Sons are shown preference in the distribution of nutritious foods. The cycle of malnutrition and undernutrition continues, with young girls giving birth to babies who grow inadequately particularly if they are girls, and who in turn perpetuate the cycle.

The birth celebration of boys and the gloomy occasion of girls' birth has a considerable impact on the female child. She learns that to be a girl is a misfortune. She hears frequently that she is the "paraya dhan" (alien wealth) or the burden on her father's shoulders. Throughout childhood and adolescence, she is described as a temporary resident, destined to be transferred to another family who will accept the burden in return for a dowry.

The girl child's perception of herself and her role is conditioned by her early socialization, a process which eventually moulds her into the stereotyped prisoner of her gender. At each and every step of life, the girl follows her mother. She sees her mother working through sickness, pain and suffering ill health without

complaining. She also sees her mother subsisting on leftovers and she learns to do the same. Told to talk softly and dress modestly, the girl child gradually acquires the qualities of submissiveness, meekness and self – sacrifices which allows her to accept the domination of male oriented values. Whatever she acquires from her family and especially from mother, she tries to transmit all this to her daughter.

It is therefore true that, in India, the family structure and values function in such a way that the daughters grow up looking upon themselves as inferior and subservient, entitled to much less of every thing than sons : less opportunity, less authority, less property, low status, less power and virtually no choices.

Discrimination against the females is more or less inherent in the Indian society. Some of the aspects in which the girl child is discriminated against are as follows:

The Declining Sex Ratio- It is widely known that India's unfavorable sex ratio is due primarily to the higher mortality of females as compared to males. This imbalance differs from place to place according to the value placed on female children, along with other factors such as overall health and nutrition, levels of education, extent of labour and so on

According to the Census India 2011, the sex ratio (Female per thousand male is 943 which was registered as 972 in 2001. The Census report says that child sex ratio from 0 to 6 age group is 919 per thousand males. This data really indicates about serious demographic repercussions.

Morbidity and Malnutrition - There is considerable direct and indirect evidence of higher morbidity and malnutrition among girls. A study conducted among the rural children in Tamil Nadu showed considerably higher morbidity among girls (Devdas and Kamalnathan, 1985). Kanjilal ***et al*** (2015) in their study reported regional heterogeneity in malnutrition across the major states of India. A report from Punjab cited that 55.5 % of children who died belonged to the under privileged community and 69% of those had severe malnutrition. The majority of them were female children.

The overall feeling is that scarce resources of time or money should not be spent on daughters and that they must learn early to tolerate pain and suffering which are the lot of women.

Malnutrition in young girls continues into adulthood and to the next generation. The lower and inferior share of food resources to the female child coupled with lack of care for her special nutritional needs during adolescence renders her vulnerable to the stresses of early and frequent child bearing that characterize Indian society. The tradition bound Indian women not only discriminate against their baby daughter in matters of feeding and care, but also bring her up to believe her that self-discrimination is her duty- perpetuating the vicious cycle.

Health Care

Despite higher morbidity and malnutrition among girls they receive less health care as compared with boys. Hospital and clinic attendance records invariably show a preponderance. In one of Delhi's leading hospitals, only 35% of admissions were of girls (Ghosh,1985).UNICEF (2018) recently released a report in which it is stated that in India the death rate of girls is higher than boys as parents neglect healthcare. In India parents are less likely to seek treatment for a sick baby girl than a boy where more female infants die within the first month of being born . Narendra Gupta a public health expert in north-western Rajasthan records high rate of female infant mortality. The report further stated that boys are still socially more preferred than girls.

The discrimination against the girl child further continues in the field of education and literacy.

Achievement in Literacy- Literacy is defined by the census as the ability to read and write in any language. Census 2011 reported that literacy in India is 74.04%. male literacy rate is 82.14% whereas female literacy rate is 65.46%. Though overall literacy rate has increased from the last Census report, yet female literacy rate is still having a significant difference from male literacy.

Labour and Work Pattern- The involvement of young children in household work and family occupations constitutes an important part of their training for life and work. UNICEF report (2016) says that girls spend 40%more time or '160 million more hours a day' on household

chores such as cooking, cleaning, collecting firewood and caring for members than boys of same age. Girls are indulged in household work as early as 5 to 9 years old spending 30% more time than boys of their age on chores. The disparity continues upto 50% at the age of 14 and the household labour is assigned to girls.

Social Unacceptability

According to Karkal (1991), the root of the problem of discriminatory treatment being meted out to girls lies in the status of women in society and their expected roles. Girls are socialized in docility, blind obedience and total dependence. This situation prevalent at home is reinforced by the society. Socializing the girls from their childhood to accept their status and ideology of male supremacy assures continuance of the discriminatory treatment (Singh and Prabhakar, 1991)

It goes without saying that an integrated and wholistic approach to the girl child's development is essential for the creation of a new environment in which she can be valued and nurtured. The search for new and bold efforts to give the girl child her due, to allow her to evolve to her full potential, involves a process of social mobilization that will make her everyone's concern. Every efforts should be made to remove the disparities under which the girl child is born and grows up if she is to be taken out of the maze of neglect in which she has been lost for centuries.

Global efforts in favour of girl child- On the first International Day of the Girl Child (11^{th} October 2012), Ban-Ki-Moon Secretary General of United Nations stated, “Let’s girls be girls not brides”. This was an alarming level of violence and abuse faced by the girls on the issue of child marriage. He also added, “Empowering girls is a moral imperative, matter of basic justice and equality. Investing in girls is a catalyst for changing the world – we must work together for the day when every girl is treated with dignity and respect , that’s what this observance is about.”

The UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage is part of a global effort to prevent girls from marrying too young and to support those already married as girls in twelve countries across Africa, Asia and Middle-east.

Government Initiatives in India- The Government of India have started many policies and schemes favouring girl child. Some of them are- ►The National Policy for Children, 1974 ►The National Plan of Action ►The Pre-natal Diagnostics Techniques(Regulation and Prevention of Misuse act, 1994 . ►The Immoral Traffic (Prevention) act 1986. ►The Juvenile Justice Act of 2000 ►Indian Penal Code ►Balika Samriddhi Yojana ►Kishori Shakti Yojana ►Swadhar A Scheme for women in Difficult Circumstances [2001-02] ►Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls [SABLA] ►Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana [2010-11] and
- Beti Bachao Beti Padhao [2015] ►Observance of National Girl Child's Day on 24th January since 2008

Because I am a Girl (BIAAG) a global movement for girls education and transforming power relations, Nanhi Kali, CARE India, IIMPACT, CRY, Smile foundation, Pratham, GOONJ, are some NGO's which are continuously working for girls in India in some or the other way.

Apart from the Governmental and non-Governmental efforts, we as a member of society have our duty to take each and every essential step not only to save but to uplift the girl child. Because individual concern will do more than any other effort. Some of the efforts which can be more effective are-- ►Not to rush to extreme desire of boy child. Try to bring gender equality. ►Educate the girl child as equal to boy child. ►Empower women, because this is the most effective tool to save girl child. ►People should be aware through some effective campaigns regarding ' Save the Girl Child' ►A girl child should be given equal access and opportunities in every field. ►Safe and secure arrangements should be made at all the fields related to girl child. ►Campaigns against the discrimination towards the girl child should be run including the family members.

Civil society networks, business leaders, media organizations, academia, social enterprises, philanthropic communities all have to play active role to save and educate girl child in right direction.

In all, each and every citizen of India must follow all the rules and regulations made for saving the discriminated girl child as well as improving her position in the society.

References

- Anonymous [2015], Annual Report of the Union Ministry of Women and Child Development, Government of India , New Delhi.
- Anonymous [2016], "Human Development", Economic Survey, Union Ministry of Finance, Government of India , New Delhi.
- Devi, S," Son Preference and Daughter Neglect:Gender Discrimination in Haryana" International Journal of Research Granthalayah Vol 4, Nov.2016.
- Devdas, R. and Kamalnathan, G. (1985) . A woman's first decade. Paper presented at the Women's NGO Consultation on Equality Development and Peace, New Delhi.
- Ghosh, S. (1985) . Discrimination begins at birth. Paper prepared for Journalists' Workshop, focus on female child, New Delhi.
- Karkal, M. (1991) . Invisibility of the girl child in India. Indian Journal of Social Work, vol.LII (1), 5-12.
- Kanjilal *et al;* (2010); International Journal for Equity in Health, 2010.
- Mishra, P.K> and Thakur, S. (Undated). Nutritional and health status of female child.
- Department of Paediatrics , Lucknow.
- Singh, A. and Prabhakar, I. (1991). Social acceptability of the girl child – An analytical study. UGC sponsored national seminar on Psychological Aspects in the Social Acceptability of Girl Child , Kurukshetra.
- www.census2011.co. in >sexratio
- www.un.org>events>girlchild
- https://yourstory.com>2016/03
- Empower Girls: Before ,during and after crises; www.unicef.org
    - http://gov.gl/2FY9K8, 8March 2016,News for Youth, News Stories

Dr. Mamta Bhatnagar
Assistant Professor
Sadanlal Sanwaldas Khanna
Girls Degree College, Allahabad

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

An Experimental Study of Slow Learners

- Sangeeta Singh

Slow Learners are those children who are low achieving academic skills and often ignored by others as dull, Lazy or inept in the school setting. Slow learners log behind other students not only in academics but also in social, emotional that 5 to 15 percent of school going children, suffer from scholastic backwardness. The early identification of students who are at risk for educational failure is an important process that deserves much attention and research. Dr. S.Subramaniam says that although they have no intellectual disability, no identifiable neurological impairments and no learning disorders, slow learners perform poorly in school and exhibit discrepancy between expected achievement based on their intellectual ability assessment and actual achievement as children advance in school, There is a corresponding increase in difficult as school subject and assignments. Thus, children's performance depends progressively more on their motivation to sustain and active commitment to and efforts towards self regulated learning.[1] A pretest posttest random control group experimental group research design was followed to assess the effects of the integrated instruction on the academic performance and psychological indices of slow learners.

(i) **Experimental Group:-** the total sample comprised of 10 slow learners **as** experimental groups studying in 5th class in primary school who where giving and exposure to a specially designed integrated intervention program for the duration of 5 weeks period of time.

(ii) **Control group:-** Another group 10 slow learners of 5th class drawn from the same school were kept as control group. No such exposure to intervention would be given for this group.

In order to have the homogeneity in the sample size, they were matched for age, gender, IQ, mother tongue, socio-economic status etc. The slow learners were selected using the following three screening methods based on their academic performance teaches report and IQ test.

A- Academic performance:- Only those students who scored less then 50 % of marks in all the subjects consistently for the first monthly and quarterly examination were selected.

B- Teachers assessment:- Teacher's ratings on children's overall performance in class room and those who were found to be dull or below average were identified as slow learners.

A three-tier mutually supportive integrated intervention program was administered to the slow learners. The following three types of activities such as graphic organizer, mindfulness meditation and mnemonics which had been designed exclusively to address the specific needs of the slow learners such as memory improvements, goal setting and overall study skills improvement were administered between 12.30-2.00p.m. for the period of 16 weeks. Graphic organizer were constructed using 'xmind' and Microsoft Smart Art for biology and history based on the lessons that were taught to them in their regular classes. Only the slow learning students in experimental group were provided these graphic organizers as an additional academic input. Participants received instruction for a period of 16 weeks. The intervention was given for 40 minutes daily.

The meditation programme was given in 30 minutes session per day for 16 weeks. The slow learners were introduced to there main mnemonic strategies, namely, the method of loci, These were given exclusively to the experimental group of slow learners.

This programme was aiming at changing teacher's attitude towards students of slow learners in the areas of acceptance and supports to slow learners and rewards of appreciation for demonstrating acceptable behaviors of slow learners and conveying positive expectations to slow learners and not biased by post events . a three day work shop was organized to impart these behavioral science inputs to the concerned teachers relaxation therapy was administered to slow learners to improve their concentration in their subjects. In summary the overall intervention was aiming at eliding move effort from the slow learners and their mentors to gain required knowledge and skills to master their subjects,[2]

The data of the gain sure acquired by the experimental group and control group of slow learners were compared using an

independent sample rest to ensure that the effects of the integrated intervention were significant and specific to the experimental group of slow learners. In addition to the test of significance, effect sizes were calculated to measure the relative magnitude of the experimental treatment using Cohen's based on the analysis, the following conclusions were drawn- As expiates the integrated intervention strategies in addition to conventional classroom teaching seemed to be very effective in improving the academic performance source in science&social science of slow learning students in grade 5.

The experimental group showed a significant improvement in academic self- effaces perhaps due to the effect of integrated intervention, it come be inferred the graphic organizer and memory teaching could have acted as effective tools which drive to slow learners to summaries their ideas and structure their writing work as a visualize by converting a text into an appropriate paragraph which in turn, for the facilitates to retrieve the required information at the appropriate time.

There is a substantial level of reduction in anxious fearful behavior and increased pro-social behavior among the experimental group of slow learners which may alter their cognitive capacities to acquire additional reading skills helping then to overcome the suppressed feelings about their inadequate in academic activities.[3]

It has been confirmed confidently that the customized integrated intervention targeted at the slow learners are able to enhance the academic performance and other psychological indices facilitating the psychological well being the key recommendations based those significant psychological aspects are listed under two categories as short term and long term.

References

1- Indian educational review- NCERT. Vol-51,p.p.114

2. Indian educational review- Dr. S.Subramaniam. vol-51,p.p-116

3. Indian journal of psychometric and education vol-39

Dr. Sangeeta Singh

Ph.D, DEPT of education

SHIATS, Allahabad.

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

Concept of Corporate Criminal Liability in India

- **Swapnil Tripathi**

Corporate crime is nothing new to India. Corporate crime is burning issue nowadays, one can find in newspaper daily scams involving companies which ruing economy of the stale and also spoil the state of welfare community. Corporate is the basic foundation of any developing country, and state should not depend on the business sector to deliver a stable economy. For welfare of the community corporate crime pose a significant threat given the pervasive presence of corporation in wide range of actives in our society and the impact of their action on much wider group of people are affected. The potential harm for both economic and physical caused by corporation is greater. Bribery and corruption are the major problem in the developed world and corruption among public official is said to be a large caused of crime on poor countries that having large International Monetary Fund debts. Therefore it is important to improve the notion of what is corporate crime and up to what extent the liability should impose on corporate. Because the ultimate goal of any civilized society is that "**Jio are Jine do**" means "**live and let to live others**" To live simply is not the real meaning or definition of any civilized society to live means to live with dignity with humanity. The present scenario of liability of corporate is to become more strengthen than now. The endorsement of criminal liability for corporation has been largely a twentieth century phenomenon. Corporate liability has become prominent item on the agenda for law reformer Provision on corporate liability have been in several proposal for codification in India especially since **The Bhopal Gas Tragedy case**[1]. As yet the direction forward remain unsettled. Conventional crime were not designed with the company in mind and they fail to capture the essence of corporate fact. The role of corporation in society has become conspicuous. Given the place that corporation play in the commercial life of our society

and the place that commercial life holds in our system of values it is easy to see how corporate criminal liability suits this purpose.

Keywords: Meaning of Crime, Concept of Corporate, Criminal liability and Corporate Criminal liability, Indian Criminal Justice system, Corporate Criminal liability Under Indian Law.

1.1 Meaning of Crime

Crime is illegal activity that is prohibited by the law. A crime is often called an '**offence**'. Some people wear shirts that say '**it's only illegal if you get caught'**. This is untrue. Any activity prohibited by statute or the common law is illegal whether you are caught or not. This is like saying '**it's only illegal to hurt children if you get caught'**. People would agree that hurting children is illegal whether or not the people who commit such crimes are caught.

The law, and the crimes it creates are most often a reflection of morality. Morality is made up of the principles we use to govern our relationships with one another. This is why actions such as stealing, assault, rape, and murder are crimes. each of these acts harms our ability to trust other people, and to feel safe in society.

Other questions around crime are less easy to answer. Why is smoking cannabis a crime and smoking cigarettes not a crime, Why is alcohol legal but not other drugs. These are very difficult questions to answer, and there are many different answers. Often it is a question of cost and benefit. Tobacco products are heavily taxed. The tax from the sale of cigarettes goes to the public health system. Tobacco users will have greater cause to rely on that system later in life. It is more of a benefit to tax cigarettes and use money gained from that for the benefit of all, than to attempt to prevent people smoking them, which would involve more cost, and less benefit in the way of crime prevention. It would also create another large illegal industry, alongside that of drug manufacture and supply.

On the whole, crime is something that has to do with the greater good of society. The law criminalizes activities that will hurt our relationships with one another, and in society as a whole. There are different levels of crime though – not all crimes are of the same magnitude. A parking offence is very different to murder. The law reflects the difference between these in the way the legal system deals

with each crime, and the penalty imposed. A parking offence will incur a small fine, murder will incur a term of imprisonment.

Man by nature is a fighting animal hence to think of criminal less society is a myth. Truly speaking there is no society without the problem of crime and criminals. The concept of crime is essentially concerned with social orders. It is well known that man's interest are best protected as a member of the community. Everyone owes certain duties to his fellow man and at the same time has certain rights and privileges which he expects others to ensure him. Although, most people believe in "**live and let live**" policy yet there are a fear who for some reason of the other deviate from this normal behavioral pattern and themselves with anti social elements. There is hardly any society which is not beset with the problem of crime. Infect crime is a constant phenomenon changing with the social transformation.

The concept of crime is closely related to social policy of given time with changes in ideologies the concept of crime also changes. This is to say, certain new crimes spring up where existing crime become absolute and therefore they are deleted through adequate changes in the criminal law. It is for this reason that the criminal law has often been considered as a barometer to gauge the moral turpitude of the society as given time. In other words the social standard of society can conveniently be judge by studying the criminal policy adopted by it.

There has been considerable increase in crime rate in recent decades. This phenomenon, however is not peculiar to India alone. The up word trend in crime rate can be attributed to modernization , urbanization, industrialization, advance of science and technology and growth of civilization and advent of materialism with economic growth people's craze for wealth and other luxuries of life has increased beyond limits which can not be quenched with the available resources. Obviously person who can not resist their temptation too often resort to unlawful means to meet their ulterior motives. Scientific know has proved a boon to offenders in carrying out their criminal activities with considerable ease. They have provided better opportunity for escape and avoid detection which has mitigated the risk involved in committing crimes.

The term crime does not, in modern times, have any simple and universally accepted definition, but one definition is that a crime, also called an offence or a criminal offence, is an act harmful not only to some individual, but also to the community or the state a public wrong. Such acts are forbidden and punishable by law.

The state government has the power to severely restrict one's liberty for committing a crime. Therefore, in modern societies, a criminal procedure must be adhered to during the investigation and trial. Only if found guilty, the offender may be sentenced to punishment such as community sentence, imprisonment, life imprisonment or, in some jurisdictions, even death. To be classified as a crime, the act of doing something bad that is actus reus must be usually accompanied by the intention to do something bad mens rea, with certain exceptions strict liability. While every crime violates the law, not every violation of the law counts as a crime. Breaches of private law (torts and breaches of contract) are not automatically punished by the state, but can be enforced through civil procedure.

1.1.2 Origin of word crime- The word crime is derived from the Latin root cerno, meaning "**I decide, I give judgment**". Originally the Latin word crimen meant "**charge**" or "**cry of distress**." The Ancient Greek word krima , from which the Latin cognate derives, typically referred to an intellectual mistake or an offense against the community, rather than a private or moral wrong.

The word may derive from the Latin cernere – "**to decide, to sift**". But Ernest Klein rejects this and suggests cri-men, which originally would have meant "**cry of distress**". Thomas G. Tucker suggests a root in "**cry**" words and refers to English plaint, plaintiff, and so on.[2] The meaning "**offense punishable by law**" dates from the late 14th century. The Latin word is glossed in Old English by facen, also "**deceit, fraud, treachery**". Crime wave first attested in 1893 in American English.

1.1.3 History of Crime- Some religious communities regard sin as a crime; some may even highlight the crime of sin very early in legendary or mythological accounts of origins — note the tale of Adam and Eve and the theory of original sin. What one group considers a crime may cause or ignite war or conflict. However, the

earliest known civilizations had codes of law, containing both civil and penal rules mixed together, though not always in recorded form.

Historically the concept of crime seems to have always been changing with the variations in social conditions during the evolutionary stages of human society. This can be illustrated be the face that early English society during 12th, 13th centuries included only those act as crime which were committed against the state or the religion The expression "**crime"** means, in England and Ireland, any felony or the offence of uttering false or counterfeit coin, or of possessing counterfeit gold or silver coin, or the offence of obtaining goods or money by false pretences, or the offence of conspiracy to defraud, or any misdemeanor under the fifty-eighth section of the Larceny Act, 1861.

1.1.4 Crime defined- A precise definition of "**crime**" is by no means an easy task. Generally speaking, almost all society have certain norms be beliefs, customs and traditions which are implicitly accepted by its member as conducive to their well being to and healthy around development. Infringement of these cherished norms and custom is condemned anti social behavior, thus many writers have defined, '**crime**' as anti social immoral or sinful behavior.

1.1.5 Sociological- A normative definition views crime as deviant behavior that violates prevailing norms–cultural standards prescribing how human sought to behave normally. This approach considers the complex realities surrounding the concept of crime and seeks to understand how changing social, political, psychological, and economic conditions may affect changing definitions of crime and the form of the legal, law-enforcement, and penal responses made by society.

These structural realities remain fluid and often contentious. For example: as cultures change and the political environment shifts, societies may criminalize or decriminalize certain behaviors, which directly affects the statistical crime rates, influence the allocation of resources for the enforcement of laws, and influence the general public opinion.

1.1.6 Characteristics of Crime- There are certain characteristics of a crime which make an unlawful act or omission

punishable under the law of the land. The main characteristics of crime are as follows: I. External consequences II. Act (Actus Reus) III. Mens rea or guilty mind IV. prohibited act V. punishment

1.1.6.1 External consequences- Crime always have harmful impact on society may it be social, personal, economical or mental.

1.1.6.2. Act (Acts Reus)- There should be an act or omission to constitute crime. Intention or mensrea alone shall not construe a crime unless it is followed by some external act. Generally omitting to do something will not amount to actuaries of an offence. The criminal law usually punished individuals for positive conduct and not for inaction. There are however some notable exception. e.g. a police officer may have a duty to act to prevent and assault and if he does not he will be liable to punished under the law.

1.1.6.3. Mens Rea or Guilty Mind- Mens rea is one of the essential ingredient of a crime. It may however be direct or implied. the implied mens rea is otherwise termed as constructive mens rea. The maxim '**actus non facit reum nisi mens sit rea'** means that an act alone does not constitute a crime unless it is a companied by gailty intention. The doctrine had been discussed elaborately by **Will J. in Tolson;s case[5].**

Mens rea implies that there must be a state a mind with respect to an actus reas that is an intention to act in the prescribed fashion. It is however, important to distinguished means from motive Thus if a person steal's away a few loaves of bread from someone's kitchen to feed a child who is dying of hunger the motive here may be honorable and understandable, nevertheless the mens rea being to commit the theft, the persons would be convicted for theft, its motive may however be taken in to account in sentencing and he may be less severely punished because for his good motive. In short motive should be taken into consideration at the sentencing stage and not at the time of deciding the questions of mens rea.

1.1.6.4. Prohibited act- The act should be prohibited or forbidden under the existing penal law. Act however immoral, shall not be an offence unless it is prohibited by law of land.

The act, in order to constitute a crime should not only be prohibited by the law but should also be punishable by the state. The

punishment usually set out in term of a maximum and the actual punishment in any particular case is left to the direction of the judge both the defense and the prosecution have a right to appeal against the quantum of sentence.

1.2 Concept of Corporate- The common man definition of corporation is a group of individuals coming together to carry on a business. Corporation is a creation of law, a business entity recognized by law. Though English law established the origin of Modern corporation in the 14th century or so, yet some authors are of the view that the origin of corporation could be sought in the 20th century or perhaps in the roman law where juristic person was said to have been recognized, Sir Henry Maine suggested that a sort of corporate as opposed to the individual responsibility was at the very heart of the primitive legal system[6]. Society was not what it is assumed to be at present, a collection of individuals but in view of others it is an aggression of families, The law recognized this system of small independent corporation.

1.2.1 Corporation are of two kinds.

a. Corporation Aggregated b. Corporate Aggregate

1.2.2 Corporate crime- Corporate crime refers to crime committed by either a corporation or individual that may be identified with corporation or other business entity. In criminology, a corporate crime refers to crime committed by individual that may be identified with a corporation or other business entity.

Corporate crime overlaps with: A) White collar crime B) Organized crime C) State corporate crime

1.2.2.1 White collar crime- The majority of individual who may act as or represent the interest of the corporation are employees or professionals of a higher social class.

According to Edlehere "**An illegal act or series of illegal acts committed by non physical kinds of means and by concealment or guilt, to obtain money or property or to obtain business advantage**"[7].

According to Sutherland "**crime committed by persons of respectability and high social status in course of their occupation**"[8].

White collar criminality has become a global phenomenon with the advance of commerce and technology. Like any other country, India is equally in the grip of white collar criminality. The reason for enormous increase in white collar crime in recent decades is to be found in the fast developing economy and industrial growth of this developing country.

1.2.2.2 Organized crime- The criminal can set up corporation either for the purpose of crime or as vehicles for laundering the proceeds of crime organized crime has become a branch of big business and is simply the illegal sector of capital. It has been estimated that by the middle of the 1990s the gross criminal product of organized crime made it the twentieth richest organization in the world richer than 150 sovereign states. The gross criminal product has been estimated at 20 percent of world trade.

1.2.2.3 State Corporate Crime- In many content the opportunity to commit crime emerges from the relationship between the corporation and the state. Corporate crime may involve acts like fraud, environmental pollution, corporate crime such as the1985 Union Carbide accident in Bhopal India making of unsafe product and dangerous work environment. Corporate crime activities are mostly due to inadequate cash security practices inadequate supervisions as well as a lock of internal auditing. The recent wave of corporate scan dates has a different character. In many of these cases, the crime serves firm owner's direct interest employees commit crime in response to incentives provides by the firm.

White collar crime steals the thunders from conventional crime as it potentially affect the financial performance of commercial organization in the country. The corporate crimes together with the economic development of modern society. The suppression of corporate crime is receiving increased of attention world wide and have been incorporated into legal system in a lot of countries.

1.3 Criminal liability and Corporate Criminal liability- In criminal law, corporate liability determines the extent to which a corporation as a legal person can be liable for the acts and omissions of the natural persons it employs. It is sometimes regarded as an aspect of criminal vicarious liability, as distinct from the situation in which

the wording of a statutory offence specifically attaches liability to the corporation as the principal or joint principal with a human agent.

1.3.1 Meaning of Criminal liability- Criminal liability is what unlock the logical structure of criminal law. Each element of crime that the prosecutor needs to prove Beyond reasonable doubt is a principle of criminal liability. There are some crime that only involve a subset of all the principles of liability and these are called "crimes of criminal conduct"

Criminal liability is attached only those acts in which there is violation of criminal law i.e to say there can not be liability without a criminal law which prohibits certain acts or omissions.[10]

The basic rules of criminal liability revolves around the basic latine maxim **"acts non facit reum, nisi mens sit rea"**. It means that to make one liable it must be show that act or omission has been done which was forbidden by law and has been done with guilty mind.

Hence every crime has two elements one physical known as acts reus and other mental known as mens rea[11].This is the rule of criminal liability in technical sense but in general the principle upon which responsibility is premised is autonomy of the individual, which states that the imposition of responsibility upon an individual flows naturally from the freedom to make rational choices about actions and behaviors[11].

Although the general rule as stated above is applicable to all criminal cases but the criminal law jurisprudence has seen one exception to the above said concept in from of doctrin of strict liability in which one may be made liable in absence of any guilty state of mind. This happens in cases of mass destructions through pollution gross negligence of the company resulting in widespread damages like tragedy etc.[12]

Hence there can be no dispute of imposing criminal liability on corporations as regards no mens res requiring offences but however, it used to come to be questioned before the chartered bank judgment when mensrea was concerned.

1.3.2 Concept of Corporate criminal liability- The nature of corporate crime include insider trading in finance company so many companies came and in night it's companies shares price become hike

and greedy and needy person buy it and couple of month such companies are run away, There are so many companies in Security Exchange Board of India. Such companies where about still not found. This is also a corporate crime . There are also some different types of corporate crime which affect mass population such as environment pollution, food adulteration so looking the nature of crime it is the obligation of state and nation to impose criminal liability on such corporate.

The endorsement of criminal liability for corporation has been largely a 20thcentury phenomenon, corporate liability has now become a prominent item on the agenda for law reformers provisions on corporate liability have been several proposal for codification in India, especially since the Bhopal gas case. Conventional crimes were not designed with the company in mind and they fail to capture the essence of corporate fault. The concept of acts and mens-rea, with their human mooring attach are neither useful not appropriate in the corporate concept.

1.4 Indian Criminal Justice system- India derived its criminal justice system from British. There is a clear demarcation of the role and power and function of the legislature, Executive and judiciary is independent and there is a free press. The penal philosophy in India has accepted the concept of prevention of crime and treatment and rehabilitation of criminals which have been reiterated by many judgments of the supreme court victms have no rights under the criminal justice system and the state under take the full respossibility to prosecute and punish the offenders by treating the victims as mere witnesses.

The Indian criminal justice system is governed by overall by four leves- I. The Constitution of India,1950. II. The Indian Penal Code,1860. III. The Criminal Procedure Code,1973. IV. The Indian Evidence Act,1872.

The legislative power is wasted with the union parliament and state legislatures and the lane functions are divided into the union list state list and concurrent list in the Indian constitution At the national level two major criminal codes, The Indian penal code. 1860 and the Code of Criminal procedure 1973 deal with all substantive crime and

their punishment and the criminal procedure respectively to be followed by the criminal justice agencies. i.e the police precaution and judiciary during the process of Investigation prosecution of trial of an offence. These two criminal laws are applicable through India and take precedence over any state legislation.

All major offences are defined in the Indian penal code and these apply to resident foreignness and citizens alike. Beside the Indian penal code many special laws have also been encased to tackle new crime.

The Indian criminal justice system has four sub systems which include legislature, (Union parliament state legislature, law enforcement Police, Adjudication, courts) and corrections adult and juvenile correction institutions, probation other non instructional treatment. The legal system in India is adversarial.

1.5 Corporate Criminal liability Under Indian Law- Corporate Crime have been always been in the news and can best be define as illegal acts committed by corporate employee on behalf of the corporation and with its supports. the consequences are far reaching and it is said to be very severe as corporation are inflicting a kind of damage to the society that individual acting alone can not conceive of inflicting. India should India adopt criminal liability in this regard is worth examining to evaluate and observe which liability would help hand down justice especially after the Bhopal Gas Leak case which resulted in mass destruction. It is considered as the world's worst industrial catastrophe in 1984 where due to the leak of methyl and other substances at the Union Carbide India Limited (UCIL) pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh, India, 500,000 people resulted in being affected and despite public commitments to health and safety UCIL created or allowed to develop conditions whereby an accident was possible and further failed to mitigate the effects. Its aftermath is still seen today. Meanwhile, the Supreme Court judgment delivered in 1996 by justice **Ali. M. Ahmadi** is highly criticized for diluting the charges against the accused where on a petition moved by the accused, the Supreme Court had "**amended**" the charges from Section 304 Part (|) (culpable homicide not amounting to murder) to Section 304-A (causing death by negligence) of The Indian Penal

Code 1860. On June 7th 2010, 26 years after the tragedy, the trial of the accused, mostly former officials of the Union Carbide, concluded with a shockingly low punishment i.e. two years of imprisonment with a fine of Rs 1 lakh under main Section 304-A (causing death by negligence) of The Indian Penal Code.1860 making it a bailable offence. The punishment does not justify the offence committed on that dreadful night, which is why it has been attacked from every corner. However the conviction of the accused did bring forth one fact that the model adopted in India for corporate liability is similar to that of UK i.e identification as we see that the head of the UCIL was charged for the offence. Although today it is an established fact that corporations can be criminally liable but so far India has not legislated on corporate criminal liability like the US, UK or Australian. The statutes in India do not yet include such developed jurisprudence and hence still makes the official responsible for all criminal acts. Some examples are sections 45,63,68,70(5),203,542 etc of The Indian Companies Act 1956 which hold only the officials of the company liable and not the company itself and the various sections of The Indian Penal Code 1860 directs compulsory imprisonment failing to take a corporation into account since such a sanction cannot work against the corporation. Apart from the above in India certain legislations which have provisions for corporate method of liability are Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Section 17), The Essential Commodities Act, 1955 (Section 10), The NDPS Act,1985 (Section 38), the Trade Marks Act,1999 (Section 114), The Income Tax Act,1961 (Sections 276-C and 278-B). It is important to analyse the pros and cons of corporate criminal liability and compare it with civil remedies to conclude what is more justifiable or efficient.

Conclusion- The society in recent time is increasingly faced with various kinds of economic crimes that were unknown earlier in any given legal system. Now day's courts and prosecutors are often dealing with such phenomenon holding the corporations criminally liable as most economic activities take place through them. However there has always been a hesitation of criminal law to sanction corporations for their wrongdoing and it was only after the 2nd World War that criminal law recognised corporate criminal liability. Even

then the European system has not been able to incorporate the concept in its criminal legal system. Nonetheless responsible social policy mandates that we deter those who victimize society through their dangerous acts and since corporations has been the villain; it needs to be stopped even if commentators question the use of criminal law.

The primary purpose of this research is to critically analyze corporate crimes and liability and the problems of attribution attached to it with relevant case studies. The corporation is the vehicle for the crime. This may be a short-term crime, i.e., the corporation is set up as a shell to open credit trading accounts with manufacturers and wholesalers, trades for a short period of time and then disappears with the revenue and without paying for the inventory.

There are a number of corporate crimes that have come into light. One of the major havoc that is created in present times is because of mysterious disappearance of corporations. Out of the 5,651 companies listed on Bombay stock exchange, 2750 have vanished. It means that one out of two companies that come to the stock exchange to raise crores of rupees from investors, loo and run away. Even famous company like '**Home Trade'** came up with huge publicity stunts but after raising money, vanished some where. About 11 million investors have invested ` 10,000 crore in these 2750 companies. We have Securities Exchange Board of India, Reserve Bank of India and Department of Companies Affairs to monitor the stock exchange transactions but none has documented the where about these 2750 odd companies suspended from the stock exchange. Many of the promoters and merchant bankers who are responsible for these are roaming scot-free. The market regulators and stock exchanges are unable to penalize them or recover their funds.

References-

1. M.C Mehta vs Union of India A.I.R 1984, S.C 1086.
2. The concept related to corporate crime
3. Tappan Paul Wk; crime Justice and correction,P.80.
4. William Blackstone: Commentaries Vol.IN P.5
5. (1869) 23 GBD 168
6. The legal Concept of corporate crime
7. The corporate crime

8. Digest on crime
9. AbhishekAnand Holding corporations Directly Responsible for criminal Acts An Arguments
10. Actsreus connotes those results of human conduct which is forbidden by law and hence constitutes of human action; result of conduct and act prohibited by law. One other hand mensrea is generally taken an blame worthy metal condition: Russell, W.O. Russll on crime P.17.51 (J.W.C. Turner Ed. New Delhi, Universal Law Publishing Pvt, 2001)
11. A. Ashworth, Principles of Criminal Law P. 79-81 Oxford : clarendon press , 1991) Cited by Fisse, Reconstruction corporate criminal Law : Deterrence, Retribution, Fault and sanctions, 56, S. Cal . L. Rev.1141.
12. Assn, of Victims of Uphar Tragedy V. UOI, 104(2003) DLT 234, Ryland V. Fletcher, (1868), L.R. 3. H.L. 330.

Swapnil Tripathi
Research Scholar, Law
Nehru Gram Bharti Vishwavidyalaya, Allahabad.

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक शिक्षा की दशा : चुनौतियां और समाधान

– लाल जी रामपाल

मनुष्य इस संसार की सर्वोत्तम कृति है तथा साथ ही साथ सर्वोत्कृष्ट 'बौद्धिक प्राणी'। मनुष्य इस संसार मे जीवन का अस्तित्व एवं निरन्तरता बनाये रखनें के लिए कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों को लेकर इस संसार मे जन्म लेता है। मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों को लेकर प्रस्फुटन शिक्षा के द्वारा संभव होत है। किसी राष्ट्र को अग्रणी बनाने में राष्ट्र के भौतिक एवं मानवीय संसाधन ही उत्तरदायी होते हैं। कोई भी राष्ट्र उन्नति तभी कर सकता है, जब उस राष्ट्र के सभी नागरिकों के विकास के सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हों तथा लाभ उठानें में समर्थ हों। वस्तुतः मानव जाति के विकास के प्रमुख आधार शिक्षा ही है।

भारत गाँवों का देश है, भारत की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों मे निवास करती है। जब तक हमारा ग्रामीण भारत विकसित नहीं होगा, तब तक हम भारत को विकसित बनाने का सपना अधूरा रहेगा। भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन तभी आयेगा, जब ग्रामीण भारत शिक्षित होगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए तीन मूलभूत आवश्यकता होती है– रोटी, कपड़ा, मकान। चौथी मूल आवश्यकता शिक्षा है। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र समृद्ध और विकसित नहीं हो सकता।[1]

भारत को शिक्षित करने के लिए गांव–गांव में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है। गैर सरकारी स्तर पर भी शिक्षा दी जा रही है। हमारी सरकार इस संस्थाओं को सीधे संचालन करती है। ग्रामीण अंचलों को सुशिक्षित करने के निए सरकारी स्कूलो को जिम्मेदारी दी गयी है। स्कूलों में काफी मात्रा में अध्यापकों की नियुक्ति की गयी हैं। इसमे पढने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ बच्चों को निःशुल्क युनीफार्म व भोजन भी दिया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन फल व दूध की भी व्यवस्था की गयी ताकि इसमे पढने वाले बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। क्योंकि इसमें पढने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब परिवार से आते है, ये स्वस्थ्य रहेंगे तभी

पढ़ाई भी सही ढंग से कर पायेगें। सरकार इनको शिक्षित करने के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। अभी हाल में ही सरकार इन बच्चों को निःशुल्क युनीफार्म, बैग, जूता–मोजा, आदि की व्यवस्था खुद कर रही है। इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इतने के बावजूद भी इन सरकारी संस्थानों में दिन–प्रतिदिन संख्या घटती जा रही है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहाँ पर फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। वहाँ पर सब कुछ का पैसा देना होता है, आखिर ऐसा क्यो हैं? प्राइवेट स्कूलों में स्कूल प्रशासन व व्यवस्था सब अच्छा रहता है, वहां सभी भौतिक सुविधाएं रहती है।[2]

प्राइवेट स्कूलों में साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शौचालय व पीने का पानी की व्यवस्था बढ़िया रहती है। जबकि सरकारी स्कूलों में सभी भौतिक सुविधाएं न के बराबर रहती है। विद्यालयों में शौचालय व पीने का पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, न बिजली की व्यवस्था और न ही पंखा और कूलर की। ऐसे में सरकारी स्कूल में लोगो का आकर्षित नहीं कर पा रहा है और तमाम कारण है जो लोगों का इन स्कूलों के प्रति मोह भंग होता जा रहा है।[3]

आज का युग टेक्नोलाजी का युग है, लेकिन हमारा सरकारी प्राइमरी विद्यालय इन सब सुविधाओं से कोसों दूर है। बच्चों को बैठने की व्यवस्था आज भी जमीन है, टाट पट्‌टी पर आज भी बैठ रहे हैं, आज से 50 वर्ष पहले भी टाट पट्‌टी पर बैठा करते थें। हमारा देश इतना आगे निकल गया है तब भी हमारा प्रा0 वि0 आज से 50 वर्ष पीछे चल रहा है। बच्चों के लिए पीने का पानी हैण्डपम्प है जिसमें गन्दा पानी आता है। स्कूलों में न तो बिजली है और न ही पंखा। बताइये आज के युग में जहां लोग कूलर ए.सी. में रह रहे है वहां पर तपती गर्मी में बिना बिजली के पढाई कर रहे हैं? हमारी सरकार जहाँ पर प्राइमरी विद्यालयों को स्थापित किया है, वहां पर कोई ग्राउन्ड नहीं है। जहाँ कई एकड़ जमीन फालतू पड़ी है। कोई भी संस्था का पहला आकर्षण उसकी बिल्डिंग होती है। बच्चों के खेलने का मैदान होना चाहिए, स्कूल में प्रांगण होना चाहिए जहाँ पर फूलों की क्यारी हो। क्या पशुओं के बाड़ा मे देश का भविष्य पढ़ेगा।[4]

हमारी सरकार बात करती है कि प्रा0 स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है। इस पर कभी गम्भीरता से विचार की कि क्यों घट रही है? सारा दोष अध्यापकों के मत्थे कर दिया जाता है। मै सरकार से जानना चाहता हूँ कि आप अध्यापकों को कौन सी सुविधा दिये है जिससे वे तन–मन से लेकर विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाये? इनको बैठने की कायदे से कोई व्यवस्था ही नही है। बैठने की बात तो छोड दीजिए, टीचरों को न पीने का पानी, न लंच ही, न ही बिजली और पंखा की न ही स्टाफ रूम और न ही कार्यालय कैसे आप अपेक्षा करते हैं? इनके पठन पाठन के अतिरितक्त ढेरों सारे काम लिये जाते है। प्रतिदिन कुछ न कुछ कागज मांगा जाता है। चुनाव ड्युटी आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, बी0एल0ओ0 की ड्युटी, आप विविध प्रकार के पल्स पोलियों के कार्य किए जाते हैं। आखिर ये अध्यापक है, या सरकार के नौकर? एक अध्यापक का काम होता है पढाना लेकिन हमारी सरकार इनसे बहुतेरे काम ले रही है।[5]

प्राथमिक विद्यालयो के चलाने के लिए एक ग्राम शिक्षा समिति बनायी जाती है। समिति के पास न कोई आय का स्त्रोत है और न ही उसकी कोई योजना है।

सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन यानि एम0डी0एम0 बच्चों के ठहराव के लिए चलायी गयी है तथा साथ ही साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। लेकिल दुख की बात है कि इन दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों है? एम0डी0एम0 पैसा उगाही का एक स्त्रोत बन गया है। गाँव का प्रधान एम0डी0एम0 का राशन कोटेदार से उठाकर प्रधान सड़ा गला राशन स्कूलों मे देता है। एम0डी0एम0 मे ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक का ज्वांइट खाता होता है। गाव का प्रधान दंबगई से अल्प मात्रा में राशन देता है, बच्चों को भरपेट खना भी नहीं मिल पाता है। सरकार बच्चों को निःशुल्क पुस्तक देती है, युनिफार्म देती है, अब तो जुता मोजा, स्वेटर, बैग दे रही है। ये सब समान समय से नही मिलता है। जब मिला है तो आधा अधूरा आखिर में ऐसा क्यो होता है?[6]

यदि वास्तव में सरकारी विद्यालयों मे ंसुधार लाना है एवं ग्रामीण बच्चों को (जो देश के भविष्य है) शिक्षा में आगे लाना है तो हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन और मनन करना होगा। और इस पर गम्भीरता से अमल करना होगा। सर्वप्रथम जितने भी प्राइमरी स्कूल बताये गय है। वहाँ पर एक बीघा जमीन अधिग्रहण कर नये सिरे से भवनों का निर्माण किया जाय ताकि वे स्कूल की तरह लगे। उनमे खेल का मैदान, गार्डेन आदि की व्यवस्था की जाय। आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था की जाय। भवनों का निर्माण किसी जानी मानी कम्पनी से कराया जाय। स्कूल के भौतिक साधनों से सुसज्जित किया जाय। छात्रो को बैठने के लिए बेंच और टेबल की व्यवस्था की जाय। बिजली आदि की व्यवस्था की जाय। कान्वेंट स्कूलों के तर्ज पर खेलकूद नृत्य विभिन्न प्रकार के प्रोगामों को रखा जाय। बच्चों का किताबें, ड्रेस, जूता मोजा आदि एक साथ समय से दिया जाय।[7]

विद्यालयों का निरीक्षण करते समय मात्र अध्यापकों की केवल उपस्थिति न देखी जाय, बल्कि पढाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिष्या जाय। अध्यापकों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाय। निकम्मे किस्म के अध्यापकों जो सही ढंग से काम नही कर रहे है, उनके वेतन मे कटौती की जाय, बच्चो की प्रगति के आधार पर वेतन दिया जाय। जो अध्यापक सही काम कर रहे है उनको प्रोत्साहन दिया जाय।

प्रत्येक स्कूल साफ–सफाई व बच्चों की देखभाल के लिए अध्यापकों को पानी आदि पिलाने के लिए एक दाई की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक स्कूलों में कागजी काम के लिए एक क्लर्क की नियुक्ति की जाय। अध्यापको को केवल पढ़ाने का काम लिया जाये बाहरी कोई काम न लिया जाय।

एम0डी0एम0 को ब्लाक स्तर या एन0पी0आर0सी0 की सामूहिक भोजन किसी संस्था के द्वारा बनवाया कि स्कूलों मे बनवाया जाय। इससे पौष्टिकता वा रसोइयो को देने का मानदेय की बचत होगी। एम0डी0एम0 आदि के चेकिंग एक ही जगह करनी होगी।

निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि यदि वास्तव में ग्रामीण भारत में लोगों को सुषक्षित करना है तो उपर्युक्त दी गयी बातों पर गम्भीरतापूर्वक अमल करना होगा, तभी हमारी प्रा0 शिक्षा में सुधार होगा

वरना सरकारी प्राथमिक विद्यालय टूट जायेगें और लोग मजबूरन अपने नौनिहाल बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देते रहेंगे।

संदर्भ ग्रथ सूची

- रमन बिहारी लाल, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, दिल्ली 2012–13.
- डॉ0 राजीव मालवीय, शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, 211002 – 2013.
- डॉ0 एस0 पी0 गुप्ता, आधुनिक मापन एवं मुल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, 211002 – 2015.
- डॉ0 राजीव मालवीय, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शारदा पुस्तक
- भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, 211002 – 2016.
- प्रो0 एस0 पी0 गुप्ता, अनुसंधान संदर्शिका'', शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, 211002 – 2014.
- डॉ0 रामसकल पाण्डेय, शिक्षा की दार्शनिक एवम् समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि''अग्रवाल पब्लिकेशसन्स, आगरा, 2012.

लाल जी रामपाल

शिक्षा शास्त्र (एम.ए., एम.एड–नेट),

नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ग्रामीण परिवेश में लोक चेतना

– अनुराधा देवी

गाँव की माटी से अद्‌भुत इस कवि के स्वभाव में रचा–बसा ग्राम बोध और लोक–जीवन उसके अंतः में इस तरह अनुस्यूत है कि; रचनाओं में उसका प्रस्फुटन उसकी रचना–प्रक्रिया का स्वभाव बन गया है। इसीलिए उनके काव्य–संग्रह 'गोमती' (1950) में संग्रहित गीत पूरे तौर पर ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए है। गीतों की रचना में कवि द्वारा प्रयुक्त प्रतीक एकदम ताजे एवं ग्रामीण– जीवन एवं उसके परिवेश से लिये गये हैं। बात इतनी साफ और बेलाग है कि सामान्य पाठक भी उसके गूढार्थ में सहज साक्षात्कार कर लेता है। गाँव के लोग और उनका जीवन परती पर ढेरे के झुरमुट की तरह है, जिस पर आकाश–बँवर उलझ गयी है। शैथक की तरह जीवन परती–सा पड़ा है। गाँव की राह अपनी नीखता, निर्जनता में नागिन बनी है। काँटो से भरी हुई उलझी आकाश–बँवर ग्रामीण–जीवन का सारत्व खींच रही है। आनन्द और उल्लास खोकर पथरायी आँखों से गाँव सब कुछ देख रहा है। कवि की संवेदना इन पंक्तियों में ओर धनी हो जाती है–''झाड़ियाँ अरूस की भी गन्दी मनहूस

फूलसुंघी फूलों का रस लेती चूस
लुढ़के कुछ छूंछे घट, मन का भटकाव
उलझी आकाश
बेलिमन के हर झुरमुट पर शोषण का दंश पिये फैलाये पांव।''[1]

नवगीत में 'फूलसुंघी' और 'छूंछे घट' जैसे प्रतीक सामाजिकता की अभिव्यक्ति में इतने सटीक हैं कि एक ओर स्वार्थी लोग जिनका स्वभाव ही पाना, लेना अथवा शोषण है। दूसरी ओर छूंछे घट सा एकदम रीता, माटी के मोल का ग्रामीण आदमी है, खोना देना जिसके रग–रग में है जिस ग्रामीण संवेदना को 'केदार नाथ सिंह' ने 'तीसरा सप्तक' में झरने लगे नीम के पत्ते बढ़ने लगी उदासी मन की।' कहकर देखा, उसका बीज कवि ने 'गोमती' में इस प्रकार रोपा था।

'' सुधिमय कर मन की सूनापन/चिलबिल के झरने लगे तात।''[2]

इस तरह इनकी रचना 'गोमती' में 'डेढ़ बरस के बाद', 'सूरज डूब रहा', 'आकाश बंवर', 'भादों में फूले हैं बबूल', ' धूप क्वार की', 'आया

कुआर', 'बैशाख चढ़ा', 'ईंट पथेरा', 'भटकती शाम', ' ईट भट्ठा', घसियारिने', ' कच्ची सड़क', 'धोबी घाट', 'पहाड़ों की याद', 'रानी मजदूरनी' और 'गांव पराया' आदि गीतों में ग्रामीण जीवन का सारा दुःख दर्द छल–छद्य दांव–पेंच मेहनत, चारा, कुट्टी, खेत–गृहस्थी की व्यथा–कथा, भूख और गरीब की जहालत गहरे यथार्थ के धरातल पर अभिव्यक्ति हुई है। कवि ग्रामीण जीवन की आधुनिकता चेतना को उसकी मार्मिक संवेदना की गहराई में देखता है। गाँव के चरित्र में घर कर गई असहायता, गरीबी, पीड़ा व्यथा और षड्यंत्र को उकेरने में स्थानीय रंजना के प्रक्षेपण का व्यमोह नहीं पालता और न ही खंड–चित्रों की प्रदर्शनी लगाता है। गाँव का पुराना व्यवहार, एक दूसरे के दुःख–सुख में खुश और दुखी होने की परम्परा टूटी है। शहरों की तरह गाँवों में भौतिक जीवन की चकाचौंध नहीं है, न प्रदूषित वातावरण है।

यांत्रिक जीवन की विविशता एवं उससे अद्भुत भागम भाग भी नहीं है। एकदम सपाट है गाँव फिर भी अजनवियत वहाँ ऐसे घर कर गयी है कि कवि को कहना पड़ता है–

''खुली पीठ है, गाँव सामने–चमक रही खपरैलें/ऊँचे–नीचे
ठांव अजनवी/टेढ़ी–मेढी गैलें/उठता धुआं सिवाने कहतीं
और वहाँ तक फैले मौन खड़े ये महुए पाकड़–सूरज डूब रहा है।''[3]

कवि यहाँ खुली पीठ, टेढ़ी–मेढ़ी, रास्ता,उठता धुआँ और मौन खड़े हुए पाकड़, जैसे ग्रामीण बोल चाल में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों के माध्यम से लोक मानव के निर्धन– जीवन के बेबाकपन को गाँवों की समृद्धि या गाँवों में बसने वाले टोलों की समृद्धि के आधार पर स्थिति विषमता को जीवन में घर कर गये षडयंत्र तथा एक दूसरे के प्रति सहजभाव से सहयोगी बनने की अपेक्षा अपरिचयात्मकता को बड़े अच्छे ढंग से निभाया है।

'गोमती' की कोई भी रचना लोकगीतों के धुन पर नहीं लिखी गई है। लोकाभिमुख होते हुए भी संग्रह की रचनाएँ ग्रामीण जीवन का व्यापक कैनवास प्रस्तुत करती है। शब्द–चित्र जब भावों की गहराई में प्रवेश करता है, तब हृदय–पटल पर एक मूर्त्त–चित्र खड़ा हो जाता है। कवि अपनी इस चित्रात्मकता में स्थानीय जीवन के उन चित्रों को नहीं चुनता जो विचित्र और अजीबोगरीब होते है। यही कारण है कि ग्रामीण

वातावरण का चित्र बिल्कुल सीधी और साफ भाषा में कवि खींचता है जो सार्वदेशिक है। वह क्षेत्र–विशेष के प्राकृतिक दृश्यों का शोषण नहीं करता बल्कि सूक्ष्म भाव–चित्रों द्वारा पूरा परिवेश रूपायित कर देता है। यथा–

''पावस की उड़ती ध्वाज सदृश, भादों में फूले है बबूल।''[4]

'सोने के कनफूल पहन कर, घिया तरोई है मुस्काती हरी
करैली के झुरमुट से मंद–मंद सौरभ है आती
लौकी का पत्ता जैसे कुछ बोल रहा।''[5]

लोक संस्कृति की भावोन्मुख व्यापकता को कवि की चित्रात्मकता 'तुमने दिया जलाया होगा' के रूमानी भावबोध में नहीं अपितु खुली आँख से साफ–साफ देखती है। उसे इन पंक्तियों को कहने के लिए किसी लोकधुन अथवा किसी लोकगाथा के चक्र की आवश्यकता नहीं होती–

''ताल निकट तरू/खंडित प्रतिभा पुलकित भाव मगन, जल अक्षत
भावित कुलवधुएं, पूजा भरे नयन लहराती यह लाल पताका–फूले
पीत कनेर झपस उठी मेंहदी की बगिया। बन तुलसा पावन।'[6]

कवि ने इन पंक्तियों में 'ताल' खंडित प्रतिभा, जल अक्षत, कुलवधुएँ, लाल पताका, पीत कनेर, झपस उठी मेंहदी, बन तुलसा जैसे प्रयोगों द्वारा समूची लोक–संस्कृति को फिर से उजागर कर दिया है। गाँव का जीवन ऊँख की गांठ की तरह पोर–पोर उलझी गृहस्थी और उसकी जटिलता भोगते हुए उसे झेलते हुए अपने कर्म की सार्थकता में प्रसन्न होता है। मोद मनाता हैं उसकी मुर्झायी पुतिलियाँ चिटखे हुए दर्पण सा उलझे तारों जड़ा चेहरा जैसे दर्द उसका सहोदर हो और उसे देखते ही ओठों पर मुस्कान की रेखा खिंच जाती हो। यह है गाँव के गतिशील जीवन का यथार्थ।

कवि का संपूर्ण रचना संसार जहाँ उसे काव्य के स्तर पर मूलरूप से ग्राम बोध के स्तर पर सजग रखता है वहीं वह यथार्थपरक रूमानी भाव–बोध से भी जुड़ता है। इसी प्रकार शिल्प के स्तर पर वह मूर्त को दूरारूढ़ बनाकर बिम्बों और प्रतीकों की पहेली नहीं खड़ी करता तो वह अपने रूमानी, संत्रास अथवा नगर बोध के भाव क्षणों की अभिव्यक्ति में बिम्बात्मकता से विच्छिन्न भी नहीं होता।

ग्राम बोध एवं आंचलिकता नवगीत की पहली प्रवृक्ति थी जो नई कविता की स्थापना तक चलती रही छठे दशक तक उसकी प्रवृत्ति में

आधुनिकता बोध ने अपना स्थान बना लिया। स्वामीनाथ पाण्डेय का गीत प्रारंभ से ही भारतीयता की चेतना और जातीय–बोध से प्रभावित था। उनकी लोक–संपृवित्त में लोक परिवेश के साथ ही लोक जीवन के यथार्थ–प्रसंग विसंगतियों के दर्द और सामाजिक पीड़ा की अभिव्यक्ति होती रही। इनमें गीतों में प्रयुक्त आधुनिकताबोध भारतीय परम्परा के गर्भ से जन्मा हुआ है। इसीलिए उसमें भारत की सांस्कृतिक चेतना के ह्रास तथा मूल्यों के टूटन के प्रति चिंता है। स्वामीनाथ पाण्डेय के नवगीतों में पाठक या श्रोता को तत्काल अभिभूत करने की क्षमता है। उसकी प्रारम्भिक पंक्ति ही श्रोता अथवा पाठक को अपनी ओर इस तरह आकृष्ट कर लेती है कि अंत तक पहुंचते–पहुंचते पाठक उससे अभिभूत हो जाता है। रचनाकार के कथ्य को तत्काल ग्रहण कर लेना इतना आसान होता है कि उसकी पंक्तियाँ तत्काल स्मृति–पटल पर अंकित हो जाती हे। पाठक या श्रोता इसे सहजतः गुनगुनाने लगता है। इन गीतों को सामान्य अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति भी ग्रहण कर लेता है। यथा–

सुधियों के पाहुन बन आ गये/गाँव–गाँव बदरा असाढ़ के झुलसाई धरती की/होठों की प्यास पिये/अनजाने माटी के/सपनों की आस लिए धूल भरे खेतों पर/घर की खपरैलों पर/ ठांव–ठांव ठहर रहे/मन का विश्वास लिए/हरे–भरे अम्बवा पर छा गये/गांव–गांव बदरा आषाढ के।''[7]

सम्प्रेषणीयता– '' स्वामीनाथ पाण्डेय के नवगीतों में शब्दों के विस्तार के स्थान पर अनंत अर्थ–विस्तार है। वे सुगम होते हुए भी अगम है। मंजुलता और मार्दवता को समेटे हुए भी खुरदरेपन को अभिव्यक्त करते हैं।'' कुबेरनाथ राय का उक्त कथन कितना सच है, कवि की निम्नलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है; जहाँ गाँव पीले फूलों से बासंती हो गया है, किंतु बसन्त का कोई आकर्षण बाँधता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। गाँव के उम्रदराज लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी नंगी विवस्त्र, दिशाहीन है। आम बोलचाल के शब्दों में लिखी गयी ये पंक्तियाँ अपनी सहजता में वक्रता का अहसास दिलाती हैं ऋजुता में जटिलता को प्रस्फुटित करती हैं, तथा सुगमता में अगमता के गुह्यार्थ को उकेरती हैं–

सरसों की मुस्कान सुनहली/लुटा रहा है गाँव/बैठे बैल जुगाली

करते/चोंच माँजती है गौरया /बढ़े कन्धे जुआ गले का /नंगा नाचे किशन कन्हैया/मुँह लटकाये गोंठ खड़े हैं/ ये परती के ठाँव।'

यहाँ 'जुगाली करते हुए बैल' के साथ 'चोंच माँजती गौरैया' श्रमशील और थके मनुष्य की उलझन को स्पष्ट करती है। उसे क्षण–भर को भी विश्राम नहीं है। अपने थके–हारे मन से गौरैया से नन्हें–मुन्हें–मन की क्रीड़ा को स्वीकार करना पड़ता है। समस्याओं से जूझते हुए कन्धे बूढ़े हो गये हें, किंतु समस्याओं का जुआ गले में डालकर खींचना है। जीवन बंजर जैसा है, जिसमें पुरानी और नयी पीढ़ी दोनों परती पर उपले के गोंठ जैसी थकी–हारी विवश और उदास है।

कवि के गीतों में भारतीय संस्कृति साहित्य कला, धर्म, दर्शन, जीवन–विधि, संस्कार लोक–प्रथाएँ इतिहास, पुरातत्व, लोकवार्ता आदि समाहित है। इसके अतिरिक्त कवि ने इस तरह के गीतों में झुग्गी–झोपड़ियों और उसी के निकट खड़ी हुई बहुमंजिली अट्टालिकाओं का चित्र प्रस्तुत किया है तो कहीं बहुत मामूली आदमी का जीवन है जो गरीबी और भुखमरी के बीच जीता है। बढ़ती मुकदमेंबाजी, अपराध और हत्याओं का दौर, जुआ और तस्करी, सिर पर जबरदस्त का ढेंगा आदि यथार्थ प्रसंगों और विसंगतियों के दर्द तथा सामाजिक जीवन की पीड़ा आदि अभिव्यक्त हुई है। रोजी–रोटी से जूझते एक मामूली आदमी का संघर्ष द्रष्टव्य होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. स्वामीनाथ पाण्डेय– 'गोमती' 1950 साहित्य साकेत सम्मेलन सराय गोवर्धन वाराणसी–पृ0 12
2. वही, पृ0 18
3. वही, पृ0 23
4. वही, पृ0 42
5. वही, पृ0 12
6. वही, पृ0 13
7. वही, पृ0 12

अनुराधा देवी

शोध छात्रा हिन्दी विभाग

नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

बाबर की आत्मकथा और उसका भारत–विवरण

– राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

''899 वें वर्ष रमजान के महीने में 12 वर्ष की आयु में मैं फरगना के देश में शासक बना।'' इन शब्दों से बाबर की आत्मकथा आरम्भ होती है। जो साहित्यक और ऐतिहासिक दोनो ही दृष्टि से संसार की श्रेष्ठतम रचनाओं में स्थान रखती है। ''तुज्के बाबरी'' अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। पायन्दारवॉ और अब्दुर्रहीम खानखाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया। कई यूरोपीय भाषाओं, मुख्यतया फ्रेंच और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हो चुका है। इनमें सबसे श्रेष्ठ अनुवाद श्रीमती बेवरिज का माना गया है जो मूल तुर्की भाषा से किया गया है। बाबर कुछ समय की घटनाओं का विवरण नहीं लिख सका था। इस कारण 1508–19, 1520–25 और 1529–30 तक की घटनाओं का विवरण इसमें प्राप्त नहीं हेाता।

बाबार के जीवन सम्बन्धी घटनाओं को जानने का प्रमुख साधन उसकी स्वयं की आत्मकथा है। उसकी बुद्धि, योग्यता और शौक के बारे में भी हमें उससे पता लगता है। बाबर के लिखने की शैली बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली थी। इसके अतिरिक्त उसमें प्रत्येक स्थान पर सत्यता प्रतीत होती है। बाबर ने कभी व्यक्ति और परिस्थिति को समझने में भूल की हो और उस भूल के कारण उसका विवरण गलत हो गया हो (जैसा कि उसके भारत–विवरण के बारे में कहा जा सकता है) यह अन्य बात है परन्तु सत्यता उसके लिए प्रमुख थी यह मानता पड़ता है। अपने चरित्र की दुर्बलताओं और अपनी भूलों को भी उसने स्पष्ट रूप से लिखा है। अपने ऐश के उत्सवों और अनेक नशों के प्रयोग को भी वह लिखना नहीं भूला है। इस कारण लेनपूल ने लिखा है '' बिना किसी सहायक प्रमाण के यदि किसी एक ऐतिहासिक विवरण को समुचित प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है ''तो वह बाबर की आत्मकथा है।'' बाबर ने केवल अपने जीवन की घटनाओं का ही विवरण नहीं दिया बल्कि समय–समय पर जो भावनाएं उसकी रही और जिससे इस प्रकार विभिन्न घटनाओं की प्रतिक्रिया उसके हृदय में हुई, उसने उनको भी लिखा। विभिन्न व्यक्ति मित्र या शत्रु जो भी उसके सम्पर्क या विरोध में आये, उनके बारे में

उसने बहुत ही ईमानदारी और बारीकी से लिखा। दौलत खाँ लोदी इब्राहीम लोदी आलमखॉ, राणा सांगा आदि के बारे में भी उसने लिखा। उसने अपने द्वारा देखे गये सभी देशों की जलवायु, झरनो, फूल–पत्तों, पहाड़ों, नदियों, जंगलो, वनस्पति, प्राकृतिक सौन्दर्य आदि सभी के बारे में लिखा। यह सब कुछ इतने सुन्दर ढंग से लिखा गया है। कि पढ़ने वाला इसे पढ़कर आत्म–विभोर हो जाता है बाबर की स्पष्टवादिता, प्रकृति में रूचि, मनुष्य के चरित्र और परिस्थितियों को समझने की बारीक बुद्धि आदि सभी का पता हमें उसकी इस आत्मकथा से लगता है। बाबर की इस आत्मकथा के बारे में एल्फिन्सटन ले लिखा है कि वास्तविक इतिहास का ''एशिया में पाया जाने वाला यह अकेला ग्रंथ है।''

बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का विवरण भी दिया। भारत की जलवायु, प्रकृति, भारतीयों के घर, वेशभूषा तथा भोजन, राजनीतिक घटनाओं, राज्यों और राजाओं आदि सभी के बारे में उसने लिखा। बाबर ने लिखा '' ''भारत प्रथम, द्वितीय और तृतीय जलवायु के बीच में है। इसका कोई भी अंश चौथे भाग में नहीं है।'' उसने लिखा : '' सिन्धु नदी को पर करते ही देश, पेड़ पत्थर, घुमक्कड़ जातियॉ और व्यक्तियों के रिवाज और तौर–तरीके सभी हिन्दुस्तानी है।'' भारत के प्रथम सम्पर्क का प्रभाव उस पर अच्छा नहीं पड़ा था। उसने लिखा : यहाँ व्यक्ति न सुन्दर है और न सुसंस्कृत। यहाँ न अच्छे घोड़े है, न अच्छे कुत्ते न अच्छे अंगूर, न खरबूजे और न अन्य फल। यहॉ अच्छी रोटी नहीं मिलती, गरम पानी के हम्माम नहीं मिलते और न यहाँ उच्च विद्यालय है। बत्तियों और मशालों का प्रयोग नहीं होता। मशालों के स्थान पर ये तेल के दीपकों का प्रयोग करते है। जिनको नौकर अपने हाथों में लिये रहते है। बड़ी–बड़ी नदियों और पहाड़ी झरनों के पानी को छोड़कर यहॉ पानी का अभाव है। यहॉ बगीचों के चारों तरफ दीवारे नहीं है। लोगों के रहने के मकान अच्छे नहीं है और न उनमें हवा का उचित प्रबन्ध हैं। किसान और निम्न श्रेणी के व्यक्ति अधिकांश नंगे रहते है। पुरूष केवल लँगोट का प्रयोग करते हैं और स्त्रियॉ एक ही कपड़े से अपने कमर के नीचे के भाग और सिर को ढ़कती है।''

उसने लिखा ''हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि यह देश विस्तृत है और यहाँ सोना और चाँदी की भरमार है।'' बाबर यहाँ की

वर्षा से बड़ा प्रसन्न होता था। उसने लिखा'' यहाँ कभी–कभी एक दिन में 10, 15, या 20 बार वर्षा हो जाती है। अचानक यहाँ मूसलाधार वर्षा हो जाती है। और वे नदियाँ जिनमें विल्कुल पानी नहीं होता पानी से भरकर बहने लगती है। वर्षा के समय यहाँ की हवा बहुत ही मजेदार हो जाती है। परन्तु इसका सबसे बड़ा दोष सीलन और जंग लग जाना है। वर्षा के मौसम में हम अपने देश की कमानों का प्रयोग नहीं कर सकते। कवच, पुस्तके, वस्त्र बर्तन आदि सभी पर इसका प्रभाव हो जाता है और सभी बेकार हो जाते है। वर्षा के अतिरिक्त गर्मी और जाड़ों में भी यहाँ अच्छी हवा चलती है। वर्षा से पहले यहॉ हवा 5 या 6 बार बहुत तेजी से चलती है और काफी धूल उड़ती है जिसे ये लोग आँधी पुकाराते है। हिन्दुस्तान की एक बड़ी अच्छाई यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हर प्रकार के काम करने वालों का मिलना है।''उसने लिखा है ''यहाँ अलग–अलग काम करने वालो की अलग–अलग जातियाँ है और प्रत्येक जाति अपने कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी करती है। आगरा में इमारते बनावते समय मेरे यहाँ 680 कारीगरों ने काम किया था। आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कोल आदि में मेरी इमारतों का लिए पत्थर काटने हेतु 1419 करीगर कार्य करते थे। इसी तरह यहाँ तरह का कार्य करने के लिए अनगिनत दस्तकार और कारी गर है।''

भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए उसने लिखा ' भारत की राजधानी दिल्ली है। जब मैने इस देश को विजय किया तो वहॉ पाँच मुस्लिम और दो हिन्दू शासक राज्य करते थे'' दिल्ली, गुजरात, बहमनी शासक, मालवा, और बंगाल के मुसलमान–शासकों तथा विजयनगर और मेवाड़ के हिन्दू शासको का विवरण उसने दिया था।

बाबर का उपर्युक्त विवरण न तो पूर्ण है और न ठीक है। खानदेश, उड़ीसा, सिन्ध और कश्मीर राज्यों का बाबर ने वर्णन नहीं किया। पुर्तगाली भी दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुके थे जिनका विवरण बाबर ने नहीं दिया इस कारण बाबर का भारत–विवरण पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार बाबर का भारत–विवरण पूर्णतया सत्य भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाबर को भारत में बहुत कम समय मिला। वह अधिकांश समय युद्धों में लगा रहा और जो कुछ भी उसने देखा एक विजेता की दृष्टि से देखा। यदि उसे थोड़ा समय और मिलता,

जब तक भारत की स्थिति स्थिर हो जाती और उसे भारत के सुसंस्कृत वर्ग के सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त हो जाता तब सम्भवतया स्वयं उसकी धारणा बदल जाती और वह भारत और भारत के निवासियों के बारे में ठीक निर्णय कर पाता। भारत के निवासी बाबर के आक्रमण के समय मिलनसार और सुसभ्य न थे, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बाबर का भारत –विवरण हमें भारतीय इतिहास को जानने की सहायक सामग्री अवश्य प्रदान करता है, परन्तु उसे पूर्णतया मान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
यू.जी.सी.नेट–इतिहास
नई दिल्ली

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

प्राचीन भारतीय समाज में श्रेणियों की भूमिका : (प्रारम्भ से द्वितीय शती ई0 तक)

– बीरेन्द्र मणि त्रिपाठी

प्राचीन काल में व्यवसायियों और शिल्पकारों ने अपने–अपने व्यवसाय और शिल्प को एक निश्चित दिशा में विकसित और सुसंगठित किया तथा उनकी सुरक्षा और उन्नति के लिए अपने–अपने संगठन बनाए। ऐसे व्यापारिक समूह को श्रेणी, निगम, या निकाय कहा जाता था। भारत में श्रेणी संगठनों की उत्पत्ति एवं प्राचीनता के सम्बन्ध में विद्वानों ने भिन्न–भिन्न विचार व्यक्त किया है। भारत में प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले नगरों का अस्तित्व सैन्धव संस्कृति से सम्बद्ध है। इस सभ्यता के उत्खनित स्थलों से अनेक मुहरें मिली हैं, जो सम्भवतः व्यापार के काम में लाई जाती थी। इन मुहरों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहन जोदड़ो, हड़प्पा और लोथल आदि के वे निवासी जो उद्योग या व्यापार में लगे थे, संगठित थे। लोथल में ऐसे अनेक परिवारों के निवास स्थानों के अवशेष मिले हैं जो ताँबें की वस्तुएं और मनके बनाते थे। इस प्रकार इस संस्कृति में हाथी दाँत की वस्तुएं बनाने, सूत कातने, कपड़ा बुनने, ईंट पकाने वालों और लुहारों आदि के कुछ संगठन अवश्य रहे होंगे। अतः इन संगठनों को हम श्रेणियों का पूर्व रूप कह सकते हैं।

वैदिक कालीन साहित्य में श्रेणी संगठन के बारे में पर्याप्त उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ''वह हंसों के समूह में कार्य करती थी।''[1] वस्तुतः श्रेणी संस्था का समस्त आर्थिक कार्य उनके समूह के माध्यम से होता था। 'पणि' जैसे व्यापारियों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जो सुरक्षा को ध्यान में रखकर समूह में व्यापार के लिए जाते थे। 'श्रेष्ठि' ओर 'गण' जैसे शब्दों का उल्लेख भी वैदिक ग्रंथों में मिलता है। जो क्रमशः श्रेणी के मुखिया और नैगम संगठन की ओर इंगित करते हैं। मैकडानेल ओर कीथ,[2] राधाकुमुद मुखर्जी, एवं एस0पी0 नियोगी ने उत्तर–वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित श्रेष्ठिन[3] एवं श्रेष्ठिय[4] का अर्थ वणिजों का संगठन या श्रेणी का प्रधान लगाया है। डा0 रमेश चन्द्र मजुमदार का विचार है कि भारत में आर्थिक जीवन में संगठन की प्रवृत्ति उत्तर–वैदिक

काल तक स्पष्ट हो गयी थी और वृहदारण्यक उपनिषद के काल (ईसा पूर्व लगभग 600) में शिल्पियों एवं व्यापारियों के संघ विद्यमान थे।[5] आर0सी0 मजुमदार ने बृहदारण्यक उपनिषद (1/8/12) में उल्लिखित 'गणश' शब्द का अर्थ शंकर के भाष्य के आधार पर किसी एक शिल्प या व्यवसाय में लगे वैश्यों के गण (संघ) का प्रमुख लगाया है।[6] शंकर ने अपने टीका में उल्लेख किया है कि ब्राम्हण एवं क्षत्रियों के सृजन करने से ब्रम्हा संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे धनार्जन नहीं करते थे। इसलिए ब्रम्हा ने वैश्यों की सृष्टि की जो आपसी सहयोग तथा सहकारिता के आधार पर धनार्जन करते थे।

परन्तु इन उल्लेखों को उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद में उल्लिखित श्रेणी शब्द कतार पंक्तिबद्ध होकर अथवा समूह में चलने वाले पक्षियों, अश्वों तथा रथों आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 'पणि' साहसिक व्यापारी अवश्य थे, और व्यापार वाणिज्य अथवा अन्य उद्देश्यों से समूहबद्ध होकर यात्राएं करते थे। किन्तु वे सार्थ जैसे किसी संगठन में संगठित नहीं थे। 'श्रेष्ठिन' शब्द वैदिक साहित्य में सभ्रान्त व्यक्ति, महाजन अथवा धनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायण ने ऐतरेय ब्राम्हण (3/30/3) में उल्लिखित 'श्रेष्ठिन' शब्द का अर्थ 'धनपति' बताया है।[7] वैदिक साहित्य में 'गण', पूग, ब्रात शब्द वास्तव में समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। किसी सन्दर्भ में वे व्यवसायिक या व्यापारिक संगठन के द्योतक प्रतीत नहीं होते। रही बात 'गणपति' ओर गणशः' की तो इन्हें लोगों के समूह का प्रमुख तो माना जा सकता है लेकिन श्रेणी जैसी किसी आर्थिक संस्था का प्रधान नहीं।

अतः इन उल्लेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी और कृषि एवं हस्तशिल्पियों का सीमित विकास हो गया था। ऋग्वैदिक आर्यों का राजनैतिक संगठन भी काबीलियायी था। उत्तर-वैदिक काल में निःसन्देह कृषि, शिल्पों एवं उद्योगों में पर्याप्त प्रगति हुई थी परन्तु व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में समुचित विकास नहीं हो पाया था। असुरक्षा और आपसी सहयोग की आवश्यकता आदि कारणों से कुछ लोग मिलजुल कर व्यवसाय करते थे तथा दूरस्थ स्थानों की यात्राएं समूह बनाकर करते थे। उत्तर-वैदिक साहित्य में शिल्पों की लम्बी सूची मिलने तथा वस्त्र एवं

धातु उद्योग में विशिष्टीकरण होने के बावजूद किसी भी शिल्प अथवा व्यवसाय के संगठित होने के साक्ष्य अनुपलब्ध हैं।

वेदोत्तर कालीन साक्ष्य पाणिनी के अष्टाध्यायी, धर्मसूत्रों, जातक कथाओं, में आर्थिक संगठनों एवं उनके प्रमुखों के विवरण मिलते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल के अन्तिम समय (ईसा पूर्व 600) में श्रेणी संगठनों का प्रारम्भिक स्वरूप अस्तित्व में आ चुका था।

समाज में धीरे–धीरे विभिन्न व्यवसायियों और शिल्पियों का विकास होने लगा। फलतः उनके अलग–अलग स्वतंत्र संगठन बनने लगे, जो उनके सामूहिक हित के साथ–साथ व्यक्तिगत हित की भी देख–रेख करते थे। नागरिक जीवन के विकास के साथ–साथ व्यवसायी और शिल्पी भी ग्राम से नगर की ओर आये तथा अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने–अपने व्यवसायों और शिल्पों का गठन किया। इस प्रकार समाज में विभिन्न व्यवसाय और शिल्प से सम्बन्धित विभिन्न संगठित समूह बन गये, जिनका सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान था।

जातकों तथा अन्य साहित्यिक ग्रंथों में अनेकानेक वृत्तियों को अपनाने वाले श्रेणियों का विवरण है। जो अट्ठारह या उससे अधिक मानी जाती है। श्रीमती राइज डेविड्स ने भृगुपक्ख जातक के आधार पर निम्न अट्ठारह प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया है।[8]

1. लकड़ी का काम करने वालों की श्रेणियां, 2. पत्थर का काम करने वालों की श्रेणियां, 3. धातुओं का काम करने वालों की श्रेणियां, 4. बुनकरों (जुलाहों) की श्रेणियां, 5. चमड़े का काम करने वालों की श्रेणियां, 6. कुम्हारों की श्रेणियां :– इनके सदस्य अनेक प्रकार के प्याले रबाबी बनाते थे, जो घरों में प्रयुक्त होते थे। कभी–कभी ये अपना समान फेरी लगाकर बेचते थे। 7. हाथी के दांत का काम करने वालों की श्रेणियां, 8. रंगरेज की श्रेणियां, 9. स्वर्णकार की श्रेणियां, 10. मछुआरों की श्रेणियां, 11. कसाई की श्रेणियां, 12. शिकारी तथा पशु पकड़ने वालों की श्रेणियां, 13. रसोइयें तथा हलवाइयों की श्रेणियां, 14. नाईयों की श्रेणियां, 15. माला बनाने वाली तथा फूल बेचने वालों की श्रेणियां, 16. नाविकों की श्रेणियां, 17. बसकट, बेंत का काम करने वालों की श्रेणियां, 18. चित्रकार, जो मुख्यतः घर को रंगने वाले होते थे की श्रेणियां।

रमेश चन्द्र मजुमदार ने गौतम धर्मसूत्र, जातक, नासिक अभिलेख और जुन्नर अभिलेख के आधार पर निम्नलिखित सत्ताइस प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया है।[9]

1. लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, 2. सोना–चाँदी आदि धातुओं का काम करने वाले, 3. पत्थर का काम करने वाले, 4. चर्मकार, 5. दन्तकार, 6. ओदयांत्रिक (पनचक्की चलाने वाले)[10], 7. बसकट (बाँस का काम करने वाले)[11], 8. कसकर (ठठेरे), 9. रत्नाकर जौहरी, 10. बनुकर या जुलाहे[12], 11. कुम्हार, 12. तिलपिसक (तेली), 13. फूस काम करने वाले और डलिया बनाने वाले, 14. रंगरेज, 15. चित्रकार[13], 16. धान्य के व्यापारी, 17. कृषक, 18. मछुए, 19. कसाई, 20. नाई तथा मालिश करने वाले, 21. मालाकार (माली), 22. नाविक, 23. चरवाहे, 24. सार्थ सहित व्यापारी, 25. डाकू तथा लुटेरे, 26. वन–आरक्षी, 27. महाजन

स्पष्टतया इनमें से 18 श्रेणियां वही है जिनका उल्लेख राइज डेविड्स ने किया है। शेष नौ श्रेणियां अभिलेखीय साक्ष्यों एवं धर्मसूत्रों से प्राप्त हुई हैं। पाणिनी ने अपनी अष्टाधायी में निम्नलिखित प्रकार के शिल्पों की उल्लेख किया है। 1. कुलाल[14] (कुम्भकार), 2. तक्षा[15] (बड़ई), 3. धनुषकार[16], 4. रज्जक[17] (जो कपड़े रंगते थे), 5. सनक[18], 6. तंन्तुवाय[19] (जुलाहे), 7. कम्बलकारक[20] (कम्बल बनाने वाले), 8. चमड़े का कार्य करने वाले[21], 9. कर्मदार[22], 10. सुवर्णकार[23], 11. बोझ उतारे वाले[24]

प्राचीन अभिलेखों में श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जो निम्न है :–1. फूल बनाने वाले[25], 2. बुनकर जुलाहे[26] (कोलीक निकाय), 3. हाथी के दांत का काम करने वाले[27], 4. रंगरेज[28], 5. कुम्हार[29], 6. तिलपिसक[30], 7. अनाज के व्यापारी[31], 8. चमड़े का काम करने वाले[32], 9. बाँसकार[33] (बाँस का काम करने वाले), 10. कसकार[34] (ठठेरे)।

बौद्ध ग्रंथ महावस्तु[35] में 26 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवेच्यकाल तक पूरे देश में अनेकानेक श्रेणी संगठनों का विकास हो चुका था। इस काल में शिल्पों और उद्योगों के साथ–साथ व्यापार और वाणिज्य में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई और व्यवसायिक संगठनों का विकास हुआ। उनके कार्यों और दायित्वों एवं अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस युग में श्रेणी

संगठनों ने अपने रीति–रिवाजों एवं नियमों आदि को व्यवस्थित तथा निश्चित करके उन्हें एक संविधान का रूप दिया। जिसे राज्य ने भी मान्यता प्रदान की। गौतम के मत में संशोधन करते हुए मनु ने राजा को श्रेणी धर्म, श्रेणी के रीति–रिवाज एवं नियम–कानून बनाने की सलाह दी है।[36] याज्ञवल्क्य ने श्रेणी के नियमों को राज्य के कानूनों के समान मान्य एवं पालनीय बताया है।[37] विष्णु का विचार है कि राजा श्रेणी के नियमों का उसके सदस्यों तथा अन्य लोगों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करें।[38] महाभारत के अनुसार श्रेणी धर्म का उल्लंघन पाप कर्म है जिसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है।[39] विष्णु का विचार है कि यदि कोई गण की सम्पत्ति का हरण कर ले या गबन कर ले तो उसको निष्कासन का दण्ड मिलना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने निष्कासन के साथ–साथ उसकी सम्पत्ति जब्त कर लेने का विधान किया है।[40]

विवेच्य काल में श्रेणी के विविध कार्यों के सुचरू एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तथा श्रेणी प्रमुख को सहयोग देने के लिए कार्य चिन्तकों की समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। याज्ञवल्क्य के कार्य चिन्तकों (श्रेणी की कार्य समिति के सदस्यों) की योग्यताओं, कर्तव्यों एवं अधिकारों का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने धर्मज्ञ, पवित्र आचरण वाले तथा लोभरहित व्यक्तियों को कार्यचिन्तक नियुक्त करने का प्रावधान किया है। श्रेणी के सदस्यों को संगठन के सामूहिक हित की बात करने वाले इन कार्य–चिन्तकों की बातों का अनुपालन करना चाहिए।[41] तथा श्रेणी के सामूहिक हित के विपरीत बोलने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।[42] सामूहिक कार्य के लिए भेजे गये श्रेणी के सदस्य द्वारा प्राप्त धनादि संगठन को न देने या स्वयं ले लेने पर उस धनराशि से चार गुनी उससे दण्ड स्वरूप वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया था।

महावस्तु के कई सन्दर्भों में राजाओं के दरबार में श्रेणी प्रमुखों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। रामायण में राम के दरबार में नैगमवृद्धों की उपस्थिति का विवरण है।[43] रामायण में एक स्थल पर सीता राम से पूछती है कि आपके राज्याभिषेक के समारोह में श्रेणी प्रमुख क्यों नहीं दिखाई पड़ते।[44] महाभारत में राजा को सलाह दी गयी है कि उसे शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व गुप्तचरों के माध्यम से श्रेणी प्रमुखों से भी

विचार विमर्श करना चाहिए,[45] और न श्रेणी प्रमुखों को लड़ने दे और न ही एकजुट होने दें।[46] मिलिन्दन्हों में व्यापारियों के श्रेणी प्रमुख का उल्लेख है। विवेच्य काल के प्रारम्भिक भाग के श्रेणी संगठनों के कुछ सिक्के तक्षशिला तथा कुछ कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं।[47] कौशाम्बी से मिले ताँबे के सिक्कों पर 'गन्धिकनम् (गंधिकानां) लेख लिखा है। यह सम्भवतः गंधिकों की श्रेणी द्वारा जारी किये गये थे।[48] तक्षशिला तथा कौशाम्बी दोनों स्थानों से प्राप्त सिक्कों की तिथि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित की गयी है। यही नहीं इस काल के श्रेणी संगठनों की मुद्राएं तथा मुद्रा छापे भी प्राप्त हुए हैं।

श्रेणी संगठन अपने विविध कार्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं कुशलता से करते थे। लोग विभिन्न कार्यों के लिए उनके पास धन आदि जमा करते थे। श्रेणियां अपने पास जमा धन का या तो ब्याज देती थी या ब्याज की धनराशि से उस कार्य को सम्पन्न कराती थी जिसके लिए धन जमा किया जाता था। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि श्रेणियों ने बैकों के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। इसको हम भारत में बैकिंग प्रणाली का प्रारम्भिक रूप से कह सकते हैं। दैवी विपत्ति अथवा राजा द्वारा श्रेणी संगठन के पास जमा की गयी धनसम्पत्ति नष्ट किये जाने पर या चोरी हो जाने पर संगठन जमाकर्ता को उसकी अदायगी, क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता था। विवेच्य कालावधि में शासन करने वाले सातवाहन–शक–कुषाण राजवंशों के शासकों ने आन्तरिक एवं विदेशी वाणिज्य–व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया था और बड़ी संख्या में सिक्के जारी किये थे। सिक्कों के व्यापक प्रयोग ने बैकिंग व्यवस्था के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

हुविष्क के राज्यकाल के शक संवत् के वर्ष 28 (106 ई0) के मथुरा अभिलेख में उल्लिखित है कि 'प्राचीनीकन' नामक एक अधिकारी ने एक पुण्यशाला तथा 1100 पुराण (चाँदी के कर्षापण सिक्के) दो श्रेणियों के पास 'अक्षयनीवीं' के रूप में जमा किये गये थे। इनमें से 550 पुराण समितिकारों (आटा पीसने वालों) की श्रेणी के पास जमा किये थे और शेष 550 एक अन्य श्रेणी के पास जिसका नाम अभिलेख में सुरक्षित नहीं बचा है। जमाकर्ता ने समितकार श्रेणी को निर्देश दिया था कि वह जमा धनराशि के ब्याज से महीने में एक बार सौ ब्राम्हणों को भोजन कराए।

इसके अतिरिक्त तीन आढ़क पिसे सत्तू एक प्रस्थ नमक, एक प्रस्थ शुक्त (अचार आदि) तथा तीन घड़े पानी (निर्धन और भूखे) लोगों को उपलब्ध कराए[49] शक शासक नहपान के शासन काल के शक संवत् के वर्ष 41, 42 एवं 45 के नासिक गुफालेख में उसके दामाद उषवदात (ऋषभदत्त) के द्वारा उक्त गुफा में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र (चीवर) तथा चिकित्सा की व्यवस्था के लिए कुल 3000 कर्षापण गोवर्धन (नासिक के निकट) के कुलकरों (बुनकरों) की एक श्रेणी के पास 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किये गये थे।[50] जुन्नर से प्राप्त एक अभिलेख में बाँस का काम करने वाले कारीगरों की श्रेणी एवं ठठेरों के पास धन जमा किये जाने का विवरण है।

प्रारम्भ में श्रेणियों के नियम एवं उनके रीति–रिवाज उनके निजी मामलों के लिए बनाए गये थे। किन्तु उनकी न्यायिक निष्पक्षता, क्षमता एवं कार्यकुशलता ने राजा एवं प्रजा, दोनों को ही प्रभावित किया था। सम्भवतः यही कारण था कि राजाओं ने श्रेणियों को जनता के लिए न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता तथा अधिकार दे दिया था। सबसे पहले याज्ञवल्क्य ने श्रेणी के न्यायालय के रूप में कार्य करने का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने विभिन्न कोटि के न्यायालयों का उल्लेख करते हुए सर्वप्रथम राजा को रखा है और उसके बाद राजा द्वारा नियुक्त किये गये न्यायिक अधिकारी का न्यायालय, उसे बाद पूग तथा श्रेणी को रखा है।[51] नारद के अनुसार श्रेणी का चार सामान्य न्यायालयों में दूसरा स्थान था (नारद स्मृति; 1.7) 'दिव्यावदान' में उल्लेख प्राप्त होता है कि एक श्रेणी ने पूर्ण' नामक एक वाणिज को 60 कर्षापण का अर्थदण्ड दिया था। पूर्ण नामक वाणिज ने इस निर्णय के विरूद्ध राजा से अपील की, राजा ने श्रेणी के द्वारा दिये गये फैसले को निरस्त कर दिया था।[52]

कुषाण काल में पहली बार ग्राम व्यवस्था में 'दण्डनायक' ओर 'महादण्डनायक' के बारे में सूचना मिलती है।[53] ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम संघ, संघ के मुकदमों को निर्णय करता था। इस समय ग्राम व्यवस्था भी संघ के अधीन थी इसी कारण कई ग्राम अधिकारी जैसे–ग्रामीण, ग्रामिक (ग्राम मुख्य), ग्रामभोजक (ग्राम वृद्ध) वहां नियुक्त होते थे। जूनागढ़ अभिलेख में मंत्रिसचिव और कार्यसचिव दो अधिकारियों का ज्ञान संघ के सम्बन्ध में होता है।

उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवेच्य–काल में श्रेणियों के संगठन आधुनिक बैकों की भाँति कार्य करते थे। ये संगठन जिनके बैंकों का जाल सारे देश में फैला हुआ था, नियमबद्ध व्यवस्था वाली रही होगी। जिससे जनता अपनी बड़ी धनराशि उन्हें सौंप सकने का विश्वास कर सकती थी। इनकी गतिविधियां व्यापार, वाणिज्य उद्योग के क्षेत्र में सामूहिक और अतिरिक्त पूंजी सन्निवेश तथा सुगम वित्तीय स्थानान्तरण का मार्ग प्रशस्त करती थी।

श्रेणियों के शक्ति बढ़ने से और समाज में उनका विस्तार होने पर उनकी सैन्य व्यवस्था का स्वरूप भी विकसित हुआ। कालान्तर में उन्हें सेना रखने की अनुमति भी प्राप्त हो गयी। कम्बोज और सौराष्ट्र प्रदेशों में क्षत्रियों की श्रेणियां थीं। कौटिल्य ने 'श्रेणी–बल' का उल्लेख करते हुए उनकी शक्ति की चर्चा की है। वृहस्पति और याज्ञवल्क्य जैसे धर्मशास्त्रकारों ने भी श्रेणियों की सैनिक शक्ति का सन्दर्भ दिया है। रामायण में 'संयोधश्रेणी' का उल्लेख है। महाभारत में भी श्रेणीबल का सन्दर्भ मिलता है।

अतः स्पष्ट है कि श्रेणियों ने अपनी सैन्य व्यवस्था स्थापित किया था जिसके आधार पर वे अपनी सुरक्षा करती थी और आवश्यकता होने पर राज्य तथा राजा की सहायता भी करती थीं।

उपरोक्त उल्लेखों के आधार पर कह सकते हैं भारत के आर्थिक जीवन को सम्मुन्त, प्रवर्धित और सुसम्पन्न करने में श्रेणी संस्था का अद्वितीय योगदान था। इस संस्था ने समाज के व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया था। इस संस्था ने समाज और देश को गतिशीलता प्रदान की थी जिससे राष्ट्र का भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान हुआ।

सन्दर्भ :–

1. ऋग्वेद 1. 163.10 ''हंसा इव श्रेणिशों यतन्ते''।

2. हरिपाद चक्रवर्ती, 'ट्रेड एण्ड कामर्स', पृ0 316

3. ऐतरेय ब्राम्हण, 3/30/3 कौशीतकि ब्राम्हण, 28/6, कौशीतकि उपनिषद, 4/20

4. ऐतरेय ब्राम्हण, 4/25/8–9 एवं 7/18/8

5. स नैव व्यभव स विशमसृजतः यान्तानि देव जातानि गणश। आख्यायते।

6. आर0सी0 मजुमदार, ''कारपोरेट लाइफ इन ऐशिएन्ट इण्डिया'' पृ0 12–13

7.बलराम श्रीवास्तव, 'ट्रेड एण्ड कामर्स', पृ0 208 पर उद्धत।

8.जातक, VI पृ0 427, 9 टी0डब्लू राइज डेविड्स बुद्धिष्ट इण्डिया पृ0 90–97

9.आर0सी मजुमदार, 'प्राचीन भारत में संघटित जीवन' अनुवाद के0डी0 बाजपेई पृ0–19–20

10.नासिक अभिलेख लूडर्स सं0 1137

11.जुन्नर अभि0 लूडर्स सं0 1165

12.नासिक अभिलेख लूडर्स सं0 1133

13.वही, पृ0 सं0 427

14.अष्टाध्यायी, पाणिनी IV, 3 118

15.वही0, V, 4 95

16.वही0, III, 2. 21

17. वही0, III, 1. 145

18. वही0, III, 1. 145

19. वही0, VI, 2. 76

20. वही0, IV, 2. 11

21. वही0, V, 1 15

22. वही0, VII, 3.47

23. वही0, IV, 3.65

24. वही0, III, 4.42

25.मथुरा अभिलेख डी0सी0 सरकार, सेलेक्ट इन्सक्रिपसन्स खण्ड–1 पृ0 151

26. नासिक अभिलेख वही0 सं0 164

27. जुन्नर अभिलेख लूडर्स संख्या 1133

28. वही0 लूडर्स संख्या 1137

29. नासिक अभिलेख, ऐपिग्राफिका इंण्डिका, 8 पृ0 88

30. नासिक अभि0 300 ई0
31. जुन्नर अभिलेख लूडर्स सं0 1180
32. वही0 सं0 1164
33. वही0 सं0 1165
34. वही0 सं0 1165
35. महावस्तु भाग–3 पृ0 113 तथा 442–43
36. मनु0 8/41
37. याज्ञवल्क्य, 2/186 तथा 192
38. विष्णु, 5/68
39. दृष्टव्य लोकल गवर्नमेन्ट पृ0127 उद्धत श्याम मनोहर मिश्रा 'प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन' पृ0 226
40. यज्ञवल्क्य, 2/187
41. यज्ञवल्क्य, 2/191
42. वही0 2/188
43. रामायण, 7/77/2
44. वही0 2/26/14
45. महाभारत; 12/59/141
46. वही0 12/140/64
47. कनिघम्, 'क्वायंस ऑफ एशियंट इण्डिया' पृ0 सं0 63; मार्शल तक्षशिला, भाग 1 पृ0 सं0 26–27
48. वही0 25 पृ0 सं0 19
49. सरकार, डी0सी0; 'सेलेक्ट इन्सक्रिप्संश; 1, पृ0–146–47
50. वही0 पृ0 157–60
51. यज्ञवल्क्य; 2/191
52. दिव्यावदान, पृ0 सं0 32–33; मोती चन्द्र, 'सार्थवाह', पृ0 151
53. 'प्रोसीड्गि ऑफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस' पृ0 सं0 68

डॉ0 बीरेन्द्र मणि त्रिपाठी
सह आचार्य, प्रा0 इति सं एवं पुरा0 विभाग
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

ग्लोबल वार्मिंग – कारण, प्रभाव एवं दुष्परिणाम

– संजय कुमार सिंह

प्रस्तावना– सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एक मात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर वातावरण पूर्णतया जीवन के अनुकूल है। यहाँ हवा, पानी और पर्यावरण प्रचुर मात्रा में है। पृथ्वी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से भरा है तथा समुद्र का पानी नीला दिखायी पड़ता है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का 11 प्रतिशत हिस्सा लगभग कृषि के योग्य है, जहां खाने–पीने के चीजों की खेती की जा सकती है। इसका 10 प्रतिशत हिस्सा बर्फ से बढ़का है। पृथ्वी का पांचवा हिस्सा रेत से भरा होने के कारण, रेगिस्तान है। यह आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकन, मैग्नीशियम, निकिल, सल्फर, टाइटेनियम आदि तत्वों से बनी है। इसके वातावरण में 77 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन और बाकी कार्बन डाईऑक्साइड तथा जल वाष्प है।

ग्लोबल वार्मिंग– ग्लोबल वार्मिंग शब्द अपने में यह दर्शाता है कि हमारा पर्यावरण सार्वभौमिक रूप से लगातार गर्म हो रहा है। संपूर्ण विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के लिये कुछ ही देश अत्यधिक जिम्मेदार हैं। सर्वप्रथम 1861 में वैज्ञानिक टिडेल ने ताप के बढ़ने की समस्या पर ध्यान आकृष्ट किया था। वर्ष 1924 में अमेरिकी वैज्ञानिक लोटका ने बताया कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण आगामी 500 वर्षों में पृथ्वी के वातावरण में ब्$_2$ की मात्रा वर्तमान स्तर से दोगुनी हो जायेगी। वर्ष 1967 में विज्ञान जगत नें यह स्पष्ट कर दिया था कि धरती का ताप बढ़ने के लिये सर्वाधिक जिम्मेदार CO_2 है। आंकड़ों के अनुसार पिछली सदी के दौरान धरती का औसतन तापमान आधा डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही तो वर्ष 2100 में धरती उतनी गर्म हो जायेगी जितनी पिछले 11000 वर्षों में नहीं हुयी है। इस दौर को भू–वैज्ञानिक शब्दावली में होलोसीन नाम दिया गया है।

ग्लोबल वार्मिंग पर शोध संस्था वेरिस्कमेंपल क्रॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट हीट स्ट्रोक्स इंडेक्स में कहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार न सिर्फ तापमान बढ़ेगा बल्कि गर्मी का मौसम भी लंबा होगा। इसका कारण है जलवायु परिवर्तन। 198 देशों की सूची में हीट स्ट्रेस के लिहाज से

दुनिया के जोखिम वाले देशों में शामिल है। विभिन्न वर्षों में असाधारण गर्मी इस प्रकार रही है। अगस्त 1896 में अमेरिका में तेजी गर्मी से 1500 लोगों की मौत हुयी, 10 मई 1956 को अलवर, राजस्थान में रिकार्ड अधिकतम तापमान 50-6^{0}C दर्ज हुआ। 2003 में भारत में चली भयंकर लू में 1900 लोग मारे गये। 2010 में रूस में विश्व इतिहास की सबसे भयंकर लू चली जिसमें 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुयी, जबकि यह देश ठंडा देश है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम और जलवायु में परिवर्तन के साक्ष्य दिखने लगे हैं। बारिश की पद्धति में बदलाव के कारण गम्भीर बाढ़, सूखा, तेज बारिश, अक्सर लू चलने की प्रवृत्ति दिखने लगी है। महासागर गर्म होकर अधिक अम्लीय हो रहे हैं। हिमाच्छादित चोटियां और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्र तल बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईपीसीसी के अध्ययन के अनुसार पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान 1.4^0 फारेनहाइट बढ़ चुका है। अगले सौ साल के दौरान इसके बढ़त 2 से 11.5^0 फारेनहाइट होने का अनुमान है। प्रत्येक 2^0 फारेनहाइट तापमान में वद्धि के अनुमानित दुष्परिणाम इस प्रकार हो सकते हैं– 5 से 15 प्रतिशत मौजूदा फसल पैदावार कम हो जायेगी। भारी बरसात के दौरान बारिश की मात्रा में 3 से 10 प्रतिशत वृद्धि होगी, नदियों के बहाव में 5 से 10 प्रतिशत कमी होगी। जंगलों में लगने वाली आग से प्रभावित क्षेत्र के रकबे में 200 से 400 प्रतिशत वृद्धि होगी।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2001–2010 तक का दशक सर्वाधिक गरम रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी वजह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। जीवाश्म ईंधन की जलाने से वायु मण्डल में सौर ताप का अवशोषण हो रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980–99 की तुलना में 2100 में वैश्विक तापमान में 6-4^{0}C तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। नासा के गेडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज सरफेस टेंपरेचर की गणना के अनुसार वर्ष 2014 सबसे गर्म वर्ष रहा। 20वीं सदी के औसत से साल 2014 का तापमान 0.68^{0}C (1-24^{0}F) अधिक रहा। इसी के साथ वर्ष 2014 ने 2005 और 2010 को भी पीछे छोड़ दिया। अपने एक शोध में अमेरिकी संस्था एनओएए के अनुसार 1998 को

छोड़ दें तो अब तक के 10 सबसे गर्म साल, वर्ष 2000 के बाद वाले साल रहे है।

वर्ष 2014 को गर्म करने वालों में रूस, पश्चिमी, अलास्का, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप के कई हिस्सों और आस्ट्रेलिया के पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती इलाकों का अधिक योगदान रहा है। इन सभी जगहों पर अधिक गर्मी ने रिकार्ड बनाया। जबकि सं0रा0 अमेरिका के पूर्वी और मध्य इलाके में रिकार्ड ठंड रही। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यही हाल रहा तो तापमान में और बढोत्तरी हो सकती है। अमरीकी उपग्रह यूएएचवाई–6 ने वैश्विक वातावरण की निचली सतह का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 2015 तीसरा सबसे गरम साल रहा। इससे पूर्व वर्ष 1998 में 0-48^{0}C से तापमान अधिक था तो वर्ष 2010 में 0-34^{0}C अधिक रहा जबकि वर्ष 2015 में 0-27^{0}C अधिक तापमान होने के कारण यह वर्ष तीसरे स्थान पर रहा।

वर्ल्ड मेट्रोलाजिकल ऑर्गनाइजेशन (WMO) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में दुनिया की हवा में कार्बन डाई ऑक्साइड का हिस्सा 400 पीवीएम (1000000 कणों में 400 कण) हो जायेगा। वर्तमान सदी की शुरूआत तक माना जाता था कि 550 पीपीएम CO_2 वायुमंडल का तापमान 2^{0}C बढ़ा देगा, जिससे धरती पर विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं की न रोकी जा सकने वाली एक श्रृंखला शुरू हो जायेगी। वर्ष 2013 से 2014 के मध्य इसमें 1.9 पीवीएम की बढ़ोत्तरी दर्ज हो गयी थी जो वर्ष 1990 के दशक की 2.06 औसत वृद्धि से थोड़ी कम है, लेकिन यह वृद्धि 5^{0}ह की वृद्धि की ओर उन्मुख है। तापमान में मात्र 5^{0}C का ही अन्तर है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण–

विकिरण– यदि सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरण ये मात्र 5 से 10 प्रतिशत की कमी आ जाये तथा साथ ही CO_2 के स्तरों या बादल के आच्छादन में तद्नुरूप कोई परिवर्तन न हो तो 100 से भी कम सालों में सम्पूर्ण पृथ्वी ग्रह के चारों ओर बर्फ जम जायेगी। 80 के दशक के आरम्भ में फ्रांसीसी तथा स्विस वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका और ग्रीन लैण्ड के बर्फ के बीचो–बीच फंसे गैस के बुलबुलों का अध्ययन किया था। इन गैसों के विश्लेषण से पता चला कि जब बर्फ की परतें फैली और सिकुड़ी तब कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों में बदलाव आया।

ग्रीन हाउस प्रभाव : ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में ग्रीन हाउस प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके कारण पृथ्वी के बढ़ते तापमान का सिद्धान्त वर्ष 1903 में स्वांते टेरिनस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, की पृथ्वी पर कई ऐसे केमिकल कम्पाउन्ड पाये जाते हैं जो तापमान को संतुलित करते हैं ये ग्रीन हाउस कहलाते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। ये हैं वाष्पकण, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो इनमें से कुछ किरणें वापस लौट जाती है। ग्रीन हाउस गैसें पराबैगनी किरणों को सोख लेती है और वातावरण में गर्मी फैलाती हैं। यदि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा स्थिर रहती है तो सूर्य से पृथ्वी पर पहुचने वाली किरणें और पृथ्वी से वापस ब्रह्माण्ड में पहुंचने वाली किरणों ये संतुलन बना रहता है। जिससे तापमान भी स्थिर रहता है। वहीं दूसरी ओर मानव द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस असंतुलन पैदा कर देती है। जिसका असर पृथ्वी के तापमान पर पड़ता है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है।

दुष्प्रभाव : नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ठोस कदम नहीं उठाये गये तो पृथ्वी पर बढ़ते तापमान की वजह से हम भुन कर होस्ट बन जायेंगे। गाडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेस के निदेशक जेम्स हैम्पशन का कहना है कि ''दुनिया भर के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के चलते तापमान काफी समय पहले ही खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। दुनिया को अब 1988 के पहले के स्तर पर लौटने की आवश्यकता है। मानवीय गतिविधियों से उपजी CO_2 को पृथ्वी का वातावरण सिर्फ कुछ दशकों तक और संभाल सकता है। इसके बाद जीवों को बड़े स्तर पर सफाया, पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ और समुद्र के स्तर में नाटकीय वृद्धि देखी जायेगी।

ध्रुवीय बर्फ का पिघलना : ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि इसके कारण ध्रुवीय बर्फें पिघलना शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 30–40 वर्षों में समूचा आर्कटिक क्षेत्र बर्फ से मुक्त हो जायेगा। बर्फ पिघलने के साथ ही वैश्विक कार्बन चक्र में बदलाव आयेगा। वर्तमान समय में समुद्र के गर्म होने की चुनौती सबसे बड़ी है। इससे निपटना आसान नहीं है। इससे समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान की स्थिति के कारण

ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो मुम्बई सहित समुद्र के किनारे बसे दुनिया के कई बड़े शहर जलमग्न हो जायेंगे। अगर तापमान बढ़ोत्तरी की दर 4^0C या 2^0C रहती है तो दुनिया के बड़े–बड़े शहर समुद्र में डूब जायेंगे। दक्षिण एशिया के तटीय इलाकों विशेषतया बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में वर्तमान में लगभग 13 करोड़ लोग रहते है। यह कम ऊँचाई वाला तटीय क्षेत्र कहा जाता है जो औसत समुद्र के जल सतर से 10 मीटर से कम ऊँचा होता है।

जैव मण्डल पर प्रभाव : ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन होने सेक कई फूल समय से पूर्व खिलने लगे हैं। वहीं कई वनस्पतियां और जीव अपने मूल जगह से ऊपर अधिक ठंडे प्रदेशों की ओर जाने लगे हैं। प्रवासी पक्षियों की आदतों के साथ–साथ स्थान परिवर्तन के समय में भी बदलाव आने लगा है। बढ़ते तापमान की वजह से कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। ग्लोबल वार्मिंग से फसल चक्र भीअनियमित हो जाता है। इससे कृषि उत्पादकता भी प्रभावित होती है। मनुष्यों के साथ–साथ पक्षी भी इसका शिकार होते हैं। पानी की मात्रा तो बढ़ेगी लेकिन इसमें खारे पानी की मात्रा अधिक होगी। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे खराब असर होगा।

मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव : ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान से होने वाले दीर्घकालिक जलवायु संबंधी परिवर्तनों से मलेरिया ओर पीतज्वर जैसी कटिबंधीय बीमारियां फैल सकती है जिनसे प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मौत हो सकती है। अब मच्छर 2000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले स्थानों पर भी पाये जाने लगे हैं। जबकि ये पहले 1000 मी0 से नीचे ही हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि अलनीनों स्थितियों से प्लवकों की वृद्धि होती है जिनमें हैजे के जीवाणु फैले हैं।

जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव : ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति में बदलाव आ रहा है। कहीं भारी वर्षा तो कहीं सूखा, कहीं लू तो कहीं ठंड। कहीं बर्फ की चट्टाने टूट रही है तो कहीं समुद्री जल स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है। अधिक तापमान वृद्धि दुनिया में नाटकीय बदलाव पैदा कर देगी। ध्रुवों पर जमी बर्फ, पूरी तरह पिघल जायेगी और कई समुद्रतटीय इलाके जल मग्न हो जायेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यदि

वैश्विक तापमान 2^0C से बढ़कर 4^0C हो जाती है तो इसका भारत पर भी व्यापक असर पड़ेगा। वर्ष 1950 के बाद मानसूनी बारिश में कमी देखी जा रही है। यदि वैश्विक तापमान में 2^0C बढ़ोत्तरी होती है तो जलवायु अत्यधिक अनिश्चित होगी।

भौगोलिक परिवर्तन पर प्रभाव : संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2100 तक दुनिया का तापमान 1:4 से 5.8^0C तक बढ़ जायेगा। जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, अनेक देशों के तटवर्ती इलाके डूब जायेंगे। 1980 के दशक में प्राकृतिक आपदाओं में हर साल औसतन 22000 लोगों की मौत हुयी यह 1990 के दशक में बढ़कर 33000 हो गयी। पिछले 100 सालों में रूस में स्थित कॉकेशस पर्वत में कुल ग्लेशियरों में से आधों की बर्फ खत्म हो चुकी है। स्पेन में 1980 तक अस्तित्व में रहने वाले कुल ग्लेशियरों में से आधे खत्म हो चुके हैं। अनुमान है कि 2035 तक सभी मध्य, पूर्वी हिमालयी ग्लेशियर खत्म हो जायेंगे। नेपाल में एवरेस्ट के रास्ते में पड़ने वाला खुंबू ग्लेशियर 1953 से अब तक 5 किमी0 सिकुड़ गया है। हवाई द्वीप (अमेरिका) में समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कई समुद्र तट नष्ट हो चुके हैं।

फसलों एवं जल संसाधनों पर प्रभाव : ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान और कम होती बारिश ने चावल की पैदावार कम कर दी है वहीं उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल ने गेहूँ की पैदावार को भी कम किया है। उत्तर भारत में अत्यधिक तापमान गेहूं की पैदावार पर बुरा असर डाल रही है। मौसमी जल संकट बढ़ता तापमान और समुद्री खारा पानी सफल पैदावार पर संकट खड़ा करेंगे। आलू, प्याज और अन्य खाद्य सब्जियों के उतपादन पर भी काफी बुरा असर पड़ेगा जिससे हमें इन सभी को अत्यधिक मात्रा में आयात करना पड़ सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय : ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है अपितु हमें समस्या की जड़ में जाकर देखना होगा कि वास्तव में समस्या उत्पन्न होने के पीछे कारणक्या है? सम्पूर्ण विश्व को एक जुट होकर जरूरी कदम उठाने होंगे तभी समस्या को समाप्त किया जा सकता है। बढ़ते औद्योगीकरण और सुख–सुविधाएं जुटाने की होड़ पर अंकुश लगाकर ही बढ़ते तापमान पर रोक लगायी जा सकती है। इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गये

हैं। अब आवश्यकता है इन प्रयासों को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लागू किया जाये। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरगवर्नमेन्ट पैनल आन क्लाइमेट चेंज के अनुसार अगर कोशिश की जाये तो आने वाले 20 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस के स्तर को नीचे किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2050 तक पर्यावरण को स्थिर रखने हेतु कई सुझाव दिये हैं जैसे कम ईंधन में ज्यादा चलने वाले और पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोन या इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों का उपयोग, तापमान बढ़ाने के प्रमुख कारक CO_2 पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ट्रापिकल डीफारस्टेशन को रोकना भी इन उपायों में शामिल है। इसके अतिरिक्त 2050 तक उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों में आधे की भूमिगत स्टोर हाउसों में दफन कर दिया जाय हवा, समुद्र, ज्वार और ऊर्जा जैसे विकल्पों का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया जाय। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों पर अब तक विभिन्न सम्मेलन एवं संधियां भी हो चुकी है। वर्ष 1992 में युनाइटेड नेशंस फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना था। तभी से जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा शुरू हुयी थी। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम क्यों ये संधि के रूप में उठाया गया। 16 फरवरी 2005 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5.2 प्रतिशत की कमी करेंगे। इस संधि में रूस जैसे बड़े देश भी शामिल थे। लेकिन अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये। बाद में अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये। बाद में अमेरिका ने भारत सहित पांच अन्य देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिये एक अलग समझौता किया। पेरिस समझौते के अनुसार 21वीं सदी बीतते तक वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति के पूर्व के समय की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने पाये। कोशिश यह कि जायेगी कि तापमान 15^{0}ॅ से अधिक न बढ़ने पाये। प्रत्येक पांच साल बाद प्रगति की समीक्षा की जायेगी। कार्बन उत्सर्जन घटाने में विकासशील देशों की मदद के लिए 100 अरब डालर का हरित कोष बनाने की कार्य योजना भी बनायी जाये।

उपसंहार : निष्कर्षतः हम यह निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सम्पूर्ण विश्व के लिए एक भयावह खतरा है जिसको

रोकने के लिये हम सभी को अथक प्रयास करने पड़ेंगे और हमें ब्व्ह ओर अन्य विध्वंसक वस्तुओं के इस्तेमाल में कमी करनी पड़ेगी जिससे जब भी हम भविष्य में तापमान को कम करने का प्रयास करंगे तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि वर्तमान समय में अंधाधुंध कर रहे वनों की जगह अधिक से अधिक वृक्ष लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रानिक कचरे को रिसाइकिल करना पड़ेगा बार–बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक का उपयोग करना पड़ेगा। कागज के थैलों का प्रयोग एक बहुत ही उपयोगी एवं कारगर उपाय होगा। इन सभी कार्यों से हम निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को कम कर सकने में सफल हो सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

- गुप्ता, एस0पी0ःभारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, 2004, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- लाल, रमन बिहारीःभारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, 2005–06, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।
- पाण्डेय, रामसकलः भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, 2005, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- मिश्रा, डॉ0 उषा, पर्यावरण शिक्षा, 2007, न्यू कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद।
- परीक्षा मंथन, निबंध ईयर बुक 2011–12, मंथन प्रकाशन, इलाहाबाद।
- शर्मा, आर0ए0, पर्यावरण शिक्षा, 2005, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ।
- प्रतियोगिता दर्पणः अंक–9, वर्ष–39, अप्रैल–2017, आगरा
- प्रतियोगिता दर्पणः अंक–2, वर्ष–40, सितम्बर–2017, आगरा।
- प्रतियोगिता दर्पणः अंक–7 वर्ष 40, फरवरी–2018, आगरा।

डॉ0 संजय कुमार सिंह

एम0 एस0 सी0, एम0 एड0,

नेट, पी0–एच0 डी0

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन : शिक्षकों के दृष्टिकोण से

– तुषार रंजन

हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी सन् 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया तथा शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को केन्द्र तथा राज्य के मध्य विभाजित कर दिया। जिससे केन्द्र तथा राज्य अपने–अपने स्तर पर शिक्षा का नियोजन करके शैक्षिक विकास को सुनिश्चित कर सकें। निःसंदेह स्वतंत्रता के उपरान्त भारत में शिक्षा के विकास के नये युग का सूत्रपात हुआ। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में वे सभी उपलब्धता प्राप्त नहीं हो सकी जो स्वतंत्र भारत में अपेक्षित थी, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। वास्तव में भारतीय शिक्षा इतिहास में शिक्षा तथा उसकी समस्याओं पर इतना अधिक ध्यान पहले कभी नहीं दिया गया था जितना ध्यान स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त विगत 68 वर्षों में दिया गया।

भारत एक ग्रामीण देश है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लगभग 55 प्रतिशत बालक शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़े हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे–साधनों का अनउपलब्धता, अभिभावक की निरक्षरता व शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण का होना, लड़कियों की शिक्षा का विरोध, निर्धनता तथा जनसंख्या में विशाल वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। इन कारणों पर विचार करने के उपरान्त प्रथम दृष्टि से शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, पारिवारिक आदि कारणों को शिक्षा प्राप्त करने में बाधक पाते हैं। वस्तुतः इसमें शैक्षिक दृष्टि से उत्पन्न दो समस्यायें प्रमुख हैं। एक तो यह कि कुछ छात्र विद्यालय में प्रवेश पा लेते हैं। किन्तु बीच में ही किसी न किसी कारण से अपने अध्ययन का परित्याग कर देते हैं जिससे वह न तो आगे की ही शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और न ही उनमें नागरिक जीवन व्यतीत करने की क्षमता ही उत्पन्न होती है। बड़े होने पर धीरे–धीरे जो भी

साक्षरता व ज्ञान प्राप्त किये रहते हैं वह भी भूल जाते हैं। फिर जो निरक्षरों की श्रेणी में आते हैं शैक्षिक दृष्टि से इस प्रकार की क्षति अपव्यय कहलाती है। दूसरी समस्या वह है कि कुछ बच्चे एक ही कक्षा में कई बार फेल होते रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप वह विद्यालय त्याग देते हैं, यह स्थिति अवरोधन कहलाती है।

प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ देते हैं इन बच्चों की पढ़ाई अधूरा छोड़ देने के क्या कारण है वह असमय ही विद्यालय क्यों छोड़ देते हैं, पढ़ाई के प्रति उनकी रूचि कम क्यों हो जाती है या फिर वे एक ही कक्षा में बार–बार फेल होने के कारण विद्यालय त्याग करते हैं, इन समस्याओं को जानने के लिए बलिया जनपद के सियर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले सामान्य जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने के कारणों को जानने की कोशिश की गयी है और इन कारणों में किस प्रकार का अन्तर है तथा इन कारणों के प्रति अध्यापक और अभिभावकों के दृष्टिकोणों में किस प्रकार का अन्तर है, यह भी जानने का प्रयास किया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश में शिक्षा पर कोई योजनाबद्ध विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाये गये। इन सभी देशी–विदेशी प्रयास के बावजूद भारत की बड़ी जनसंख्या सही अर्थों में अभी तक शिक्षित नहीं हो सकी है। सन् 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी। जिसमें सिर्फ 65.38 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है। उत्तर प्रदेश में यह जनसंख्या 57.36 प्रतिशत ही शिक्षित है। जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 42.98 प्रतिशत है। सन् 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ से अधिक जो 35 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, 640 जिलों, 6924 तहसील/तालुकों, 7936 कस्बो तथा 6.41 लाख गाँवों में निवासित है। जिसमें सिर्फ 74.04 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित (82.14ः पुरुष एवं 65.46ः महिला) है। उ0प्र0 में जनसंख्या 199,581,477 करोड़ है। जिसमें सिर्फ साक्षरता 69.72 प्रशित शिक्षित (79.24ः पुरुष एवं 59.26ः महिला) है। 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं को कम से कम आवश्यक शिक्षा प्राप्त हो जाय

इसके लिए प्राथमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता महसूस की गयी तथा यह संकल्प किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

अध्ययन का उद्देश्य

शिक्षकों की दृष्टिकोण से प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन करना।

परिकल्पना–

प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के पलायन के पीछे कुछ शैक्षिक, पारिवारिक एवं सामाजिक कारण है।

शोध अभिकल्प–

शोध समस्या के अध्ययन हेतु वर्णनात्मक अध्ययन की ''सर्वेक्षण विधि'' का प्रयोग किया है। इलाहाबाद जनपद के बहादुरपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की जनसंख्या माना गया है। न्यादर्श के रूप में 10 प्राथमिक विद्यालयों के 25 अध्यापकों का चयन गुच्छ न्यादर्श विधि द्वारा चयनित किया गया है। अनुसंधानकर्ता ने सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के आधार पर प्राथमिक स्तर के बालकों में विद्यालय में अनुपस्थिति के कारणों से सम्बन्धित प्रश्नावली का निर्माण स्वयं किया है। प्रयुक्त अनुसंधान में प्रदत्तों के विश्लेषण एवं निर्वचन हेतु प्रतिशतीय विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी संख्या 4.2

विद्यालय में अनुपस्थिति सम्बन्धी कारणों पर शिक्षकों का दृष्टिकोण

क्र.सं.	कथन	सहमत	अनिश्चित	असहमत
1.	विद्यालय के कक्षा के लिए पर्याप्त कमरों का अभाव है।	40:	20:	40:
2.	विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने हेतु फर्नीचर की कमी है।	40:	24:	36:
3.	विद्यालय में अध्यापक प्रतिदिन नहीं आते है।	44:	24:	32:
4.	अभिभावक बालकों की शिक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते।	52:	44:	4:
5.	विद्यालय में सभी विषयों को नहीं	24:	52:	24:

	पढ़ाया जाता है।			
6.	विद्यालय में महिला शिक्षकों की कमी है।	36:	44:	20:
7.	परिवार में बहुत ज्यादा बच्चे होने के कारण सभी बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते है।	60:	24:	16:
8.	अभिभावक, बालक और बालिकाओं की सह शिक्षा के समर्थक नही है।	24:	28:	48:
9.	अध्यापक प्रतिदिन नियमित रूप से बालकों की उपस्थिति नहीं लेते हैं।	44:	12:	44:
10.	शिक्षित अभिभावकों का अभाव है।	24:	28:	48:
11.	अभिभावक बालक की पढ़ाई की अपेक्षा उसकी आय को अधिक महत्व देते हैं।	44:	32:	24:
12.	राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण विद्यालय व्यवस्था नियमित रूप से नहीं चल पाती है।	32:	28:	44:
13.	अभिभावक बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं पर उचित रूप से ध्यान नहीं देते हैं।	48:	40:	16:
14.	बालकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं है।	44:	40:	16:
15.	विद्यार्थी बहुत अनुत्तीर्ण होते हैं।	40:	52:	8:
16.	अध्यापक विद्यार्थियों की समस्याओं पर उचित रूप से ध्यान नहीं देते हैं।	28:	52:	20:
17.	अभिभावक जाति प्रथा एवं भेदभाव में विश्वास रखते हैं।	40:	28:	32:
18.	विद्यालय का वातावरण बालकों के अनुरूप नहीं है।	52:	28:	20:
19.	विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन नहीं होता है।	28:	52:	20:
20.	अभिभावक सीमित आमदनी के कारण बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को पढ़ाना आवश्यक समझते हैं।	40:	28:	32:
21.	कक्षा में पक्षपात होता है।	52:	40:	8:
22.	विद्यालय में शिक्षण हेतु श्यामपट्ट और शिक्षण सामग्री का अभाव है।	20:	28:	52:

23.	विद्यार्थियों का वर्ष भर मूल्यांकन नहीं होता है।	28:	52:	20:
24.	अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं।	52:	40:	8:
25.	अभिभावक छोटी आयु में बालिकाओं का विवाह कर देते है।	80:	8:	12:
26.	पढ़ाई की अपेक्षा परीक्षा अधिक कठिन ढंग से होती है।	40:	40:	20:
27.	नामांकन से रूचि रखने वाले विद्यार्थियों को आसानी से प्रवेश नहीं मिलता है।	40:	36:	24:
28.	विद्यालय अपने निर्धारित समय तक नहीं चलता है।	28:	20:	52:
29.	अभिभावक बालिकाओं के लिए शिक्षा का होना आवश्यक नहीं समझते हैं।	40:	28:	32:
30.	पाठ्यक्रम नीरस हो जाने के कारण बालक पढ़ना नहीं चाहते हैं।	52:	40:	8:

निष्कर्ष–

प्राथमिक स्तर पर बालकों के विद्यालय में अनुपस्थिति के मुख्य रूप से शैक्षिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनैतिक और भौगोलिक कारण है जिसकी वहज से बालक अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। सामान्य जाति और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के बालकों में जो विद्यालय में अनुपस्थिति के कारण है, वह लगभग समान रूप से परिलक्षित होते है। उनके कारणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है विद्यालय में अनुपस्थिति को कम करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यालय का वातावरण सरल एवं आकर्षक बनाया जाय। इन कारणों के अलावा मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

प्राथमिक स्तर पर बालकों में विद्यालय में अनुपस्थिति का प्रमुख कारण शैक्षिक कारण है। शैक्षिक कारण विद्यालय में शिक्षकों का रूचि पूर्वक न पढ़ाना शैक्षिक प्रशासन का लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य न करना आदि आते है। शैक्षिक कारकों के कारण विद्यालय में अनुपस्थिति रोकने के लिए शैक्षिक प्रशासन को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा

करनी होगी जिसके कारण अधिक से अधिक अभिभावक अपने बच्चों का रोजाना विद्यालय में भेजे जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति दर में बढ़ोत्तरी हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अदावल, सुबोध (1979) लखनऊ, भारतीय शिक्षा की समस्यायें एवं प्रवृत्तियाँ, प्रथम संस्करण उ0प्र0 हिन्दी संस्थान प्रकाशन।
2. अग्निहोत्री, रवीन्द्र (1987) जयपुर, आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्यायें और समाधान, प्रथम संस्करण राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
3. गुप्ता, एस0पी0 (1990) इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा का विकास तथा समस्यायें, तृतीय संस्करण, शारदा पुस्तक भवन।
4. बाजपेयी, एल0बी0 (1994) लखनऊ, भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक समस्यायें, आलोक प्रकाशन।
5. पाठक, पी0डी0 (1995), आगरा, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मन्दिर।
6. पाण्डेय, डा0 रामशकल एवं मिश्र, डा0 करूणा शंकर (1996), भारतीय शिक्षा की सम–सामयिक समस्याएँ, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
7. जनगणना, (2001) एवं जनगणना (2011), नई दिल्ली, भारत सरकार।
8. गुप्ता, डा0 एस0पी0 (2004), शिक्षा का ताना–बाना, बलिया, शारदा पुस्तक भवन।
9. 2007 नई दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा में ह्रास अवरोध एवं स्थिति का अध्ययन, एन0सी0ई0आर0टी0।

तुषार रंजन

शोध–छात्र (शिक्षा शास्त्र)

नेहरू ग्राम भारती इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन

– राघवेन्द्र मालवीया

मनुष्य अपने जीवन का छोटा या बड़ा कार्य तभी करता है जब उसकी कुछ न कुछ उपयोगिता होती है। यदि समस्या के समाधान की उपयोगिता नही है तो शोध निरर्थक होगा। प्रस्तुत शोध कार्य की उपयोगिता नैतिक एवं सामाजिक मूल्य की उपयोगिता से समझी जा सकती है। कोई भी सभ्यता जो नैतिकता एवं सामाजिकता के शाश्वत मूल्यों पर आधारित नही है, अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती है। इसी प्रकार कोई भी सामाजिक संगठन जो नैतिकता एवं सामाजिकता के आधार पर निर्मित नहीं है, वह कुछ समय बाद सरलता से टूट जाता है। वर्तमान समय में ऐसा लेता है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं एवं शिक्षा पद्धति में कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य है, जिसके कारण नैतिक एवं सामाजिक मूल्य में कमी दिखाई देती है। अनुशासनहीनता, अराजकता जैसी बुराइयाँ शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रदूषित कर रही है। अनुशासन के अभाव में सफल व्यक्तित्व की कल्पना नही कर सकते है। ''अनुशासन व्यक्तित्व विकास का प्रथम सोपान है।''[1] अनुशासन को विकसित करने का प्रथम दायित्व माता–पिता का है। उसके बाद विद्यालय का बनता है। विद्यालय में ही बालक पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इसी कारण शिक्षा जगत् में मील का पत्थर कही जाने वाली कोठारी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है– ''भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।''[2] इससे शिक्षा में नैतिकता एवं सामाजिकता के महत्त्व का अनुमान लगा सकते हैं।

---

1. प्रीति सिंह– 'शिक्षा में अनुशासन अपरिहार्य' (लेख) अनवेषिका (N.C.T.E.), पृ0 102, जून 2009
2. टी0सी0 ज्ञानानी– 'बाल अपराध में विलम्बित तुष्टि एवं सामाजिक नियंत्रण' (लेख), अनवेषिका (N.C.T.E.), पृ0 102, जून 2007

विद्यालय में नैतिकता का पाठ नही पढ़ाया गया तो बालक–बालिका को समाज में भी नैतिकता सीखना कठिन होता है।

आधुनिक काल में लोगों का नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। अधिकांश मनुष्य धन के अर्जन के चक्कर में नैतिकता भूलता जा रहा है। गरीब व्यक्ति इलाज के लिए भटक रहा है कोई धनी व्यक्ति सहायता के लिए आगे नही आ रहा है। ट्रेन में बेटिकट यात्रा करके गर्व से सिर ऊँचा कर कहते है मैं बेटिकट यात्रा करता हूँ। अपराध बोध के बजाय सम्मान का एहसास होता है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान कम होता जा रहा है। राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालयों में उपस्थिति कम हो रही है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति ठीक रहती है। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय पर्वों की उपस्थिति नामांकन की आधी रहती है। उच्च शिक्षा में नामांकन के एक तिहाई भी छात्र–छात्राएँ उपस्थित नही होते हैं। इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों के दिन कर्मचारियों की उपस्थिति संतोषजनक नही कही जा सकती है। चारों ओर नैतिकता का अभाव है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिसके लिए नैतिक एवं सामाजिक मूल्य का पाठ पढ़ाना अति उपयोगी है।

इस संदर्भ में विचारणीय है कि मनुष्य स्वभावतः पशु के रूप में जन्म लेता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों एवं पशु की मूल प्रवृत्तियों में बहुत अन्तर नहीं है। मानव नैतिकता द्वारा ही पाशविक प्रवृत्ति से मानवीय प्रवृत्ति की ओर मुड़ता है। इस कारण नैतिकता की पूरी उपयोगिता है। ऐसा नही है कि हमारे देश की सरकार नैतिकता एवं सामाजिकता की ओर ध्यान नहीं दिया है। भारत सरकार ने श्री प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। यह समिति नैतिकता एवं सामाजिकता को विद्यालय की उपयोगिता पर विचार किया। परिणामस्वरूप नैतिकता एवं सामाजिकता को शिक्षा में विशेष स्थान दिए जाने पर बल दिया। श्री प्रकाश समिति ने स्वीकार किया कि बालक–बालिका को प्रारम्भिक स्तर से ही नैतिकता एवं सामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में डॉ0 तुहिना पाण्डेय ने भी लिखा है– ''मानवीय मूल्यों की शिक्षा व्यक्ति को बचपन से ही दी जाय तो उन मूल्यों का पालन उसके स्वभाव का अंग बन जायेगा और भविष्य में ये मूल्य उसकी कार्यशैली के अंग

अपने आप ही हो जाएगें।''[3] बच्चों में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए सिर्फ विद्यालय ही जिम्मेदार नही है अपितु समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि बच्चों में नैतिकता एवं सामाजिकता का विकास करें। सामाजिक वातावरण में ही बच्चे की मूल प्रवृत्ति का ठीक ढ़ग से विकास हो पाता है। बच्चा सामाजिक परम्परा के अनुरूप व्यवहार करता है। समाज के प्रतिमान को जानने का अवसर मिलता है। शिष्टता, सदाचरण, परोपकार, विनम्रता जैसे गुण बालक को समाज में ही जानकारी हो पाती है। वेशभूषा, उपकरण, यंत्र आदि का प्रयोग वह सामाजिक वातावरण के अनुसार करता है। इसी कारण कहा जाता है कि समाज में भौतिकतावादी विचार अधिक होने से औपचारिक सम्बन्धों का विकास होता है एवं आध्यात्मवादी विचारधारा एक सरल समाज का निर्माण करते है।

इस प्रकार नैतिक मूल्य एवं सामाजिक मूल्य के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह हमारे मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। ये हमारी शिक्षा सिद्धान्त के मूल तत्त्व है। इन्हें अस्वीकृत नही किया जा सकता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का न कोई मानक है और न ही जीवन जीने का दृष्टिकोण है। हमारे नैतिक एवं सामाजिक मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। इसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थी किशोरवस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाते है। जिससे उनके शारीरिक विकास के साथ–साथ उनका मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से हो जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी अपने कर्तव्यों को समझनें लगता है। ज्यादातर अपने परिवार एवं माता – पिता पर बोझ नहीं बनना चाहते है। स्वंय अपने आपको समाज में परिवार में एवं विद्यालय में तथा अन्य जगह पर समायोजित करने की चेष्टा करता है। वह परिवार पर आश्रित नहीं रहना चाहता है। न निराश करों मन को कुछ काम करों कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करों इस काव्य रचना में मनुष्य को अपना मनोबल कायम रखने के लिये कहा

---

3 डॉ0 तुहिना पाण्डेय– 'महिला सशक्तिकरण और मूल्य शिक्षा सिद्धान्त एवं व्यवहार' (लेख), श्री प्रभु प्रतिभा शोध पत्रिका, पृ0 50, जुलाई–सितम्बर 2011

परन्तु वर्तमान में यह देखने मे आ रहा है। कि जरा सी परेशानी या घटना घटने पर मनुष्य इतनी जल्दी विचलित हो जाता है। कि वह जीवन लीला समाप्त करने जैसा बड़े से बड़ा कदम उठा लेता है। या क्रोंध में आने पर दूसरे पर प्राणघातक हमला करने पर उतारू हो जाता है। इन सब बातो को देखते हुए यही लगता है कि मनुष्य अपना मनोबल खो बैठा है। और उसमें इतनी क्षमता नही रह गयी है। कि वह कष्टों को झेलने का कोई साहसिक कदम उठाये न की विचलित होकर जीवन को पतन की राह पर ले जाये अक्सर देखा जाता है । कि परीक्षा में असफल होने पर विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। या पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। आये दिन होने वाली इन प्रकार की सामाजिक राजनीतिक एवं पारिवारिक घटनाओं का एक ही कारण है नैतिक पतन और इस नैतिक पतन का कारण मुख्य रूप से टूटते हुए संयुक्त परिवार हैं। जिनसे बच्चो को अच्छे संस्कारों एवं मूल्यों का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जिससे उच्च शिक्षा स्तर के छात्रों के नैतिक निर्णय का उनके सामाजिक व्यवहार भी प्रभाव पड़ रहा है।

समस्या कथन– **''उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन।''**

अध्ययन का उद्‌देश्य– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्‌देश्यों का अध्ययन किया गया है–

1. उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. उच्च शिक्षा स्तर पर ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है–

1. उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
2. उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

3. उच्च शिक्षा स्तर पर ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में परास्नातक के एम0 ए0 प्रथम वर्ष के प्रतिभाशाली 200 छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया जायेगा तथा प्रस्तावित अध्ययन मे प्रतिभाशाली छात्रों का चयन परीक्षण के आधार पर न होकर निरीक्षण एवं उनकी पिछली परिक्षाओं की उपलब्धियों जिसमे विशेष कर स्नातक प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण छात्र छात्राओ को माना गया है। नैतिक निर्णय को मापने के लिए कु0 रंजना गुप्ता, गृह विज्ञान विभाग, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा निर्मित एवं सामाजिक व्यवहार को मापने के लिए डॉ0 ए0 श्रीवास्तव द्वारा निर्मित ''मिलनसार–गंभीर व्यवहार मापनी' का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु सहसम्बन्ध आर्घूण गुणांक विधि का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

उद्देश्य–1 उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।

H_{01} उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

सारणी सं0 1

उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के प्राप्तांकों के मध्य सहम्बन्ध

N	सहसम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर	सार्थकता स्तर का मान
200	+0.3299	0.05	0.138

<u>व्याख्याः</u> सारणी संख्या–1 से स्पष्ट है कि– उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का सह–सम्बन्ध गुणांक +.3299 है, जो .05 स्तर पर सार्थक है, जो 198 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.138 से अधिक है। यह मान 0.05 स्तर पर सार्थक है व

शून्य परिकल्पना अस्वीकार्य है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसम्बन्ध है। अतः प्राप्त सह–सम्बन्ध गुणांक परिमित धनात्मक सह–सम्बन्ध है। अतः नैतिक निर्णय में कमी या वृद्धि के साथ उनके सामाजिक व्यवहार में भी कमी एवं वृद्धि होगी।

उद्देश्य–2 उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।

H_{02} उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

सारणी सं0 2

उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के प्राप्तांकों के मध्य सहम्बन्ध

समूह	N	सहसम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर	सार्थकता स्तर का मान
विद्यार्थी	100	0.2905	0.05	0.195
छात्र	50	0.3895	0.05	.273
छात्राएँ	50	0.191	0.05	.273

व्याख्याः सारणी संख्या–2 से स्पष्ट है कि– उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का सह–सम्बन्ध गुणांक 0.2905 एवं 0.3895 है, जो .05 स्तर पर सार्थक है, जो 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं छात्रों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसम्बन्ध है। जबकि शहरी प्रतिभाशाली छात्राओं के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0.191 है जो 0. 05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर

शहरी प्रतिभाशाली छात्राओं के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

उद्देश्य–3 उच्च शिक्षा स्तर पर ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।

H_{03} उच्च शिक्षा स्तर पर ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

सारणी सं0 3

उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के प्राप्तांकों के मध्य सहम्बन्ध

समूह	N	सहसम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर	सार्थकता स्तर का मान
विद्यार्थी	100	0.3001	0.05	0.195
छात्र	50	0.2266	0.05	.273
छात्राएँ	50	0.3364	0.05	.273

व्याख्याः सारणी संख्या–3 से स्पष्ट है कि– उच्च शिक्षा स्तर पर ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का सह–सम्बन्ध गुणांक 0.3001, 0.2266 एवं 0.3364 है, जो .05 स्तर पर सार्थक है, जो 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसम्बन्ध है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

- उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसम्बन्ध है।
- उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं छात्रों के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसम्बन्ध है।
- उच्च शिक्षा स्तर पर शहरी प्रतिभाशाली छात्राओं के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

- उच्च शिक्षा स्तर पर ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं के नैतिक निर्णय एवं सामाजिक व्यवहार के मध्य सार्थक एवं धनात्मक सहसम्बन्ध है।

निहितार्थ–

नैतिक एवं सामाजिक मूल्य की शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार है –

1. नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को जीवन का आधार बनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों का निर्वाह भली–भांति कर सकता है।
2. वर्तमान समय में महानगरों में पाश्चात्य संस्कृति इतनी बढ़ती जा रही है कि मानव का सुख–चैन समाप्त हो गया है। इनका सुख नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के सहारे वापस आ सकता है।
3. भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे महान संस्कृति मानी जाती रही है उसका मूल कारण यहां का नैतिकता एवं सामाजिकता ही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- त्यागी, कृष्ण (2012) ने स्नातक स्तर के खिलाड़ी एवं गैर खिलाड़ी विद्यार्थियों की सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन, Asian Journal of Educational Research & Technology, Vol. 2 (2), July 2012 : 228-231, web site: http:// www.tspmt.com
- खान, ताविश अहमद (2013) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के नैतिक विकास पर पारिवारिक वातावरण एवं विद्यालयी वातावरण के प्रभाव का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
- पंकज, अमित कुमार (2015). ''उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों में स्थापित नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन'', अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- **चन्द्रा, स्वाती (2015).** ''उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन'' अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- Shah, Jyotsana K & Sharma, Bhawna (2012). A study on Social Maturity, School Adjustment and Academic Achievement among

residential school girls. Journal of Education and Practice, Vol. 3, No. 7, ISSN 2222-1735, pp. 69-75

- Ahmad et. al. (2012). Social intelligence and personal characteristics of talented secondary school students in King Abdullah II schools for excellence, Jordan, Educational Research (ISSN: 2141-5161) Vol. 3(10) pp. 785-798, October 2012, Available online@ http://www.interesjournals. org/ER
- Saxena, Sumanlata & Jain, Rajat Kumar (2013). Social Intelligence of Undergraduate Students In Relation To Their Gender and Subject Stream. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) Volume 1, Issue 1 (Jan. – Feb. 2013), PP 01-04 www.iosrjournals.org
- Kumar, Dinesh & Ritu (2013). Social Maturity of Senior Secondary School students in relation to their Personality, Asian Jounral of Multidimensional Research, Vol. 2, Issue 8, August 2013, ISSN 2278-4853, pp. 14-25
- Sanwal, Sarita & et. al. (2014). A Comparative Study of Social Maturity among School going Rural Tennagers; Gujarat, India. International Journal on Recent and Innovation Trends & Computing and Communication, Vol. 2, Issue 12, ISSN 2321-8169, www.ijritcc.org, pp. 3390-3993
- Choudhary, Poonam & Madhuri (2014). Social Maturity of Adolescents in Relation to their gender and locality : A comparative Analysis. An International Peer Reviewed & Referred, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, Vol. I, Issue VI, Oct.-Nov. 2014, www.srjis.com, pp. 928-933
- Mali & et al. (2015). The Relationship among Emotional Intelligence, Social Intelligence and Learning Behaviour, Asian Social Science; Vol. 11, No. 13; 2015, ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025, Published by Canadian Center of Science and Education

राघवेन्द्र मालवीया
जे.आर.एफ. शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

नेहरू के शैक्षिक उद्देश्य एवं शिक्षा का स्वरूप आधुनिक भारतीय शिक्षा दर्शन के विकास में 'योगदान'

– अरुण कुमार मिश्रा

शिक्षा का स्वरूप

शिक्षा का प्रारम्भ सृष्टि के प्रारम्भ के साथ ही माना जाता है। मानव एक चिन्तनशील प्राणी है। इनकी चिन्तनशील प्रवृत्ति का परिचय वेदों तत्पश्चात् उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है। इसी प्रकार विश्व में विकसित साहित्य वर्णन तथा शिक्षा आदि की सृजना के मूल में मानव चिन्तन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव चिन्तन शक्ति ही उसे पशुत्व से भिन्न कर रही है। नीतिज्ञ विज्ञान ने भी इसी प्रकार के विचार श्लोक के माध्यम से प्रकट किये हैं–

आहार निद्रा भय मैथनं व सामान्यमेतत्, पशुभिः नराणाम्।
धर्मो हि तेषामाधिकाविशेषों धर्मेणहीनाः, पशुभिः समानाः।

इस श्लोक में इसी भाव की अभिव्यक्ति होती है कि धर्म ही एक मात्र ऐसी वस्तु है जो मनुष्यत्व में भेद स्थापित करती है। विवेक ही धर्म का जनक है। अतः विश्व के किसी भी देश, जाति अथवा राष्ट्र के अन्तर्गत वहां के नागरिकों में सतत् चिन्तनशीलता के दर्शन होते है। मानव की यह चिन्तशीलता शिक्षा की जननी है।

अंग्रेजी–भाषा में ''शिक्षा'' के लिए 'एजूकेशन' शब्द प्रस्तुत हुआ है। अग्रेंजी भाषा के एजूकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है। एजूकेशन की व्यूत्पत्ति लेटिन के एजूकेटम से हुई है। ये दो शब्दों के योग से बना है 'ए' का अर्थ है अन्दर से तथा डुको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ अन्दर से बाहर की ओर ले जाना। इस प्रकार कुछ शिक्षा शास्त्री ''एजूकेशन'' की उत्पत्ति ''एजूकेयर'' व एजूसीयर से मानते है इनका अर्थ शिक्षित करना व विकसित करना मानते थे। इस प्रकार एजूकेशन का अर्थ है अन्दर से बाहर निकाल कर उसका विकास करना। शिक्षा कोई वस्तु न होकर प्रक्रिया है जो व्यवहार में परिवर्तन करती है। संस्कृति की 'शिक्षा' धातु से विकसित 'शिक्षा' शब्द

भी सीखने व सीखने से सम्बन्धित है तथा विद्या जो 'विद' धातु से व्यत्पन्न है का भी अर्थ है जानने की चरम सीमा।

शिक्षा का आशय इस शिक्षा से है जिसे व्यक्ति नित्य नये–नये अनुभवों के द्वारा जन्म से मृत्यु तक प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रतिक्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है। भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है। अतः भारतीय विचारकों के अनुसार शिक्षा की प्रकिया इस जन्म में समाप्त न होकर आगामी जीवन को संस्कारित करती है। इस प्रकार व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के समस्त अनुभव जिन्हे वह माँ की गोद में खेलकूद के मैदान, उत्सव, भ्रमण, सामाजिक संगठन, मेले, धार्मिक क्रिया–कलापों आदि के आयोजनों के अवसर पर प्राप्त करता है शिक्षा के अन्तर्गत आते है इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों होता है, कभी वह सीखता है तो कभी वह अन्यों को सीखाता है। लेकिन संकुचित अर्थो में शिक्षा अर्थ एक निश्चित स्थान, विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में सम्पन्न होने वाली क्रियाओं से हैं। आजकल इसी प्रकार से प्राप्त किये गये ज्ञान को ही शिक्षा माना जाता है।

शिक्षा की परिभाषा

शिक्षा के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न शिक्षा–शास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण प्रतिपादित किये हैं। प्रत्येक देश के शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अर्थ तत्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप थे। भारत में प्राचीन काल में विश्वामित्र, याज्ञावाल्य, आचार्य शंकर आदि महान् विद्वान शिक्षक है, वहीं आधुनिक युग स्वामी विवेकानन्द, अरविन्द, टैगोर व गांधी तथा पंडित नेहरू आदि उच्च कोटि के शिक्षाविद् हैं। इसी प्रकार पाश्चात्य जगत में सुकारात, रूसों, फ्रोबेल, हरबार्ट, डयूवी, पैस्टालॉजी, नन् आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। पंडित नेहरू के शिक्षा दर्शन की विवेचना करने से पूर्व पाश्चात्य तथा पौर्वात्य दृष्टिकोण की मीमांसा करना अधिक उपयुक्त होगा। इससे पंडित नेहरू के शिक्षा सिद्धान्त के मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

पंडित जवाहर लाल नेहरू का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

पंडित नेहरू न केवल एक राजनीतिज्ञ थे वरन् एक उच्च कोटि के शिक्षा–शास्त्री भी थे। अपनी विशिष्ट बहुमुखी प्रतिभा एवं प्रभावकारी

अद्भूत व्यक्तित्व के कारण शिक्षा के क्षेत्र में पंडित नेहरू ने उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है जितना भारतीय दर्शन की धारा को प्लावित करने अथवा जगत की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गयी।

पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वयं योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति लायी गयी है।

दर्शन शास्त्र अनेक प्रकार से ऐसी समस्याओं से सम्बद्ध है जिनका निराकरण शिक्षा शास्त्री को भी करना पड़ता है। शौक्षणिक प्रक्रिया पर जब दार्शनिक गहन चिन्तन करता है तो वह विषय और पद्धतियों के साथ इन शक्तियों का भी अध्ययन करता है जिनसे जीवन को सम्मान मिलता है। सैद्धान्तिक पक्ष की दृष्टि से पंडित नेहरू ने अपने गहन और व्यापक ज्ञान से शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों पर विचार किया है। अतः शिक्षा वही है जो व्यक्ति को यथार्थ एवं वास्तुगत ज्ञान प्रदान करती है। पंडित नेहरू के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है।

ज्ञान व्यक्ति के अन्दर निहित है, वह स्वभावतः आत्मबोध कराने में समर्थ होता है किन्तु बाह्य विषयों की अशक्ति आदि से व्यक्ति आत्मतत्व कतुषित रहता है। यही कारण है कि मनुष्य सर्वदा समीपस्थ होने पर भी उस आत्म तत्व का मलना से ढके हुए दर्पण तथा चंचल जल के समान दर्शन नहीं कर पाता है। यही से शिक्षा कार्य प्रारम्भ हो जाता है। शिक्षा द्वारा जब व्यक्ति इन्द्रिय एवं विषय जन्य रागादि दोष रूप मल दूर हो जाने पर दर्पण या जल आदि के समान चित्त प्रसन्न स्वच्छ (शान्त) हो जाता है, तब उससे ज्ञान प्राप्ति होती है। तब उसे ज्ञान की प्राप्ति का साघन ही नहीमानते हैं वरन् व्यक्ति के मनोगत ईर्ष्या, द्वेष तथा आशक्ति आदि दोषों का अपनयन कर शिक्षा मनुष्य के मन को प्रसन्न, स्वच्छ तथा शान्त करती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। वैचारिक दृष्टि से वेदान्त दर्शन में ज्ञान को मनुष्य में स्वभाव सिद्ध माना गया है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अन्दर ही है। अतः मनुष्य की आत्मा अन्तः ज्ञान स्वरूप है। उसके ऊपर से आवरण का हटना ही ज्ञान है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने जिस गुरूत्वाकर्षण सिद्धान्त का आविष्कार किया था।, वह न तो सेव में था।

(जिसे गतित् होता हुआ देखकर न्यूटन को इस सिद्धान्त का आभाव हुआ था) और न पृथ्वी को किसी केन्द्रस्थ वस्तु में, बल्कि वह तो न्यूटन के मन में ही था। अतः बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरक मात्र है जो अपने मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार अज्ञान (माया) से आवृत्त तथा मनुष्य में विद्धान सत् वस्तु (ब्रह्म) का अनावरण ही शिक्षा है।

शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का होना परम आवश्यक है उसके बिना शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन नही हो सकता है। शिक्षक, शिक्षा का यदि एक ध्रुव है तो दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी है। शिक्षार्थी के बिना भी शिक्षा की प्रक्रिया सम्भव नही हैख अतः एडम्स तथा रॉस शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया मानते है। किन्तु प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डयूबी के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी के अतिरिक्त पाठ्क्रम शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण ध्रुव है। इस प्रकार उनके अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। डयूवी की भाँति डॉ0 राधाकृष्ण भी गुरू शिष्य तथा पाठ्क्रम को शिक्षा के तीन ध्रुव स्वीकार करते है उनके अनुसार शास्त्र पर आधारित गुरू एवं शिष्य में सम्पन्न अन्तः क्रिया शिक्षा है। पंड़ित नेहरू शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को समान महत्व देते थे उनका कहना है कि गुरू शिष्य के सम्बन्ध का आधार प्रेम तथा विश्वास होना चाहिए, भंय अथवा दण्ड नहीं नेहरू ने भी राधाकृष्ण के अनुसार ही शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। पंड़ित नेहरू प्रचलित प्रथाओं, परम्पराओं, रीति–रिवाजों के सहसा विरोधी नही थे, वे नवीन विचारों एवं परम्पराओं के प्रति उदार है।

पंड़ित नेहरू का मत था कि ''आज की समस्यायें नयी दुनिया की समस्यायें है, जिन्हें पुरानी दुनिया के तरीकों से हल नहीं किया जा सकता–उनका मत था कि इस कमर तोड़ गरीबी को तकनीकी एवं औद्योगिक विकास के बिना दूर नहीं किया जा सकता–। देश की समृद्धि तभी हो सकती है जब शान्ति और सद्भाव एवं एक होने की भावना हो।''

नेहरू ने शिक्षा के सम्बन्ध में जो विचार दिये है वे गाँधी टैगोर के शिक्षा सम्बन्धी विचारों के अनुरूप ही है, क्योंकि दोनों ही अनतर्राष्ट्रीयता तथा मानवता के लिए दृढ़ है। इलाहाबाद विशवद्यिालय के विद्यार्थियों को भाषण देते हुए नेहरू ने का था कि 'मानवता, सहनशीलता तथा सच्चाई की खोज का उद्देश्य एक विशवद्यिालय पर निर्भर करता है' यही शब्द

रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा छोटे तथा बड़े रूप में, 'विश्वभारती' के समपादन में दोहराये गये थे। दूसरे समकालीन विचारों की धारणा थी कि नेहरू का आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही सामाजिक विकास है। नेहरू का कहना था कि उन्नति के साधन होने के बाद भी बिना आध्यात्मिक तत्व के शायद ही पृथकता रूक सकेगी।

शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तित्व का विकास करना है। यह इस आदर्श की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि वैयक्तिक विकास के अभाव में सामाजिक विकास सम्भव नहीं। फिर भी व्यक्ति के दायित्व को उसके समूह के सन्दर्भ में समझा जाना आवश्यक है और एक प्रबोध व्यक्ति को अप्रबोधी समूल के रूप में दृष्टिगत किया जा सकता है

अतः व्यक्तियों को विकास तथा बुद्धि के अवसर प्राप्त होने चाहिए। व्यक्ति विशेष के सन्दर्भ में उनका मत था कि–''क्या व्यक्ति उस वातावरण को जो उसे पीछें की ओर ले जाता है, में वास्तविक विकास कर सकता है। यदि वातावरण उसके लिए हानिकारक होता है, तो व्यक्ति इसके विरूद्ध व्यर्थ में ही संघर्ष करता है तथा उसके द्वारा कुचला जाता है। वातावरण क्या है? वातावरण में पैतृक विचार, रूढियुक्तियाँ अंधविश्वास सम्मलित है जो मस्तिष्क को प्रतिबन्ध करते है तथा परिवर्तनशील संसार में विकास तथा परिवर्तन को रोकते है। राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव के फलस्वरूप व्यक्ति तथा समूह दबाव पूर्ण अधीनता में रहते है, तथा इस प्रकार अपनी आत्मा को नष्ट कर देता है। किन्तु इनसे भी ऊपर व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियाँ, उसके विकास के अवसरों को नष्ट कर देती है। विभिन्न रूढ़ियों, अन्धविश्वास, राजनीतिक तथा आर्थिक दशायें मिलकर वातावरण को निर्मित करती है, तथा व्यक्ति को अपने बन्धन में रखती है।''

अपनी शैक्षिक प्रणाली के द्वारा हम प्रमुख मूल्यों को विकसित कर सकते है। किन्तु जीवन की आवश्यकता इससे भी अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली है। हम सहयोगात्मक प्रयासों के लाभ का ज्ञान दे सकते है। हमारी सामाजिक संरचना पूर्णतः प्रतिद्वन्दता पर आधारित है तथा व्यक्ति प्रत्येक मूल्य पर एक दूसरे से ऊँचा उठना चाहता है। हमारी शैक्षिक प्रणाली भी अपने आदर्शो के बावजूद इसी स्पर्द्धा के वातावरण का एक अंग है। यह इसे बनाये रखती है तथा चेतन तथा अचेतन रूप से इसे

प्रभावित करती है। यदि आज के संस्कार में यह स्पष्ट है कि वातावरण हमारी समस्त कठिनाई का कारण है तथा उसे इसी प्रकार से छोड़ देना शिक्षा के हनन् का मार्ग है तो शिक्षा का एक स्थायी सामाजिक दृष्टिकोण होना अनिवार्य है। तथा शिक्षक को हमारे नवयुवकों के लिए उसी तरह से समाज के विकास में सहायता देने हेतु प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसा कि हम चाहते है। इसे राजनीतिज्ञों को समाज की सत्ता में लाने के लिए राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तन करने चाहिए। किन्तु समाज का वास्तविक आधार हमारे विद्यालय तथा महाविद्यालयों की शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। वास्तविक परिवर्तन व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है। यथापि पद परिवर्तन वातावरण के परिवर्तन से अतयधिक प्रभावित हाता हैं यह दोनों प्रक्रिया साथ–साथ चलती है तथा एक दूसरे की सहायता करती है।

नेहरू जी प्रतिस्पर्द्धात्मक सामाजिक भावना को नष्ट करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मत था कि हमारी वर्तमान सामाजिक संरचना नष्ट हो रही है। यह विरोधाभास से परिपूर्ण है। जो युद्व तथा अर्न्तद्वन्दों का कारण बनते है। इस संचयशील एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक भावना को नष्ट कर देना चाहिए, इसके स्थान पर सहयोगात्मक प्रक्रम को पुर्नः स्थापित करना चाहिए तभी हम व्यक्तिगत लाभ–हानि के विषय में सोच सकेंगें तथा व्यक्ति एक दूसरे के सहयोगी होगे लोग मानव मात्र के उत्थान के लिए साथ–साथ कार्य करेंगे। यदि मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दिया जायेगा तो किसी विशिष्ट वर्ग अथवा समृह अथवा एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के द्वारा शोषण नही होगा। यदि हमारे भावी समाज का यह आदर्श हो तो हमारी सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को इन उद्देश्य की प्राप्ति हेतू अग्रसर होना चाहिए तथा इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए, शिक्षक को हमारे असंख्यक लोगों के बारे में सोचना चाहिए तथा किसी समूह अथवा वर्ग के लिए अपने उद्देश्य का त्याग नहीं करना चाहिए। शिक्षण ही जीविकोपार्जन का धन नहीं होना चाहिए वरन् ऐसी पवित्र भावनाओं का प्रचार होना चाहिए जो उनकी अन्तरात्मक को तृत्य कर देने में सहायता करती हो। किसी राष्ट्र का विकास उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। शिक्षा, व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है

तथा सुसभ्य राष्ट्र का निर्माण स्वस्थ शैक्षिक प्रणाली पर निर्भर करता है। राष्ट्र के पारस्परिक विचार तथा चिन्तन उसकी शैक्षिक प्रणाली में दृष्टिगोचर होते है। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के निर्माण में प्राचीन आदर्श तथा विचार अधिक मूल्यवान तथा सार्थक है।

पंड़ित नेहरू को शैक्षिक विचारधारा उनके कार्यो और उनके विषय में अन्य चिन्तकों के विचारों से स्पष्ट होती है। संस्कृति, भाषा, भौतिक शिक्षा, चलचित्र, मार्क्सवाद, औद्योगिक क्रान्ति, संस्कृत भाषा की महत्ता, आंग्ल (अंग्रेजी), भाषा का स्थान विनम्रता, मानवातावाद, उदारता, प्रजातन्त्र, संवेगात्मक राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय आदि तथ्यों पर उनके कार्य से उनकी शैक्षिक विचारधारा व्यवस्थित ढंग से नहीं दी, वरन् उनके कार्यो से ही उनकी दार्शनिक विचारधारायें, शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे—शिक्षा का स्वरूप, उद्देश्य, प्रविधि तथा धार्मिक शिक्षा आदि पर प्रकाश डालती है।

शिक्षा एक विकासशील प्रक्रिया है, यदि किसी चिन्तक के आदर्शो तथा विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते है तो वे आदर्श एवं विचार शिक्षा का रूप ले सकते हैं नेहरू का मत था कि ''शिक्षा के द्वारा ही हम नागरिकों को सही प्रकार से सोचने योग्य बना सकते है। बिना शिक्षा के एक देश की राजनीतिक तथा आर्थिक सभ्यता हल नही हो सकती, और न ही व्यक्तियों के अपने सम्बन्ध सही हो सकती हैं नेहरू जी का विचार था कि मानसिक विकास के बिना हम सामाजिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके परिणाम स्वरूप अच्छे जीवन के लिए मस्तिष्क की जीत और आत्मा ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेहरू जी का मत था कि—जब तक आत्मा के युद्ध का निवारण नही होगा तब तक किसी भी देश में शान्ति नही हो सकती।'' नेहरू जी की शैक्षिक विचारधारा उनके जीवन दर्शन में निर्मित है। उन्होंने स्वंय एक शिक्षक की भूमिका अदा की है। वह देश को गाँधी जी की छत्र छाया में स्वतन्त्रता की ओर ले गये, किन्तु उनका मूल्य उद्देश्य देशवासियों में उचित मूल्यों तथा अभिव्यक्तियों का विकास करना रहा। यह कार्य शिक्षण संस्थाओं की सीमाओं के अन्तर्गत सीमित नहीं था, यह उनके जीवन को प्रेरित करने वाले आदर्शो एवं उनके सांस्कृतिक विचारो पर आधारित नहीं है, बल्कि भूत, वर्तमान तथा भावी भारत के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण से उदगृहीत किया गया है। नेहरू जी ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक

आवश्यक साधन के रूप में माना। नेहरू जी के शिक्षा सम्बन्धी विचार वैज्ञानिक एवं विश्व कि प्रजातान्त्रिक समाज को सफल बनाने के लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षा में सुधार होगे आवश्यक है। नेहरू जी की भी यही विचारधारा थी कि ''अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा ही अच्छा तरीका है। अर्थात् अच्छी शिक्षा के द्वारा ही अच्छा समाज बन सकता है। नेहरू जी एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक शिक्षा से जुड़े हुए थे।

नेहरू ने पाश्चात्य शिक्षा की आवश्यकता पर बल देता हुए कहा कि आधुनिक तकनीकी से मुक्त शिक्षा ही समाज को गतिशील और आधुनिक बना सकती है, किन्तु इसके साथ–साथ अपनी प्राचीन संस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी शिक्षा की भी विद्यालयों को व्यवस्था करनी चाहिए। नेहरू इस बात पर भी बल देते है कि शिक्षा केवल बुद्धि तथा ज्ञान के सम्बर्द्धन हेतु प्रशिक्षण ही प्रदान नहीं करती वरन् मनुष्यों को ज्ञान तथा मान्यता प्रदान करती है इसमें जीवन का सार तथा परिणाम स्वरूप शिक्षा का सार निहित होता है।

नेहरू विश्वद्यिालयी शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते है कि ''विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहा उठती हुई पीढ़ी को जीवन के कार्य–कलापों में हिस्सा लेने के लिए और अपने कन्धों पर बोझ उठाने के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नेहरू आगे कहते है कि बिना विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के अवसर दिये जाने पर बच्चे की अन्तर्निहित शक्तियों को शिक्षित करना असम्भव नहीं है और नही आधुनिक समाज के सभी स्त्रोतों और उपलब्धियों को हस्तान्तरित करना भी सम्भव है। ''पंड़ित नेहरू ने शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न के लिए आवश्यक माना है–

(1) नैतिक मूल्यों के विकास के लिए।
(2) सामाजिक विकास के लिए।
(3) सहयोगी जीवन यापन के लिए।
(4) व्यक्तित्व के विकास के लिए।
(5) व्यक्ति को अपने अस्तित्व बनाये रखने के लिए।
(6) विज्ञान व तकनीकि विकास के लिए।
(7) मनुष्यों को ज्ञान तथा मान्यता प्रदान करने के लिए।

(8) मनुष्य को प्रशिक्षित करने के लिए।
(9) संस्कृति के विकास के लिए।
(10) रूढ़ियाँ, जातिवाद तथा धार्मिक संकीर्णता की भावना को रोकने के लिए।

नेहरू के अनुसार शिक्षा का वर्गीकरण

आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों की भाँति नेहरू ने शिक्षकों भी को विभाजित किया है। जो इस प्रकार है—(1) औपचारिक शिक्षा, (2) अनौपचारिक शिक्षा।

औपचारिक शिक्षा— जो शिक्षा निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर उसकी प्राप्ति के लिए सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेहरू ने भी औपचारिक शिक्षा को अपनाया उनका विचार था कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से समुचित साधन उपलब्ध कराकर छात्रों को विधिवत् शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। बच्चों में देश भक्ति, राष्ट्रीय एकता, परस्पर सद्भाव तथा मानव मूल्यों के विकास में विद्यालय प्रदत्त शिक्षा की अहम भूमिका होती है। क्योंकि विद्यालय में गरीब—अमीर, ऊँच—नीच, जाति अथवा धर्म आदि का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, अबः बच्चों में प्रारम्भ से ही परस्पर सद्भावना और समानता के मूल्य विकसित होते हैं। उन्हें शिक्षा के समान अवसर भी बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं। अतः बच्चों को बड़े होकर स्वतः इन श्रेष्ठ मूल्यों के स्थायित्व को प्राप्त करने में जिससे देश में भाईचारा और सौहार्दता का वातावरण बनता है।

विद्यालयी पाठ्यक्रम में समान अध्ययन क्रम की मान्यता के साथ विज्ञान तथा गणित की शिक्षा अधिक सुव्यवस्थित और जागरूकता के साथ दी जाती है। नेहरू ने विद्यालयों के माध्यम से बच्चों के बहुमूखी विकास को स्वीकार किया है। वह पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को भारतीय विद्यालयों में लाना चाहते थे। जिससे की भारत भी अन्य देशों के समान नई शैक्षिक तकनीकी एवं विभिनन स्पर्द्धाओं में किसी से पीछे न रह जाये।

पंडित नेहरू ने बच्चों को विधिवत् शिक्षा पर बल दिया था। उन्होनें कहा कि बच्चों की शिक्षा शुरू से ही व्यवस्थित कर दोनों चाहिए और इसका उत्तरदायित्व हर जागरूक अभिभावक का है उन्हें चाहिये कि

बच्चों को विद्यालयों में भेजे। इस प्रकार कह सकते है कि नेहरू ने औपचारिक शिक्षा को भी आवश्यक बताया।

अनौपचारिक शिक्षा– इस प्रकार की शिक्षा में पूर्ण योजना का अभाव होता है। इसमें और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं अनुभव प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करता है। भारत एक गरीब देश है तथा यहाँ के लोग अधिकतर अपने पारस्परिक धन्धों में लगे होने के कारण तथा साधनों के अभाव में अपने बच्चों की विधिवत् शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर पाते। अतः नेहरू ने भारतवासियों की कमजोरी को महसूस किया तथा उन्हें बेहतर जीवन दिलाने के प्रयासों में उनकी मूलभूत शैक्षित कमजोरी को दूर करने की ओर पहल की। जो लोग आर्थिक तंगी व दूसरे साधनों के अभाव में विधिवत् शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उनके लिए नेहरू ने औपचारिक शिक्षा की बात की। क्योंकि औपचारिक शिक्षा केवल मुट्ठी भर लोगों की बपौती बनकर रह गयी है। दूसरे, भारत के बेसहारा और गरीब लोग जो दूर–दराज के आंचलों में रहते है और जहाँ न तो विद्यालय है और न ही उनमें शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता है अपने पिछड़ेपन और धार्मिक अन्धविश्वासों के कारण नई मान्यताओं से वे सदैव अलग–थलग पड़े रहते है। नये विश्व एवं समाज का उन्हें न तो कोई ज्ञान ही ही है और न ही उन्हें इसके लिए अवकाश है। अतः ऐसे कूपमण्डक लोगों को नये विश्व का दर्शन कराना, उन्हें नयी उपलब्धियों की जानकारी देना हम सबका दायित्व भी है और कर्तव्य भी।

यह कर्त्तव्य अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही बखूबी निभाया जा सकता है। विश्व भर में अनौपचारिक शिक्षा आज एक व्यवस्थित रूप में अग्रसित हो चुकी है। जैसे पाठ्यक्रम खुले विद्यालय, अनवरत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि। ये शिक्षा में सभी नये प्रयोग है जो किसी न किसी रूप में नेहरू के विचारों में बीच रूप में विद्यमान थे। इनकी विश्वसनीयता और वैधता आज सिद्ध हो चुकी है। हमारे जैसे देश में इसकी अनिवार्यता और भी बढ़ गयी है, क्योंकि पारस्परिक और औपचारिक शिक्षा बहुत महंगी और केन्द्रीकृत हो गयी है। साथ ही साथ व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोई धन्धा या कार्य चुनने की विवशता लिए हुए रहता है, जिससे उसकी शिक्षा की कड़ी बीच में ही टूट जाती

है। अतः इसे सुचारू रूप से तथा उसकों सुविधानुसार चलाने के लिए औपचारिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस प्रकार नेहरू का शिक्षा दर्शन ऐसे भौतिकवादी युग में जहाँ स्र्वापरता की भावना ने मानव के ह्रदय और मस्तिष्क को आच्छन्न कर रखा है, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, संघर्ष, अवस्था, अशन्ति, निराशा, भय और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का वातारण बना रखा है, व्यवहारिक जीवन और राष्ट्र की समस्याओं का सामना करने और उनको हल करने में बहुत सहायक हो सकता है।

नेहरू के शिक्षा दर्शन में विभिन्न दर्शनों का मिश्रण मिलता है। इसलिए कोई शिक्षा शास्त्री उन्हें मार्क्सवादी कोई प्रयोजनवादी, कोई यथार्थवादी कोई आदर्शवादी और कोई व्यवहारवादी बताता है। उनके शिक्षा दर्शन में प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न तत्वों जैसे–सामाजिकता, रचनात्मक, क्रियाशीलता, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति आदि तत्वों का समावेश मिलता है। उन्होनें शिक्षा द्वारा समाज सुधार एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। नेहरू के शैक्षिक विचारों का प्रभाव आधुनिक भारतीय परिस्थितियों में स्पष्ट दिखाई देता है। उनके शैक्षिक विचारों के निष्कर्ष को शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है–

1. अध्ययन का महत्व सम्बन्धी निष्कर्ष।
2. व्यक्तित्व एवं कृतित्व सम्बन्धी निष्कर्ष।
3. शैक्षिक विचारों सम्बन्धी निष्कर्ष।
4. शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण कारक।
5. भारतीय जीवन मूल्य के आधार पर पाठ्यक्रम।
6. शिक्षक–शिक्षार्थी के मध्य सम्बन्ध।
7. विद्यालय व्यवस्था सम्बन्धी निष्कर्ष।
8. शिक्षा में परिवार व राज्य का कर्तव्य निर्धारण।
9. नेहरू की शिक्षा के सबल पक्ष सम्बन्धी निष्कर्ष।
10. नेहरू के शैक्षिक विचारों के निर्बल पक्ष सम्बन्धी निष्कर्ष।
11. नेहरू एक महान शिक्षा शास्त्री।
12. नेहरू जी का शिक्षा दर्शन की वर्तमान भारतीय परिपक्ष्य में उपादेयता।
13. भारतीय शिक्षा में सुधार के सुझाव।

14. अग्रिम अध्ययन के लिए सुझाव।

अध्ययन के महत्व सम्बन्धी निष्कर्षः

नेहरू जी आधुनिक युग के शिक्षा शास्त्रियों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप शैक्षिक विचार प्रस्तुत किया है। इनके शैक्षिक विचार भारत की वर्तमान परिस्थितियों में भी उपयोगी प्रतीत होते हैं। शोधिका ने इस अध्ययन ने उन कारणों को खोजा हैं जिनके कारण शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रगति मन्द रही। नेहरू जी के विचारों को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है, पर भी प्रकाश डाला है। अतः शोधिका ने नेहरू शैक्षिक विचारों की वर्तमान भारतीय परिपेक्ष्य में समीक्षा की है।

नेहरू पर प्रभाव डालने वाला तत्वः

पंडित नेहरू का जीवन अनेक विभूतियों एवं परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है। बाल्यावस्था में उन पर अपने माता–पिता का तथा शिक्षण काल में पाश्चात्य वातावरण एवं कुछ विचारकों का, अपने शिक्षक बुक्स का तथा श्रीमती एनी बेसेन्ट का एवं राजनीतिक जीवन में महात्मा गाँधी का और राष्ट्रीय आन्दोलन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा।

नेहरू जी के शैक्षिक विचारों के आधार स्त्रोतः

किसी व्यक्ति के विचारों को, पृष्ठभूमियों दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से परखा जा सकता है। पंडित नेहरू के विचारों पर इन तत्वों को निम्न रूप से प्रभाव देख सकते हैं–

नेहरू जी के दार्शनिक मान्यताओं सम्बन्धी निष्कर्षः

पंडित नेहरू की अच्छे जीवन की संकल्पना मानवतावादी चिन्तन को व्यक्त करती है। नेहरू जी गतिशील एवं कर्मठ मानवता के पुजारी थे। वे प्रयोजनवादी एवं यर्थाथवादी प्रकट होते है। उनके प्रयोजनवाद के तीन पक्ष है–

1. रचानात्मकता
2. मानवता
3. आचार एवं नीतिवादिता

अर्थात वे मानव में कर्तव्यनिष्ठा को प्रादुर्भाव करना चाहते थे। नेहरू यथार्थवादी के रूप में भावी जीवन के लिए व्यक्ति को सक्रिय एवं

कर्मठबनाना चाहते थे। समाजवाद की स्थापना उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था।

नेहरू की मनोवैज्ञानिक मान्यता सम्बन्धी निष्कर्षः

नेहरू जी का मत था कि पहले बच्चों को समझा जाये और उनकी रूचि तथा मानसिक स्तर के अनुकूल ही शिक्षा–विधि अपनायी जाये तथा विषय वस्तु पढ़ाई जाये। उन्होनें सदैव बच्चों को प्यार किया तथा वे उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे। पहले वे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देना चाहते थे और इन्द्रियों के प्रशिक्षण पर जोर देते थे। इसके पश्चात वे बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देना चाहते थे उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान देना चाहते थे।

सामाजिक मान्यता सम्बन्धी निष्कर्षः

पंडित नेहरू की निष्ठा प्रजातन्त्र में थी। वे पंचशील के सिद्धान्तों के समर्थक थे। वे शिक्षा को सर्वाजनिक बनाने पर बल देते थे। समाजवाद की स्थापना ही उनके जीवन का परम लक्ष्य था। वे व्यक्ति तथा समाज के हित में कोई भेद नहीं मानते थे। वे सत्य के समर्थक और मिथ्या के विरोधी थे। वे जाति–पाति में विश्वास नहीं रखते थे।

राजनैतिक मान्यता सम्बन्धी निष्कर्षः

पंडित नेहरू प्रजातन्त्र के समर्थक, अधिनायकवाद के विरोधी, कट्टर समाजवादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में विश्वास रखते थे। वे देश भक्त तथा उदार राष्ट्रवादी थे। नेहरू राजनीति में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश चाहते थे। वे सत्य अहिंसा तथा शान्ति के समर्थक थे। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अहिंसक साधनों पर बल दिया। राजनीति के क्षेत्र में वे अच्छे साध्य के लिए, अच्छे साधनों के प्रयोग पर बल देते हैं।

वैज्ञानिक विचारधारा सम्बन्धी निष्कर्षः

पंडित नेहरू देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। उन्होनें अपने देश वासियों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए उसके प्रयोग पर बल दिया। अतः उन्होनें तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना की। 14 मई, 1958 को राष्ट्रीय विज्ञान नीति के प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसमें

समूचित उपायों से वैज्ञानिक अनुसन्धान के सभी शैक्षिक तत्वों को बढ़ावा देना था।

पंडित नेहरू धर्म और विज्ञान में कोई अन्तर नहीं मानते थे। उन्हें अन्धविश्वास तथा चमत्कार में विश्वास नहीं था वे तर्क युक्त ज्ञान के पक्ष में थे।

नेहरू के शिक्षा के सिद्धान्त सम्बन्धी निष्कर्षः

पंडित नेहरू ने अपनी शिक्षा के स्वरूप में निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्तों पर बल दिया–

1. प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क।
2. शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण।
3. शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा तथा त्रिभाषा के अध्ययन पर जोर (हिन्दी, अग्रेंजी एवं अपनी मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा)
4. आत्म निर्भरता पूर्ण शिक्षा।
5. सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर।
6. रूचि एवं बौद्धिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा।
7. शिक्षा में उत्पादकता पर जोर।

शिक्षा का अर्थ सम्बन्धी निष्कर्षः

नेहरू के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास तथा उसे समाज हित के लिए तैयार करना है।

उद्देश्य सम्बन्धी निष्कर्षः

नेहरू शिक्षा को उत्पादकता से सम्बन्धित करना तथा बच्चों में राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी की भावना का विकास करना चाहते थे। उन्होंने बालक में प्रजातान्त्रिक एवं समाजवादी दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया। इस कार्य के लिए वे उनमें सहनशीलता, दया और सत्य की निडरता से तलाश करने की भावना विकसित करना चाहते थे। उन्होंने नई पीढ़ी में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना की और नैतिक मूल्यों को बालक की मूलभूत थाती बताया। नेहरू के भावी पीढ़ी को समन्वयकारी संस्कृति को अपनाने के लिए एवं उन्हें जागरूकता के साथ कर्म का संदेश दिया।

पाठ्यक्रम सम्बन्धी निष्कर्षः

पंडित नेहरू ने बालकों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम की रूप रेखा पर बल दिया जिससे वे क्रियात्मक एवं रचनात्मक से जुड़ सके। उन्होंने पाठ्यक्रम में खेल की भावना को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने की मुहिम छेड़ी। शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना उन्हीं का एक अंग था। वे एक संतुलित पाठ्यक्रम के पक्षपाती थे, जिससे कि बच्चों का चारो दिशाओं में विकास हो सके। उन्होंने जहाँ एक ओर विज्ञान पर जोर दिया वहीं दूसरी और दूसरे सामाजिक विषयों के पठन–पाठन पर भी उपयोगी दृष्टिकोणों से विचार किया। उनके अनुसार ऐसा पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है जिससे बच्चे अपनी संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों से जुड़े सके और वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भली–भाँति परिचित हो सकें।

शिक्षण विधि सम्बन्धी निष्कर्षः

पं0 नेहरू ने शिक्षण विधियों की अप्रत्यक्ष रूप से व्याख्या की, जिसके अन्तर्गत ''पिता के पत्र पुत्री के नाम'' के माध्यम से पत्राचार शिक्षण विधि पर स्पष्ट बल दिया। उन्होंने सकारात्मक शिक्षण पद्धति के अन्तर्गत भाषण पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और जीवन गाथा आदि के बारे में संकेत दिया।

गुरू–शिष्य सम्बन्धी निष्कर्षः

नेहरू के अनुसार शिक्षक को अपने शिष्यों की अदमनीय शारीरिक आवश्यकताओं को पहचानने में समर्थ होना चाहिए तथा शिष्यों को भी अपने गुरू के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध होना चाहिए। शिक्षा जगत में वे अध्यापक को मित्र तथा पथ प्रदर्शक के रूप में देखते थे। उन्होंने एक अध्यापक में मिशनरी की भावना को सर्वापरि माना है।

विद्यालय व्यवस्था सम्बन्धी निष्कर्षः

पंडित नेहरू भारतीय विद्यालयों में पाश्चात्य प्रशासन व्यवस्था का रूप चाहते थे वे शिक्षा पर राज्य प्रशासन का नियन्त्रण भी चाहते थे। वे समाज के धनिक वर्गो से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग चाहते थे। वे विद्यालय के स्वायत्ता के पक्षपाती थे। विद्यालय का कार्य ज्ञान देना तो है ही किन्तु उसे अपने छात्रों की गुणवत्ता का भी आंकलन करना चाहिए। इसके लिए नेहरू ने निबन्धात्मक और वस्तुनिष्ट परीक्षा प्रणाली का सुझाव दिया। उनके अनुसार विद्यालय की आवश्यकता हर नई पीढ़ी को ज्ञान का भंडार देने के लिए आवश्यक है, बच्चे विद्यालयों में दूसरे अनौपचारि के साधनों

की अपेक्षाकृत कहीं अधिक जागरूकता है साथ ज्ञान अर्जित करते हैं। नेहरू जी आत्म अनुशासन पर बल देते हैं। वे शिक्षा में शान्ति का उपयोग नहीं चाहते थे।

शैक्षिक अभिकरणों की भूमिका सम्बन्धी निष्कर्ष

नेहरू ने दो प्रकार के शैक्षिक अभिकरण माने है एक औपचारिक शिक्षा तथा दूसरी अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में वे प्रमुख स्थान विद्यालयों को देते है तथा अनौपचारिक शिक्षा में उनका विचार है कि परिवार से बढ़कर कोई शिक्षा केन्द्र नहीं। नेहरू शिक्षा का उत्तरदायित्व जहाँ एक ओर व्यक्तिगत संस्थाओं को देते हैं वहीं दूसरी ओर राज्य के कर्त्तव्य की भी चर्चा करते हैं। शिक्षा को व्यवस्थित रूप देने के लिए तथा जनसाधारण तक शिक्षा पहुँचाने के लिए नेहरू राज्य की भूमिका की महत्वपूर्ण आवश्यकता समझते हैं। वे रेडियों आदि जन संचार के माध्यमों द्वारा शिक्षा के प्रचार–प्रसार को भी आवश्यक बताते हैं। वे प्राथमिक स्तर पर अनोपचारिक शिक्षा के पक्षपाती हैं और बाद में औपचारिक शिक्षा का आवश्यक मानते हैं।

पंडित नेहरू के शैक्षिक विचारों के विवेचन से शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि उनके चिन्तन में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी शिक्षा का भारतीयकरण कर सकते हैं। शोद्यार्थी इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा है कि वर्तमान भारतीय परिपेक्ष्य में नेहरू के शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है।

नेहरू जी की शिक्षा के सबल पक्षः

पंडित नेहरू की शिक्षा के निम्नलिखित सबल पक्ष हैं–

1. वह भारत के विकास के लिए तकनीकी औद्योगिकी एवं वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा आवश्यक मानते हैं।
2. वह नारी की शिक्षा एवं जन शिक्षा पर बल देते हैं।
3. उनकी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का दृष्टिकोण उदार बनाना है और मनुष्य में मानवीय दृष्टिकोण विकसित करना है।
4. वह अन्धविश्वास एवं रूढ़िवादिता के विरोधी है।
5. वह प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य चाहते हैं।
6. नेहरू त्रिभाषा शिक्षण के पक्षपाती थे।

नेहरू की शिक्षा के निर्बल पक्षः

पंडित नेहरू का शिक्षा दर्शन निम्नलिखित रूप में निर्बल प्रतीत होता है–

1. पंडित नेहरू एक व्यवसायिक शिक्षा शास्त्री नहीं थे। उन्होंने न तो शिक्षा के विभिन्न तत्वों एवं अंगों के संबंध में अलग से कोई व्याख्या प्रस्तुत की है और न ही कोई शिक्षा योजना दी है।
2. उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों पर ही अधिक प्रकाश डाला है। वह भी विशेष रूप से तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा की प्राप्ति पर।
3. शिक्षा के बहुत से विषय है, जिनका अध्ययन बहुत आवश्यक है, उन पर भी कोई प्रभाव नहीं डाला।
4. शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी समस्यायें हैं, उनके समाधान के लिए कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किए।

शिक्षा दार्शनिकों में पंडित नेहरू का स्थानः

भारत देश ऋषियों, सन्तों, विचारकों, विद्वानों, दार्शनिकों, मनीषियों एवं शिक्षाविदों की भूमि रहा है। इसी पृष्ठभूमि पर अवतीर्ण होकर पंडित नेहरू ने अपने ज्ञानलोक से न केवल भारत वर्ष की आलोकित किया था वरन् उनके दिव्य प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशमान हो उठा था। वे भारत की दिव्य विभूति हैं।

नेहरू को सिर्फ एक राजनीतिज्ञ ही नहीं समझना चाहिए। वरन् वे एक शिक्षा शास्त्री भी थे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है। लेकिन व समय की मांग थी, क्योंकि देश एक गंभीर राजनैतिक उथल–पुथल के बीच से गुजर रहा था। राष्ट्र का भविष्य दाव पर था। ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति एक काल्पनिक संसार में विचरण नहीं कर सकता था। कोई भी व्यक्ति कक्षा या व्यवसाय में जीविकोपार्जन तक ही सीमित नहीं रह सकता था। नहीं तो अगर सामान्य काल होता तो नेहरू अपने स्वभाव, अपनी अभिरूचियों और अपने स्वभाविक गुणों के कारण मस्तिष्क, शिक्षा और संस्कृतिक के क्षेत्र में आवश्यक रूप से काम कर रहे होते। उनका दर्शन भारत समाज के प्रति अर्न्तदृष्टि उस समय देश के द्वारा सही गयी समस्याओं की समझ तथा उनकी मनुष्य और शिक्षा के विषय में ज्ञान ऐसे थे कि शिक्षा का कोई भी रूप इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर या अन्जाने में ही बनाया जा सकता था। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की शिक्षा पर नेहरू के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा था। भारतीय शिक्षा अपने वास्तविक रूप में प्राचीन और आज के समय में भी राष्ट्रीय जीवन और देशवासियों की खुशी से विमुख हो चुकी है। विस्तृत रूप में इसको राष्ट्र के विकास या नागरिकों के व्यक्तिगत कल्याण से सम्बद्ध रखकर नहीं देखा गया है।

पंडित नेहरू जी का आविर्भाव भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। वे दार्शनिक चिन्तन अथवा धार्मिक मीमांसा तक ही सीमित नहीं थे वरन् वे राजनीतिक, विचारक अथवा धर्म मीमांसा से बढ़कर अपने युग के महान शिक्षा शास्त्री भी थे। विगत अध्यायों में हमने इनके सर्वांगीय शिक्षा दर्शन को भली भाँति हृदय–गम करने का प्रयास किया है। वस्तुतः इनका कार्य इतना व्यापक, विशाल तथा सारगर्भित हो जाता है कि जिससे उनमें समस्त धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक मूल्यों, धाराणाओं और विचारों का समाहार हो जाता है। इसलिए इनको शिक्षा शास्त्री की पंक्ति में स्थान देने में यद्यपि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए फिर भी संबंध में इनके शिक्षा दर्शन की सांगोपांग विवेचना करने से शिक्षा शास्त्री के रूप में उसकी स्थापना को ही बल मिलेगा।

नेहरू शिक्षा शास्त्री माने जायें? यह प्रश्न अपने आप में इतना गम्भीर है कि इसका उत्तर देना सहज कार्य नहीं हैं। आज शिक्षा शास्त्र ज्ञान का एक स्वतन्त्र शाखा के रूप में इतना विकसित हो गया है कि शिक्षा शास्त्र के चिन्तन की कोई सीमा ही नहीं रही है। सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक रूप से चिन्तन की कोई सीमा ही को ही शिक्षा शास्त्री कहा जाता है, किन्तु जब हम पंडित नेहरू को शिक्षा शास्त्री के रूप में मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें बड़ी गम्भीरता से इस संबंध में विचार करना चाहिए। वस्तुतः यदि देखा जाये तो शिक्षा शास्त्री की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। मात्र शिक्षा शास्त्री की पुस्तक लिख लेने से या शिक्षा शास्त्री की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। मात्र शिक्षा शास्त्री को पुस्तक लिख लेने से या शिक्षा की एक दो समस्याओं का निराकरण कर देने से कोई शिक्षा शास्त्री नहीं कहलाया जा सकता। शिक्षा शास्त्री मौलिक विचारक होता है। वह जीवन जगत की समस्याओं पर अपने ढंग से विचार करता है और अपने ढंग से ही उस समाधान को क्रियान्वित

करने की योजना प्रस्तावित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक शिक्षा दार्शनिक को उन शैक्षिक उद्देश्यों के प्रति अपनी दृढ़ आस्था रखनी चाहिए जोकि अन्ततः विधियों को चयन संगठन की योजना, विषय वस्तु तथा विषय सामग्री के चुनाव का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार शिक्षा शास्त्री में दार्शनिक क्षमता का पूर्ण विकास होता है। वह अपने चिन्तन से शिक्षा जगत को नई दिशा प्रदान करता है। किसी भी शिक्षा शास्त्री के लिए मौलिक प्रतिभा तथा दार्शनिक चिन्तन की क्षमता का ही प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होता है। कोई भी शिक्षा शास्त्री अपने समय चिन्तन के बल पर सफल शिक्षा शास्त्री नहीं हो सकता है ऐसे चिन्तक एवं विचारक पंडित नेहरू के समय में अवश्य रहे होंगे जिनका नाम भी आज कहीं कोई नहीं जानता है किन्तु पंडित नेहरू का नाम शिक्षा जगत में प्रकाशित है। शिक्षा शास्त्री में निश्चित ही उपर्युक्त गुणों के साथ–साथ अन्य ऐसी भी विशेषतायें होनी चाहिए जो उसे युगो–युगों तक चिट विस्मरणीय बना दें। जो दार्शनिक ऐसे सिद्धान्तों को जन्म देता है जिनका प्रभाव समाज पर चिरस्थाई होता है तथा जो जन सामान्य को युगों–युगों से प्रेरणा देता रहता है वह उच्च्य कोटि का शिक्षा शास्त्री होता हैं **प्लेटो, रूसों** तथा **ड्यूबी** आदि ने केवल अपने युग तक ही सीमित रहने वाले सिद्धान्तों को प्रतिपादन नहीं किया। शिक्षा में सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की प्लेटों की कल्पना आज भी प्रेरणादायी है। रूसों को ''**प्रकृति की ओर लोटो**'' वाला नारा शिक्षा को चिन्तकों को चिरकाल से मार्ग दर्शन दे रहा है और ड्यूबी का शिक्षा में '**सामाजिक कुशलता का सिद्धान्त**' दिन–प्रतिदिन महत्व प्राप्त करता जा रहा है। इसी प्रकार महात्मा गाँधी की शिक्षा के क्षेत्र में क्राफ्ट योजना में सुदूर भविष्य की सुख सम्पदा का स्वप्न निहित है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी भी शिक्षा शास्त्री के सिद्धान्त, मान्यतायें एवं स्थाई अल्पकालीन महत्व की न होकर दीर्घकालीन महत्व की होनी चाहिए। देश काल की सीमा का उल्लघंन करके जो सिद्धान्त स्थिर रहते है वस्तुतः वे ही श्रेष्ठ शिक्षा दर्शन का निर्माण कर पाते है। इस दृष्टि से विचार करने पर भी पंड़ित नेहरू शिक्षा शास्त्रियों की श्रेणी में आते है उनके सिद्धान्त, आर्दर्शो, मान्यताओं का प्रभाव, देशकाल की सीमा का उल्लंघन कर सर्वाकालिक एवं सर्वाभौमिक बन गया है।

भारतीय शिक्षा में सुधार के सुझावः

भारतीय शिक्षा में सुधार के कुछ बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है, ये विचार बिन्दु निम्नवत है–

1. **शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करनाः**

(क) शिक्षा का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव निर्माण होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में मानव निर्माण से तात्पर्य भारत के भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण की दृष्टि से प्रत्येक भारतीय का संतुलित शाारीरिक, मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। मानव का विकास एक इकाई के रूप में करना चाहिए। खण्डों के रूप में नही

(ख) पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिकों ने शिक्षा के सामाजिक एवं वैयक्तिक उद्देश्य पर पृथ्क–पृथ्क विचार किया है जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानों दोनों में मूलभूत अन्तर है। लेकिन व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति शिक्षा क्रिया का केन्द्र है। अतः शिक्षा के द्वारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक भौतिक गुणों का विकास करके व्यक्ति का सामाजिकरण करना चाहिए। मानव निर्माण का वास्तविक अभिप्राय यही है।

2. **भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर पाठ्यक्रमः**

(क) भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को निर्धाण भारतीय जीवन–मूल्यों के आधार पर तथा भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण, भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति एवं भारतीय संस्कृतिक इतिहास में वेद, महाभारत, रामायण, पुराण आदि के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ख) भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यक्ति के वैयक्तिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, वेद उपनिषद तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से न्याय, स्मृतियाँ, महाकाव्यों तथा नीति ग्रन्थों में निरूपति सिद्धान्त को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए।

इस सुझाव को कार्यन्वित करने की दृष्टि से दो उपाय किये जाये–

(1) संस्कृत भाषा में लिखित ग्रन्थों का आधुनिक भारतीय भाषा में अनुवाद।

(2) संस्कृत भाषा के अध्ययन तथा अध्यापन की व्यवस्था।

(ग) पाठ्यक्रम केवल सैद्धान्तिक एवं पुस्तकीय नहीं होना चाहिए। उसमें सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय होना चाहिए। ज्ञान इस प्रकार का होना चाहिए जो जीवन में काम आ सकें, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकें। इसलिए तकनीकी को औद्योगिकी एवं वैज्ञानिक विषयों की संज्ञा दी जाये और वह कार्य अनुभव पर आधाारित हो।

3. <u>शिक्षक–शिक्षार्थी के मध्य सम्बन्धः</u>

(क) शिक्षक मानव निर्माण जैसे महान् उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, पुस्तकीय तथ्यों का संग्रह मात्र नहीं। अतः शिक्षकों को चयन मानवीय एवं व्यवसायिक (शैक्षिक) गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए।

(ख) समाज में शिक्षकों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए क्योंकि वह राष्ट्र के निर्माताओं का निर्माण करते है।

(ग) आचार्यो को आर्थिक तनाव से मुक्त रखना चाहिये जिससे वह निश्चित होकर अपना शैक्षिक उत्तरदायित्व पूरा कर सके।

(घ) गुरू–शिष्य सम्बन्ध की दृष्टि के गुरूकुल प्रणाली आज भी सर्वोत्तम है। वर्तमान समय में इसे आवासीय शिक्षा संस्थाओं का रूप दिया जा सकता है। जहाँ गुरू शिष्य साथ–साथ निवास करते है। आवासीय शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नियम बनाये जाने चाहिए। आवासीय शिक्षा व्यवस्था माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर होनी चाहिए। जो छात्र आर्थिक आभाव या अन्य किसी कारण से छात्रावास में न रह सके उनका समाज एवं राज्य को दायित्व लेना चाहिए। माता–पिता को अपने बच्चों की संगति एवं दिनचार्या के प्रति स्वंय सजग रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से शिक्षा का भार समाज के धनिकों एवं राज्य सरकार को वहन करना चाहिए।

(ड़) शिष्यों का चयन मानवीय गुणों, विद्धता, व्यवसायिक दक्षता तथा रूचि के आधार पर करना चाहिए।

(च) उच्च स्तर पर शिक्षा के लिए शिष्यों का चयन बहुत सावधानी के साथ तथा योग्यता के आधार पर सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि उच्च शिक्षा की पात्रता सभी छात्रों में नही होती।

(छ) विद्यार्थी जीवन का मुख्य लक्षण विद्यालय पर्यावरण तथा शिक्षा के द्वारा अपना सर्वागीण विकास करना होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे रहन सहन, खान पान में सादा होना चाहिए तथा अनुशासन (नियमों) में रहकर अपना विकास करना चाहिए।

(ज) गुरू–शिष्य सम्बन्ध का आधार प्रेम तथा विश्वास होना चाहिए, भय तथा दण्ड नहीं।

(झ) गुरूकुल प्रणाली वर्तमान काल में व्यवहारिक रूप देने के लिए शिक्षण संस्थओं को बस्तियों से दूर खुले स्थान पर स्थापित करनी चाहिए। जिससे अध्ययन के लिए शान्त वातावरण मिलें। इस सम्बन्ध में दो सुझाव है– (क) बस्तियों के मध्य में जो पुरानी शिक्षण संस्थयायें है, उनका विस्तार रोका जाए तथा पुराने भवनों के जीर्ण होने पर उन संस्थाओं को बस्तियों से बाहर स्थानान्तरित किया जाये। (ख) शिक्षा संस्थाओं के आस–पास बस्तियाँ न बसाई जाए।

4. **अनुशासन सम्बन्धी सुझावः**

मानव निर्माण के लिए अनुशासन स्थापना के दो उपाय है– (1) प्रेम (2) दण्ड अथवा भय। परिस्थितियों के अनुकूल दोनों का अपना–अपना महत्व है। अतः अनुशासन स्थापना के लिए दोनों का समन्वय एवं प्रयोग किया जा सकता है।

औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण के बीच सम्बन्धः

शिक्षा संस्था तथा परिवारों के मध्य निकट सम्बन्ध रहना चाहिए। परिवार के व्यक्तियों को उत्सवों में आमंत्रित करना एवं अविभावक तथा–शिक्षक संघ की स्थापना से यह समन्वय हो सकता है।

5. **शिक्षा में महिलाओं का स्थान निर्धारणः**

मानव निर्माण की दृष्टि से स्त्री की शिक्षा ''**स्त्री रूप में**'' और पुरूष की शिक्षा ''**पुरूष के रूप में**'' होनी चाहिए। दोनों का अलग–अलग रूप ईश्वर प्रदत्त है। दोनों का कार्यक्षेत्र अलग–अलग है। अतः दोनों की शिक्षा संस्थाएं अलग–अलग होनी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं में महिला शिक्षका होनी चाहिए।

6. <u>शिक्षा का प्रचार प्रसार करनाः</u>

(क) शिक्षा क दो स्तर होते है (1) बाल स्तर (2) प्रौढ़ शिक्षा या जन शिक्षा। बाल स्तर (प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर) पर शिक्षा का दायित्व होना चाहिए। और उसे अधिनियम द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर देनी चाहिए। शिक्षा का उत्तरदायित्व श्रीमान लोग एवं समाजसेवी संस्थायें वहन कर सकती है। **(ख)** प्रौढ़ स्तर पर शिक्षा प्रसार का दायित्व तो राज्य सरकार का होना चाहिए। लेकिन माध्यमिक और उच्च स्तर के विद्यार्थियों द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने का दायित्व सौपना चाहिए। इस स्तर के विद्यार्थियों का प्रमाण–पत्र एवं उपाधियां तभी दी जाये, जब वे अपने इस कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से कर दें। समाज में जो योग्य व्यक्ति है उन्हें भी प्रौढ़ शिक्षा का कार्य सौपा जा सकता है।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूची</u>

1. नेहरू, विश्व इतिहास की झलक, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1969।
2. नेहरू, हिन्दूस्तानी की कहानी, प्रकाशक यशपाल जैन, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशक, नई दिल्ली, 1969.
3. जैन पुखराज, भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन, आगरा, 1944।
4. नेहरू : जवाहर लाल नेहरू बांगमय खण्ड 1 से 11.
5. नेहरू, राजनीतिक जीवन चरित्र, माइकेल ब्रीचर, अनुवादक–डॉ0 हरिवंश राय बच्चन।
6. नेहरू : मेरी कहानी, अलाइड पब्लिशर्स प्राईवेट लिलिटेड, बम्बई।
7. झा, जे0 एस0 (1940) नेशनल कांफ्रेस आन नेहरू एण्ड हिज फिलासफी विद स्पेशल, रेफरेंस टू एन, पी, ई 26–27 मई, हिन्दू–कालिज, मुरादाबाद।
8. शर्मा, रामनाथ 'प्रमुख भारतीय शिक्षा दार्शनिक' मकेगिलन, मेरठ।

डॉ0 अरुण कुमार मिश्रा

फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी

ग्रीन पार्क, मवाना रोड, मेरठ (उ0प्र0

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

भारतीय मत पर सूफी दर्शन का प्रभाव

– संध्या सिंह

प्रत्येक धर्म या दर्शन मनुष्यों द्वारा परिवर्तित होता है, क्योंकि यह परिवर्तन मनुष्यों के लिए ही परिवर्तित होता है इसलिए उसके स्वरूप में परिवर्तन शाश्वत है। भारतीय धर्म भी इसी परिवर्तनकी कड़ी में सूफी संतों के करीब आया। सूफी मत इस्लाम धर्म की कट्टरता के विरोध में अस्तित्व में आया था। यही कारण है कि इस्लाम धर्म की तुलना में भी सूफीमत में उदारता देखने को मिलती है। इस्लाम मत के अनुसार अल्लाह को ही सर्वोपरि माना गया है परन्तु सूफियों की श्रद्धा उसके रहीम (करूणामय) रूप पर ही अधिक है। वे उसे निर्गुण, निराकार और सर्वान्तर्यामी मानते हैं। वेदान्त दर्शन और सूफीमत के काफी हद तक साम्य है। वेदान्त का 'अहम् ब्रह्मास्मि' का सिद्धान्त इसमें 'अन–अल–हक्क' सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। सूफी ब्रह्म और जीव में भेद नहीं मानते। ब्रह्म और जीव की एकता के सम्बन्ध में सूफी विद्वानों में थोड़ा मतवैभिन्नय है। दल्लाज जीव को पूर्णतया ब्रह्म नहीं मानते है। रूमी की मान्यता है कि ब्रह्म और जीव एक ही है परन्तु उनमें एक विभिन्नता भी है। यह विभिन्नता उसी प्रकार की है जिस प्रकार कि प्रेमी और प्रिय देखने में एक–दूसरे से पृथक दिखाई देते है। जिली के अनुसार जीव और ब्रह्म आत्मा के ही दे रूप है। प्रेमी और प्रिय की तरह। सूफी लोगों की मान्यता है कि ई वर को प्रियतमा का रूप मानते हैं और आत्मा को प्रियतम का। जब व्यक्ति अहंका भ्रम त्याग कर, सृष्टि के सौन्दर्य को अल्लाह के सौन्दर्य का दर्पण एमझने लगता है, दूसरे शब्दों में जब उसकी वृत्ति महात्मा तुलसीदास की 'सियाराममय सब जग जानी' जैसी हो जाती है तब उसका अपने शरीर से मोह छूट जाता है। ऐसी स्थिति में वह मोक्ष का अधिकारी होता है। सृष्टि के सम्बन्ध में सूफी ऐसा मानते है कि ब्रह्म की एक अलौकिक शक्ति है जिसे 'रूह' कहते हैं। सृष्टि उसी रूह के लिए व्याकुल रहती है। रूही की सृष्टि का उपादान कारण है। सृष्टि अल्लाह के दर्शन के लिए दर्पण है। इस दर्पण में अल्लाह का प्रतिबिम्ब ही इन्सान है। जिली की मान्यता है कि अल्लाह नेसबसे पहले अपनी सत्ता को रूह का रूप दिया।उसी सृष्टि, फरिस्तों

और कल्ब की उत्पत्ति हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदान्त और बौद्ध मत का प्रभाव दूसरी या तीसरी शताब्दी से सूफी मत को प्रभावित कर रहा था। भारतीय वेदान्त दर्शन के अनुसार जिसे माया महा जाता है सूफीमत के अनुसार वही ''शैतान'' है। शैतान की चर्चा कुरान में भी की गई है परन्तु सूफियों ने कुरान के शैतनों का परि कार कर लिया है, कुरान में तो शैतान को खुदा ही राह से इन्सान को झटकाने वाला बताया गया है परन्तु सूफियों ने शैतान को अल्लाह के भक्तों तथा अल्लाह की आराधना करने वालों की परीक्षा लेने वाला माना है। हिन्दुओं के नारद जी भी भक्तों की परीक्षा लेने वाले माने गये हैं। जिस प्रकार वेदान्त के ब्रह्म ने एक से अनेक होने की कामना 'एकोऽहं बहुस्यामि' के फलस्वरूप सृष्टि की रचना की उसी प्रकार सूफियों के अल्लाह ने इन्सान की रचना आत्म–दर्शन के उद्देश्य से की है। वह इन्सान में आत्म–दर्शन करता है इसलिए सूफियों ने इन्सानी प्रेम को ही महत्व दिया है। अन–अल–हक्क' सूफियों की प्रबल भावना है। सूफियों की दृष्टि में ब्रह्म और जीव में सूफियों की साधना के चार अंग है–शरीयत, तरीकत, मारफत और हकीकत। इनमें से प्रथम सोपान के अन्तर्गत साधक अपनी भूलों के पश्चाताप करता है। साथ ही आगे सावधानीपूर्वक ईश्वर का पालन करने की प्रतिज्ञा करता है। 'तरीकत' की अवस्था में वह सांसारिक कार्यों का त्याग कर वचन, और हृदय से पवित्राचरण करने का प्रयत्न करता है ताकि ईश्वर का ध्यान कर सके। 'मारफत' की स्थिति में पहुँच कर वह सदैव ईश्वर का चिन्तन करता रहता है, अपने और ईश्वर के बीच के अन्तर को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है, अपने और ईश्वर के बीच के अन्तर को दूर को प्रयत्न करता हुआ ईश्वर दर्शन की याचना करता है। सूफी साधू तक की चौथी अवस्था 'हकीकम' की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब ब्रह्म और जीव का संयोग होता है।

विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वर से निकली है, प्रत्येक वस्तु उसका निवास है। उनके मतानुसार प्रार्थना और ध्यान द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। पाप–पुण्य की बनाई हुई वस्तु है। अतः उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। डॉ0 खलीफा अब्दुल हकीम की मान्यता है कि मानव जीवन का मुख्यलक्ष्य अनूभूतियों के माध्यम से सत्य से एकाकार हो जाना है। प्रेम ही सत्य, ज्ञान और धर्म का आधार है। सूफी धर्म में दीक्षित होने

वाले व्यक्तियों को गुरू 'शेख' के सम्मुख कुछ प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ती थी। गुरू का इस धर्म में बड़ा महत्व है। शैतान विघ्न–बाधाएँ कर भक्त या साधक की परीक्षा लेता है। उन बाधाओं से बचाकर उचित मार्ग–दर्शन गुरू ही कर सकता है। शिष्य या मुरीद गुरू को प्रसन्न रखने के लिए आश्रमों में सफाई करने, पानी भरने आदि का कार्य भी करते थे। जिस प्रकार कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञानमार्गी सन्तों ने गुरू की महिमा स्वीकार की है उसी प्रकार सूफी भी गुरू का बड़ा महत्व मानते है। 'पद्मावत' महाकाव्य में महाकवि तथा सूफी सन्त जायसी ने लिखा है –

''बिन गुरू पंथ न पाइये, भूलै सो जो मेट।''

ज्ञान देने वाले मुर्शिद के प्रति मुहीद का विनम्र होना आवश्यक माना गया है। सूफियों की साधाना में प्रेम का बड़ा महत्व है। सूफी सन्तों का काव्य प्रेम गाथाओं के रूप में मिलता है। सूफियों का मत है कि ईश्वर अति सुन्दर है। उसे प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मुजबिरी के अनुसार ब्रह्मज्ञानी इष्ट की प्राप्ति के लिए होने वाली विकलता को ही प्रेम मानते है। अनेक सूफियों ने ईश्वर के प्रति प्रियतमा और प्रियतम भाव से रति–भाव अभिव्यक्त किया है। इस कारण इस मत में कुछ बुराईयाँ भी आ गई है। सूफी सन्त ईश्वर प्राप्ति के लिए हृदय की पवित्रता पर बड़ा बल देते है। उनकी मान्यता है कि हृदय ही तो दर्पण है जिसमें ईश्वर की प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। हृदय रूपी दर्पण के अस्वच्छ रहने पर ईश्वर का प्रतिबिम्ब साफ नहीं देखा जा सकता है। हृदय रूपी दर्पण की स्वच्छता सांसारिक प्रलोभनों से दूर रह कर ही स्थापित रखी जा सकती। जैसा कि कुरान में कहा गया है– "The faithful spirit has descended with it upon your heart that you may be of amess."

सूफी संत संगीत को महत्वपूर्ण वस्तु मानते थे। यह मन को केन्द्रित करने का अच्छा साधन है। वह साधना में भी सहायक है। इस सम्बन्ध में डॉ0 यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि ''संगीत–सभाओं को उचित सिद्ध करने को यह कहकर एक उपाय खोज निकाला गया कि सूफी ईश्वर का एक प्रेमी होता है और इस प्रकार भगवत–सम्बन्ध से वह उन दूसरे लोगों से भिन्न होता है जो केवल 'अब्द' या दास होते हैं। चूंकि वह संगीत–प्रेम की अग्नि को प्रज्जवलित करता है तथा दिव्योन्माद की उत्तम स्थित को लाने में सहायता करता है, अतः संगीत उन लोगों के लिए वैद्य

की भांति है, जो दूरदर्शित है। सूफियों का कर्मफल पर विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अच्छे कर्मों से मनुष्य ईश्वर के अधिक निकट पहुँचता है। स्वर्ग ईश्वर की समीपता का और नरक ईश्वर से दूरी का प्रतीक है। सूफियों का यह सिद्धान्त है कि एक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवी–देवताओं में विश्वास न रखा जाय। एक ईश्वर को मानने से ही आस्था दृढ़ हो सकती है और मानव का कल्याण हो सकता है। इब्न–उल–अराबी के अनुसार एक (सृष्टिकर्ता) और खलिक (सृष्टि) एक है। ईश्वर ही सब कुछ है और वही वास्तविक है। वह शाश्वत है। उसके अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दस साधन है–तौबा (प्रायश्चित), वरा (अनुपस्थिति), जुद (दया), फकर (निर्धनता), सन्न (संतोष), शुक्र (कृतज्ञता), खौफ (भय), रजा (आशा), तवक्कुल तथा रिजा (ईश्वर के समक्ष आत्म–समर्पण)। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सूफी सन्तों ने राजाओं से अपने आपको दूर रखा और सांसारिक सुखों के प्रति आकृष्ट न होकर त्याग एवं सेवा का जीवन व्यतीत किया। जहाँ पढ़े–लिखे मुल्ला–मौलवी और सूफी सन्त अपनी–अपनी बात कर रहे थे और जो कुछ भारत से बाहर के मुस्लिम विचारक अपने पूर्व के विचारों को नया जामा पहना रहे थे, जिसमें बहुत कम नवीनता थी, वहाँ साधारण स्तर के लोग शान्तीपूर्वक अपना काम–धन्धा कर रहे थे और उसी के द्वारा रोजी–रोटी कमाकर अपना भरण–पोषण कर रहे थे। जब कभी मुल्ला–मौलवी या कट्टर कर्मचारी उन्हें उकसाते तो वे उन्हें दंगे फसाद का सामना करना पड़ता था। लेकिन आमतौर पर के पास–पड़ोस के लोगों से मिल–जुल कर रहते थे। उनमें गुरू पूजा, सन्त निष्ठा, स्थानीय देवताओं की मन्नत कबूलियत आदि प्रचलित थे। फलस्वरूप पिछली सदी तक उनमें बहुत सी ऐसी बातें मिलती रही हैं जो इस्लामी शरीयत के विपरीत है लेकिन आस–पास के लोगों में पायी जाती है। उत्तरी सीमा प्रान्त, कश्मीर, पंजाब और करनाल जिले के मुसलमान पुराने ग्राम देवताओं की पूजा करते थे। हरियाणा, अलवर, भरतपुर के मेव और मीना हिन्दू नामों को ''खान'' के साथ जोड़ते और दशहरा, दीपवाली और जन्माष्टमी मनाते और कुंआ खोदने से पहले चबूतरा बनाकर हनुमान को अर्पित करते थे। उनमें सगोत्र विवाह वर्जित था और लड़कियों को

उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था। बूंदी के मीना भैरो की पूजा करते थे और जोड़ा के मुसलमान विवाहों में हिन्दू रस्मों का निर्वाह करते थे। अजमेर के हुसैनी ब्राह्मण अथर्ववेद को मानते और हुसैन के नाम व जप करते और रमजान और एकादशी का व्रत रखते थे। आगरा के मालकाना राजपूत इमामशाही सम्प्रदाय के काका और सादुल्ला सम्प्रदाय के लोग अथर्ववेद के साथ–साथ निश्कलंक के नाम का स्मरण करते थे। सिन्ध के मुसलमान प्राचीन काल से चली आ रही सिन्धु नदी की पूजा दरिया–पथ के रूप में जारी है। वहीं सन्त कबीर घोषणा करते हैं कि–

''पोथी पढ़ि–पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।
ढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।।''

सूफी और सन्त दोनों एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। सूफी लोग मानते हैं कि ईश्वर के अति किसी का अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ है सब ईश्वर के अति किसी का अस्तित्व ही नहीं है! जो कुछ है सब ईश्वर ही है। कबीर ने ईश्वर के अति देवी–देवताओं, मूर्तियों की पूजा करने वालों को फटकारा है। के लोग अथर्ववेद के साथ–साथ, निश्कलंक के नाम का स्मरण करते थे। सिन्ध के मुसलमानों में प्राचीन काल से चली आ रही सिन्धु नदी की पूजा दरिया–पंथ के रूप में जारी है। पंजमाई सम्प्रदाय के इस्लामी खोजा हजरत अली को विष्णु का दसवां अवतार मानते थे और पिरई लोग जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसरों पर हिन्दू रीति–रिवाज मानते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गाजी मिया जैसे संतों की पूजा का अधिक रिवाज हे। पूर्निया जिले के देहात में मुसलमान अल्लाह और काली दोनों का नाम लेकर पूजा करते है। उनकी शादी–विवाह की रसमें भगवती के मन्दिर में होती थी। चौबीस परगनों की बड़ारात और बशीरहाट तहसीलों में मुसलमानों, मछुए, लकड़हारों, मोहराब आदि में गाजी मिया को पूजने और वस्तु देवता (पृथ्वीमाता) को मानते थे। इन्दौर के इलाके में मुसलमान पटेल और मिरधे हिन्दू नाम धारण करते, हिन्दुओं की पोषाक पहनते और भवानी देवी को मानते थे। बुलदाना के मुसलमान देशमुख और देशपाण्डे गुप्त रूप से ब्राह्मणों को बुलाकर पुराने देवी–देवताओं की पूजा कराते थे। धार्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था में भी भारत के मुसलमान हिन्दुओं की तरह ही जातियों में बंटे हैं। करीब–करीब हर व्यवसाय एक जाति पन बन गया

हे और लोग अपने–अपने रीति–रिवाजों से इस प्रकार बंधे रहे कि उनमें पूरी तरह भावनओं का सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका। समय–समय पर उनमें टकराव होते रहे और अन्त में धर्म और जाति के नाम पर मुसलमानों ने नये देश का ही निर्माण कर डाला। भारत में मुसलमानों की संख्या अधिक है। भारतीय संविधान उन्हें पूर्ण सुरक्षा और विचारों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आधुनिकता की प्रवृत्ति उन्हें और उनके पड़ोसियों को एकता की ओर ले जा रही है, किन्तु वे परम्पराओं के चक्र में बचते हैं या नहीं, इसका उत्तर आने वाला युग ही दे पायेगा। सूफी मत निर्गुण पन्थ वस्तुतः हिन्दू और मुसलमान भक्तों के प्रयास से अस्तित्व में आया जिसे मुस्लिम शासकों की विजय और अत्याचारों ने अधिक विकसित होने का अवसर प्रदान किया। निर्गुण पन्थ वास्तव में कोई सम्प्रदाय नहीं है। इसमें साम्प्रदायिक भावना से ऊपर उठकर मानव मात्र की प्रगति में सहायक होने का संदेश निहित है। इसके तत्वों से किसी भी धर्मावलम्बी का विरोध नहीं हो सकता। निर्गुण पन्थ के ही दो रूप अस्तित्व में आये–सन्तमत और सूफीमत। सन्तमत हिन्दू मुसलमानों के धर्मों के मूल सिद्धान्तों के परिष्कृत रूप से निर्मित हुआ। सूफीमत इस्लाम धर्म की कट्टरता की प्रतिक्रया के रूप में अस्तित्व में आया। सन्तमत और सूफीमत में कई समानतांए और असमानतांए पाई जाती है। प्रेम का महत्व दोनों ही मतावलम्बी ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम को उत्तम साधन मानते हैं। जहाँ सूफियों की मान्यता है ''प्रेम की औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो तो सूफी धर्म के अनुसार प्रेम मार्ग का आलम्बन करो।'' वहीं सन्त कबीर घोषणा करते हैं कि – ''पोथी पढ़ि–पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।

ढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।।''

सन्त एवं सूफी दोनों ही साधना मार्ग में गुरू का अपरिहार्य महत्व स्वीकार करते है। दोनों ऐसा मानते है कि ईश्वर की ओर उन्मुख करने तथा साधना मार्ग की बाधाओं से बचाने में गुरू ही सहायक होता है। जायसी कहते हैं– ''बिन गुरू पन्थ न पाइया, भूलै से जो मेट।''

कबीर तो गुरू को ई वर से भी अधिक महत्व दे डालते है– ''गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूँ पॉय।

बलिहारी गुरू आपणों जिन गोविन्द दिया बताय।।''

जिस प्रकार सन्त लोग ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं मानते उसी प्रकार सूफी भी दोनों में भेद नहीं देखते। सूफियों की मान्यता है कि ब्रह्म की शक्ति रूह से फरिस्तों की उत्पत्ति हुई। सन्त भी ब्रह्म और जीव तथा ब्रह्म और सृष्टि से भेद नहीं देखते। कबीर कहते हैं–

सुनु सखि पिउ महिं जिउ बसै। जिउ महि बसै कि पीउ।।''

इसी प्रकार–'खलिक खलक खलक में खालिक सब घट रह्य समाई।'' दोनों ही जाति–पांति, ढ़ोंग–आडम्बर–विरोधी है। दोनों साधु–संगति, मानव–प्रेम, शुद्धाचरण, भक्ति एवं अहंकार–त्याग की बात पर बल देते हैं। सूफी एवं सन्तों की कई मान्यताओं में परस्पर अन्तर देखने को मिलता है। सन्त लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते तथा संगीत को महत्व नहीं देते जबकि सूफी पुर्नजन्म, कर्मवाद में विश्वास रखते हैं और संगीत को ह्रदय–परि कार की दृष्टि से महत्व देते हैं सूफी तो संगीत के अलावा सौन्दर्य का भी महत्व मानते है। इस प्रकार सूफी मत पर भारतीय वेदान्त, बौद्ध, यहूदी, मसीही, नवअफलातूनी जो कि यूनानी दर्शन पर आधारित था का प्रभाव पड़ा। भारतीय वेदान्त, उपनिषद, शैव धर्म आदि के भी प्रभाव से सूफी मत अछूता नहीं है।

सन्दर्भ सूची :–

1.डॉ0 बाल कृष्ण हंस (हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास) पृ0 90
2.हरफूल सिंह आर्य, मध्यकालीन समाज धर्म, कला एवं वास्तुकला, पृ0195
3.Outlines of Islamic Culture, Vol. II, p.-50
4.डॉ0 युसुफ हुसैन : मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति।
5.डॉ0 कृष्ण लाल हंस (हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास) पृ0 129
6.हरफुल सिंह आर्य, मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला,पृ0213
7.वही, पृ0 213.

डॉ0 संध्या सिंह
पी–एच0 डी0, हिन्दी
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध
विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

आरक्षण और उचित जातियां

– शशि कुमार पाण्डेय

आरक्षण सामाजिक भेदभाव की वह नीति है, जिसके माध्यम से समाज के दबे–कुचले लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया जाता है। इस नीति के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था में दबे–कुचले लोगों की भागीदारी सुनिचित की जाती हैं आरक्षण समाज में कब आया? इस प्रश्न का उत्तर हजारों साल पहले से चली आ रही व्यवस्था में ढूढ़ सकते हैं। राजा, सामंत, ब्रह्मण, क्षत्रिय आदि नामें के साथ व्यक्ति विशेष वंशानुगत रूप में अपना प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार विजेता राज्य अधीन राज्य पर अनेक प्रकार की निर्योग्यताएं लादता था परन्तु अपने राज्य के लोगों को अतिरिक्त सुविधायें पुरस्कार के रूप में वितरित करता था। यह पुरस्कार सत्ता में शामिल लोगों को अधिक तथा सामान्य जनता को कम दिया जाता था।

प्राचीन समय के आरक्षण तथा आज के आरक्षण में अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। प्राचीन समय का आरक्षण शक्तिशाली वर्ग जाति, धर्म के आधार पर अपनी स्थिति को बनाये रखने या मजबूत रखने के लिए करता था परन्तु आज का आरक्षण दुर्बल, कमजोर वर्गो को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये किया जाता है। आज जिस प्रकार का आरक्षण भारत में है उसकी शुरूआत झलक ब्रिटिश काल में दिखाई दी, जब 1906 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिला था। 1909 में मिन्टों मोरले सुधार लागू हुआ तो मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया।

डॉ0 अम्बेडकर के प्रयासों से संविधान में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी। लोकसभा में अनु0 330 तथा विधान सभाओं में अनु0 332 के तहत आरक्षण प्रदान किया गया। आज आरक्षण देने के इतने साल बाद यही प्रश्न सभी के सामने आता है कि आरक्षण की बैशाखी से दलितों का कितना कल्याण हुआ? क्या समाज में उनकी स्थिति में आमूल–चूल परिवर्तन आया है। इस प्रश्न के उत्तर का यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो स्पष्ट कि दलितों का कल्याण न के

बराबर हुआ है। आज भी अधिकांश जनसंख्या रोटी, कपड़ा तथा मकान की भी उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद विकास का सवाल बाद में आता है। भारत की दो तिहाई जनसंख्या गांवों में रहती है। वहां की व्यवस्था में आज भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। परन्तु जाति धर्म के नाम पर बटी जनसंख्या को आरक्षण ने और अधिक हिंसक बना दिया है। समय–समय पर दलितों को दिये जाने वाले आरक्षण पर कई सवाल उत्पन्न हुए। यह सवाल आरक्षण के समर्थकों तथा विरोधियों के हैं। आरक्षण समर्थक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। इसके बिना उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव संभव नहीं है। सदियों से सत्ता सुख भोग रहा वर्ग बिना किसी आरक्षण के दलितों को ऊपर आने में बाधक बनेगा। इससे स्वतन्त्र लोकतन्त्र की नींव कमजोर पड़ेगी। आरक्षण के विरोधी इसे संविधान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं देने के पक्षधर है। संविधान के अनु0 14 में विधि के समक्ष समता तथा अनु0 14 (1) धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद पर रोक लगायी गयी है।

आरक्षण से दलितों को कितना लाभ हुआ, इस तथ्य पर यदि हम गहराई से देखें तो स्पष्ट है कि आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्ग के कुछ लोग ही उठा रहे हैं। इससे दलितों में एक नये वर्ग का उदय हुआ है जो सामान्य दलितों से उसी प्रकार दूरी बनाते है, जिस प्रकार सवर्ण जातियां दलितों से दूरी बनाती थीं। इस संबंध में दलितों की राजनीति के पुरोधा रहे जगजीवनराम का कथन महत्वूर्ण है कि एक गरीब ब्राह्मण तथा गरीब हरिजन की समस्याएं एक ही है।

आरक्षण दलितों का कितना कल्याण कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले इस तथ्य पर गौर करना आवश्यक है कि सरकारें अपने वोट बैंक के लिए भले ही आरक्षण रूपी हथियार का प्रयोग करें, परन्तु उसके लिए यह संभव ही नहीं है कि सौ करोड़ से अधिक भारतीय जनसंख्या को सिर्फ नौकरी देकर उनका आर्थिक उत्पन्न कर सके। सूचना क्रांति तथा मशीनीकरण के कारण नौकरियों की कमी हुई है। रोजगार के घटते अवसरों को कुछ हद तक निजी क्षेत्र की कम्पनियां पूरा कर रही थी, परन्तु अमेरिकी मंदी के कारण निजी में भी रोजगार का

टोटा पड़ गया है। आजादी के इतने साल बाद आरक्षण से दलितों को कितना लाभ हुआ इसके लिए कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली दलित बस्ती को देख अंदाजा लगा सकता है इन वर्गो के लाभ के लिए ठोस योजनाएं बनाने की जरूरत है। सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण रखने वालों को अत्यधिक लाभ दिया जाना चाहिए जिससे लोग जनसंख्या रोकने के सम्बन्ध में स्वतः ही विचार करें। इसके अतिरिक्त ग्रामीण प्राइमरी विद्यालयों में व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। आज के विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर दोपहर का भोजन मिलता है तथा इसी व्यवस्था में प्रधानाचार्य से लेकर सभी अध्यापक व्यस्त करते हैं।

शिक्षित व्यक्ति ही अपना स्वयं का तथा देश का समग्र विकास कर सकता है। वह चाहे दलित हो या सवर्ण। इस संदर्भ में अपने लेख के माध्यम से उन तमाम राजनीतिज्ञों का मैं आवाहन करना चाहूंगा जिनकी नीतियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाती हैं कि वोट बैंक की राजनीति छोड़कर जातिविहिन समाज की स्थापना के लिए मिल कर काम करें जिससे आरक्षण का लाभ वास्तव में जो दलित हैं उन्हें ही मिले, चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान या भारत में रहने वाली कोई अन्य जाति। इसी से गांधी—नेहरू तथा अम्बेडकर के भारत का निर्माण कर सकेंगे।

डॉ0 शशि कुमार पाण्डेय
प्रवक्ता, आई0के0एम0पी0जी0 कालेज,
आनापुर।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पर सूफीवाद का प्रभाव

– निशान्त कुमार

सूफीवाद इस्लाम धर्म की एक उदार समन्वयवादी धारा है। यह विचारधारा मूलतः इस्लामी है। सूफियों ने मुहम्मद के पैगम्बरवाद और कुरान की सत्ता को स्वीकार तो किया, किन्तु समयानुसार उन्होंने विभिन्न स्रोतों जैसे ईसाई धर्म, जरथ्रुष्टवाद, बौद्ध धर्म तथा हिन्दू दार्शनिक पद्धतियां–वेदान्त तथा योग के विविध–विचारों एवं व्यवहारों को आत्मसात् किया। सूफियों ने धर्म एवं इस्लाम की रहस्यवादी व्याख्या की।[1] उन्होंने इस्लाम की भिन्न दार्शनिक व्याख्या करने के साथ ही प्रेम मार्ग पर बल दिया। उन्होंने प्रेम को ही ईश्वर का सच्चा रूप माना तथा सूफी साधना का मूल आधार ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त करना बताया है। इसके अलावा भक्त संतों की तरह सूफी साधकों ने भी गुरू के महत्व को स्वीकार किया। उनके अनुसार मानवीय प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर अग्रसर होना ही साधक का लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुरू सहायक होता है। गुरू ही साधक को प्रेमपथ दिखाता है और बिना गुरू के कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है।[2]

सूफी आन्दोलन भारत में व्यापक रूप से फैला और इसका प्रभाव पूरे भारत पर था। सूफी आन्दोलन ने भक्ति आन्दोलन के समान ही भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।[3]

सूफी आन्दोलन के फलस्वरूप भारत में हिन्द–इस्लामी परम्परा पर आधारित एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। सूफी संत इस्लाम धर्मावलम्बी होते हुए भी मूल रूप से इस्लाम धर्म के प्रचारक नहीं थे,बल्कि उन्होंने प्रेम, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। उनके खानकाहों के द्वार हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए खुले रहते थे। वस्तुतः भारतीय इतिहास में पहली बार हिन्दू धर्म के सम्मुख इस्लाम के रूप में एक विकसित सांस्कृतिक परम्परा सामने आई जो बौद्धों, जैनों की तरह हिन्दू परम्परा में शामिल होने को तैयार नहीं थी। अतः इस्लाम के आगमन के पश्चात् भारत की जनता एवं शासकों के लिए अनिवार्य था कि हिन्दुत्व और इस्लाम की सांस्कृतिक टकराव और परस्पर संघर्ष की बजाय इनमें

सहयोग एवं समन्वय की भावना संचारित की जाय। इस समय भक्त संतों के नेतृत्व में कुप्रथाओं, आडम्बरों एवं पृथकतावादी तत्वों का विरोध किया जा रहा था। सूफी संतों ने भी इस धारा को आगे बढ़ाया और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अधिक–से–अधिक पारस्परिक मेलमिलाप को बढ़ावा दिया।[4] बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों का यह निरन्तर प्रयास रहा कि अपने ज्ञान तथा अनुभव से समाज तथा मानव को कल्याण का मार्ग दिखाया जाएं। भारत में सूफी संप्रदायों के खानकाहों का उदार वातावरण हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही प्यार देने में सफल रहा। यही नहीं, सूफियों ने अहिंसा एवं शांति से समस्याएँ सुलझाने के लिए जनता को प्रेरित किया। निजामुद्दीन औलिया ने सामाजिक तनाव को कम करने के लिए जनता का ध्यान बार–बार भाई चारे की ओर आकृष्ट किया। वस्तुतः सूफी संतों ने यह संदेश दिया कि संपूर्ण मानव जाति एक है धर्म तथा देश के नाम पर लड़ना मूर्खता है। उलेमावर्ग ने शरीयत की पवित्रता की दुहाई देकर, हिन्दू–मुसलमानों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृथक्कता पर जोर दिया था। परन्तु सूफियों ने उस महान विचारधारा को प्रवाहित करने में सहयोग दिया जहाँ खुदा की नजर में सब समान हैं। इतिहासकार युसुफ हुसैन ने कहा है कि सूफी संतों ने सामूहिक जीवन को एक नये धरातल पर डालने की कोशिश करते हुए एक ऐसे समाज की कामना की जिसमें हर वर्ग के लोग अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण अवसर प्राप्त कर सके।[5]

सूफी संतों ने अपने समन्वयवादी दृष्टि के कारण भारतीय परम्परा से अच्छे तत्वों को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं किया। नाथपंथी साधकों, योगियों आदि का प्रभाव तो इन पर जगह–जगह देखा जा सकता है। सूफियों ने तप, उपवास, प्राणयाम आदि कई हिन्दू रीतिरिवाज भारतीय परम्परा से ग्रहण किया।[6] बाबा फरीद तथा निजामुद्दीन औलिया का योगियों से संपर्क रहा था तथा शेख निजामद्दीन ने योगियों की साधना पद्धति को मुक्त मन से स्वीकार किया था।[7] समन्वयवादी प्रकृति के कारण ही उन्होंने विषयवस्तु के मिश्रण के साथ–साथ भारतीय भाषा एवं बोलियों को भी अपनाया।

सूफी संतों ने भारत में प्रत्यक्ष रूप से इस्लाम धर्म का प्रचार तो नहीं किया, किन्तु उनके विचारों से इस्लाम धर्म के प्रचार–प्रसार में काफी

सहायता मिली। सामान्यतः उलेमा वर्ग की दृष्टि से इस्लाम के कट्टर और हिन्दू विरोधी छवि बनती थी, किन्तु सूफी संतों ने अपने आचार–व्यवहार और प्रेम के संदेश के माध्यम से आम जन के सामने इस्लाम के उदार स्वरूप को रखा। जिससे आमजन में इस्लाम के प्रति विरोध तथा भ्रम की भावना कम होने लगी और भारत में दोनों धर्मों के लोग परस्पर काफी करीब आए।[8]

सूफी संतों ने भारतीय राजनीति को भी काफी गहराई से प्रभावित किया। यह प्रभाव दो स्तर पर था। एक शासकीय नीति के संबंध में तथा दूसरा शासक एवं शासित के बीच के संबंध में सूफी संतों ने इस्लाम की उदार व्याख्या कर आमजन में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इससे धार्मिक भिन्नता के बावजूद शासक एवं शासित में किसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक विरोध का वातावरण नहीं बना। इससे शासक वर्ग को बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा के धार्मिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। राजपूत अथवा दूसरी भिन्न हिन्दू राजनीतिक शक्तियाँ जैसे– राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि का मुस्लिम शासकों से संघर्ष पूर्णतः राजनीतिक संघर्ष था, न कि धार्मिक संघर्ष।

सूफी संतों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय नीति को भी प्रभावित किया और शासक को उलेमा वर्ग के कट्टर विचारों से मुक्त रहने में सहयोग दिया। सुहरावर्दियों का तो साफ–साफ मानना था कि यदि उलेमावर्ग शासक को कट्टर नीतियों की अग्रसर कर सकते हैं, तो सूफी संतों के संसर्ग और विचारधारा से वे उदार नीतियों को भी अपना सकते हैं। यद्यपि चिश्ती संत शासक वर्ग से स्वयं को दूर रखते थे, किन्तु उनके उदार विचारों का शासक वर्ग पर काफी प्रभाव था। चिश्ती संत गेसुदराज का ही प्रभाव था कि बहमनी के कई शासकों ने उदार नीतियों का अनुसरण करते हुए सामाजिक तथा पारस्परिक वैमनस्य को दूर करते हुए आपसी एकता पर जोर दिया।[9] निजामी के अनुसार संपूर्ण सूफी आन्दोलन ने बहमनी राज्य को नैतिक शक्ति प्रदान करने का कार्य ही नहीं किया, अपितु उनके उत्तराधिकारियों ने जनता के आध्यात्मिक व नैतिक विकास को पुष्ट करने क लिए सामाजिक विचारों के निर्माण का नया वातावरण भी निर्मित किया। मुगल शासन पर सूफी प्रभावों को आसानी से देखा जा सकता है। अकबर ने सूफियों के वहदत उल वजूद

के सिद्धान्त पर विश्वास रखते हुए इस बात पर जोर दिया था कि हर इंसान को अपने ढंग से धर्म को मानने का अधिकार हो, किसी को भी कोई धर्म विशेष मानने पर बाध्य नहीं किया जा सकता हैं।[10] वस्तुतः अकबर पर चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती का गहरा प्रभाव था। यह प्रभाव जहाँगीर तथा शाहजहाँ पर भी बना रहा। इसी तरह, कादिरी संप्रदाय में दीक्षित दाराशिकोह अपने उदारवादी विचारों के लिए भारतीय इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। उसने सूफी मत और वेदान्त की गूढ़ सिद्धान्तों की विवेचना की और बतलाया की उनमें कोई तात्विक अन्तर नहीं है।[11] बहादुरशाह की अनेक कविताओं में सूफी मत के उच्च तथा उदार विचारों की सुन्दर व्याख्या है।

सूफी आन्दोलन का भारतीय समाज पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा।[12] सूफियों ने समाज को मानव प्रेम और समाज सेवा का संदेश दिया। समाज सेवा की यह संकल्पना भारतीय धार्मिक परम्परा में इतने विस्तार और प्रभावी रूप से पहले नहीं पाया जाता था। सूफियों ने समाज सेवा को आध्यामिक उन्नति के समान महत्व दिया। मुईनुद्दीन चिश्ती ने गरीबों एवं दुखियों की सेवा को उच्चकोटि की भक्ति माना था। उनका कहना था कि समाज में रहकर समाज में कष्टों का निवारण ही ईश्वर प्रेम का एक सच्चा तरीका है। निजामुद्दीन औलिया मानते थे कि एक महान शेख का कर्तव्य है कि वह दूसरों के दिलों के दर्द को समझे, उनके साथ सहानुभूति रखे ताकि एक दूसरे के लिए मित्रता एवं प्रेम जागृत हों। सूफी संतो के खानकाह सभी धर्मावलम्बियों के जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। उन्होंने विशेष तौर पर निम्न वर्ग के लोगों, दीन–दुखियों को प्रेम दिया। सुहरावर्दी सिलसिला के लोगों ने राजकीय सहायता को भी इसलिए स्वीकार किया, ताकि जरूरत मंदों को सहयोग किया जा सके।[13]

सूफी संतों ने समाज सेवा के साथ–साथ समाज सुधार पर भी बल दिया। मध्यकालीन युग में बढ़ते हुए शहरीकरण और धनी वर्ग के आर्थिक समृद्धि ने समाज में कई बुराईयों को जन्म दिया जैसे–जमाखोरी, दास प्रथा, कालाबाजारी, शराब, वेश्यावृत्ति आदि। ऐसी स्थिति में सूफी संतों ने प्रचार तथा खानकाहों के माध्यम से मनुष्य की कमजोरियों और सांसारिक आकर्षण की निन्दा करते हुए समाज–सुधार का प्रयास किया।

सूफी संतों ने हिंसा एवं साम्प्रदायिक मतभेदों के विरुद्ध भी आवाज लगाई। उन्होंने अहिंसा एवं शांति से समस्याएँ सुलझाने के लिए जनता को प्रेरित भी किया। निजामुद्दीन औलिया ने सामाजिक तनाव को कम करने के लिए जनता का ध्यान बार–बार भाईचारे की ओर आकृष्ट किया। आगे चलकर यही प्रेरणा हिन्दू–मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई।[14]

सूफी संतों का योगदान साहित्यिक क्षेत्र में भी अविस्मरणीय है। हिन्दी एवं उर्दू में विशेष रूप से अनेक सूफी काव्य रचे गये। जैसे–मुल्लादाउद का 'चन्दायन', जायसी का 'पद्मावत', मंझन की 'मधुमालती' आदि। ध्यातव्य है कि इनकी विषयवस्तु भारतीय लोककथा पर आधारित थी। मुल्लादाउद का 'चन्दायन' उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रचलित लौरिक एवं चंदा की प्रेमकथा पर आधारित है। 'पद्मावत' का मूल विषय चित्तौड़ शासक रत्नसेन और सिंहल राजकुमारी पद्मावती की प्रेमकथा पर आधारित है। इन काव्यों की प्रस्तुतीकरण की भाषा भी भारतीय भाषा ही थी। जैसे– अवधी, ब्रज, ऊर्दू, दक्खिनी, हिन्दी आदि। वस्तुतः सूफी संतों ने अपने उदार विचारो के प्रचार –प्रसार के लिए अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। ये रचनाएँ आध्यात्मिक रहस्यमय भावनाओं के साथ ही मानवतावाद की भावनाओं से भी ओत–प्रोत है।[15] सूफी संतो ने हिन्दी के साथ–साथ ऊर्दू काव्य को भी समृद्ध बनाया। उर्दू काव्य में प्रायः मंदिर, मस्जिद, हिन्दू–मुसलमान आदि का भेदभाव दृष्टिगत नहीं होता है क्योंकि सूफी साहित्य इस्लामी शरीयत का नहीं अपितु मनुष्य मात्र की एकता का प्रतिपादक रहा है। परिणाम यह हुआ कि उदार उर्दू कवियों ने जैसे जफर, मीर, दर्द, गालिब आदि ने अपनी कविता में खुदा एवं मनुष्य की वास्तविकता को गहराई से पहचाना है।

सूफियों ने विशेषकर चिश्ती संतों ने खुदा से एकाकार होने के लिए समा अर्थात् संगीत को आवश्यक माना है। निजामुद्दीन औलिया के विचार में संगीत ईश्वरीय प्रेम एवं सौंदर्य से साक्षात्कार करने का अनूठा माध्यम है। कीर्तन एवं नृत्य की भावुक अवस्था में हृदय प्रभु को पाने के लिए अजीब शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार समां के रूप में सूफी संगीत की एक नवीन शैली का विकास हुआ। यह प्रायः सूफी संतों की मजारों पर गाया जाता है। यह शैली अब परिपक्व रूप धारण चुकी है

और सूफीयाना प्रकृति के गीतों की रचना आज भी बड़ी मात्रा में होती है। इस प्रकार से सूफीयाना गीत–संगीत भारतीय संगीत परम्परा को ओर भी समृद्ध बनाते हैं। आज के आधुनिक फिल्मों में भी सूफी गानों को शामिल किया जाता है।[16]

इस प्रकार हम देख सकते है कि सूफीवाद में मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के तमाम पहलुओं को सकारात्मक रूप से काफी प्रभावित किया। इनके विचारों और शिक्षाओं के महत्व को हम इस प्रकार से भी समझ सकते है कि ये विचार और शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ताराचंद, इनफ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर : पृ0सं0–78
2. वही
3. इमत्याज अहमद, मध्यकालीन भारत (8–18वीं शताब्दी) एक सर्वेक्षण : पृ0सं0–148
4. सतीश चंद्र, मध्यकालीन भारत (सल्तनत–मुगल काल) : पृ0सं0–167
5. युसुफ हुसैन, ग्लिमप्सेस ऑफ मेडिवल इंडियन कल्चर : पृ0सं0–33
6. जे0 एल0 मेहता, मध्यकालीन भारत का वृहत इतिहास : पृ0सं0–257
7. इमत्याज अहमद, मध्यकालीन भारत (8–18वीं शताब्दी) : पृ0सं0–149
8. वही
9. ए0 एल0 श्रीवास्तव, मेडिवल इंडियन कल्चर।
10. इरफान हबीबः, मेडिवल इंडिया, पृ0सं0–186–187
11. सतीश चंद्र, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया : पृ0सं0–325
12. ए0 एल0 श्रीवास्तव, मेडिवल इंडियन कल्चर : पृ0सं0– 235
13. वही : पृ0सं0–244–245
14. इमत्याज अहमद, मध्यकालीन भारत (8–18वीं शताब्दी) : पृ0सं0–151
15. प्रो0 राधेश्याम, मध्यकालीन प्रशासन समाज एवं संस्कृति : पृ0सं0–255
16. वही

निशान्त कुमार
शोध छात्र, इतिहास विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन

– श्रवण कुमार एवं मीनू पाण्डेय

प्रस्तावना– माध्यमिक स्तर पर शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, अतः छात्र अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। इसके लिए वह गणित, विज्ञान साहित अन्य उपयोगी व्यावसायिक विषयों के प्रति अधिक आसक्त रहता है, एवं हिन्दी आदि विषयों को हल्के में लेता है। किन्तु विचार की अभिव्यक्ति एवं विषयों के ज्ञान के लिए भाषा का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। भाषा के अध्ययन के लिए ही हिन्दी भाषा का माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में भारत सरकार ने त्रि–भाषा सूत्र को 24 जुलाई 1986 ई0 को मान्यता प्रदान की। जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर माध्यमिक शिक्षा परिषद से क्रियान्वित करने हेतु आग्रह किया। जबकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक स्तर पर केवल एक भाषा को अनिवार्य किया और अन्य भाषा का अध्ययन विद्यार्थियों पर छोड़ दिया। माध्यमिक शिक्षा में कक्षा–9 व 10 के स्तर पर हिन्दी को अनिवार्य तथा अंग्रेजी, संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा। इसका मूल कारण यही था कि विद्यार्थियों को भाषा ज्ञान अच्छी तरह से हो जाये। जिससे छात्र के अन्दर वाद–विवाद, कल्पना करने की क्षमता, कविता, कहानी आदि का सृजन करने की क्षमता का विकास हो सकें।

2000 में शर्मा, वी0पी0 ने विद्यार्थियों में सृजनशीलता, सम्भाव्यता एवं परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य किया। इसमें उन्होंने प्राप्त किया कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में सृजन करने की क्षमता तथा सम्भावना व्यक्त करना प्रारम्भ हो जाता है, 1997 में अलीगढ़ के बाकर मेंहदी ने सृजनात्मकता पर शोध किया, इसमें इन्होंने बालक व बालिकाओं में सृजनशीलता का परीक्षण किया। इन विद्यार्थियों में अवस्था के आधार पर किशोरावस्था की छात्राओं में रचनात्मक सृजनात्मकता अधिक प्राप्त हुई। इन्होंने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को ग्रामीण व शहरी दोनों स्तरों पर शोध कार्य व मौखिक परीक्षण किया। इसमें इन्होंने पाया कि गाँव की अपेक्षा शहर में अधिक सृजनशील बालक–बालिकाएँ पायी गयीं। 2003 में वी0के0 पासी ने

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर शोध किया। इनका शोध हिन्दी विषय से सम्बन्धित था इसमें उन्होंने पाया कि हिन्दी विषय में रूचि छात्र की अपेक्षा छात्राओं में अधिक मिली। इनके शोध में लिखित व मौखिक दोनों प्रकार का परीक्षण है। अलीगढ़ के बाकर मेंहदी ने 2004 में 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सृजनशील सोच' का मौखिक व लिखित दोनों प्रकार का परीक्षण किया। इस परीक्षण को छात्र एवं छात्राओं पर किया गया और निष्कर्ष में मौखिक परीक्षण में बालक के विचार अत्यधिक प्राप्त हुए।

वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक विकास के आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत नित–नूतन आविष्कार हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश आविष्कारों के पीछे जहाँ वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम छिपा है, वहीं उनकी सृजनात्मकता का भी योगदान कम नहीं है। पहले यह माना जाता था कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार आदि व्यक्ति ही सृजनात्मक होते हैं परन्तु अब यह माना जाने लगा हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति हो सकती है। वास्तव में संसार के प्रत्येक प्राणियों में सृजनात्मकता पाई जाती है– किसी व्यक्ति में कम मात्रा में सृजनात्मकता होती है तथा किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में सृजनात्मकता होती हैं।

मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए, नवीन आविष्कार करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरे विश्वयुद्ध के उपरान्त 'सृजनात्मकता' के प्रत्यय पर मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाशास्त्रियों ने विशेष ध्यान दिया। वर्तमान समय में तीव्र गति से हो रहे वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक प्रगति व विकास तथा आधुनिकीकरण ने मानव जीवन को इतना जटिल तथा समस्याग्रस्त बना दिया है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। आज के समस्याग्रस्त जटिल समाज व प्रतियोगितापूर्ण संसार में सृजनात्मक व्यक्तियों की अत्यन्त माँग है। सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ सृजन अथवा रचना करने की योग्यता है।

माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में इस स्तर पर अनेक कठिनाइयों के द्वारा अनेकों विधाओं से परिचित तथा अनेक अर्थों का ज्ञान

हो जाता है। उसके अन्दर कविता करने की क्षमता, कहानी लेखन की क्षमता, वाद–विवाद करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता आदि का विकास हो जाता है। इसके साथ ही साथ छात्र इन क्रियाओं में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेता है। यह सृजनात्मकता–योग्यता विभिन्न छात्रों एवं छात्राओं में विभिन्न प्रकार की पाई जाती है।

अध्ययन के उद्देश्य :– प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित किया।

1. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के सृजनशीलता के अन्तर्गत **कथावस्तु का निर्माण** प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के सृजनशीलता के अन्तर्गत **संवाद लेखन** प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के सृजनशीलता के अन्तर्गत **कविता प्रत्यय** का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के सृजनशीलता के अन्तर्गत **वर्णनात्मक शैली** का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा के सृजनशीलता के अन्तर्गत **शब्दावली शैली प्रत्यय** का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना :– प्रस्तुत अध्ययन में शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है–

1. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनशीलता के अन्तर्गत कथावस्तु का निर्माण में कोई अन्तर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनशीलता के अन्तर्गत संवाद लेखन में कोई अन्तर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनशीलता के अन्तर्गत कविता का निर्माण में कोई अन्तर नहीं है।

4. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनशीलता के अन्तर्गत वर्णनात्मक शैली में कोई अन्तर नहीं है।
5. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनशीलता के अन्तर्गत शब्दावली शैली में कोई अन्तर नहीं है।

शोध प्रविधि– इस अध्ययन में 'वर्णनात्मक अनुसंधान' के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इलाहाबाद जिले के माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राएँ अध्ययन की जनसंख्या हैं। 'सरल यादृच्छिकी न्यादर्शन' विधि द्वारा चयनित 100 छात्र व छात्राएँ (50 छात्र एवं 50 छात्राएँ) प्रतिदर्श या न्यादर्श का निर्माण किया गया है। डॉ0 **एस0पी0 मल्होत्रा एवं सुमिता कुमारी** द्वारा निर्मित तथा प्रमापीकृत भाषा सृजनात्मक योग्यता मापनी के द्वारा प्रदत्त संकलित किए गये है। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए टी–अनुपात का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

परिकल्पना–1 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मक के अन्तर्गत कथावस्तु का निर्माण में कोई अन्तर नहीं है।

तालिका–1 (कथावस्तु का निर्माण)

प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	मानक त्रुटि	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर	परिकल्पना
छात्र	50	121.29	11.81	2.21	1.49	असार्थक	स्वीकृत
छात्राएँ	50	117.98	10.92				

छात्रों का मध्यमान 121.29 तथा प्रमाणिक विचलन 11.81 है। छात्राओं का मध्यमान 117.9 तथा प्रमाणिक विचलन 10.92 है। दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि 2.21 तथा ब्न्त्ण अनुपात 1. 49 है, अतः यह कि(सार्थकता स्तर) 0.05 पर प्रमाणिक मान 1.96 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है, अर्थात् माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मकता के अन्तर्गत कथावस्तु का निर्माण में कोई अन्तर नहीं है।

परिकल्पना–2 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मक के अन्तर्गत संवाद लेखन में कोई अन्तर नहीं है।

तालिका–2 *(संवाद लेखन)*

प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	मानक त्रुटि	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर	परिकल्पना
छात्र	50	36.32	10.87	2.09	2.85	सार्थक	अस्वीकृत
छात्राएँ	50	30.26	10.10				

छात्रों का मध्यमान 36.32 तथा प्रमाणिक विचलन 10.87 है। छात्राओं का मध्यमान 30.26 तथा प्रमाणिक विचलन 10.10 है। दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि 2.09 तथा ब्न्त् अनुपात 2. 85 है, अतः यह कि(सार्थकता स्तर) 0.05 पर प्रमाणिक मान 1.96 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है, अर्थात् माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मकता के अन्तर्गत संवाद लेखन में अन्तर है।

परिकल्पना–3 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मक के अन्तर्गत कविता का निर्माण में कोई अन्तर नहीं है।

तालिका–3 (कविता का निर्माण)

प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	मानक त्रुटि	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर	परिकल्पना
छात्र	50	32.86	9.86	1.89	1.38	असार्थक	स्वीकृत
छात्राएँ	50	30.24	8.14				

छात्रों का मध्यमान 32.86 तथा प्रमाणिक विचलन 9.86 है। छात्राओं का मध्यमान 30.24 तथा प्रमाणिक विचलन 8.14 है। दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि 1.89 तथा ब्न्त् अनुपात 1.38 है, अतः यह कि(सार्थकता स्तर) 0.05 पर प्रमाणिक मान 1.96 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है, अर्थात् माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मकता के अन्तर्गत कविता का निर्माण शैली में अन्तर नहीं है।

परिकल्पना–4 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मक के अन्तर्गत वर्णनात्मक शैली में कोई अन्तर नहीं है।

तालिका–4 (वर्णनात्मक शैली)

प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	मानक त्रुटि	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर	परिकल्पना

छात्र	50	158.92	20.70	4.45	1.86	असार्थक	स्वीकृत
छात्राएँ	50	150.62	23.72				

छात्रों का मध्यमान 158.92 तथा प्रमाणिक विचलन 20.70 है। छात्राओं का मध्यमान 150.62 तथा प्रमाणिक विचलन 23.72 है। दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि 4.45 तथा ब्ण्त्ण अनुपात 1.86 है, अतः यह कि (सार्थकता स्तर) 0.05 पर प्रमाणिक मान 1.96 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है, अर्थात् माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मकता के अन्तर्गत वर्णनात्मक शैली में अन्तर नहीं है।

परिकल्पना–5 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मक के अन्तर्गत शब्दावली शैली में कोई अन्तर नहीं है।

तालिका–5 (शब्दावली शैली)

प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	मानक त्रुटि	टी–अनुपात	सार्थकता स्तर	परिकल्पना
छात्र	50	159.92	21.90	4.68	1.56	असार्थक	स्वीकृत
छात्राएँ	50	152.62	24.92				

छात्रों का मध्यमान 159.92 तथा प्रमाणिक विचलन 21.90 है। छात्राओं का मध्यमान 152.62 तथा प्रमाणिक विचलन 24.92 है। दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि 4.68 तथा टी–अनुपात 1.56 है, अतः यह कि(सार्थकता स्तर) 0.05 पर प्रमाणिक मान 1.96 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है, अर्थात् माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मकता के अन्तर्गत शब्दावली शैली में अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष– उपरोक्त सारिणियों के अध्ययन से ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की हिन्दी भाषा सृजनात्मक योग्यता के अन्तर्गत कथावस्तु का निर्माण, कविता का निर्माण, वर्णनात्मक शैली एवं शब्दावली शैली में कोई अन्तर नहीं है जबकि संवाद लेखन के निर्माण में सार्थक अन्तर पाया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ई0पी0 परेन्स (1962), सृजनात्मक परीक्षण का विकास एवं प्रयोग, रिव्यु ऑ। एजुकेशनल रिसर्च, 32–(ए)–91–92
2. टेलर और हॉलैण्ड (1962), डेवलपमेन्ट एण्ड एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ क्रियाटिविटी, रिव्यू ऑफ एजूकेशन रिसर्च, 32–(ए)–91–102
3. गैट्जेल्स जे0 डब्ल्यू एण्ड जैक्शन पी0 (1962), सृजनात्मक एवं बुद्धिमत्ता, न्यूयार्क, जान विले एण्ड सन्स।
4. कोपले ए0जे0 (1996), सृजनात्मकता एवं बुद्धिमत्ता, अमेरिका एजूकेशन रिसर्च जर्नल, 4(4), 387–96
5. जे0पी0 शुक्ल तथा वी0वी0 शर्मा (1961), शैक्षिक सृजनात्मकता, भार्गव प्रकाशन।
6. वी0 सिंह एवं पी0सी0 द्विवेदी (1961), वैज्ञानिक सृजनशीलता एवं व्यक्तित्व, नेशनल साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन, आगरा।
7. बी0के0 पासी (1972), 'शिक्षा में सृजनात्मकता', आगरा, नेशनल साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन।
8. बाकर मेंहदी (1997), 'सृजनात्मक सोच का गैर मौखिक परीक्षण', राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक निगम, आगरा।
9. वी0के0 पासी (2003), सृजनात्मक परीक्षण, मौखिक एवं गैर मौखिक, नेशनल साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन, आगरा
10. बाकर मेंहदी (2004), 'सृजनात्मकता सोच का मौखिक परीक्षण' राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक निगम, आगरा।

श्रवण कुमार, एवं मीनू पाण्डेय
मीनू पाण्डेय नेट, जे.आर.एफ.
शोध छात्रा (शिक्षाशास्त्र) शिक्षक शिक्षा संकाय
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

बौद्ध धर्म और अहिंसा

– आलोक कुमार

मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए हिंसा का त्याग और अहिंसा का उपदेश प्राचीन काल से सभी धर्मों और समाजों द्वारा दिया जाता रहा है। अहिंसा और शांति के संदेश के सूत्र विश्व साहित्य में प्राचीनतम माने जाने वाले ऋग्वेद में भी प्राप्त होते हैं। समय के साथ अहिंसा और शांति के प्रति लोगों की संवेदना बढ़ती गयी और प्राचीन भारत में प्रचलित निवृत्ति मार्गों श्रमण संप्रदायों – जैन, बौद्ध तथा आजीवकों में तो न केवल इसके प्रति अधिक आग्रह वरन् अपने को सर्वाधिक अहिंसक सिद्ध करने की परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। समय के साथ इनमें बौद्ध धर्म अहिंसा और शांति का धर्म, उसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध को अहिंसा और शांति की साक्षात मूर्ति तथा उनकी शिक्षाओं के अनुरूप आचरण को विश्व शांति के लिए उपयोगी मान लिया गया। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में विश्व–शांति स्तूप (पैगोड़ा) की स्थापना हुयी और समय के साथ अपनी संवर्धनशील लोकप्रियता के कारण यह कई देशों का राजकीय धर्म भी बन गया। यद्यपि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति रहा हो लेकिन अहिंसा प्रवण कर्मनिष्ठ नैतिक समाज की स्थापना में बौद्ध धर्म का महती योगदान रहा है।[1]

बौद्ध धर्म के उदय व विकास तथा प्रचार–प्रसार के वातावरण के आलोक में बुद्ध की समाज सापेक्ष दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। सिद्धार्थ गौतम का सांसारिक दुःखों, और दुःखकर स्थितियों से विचलित होकर गृहत्याग और फिर संबोधि प्राप्त कर बुद्ध हो जाना और पुनः करूणा (भावात्मक सकारात्मक अहिंसा) से अभिभूत होकर लोगों में विवेक जागरण के लिए धम्म चक्र प्रवर्तन संघ, स्थापन आदि कार्य उनके लोकोपकारी भाव के प्रमाण है। वास्तव में वे सबकी भलाई के पक्ष में थे और किसी भी प्रकार के पापकर्म को अकरणीय मानते थे।[2] उनकी दृष्टि में अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन करने वाला ही थेर[3] और सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव रखने वाला सर्वश्रेष्ठ है।[4] ऐसे ही लोगों को सर्वत्र उच्च स्थान प्राप्त होता है।[5]

बौद्ध धर्म में भिक्षुओं, उपासकों और सामान्य गृहस्थों के लिए अलग–अलग उपदेश दिये गये है। उपासकों के लिए भी अहिंसा को आचरणीय बताते हुये हिंसा को जन्म देने वाले अथवा हिंसा के सहयोगी कार्यों से बचने का उपदेश दिया गया है। उपासकों को संघ की सेवा के साथ अस्त्र–शस्त्र, प्राणी, मनुष्य, मद्य, तथा मांस आदि के क्रय–विक्रय, जो कि हिंसा के सहकारी हो सकते है, से बचने का परामर्श दिया गया है। इस प्रकार के कार्य समाज में यश समृद्धि तथा प्रतिष्ठा वृद्धि के साथ ही ग्रह–कलह–शमन, द्वेषादि–निवारण, रोग–निवृत्ति आदि की दृष्टि से भी उपयोगी हो सकते हैं।[6]

सामान्य गृहस्थों के लिए भी द्वेष, लोभ मोह और भय के वशीभूत होकर धर्मातिक्रमण न करने और जीव हिंसा से बचने की अनुशंसा मिलती है।[7] ऐसा मज्झिम निकाय मे भी उद्धरित मिलता है जहाँ मनसावाचाकर्मणा अधर्म आचरण का वर्णन मिलता है। मनसा अधर्म आचरण में लोभ, मोह और द्वेषपूर्ण कार्य तथा मिथ्यादृष्टि को शामिल किया गया है जबकि वाचा अधर्म आचरण में झूठ बोलना, चुगलखोरी, कटु वाणी आदि का उल्लेख है। कर्मणा अधर्म आचरण में हिंसक व्यवहार, क्रूरता, मार–काट, प्राणियों के साथ निर्दयता पूर्ण आचरण, चोरी, पर स्त्री गमन आदि का विवरण मिलता है। ऐसे दुष्कृत्यों में रत लोगों को नरकगामी बताया गया है।[8] इससे समाज के प्रति बुद्ध की सोच का भान होता है और हिंसा के सहकारी घटकों की पहचान हो जाती है।

मज्झिम निकाय के महादुक्खख्खन्ध सुत्त तथा विभाषा सुत्त में अधर्म आचरण के साथ–साथ धर्मारचरण का भी वर्णन मिलता है। बुद्ध का मानना है कि इच्छाओं के वशीभूत होकर राजा–राजा, पिता–पुत्र, भाई–भाई सभी परस्पर लड़ते झगड़ते है। लोग चोरी, डकैती राहजनी भी करते है। अतः व्यक्ति के लिए लोभ मोह, द्वेष, बैर से विरत हो कर सम्यक दृष्टि ही आचरणी है लोभ मोह, द्वेष, बैर आदि को बुद्ध ने धर्माचरण की दृष्टि से घातक और अहिंसा–शांति की प्राप्ति के मार्ग में बाधक माना है।[9] बुद्ध की इस प्रकार की व्यापक दृष्टि संबोधिजन्य तो थी ही, व्यावहारिक और अनुभूतिजन्य भी थी। बुद्ध को कई बार अपने जीवन में कलह–समाधान के लिए संलग्न होना पड़ा जिसका असफलता व सफलता दोनों का खट्टा–मीठा अनुभव उन्होंने पाया था। उदाहरणार्थ–शाक्यों और कोलियो

के बीच रोहिणी नदी जल बँटवारे का विवाद रहा हो अथवा भिक्षुओं में व्याप्त संघर्ष व कलह की स्थिति रही हो और उसके निराकरण में असफलता निश्चय ही बुद्ध के लिए पीड़ादायी कही जा सकती है। उन्होंने अपनी इस मार्मिक पीड़ा को कई बार व्यक्त भी किया है। विनय महावग्ग और मज्झिम निकाय के कोसम्बी और उपकिलेस्स सुत्त तथा कोसम्बी जातक में भिक्षुओं मे कलह और संघर्ष की स्थिति का विवरण मिलता है। एक दूसरे पर परस्पर कटु शब्दों का प्रहार करते कलह ग्रस्त भिक्षुओं ने बुद्ध के शांत और सद्भावपूर्ण रहने के परामर्श को जब यह कहकर ठुकरा दिया कि वे स्वयं इसका समाधान कर लेंगे, तो बुद्ध को अत्यधिक कष्ट हुआ। ऐसे अवसर पर भिक्षुओं के समक्ष कलह–शमन के लिए दिये गये उपदेश में उन्होंने मेल–जोल और एकता को दृष्टि में रखकर छः महत्वपूर्ण उपायों का सुझाव दिया। इनमें मैत्रीपूर्ण वाचिक एवं मानसिक कर्म का निर्देश तो था ही, धर्म से प्राप्त लाभों का उपभोग करने, समाधि की ओर उन्मुख करने वाले अनिन्दित, प्रशंसित आचरण करने तथा दुःख विनाशक दृष्टि से युक्त हो विहरने का भी परामर्श था। इस प्रकार का प्रशंसनीय आचरण ब्रह्म विहार की सुखद अनुभूति का कारक और अहिंसा तथा शांति का जनक कहा जा सकता है।

अंगुत्तर निकाय का अंगुलिमाल सुत्त धैर्य, शांति एवं सहिष्णुता का उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। आततायी अंगुलिमाल बौद्ध संघ में दीक्षित होकर सहिष्णु और संयत हो जाता है। एक बार लोगों के अस्त्र–शस्त्र के प्रहार से बुरी तरह घायल होने पर, वह उनके प्रति सहसा घृणाशील तो हो जाता है, परन्तु इसका उसे पश्चाताप होता है। वह बुद्ध से खेद व्यक्त करते हुये कहता है, ''भगवान! सबसे कठिन बात है तलवार से आघात करने वाले विरोधियों से घृणा न करना।'' बुद्ध ने इसका उत्तर दिया, ''अंगुलिमाल! इससे भी कठिन है, विरोधी से यह कहना कि तुम बुद्ध हो। बुद्ध एवं अंगुलिमाल के बीच इस वार्ता को बुद्ध के अहिंसा एवं शांति भाव के प्रमाण के रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यही नहीं बुद्ध का तो यहां तक कहना था, कि यदि मेरे किसी अनुयायी के मन में द्विधारी आरे से अंग–प्रत्यंग को अलग कर देने वाले चोर के प्रति भी हिंसा भाव आ जाता है, तो मै उसे अपनी शिक्षाओं का निष्ठावान आचरणकर्ता नहीं मानता।[11] निश्चय ही ये और इसी प्रकार के अन्य अनेक संदर्भ इस बात के ज्वलन्त

प्रमाण है, कि अहिंसा भाव बौद्ध चिन्तन–व्यवहार का मूलाधार था। उनके पंचशील तथा दश कुशल कर्म पथ में अहिंसा का अग्रणी स्थान होना भी इसकी पुष्टि करता है। पंचशीलों में शामिल सत्य, और अस्तेय आदि भी इसी अहिंसा में अंगीभूत है।

महात्मा बुद्ध ने संघ के सदस्यों तथा समाज एवं अपने गृही अनुयायियों में व्याप्त असंतोष संघर्ष विवाद अशांति आदि की प्रकृति और उनके कारणों का अनुभव किया। इसके लिए उन्होंने कई बार अहिंसा और शांति की प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक उपायों की अनुशंसा की। उनका मानना था कि प्रत्येक जीव हानि से दूर रहना और आनंद प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह हानि से बचते हुये आनंद प्राप्त करे, तो उसके लिए आवश्यक है कि दूसरों की हानि न करे अन्यथा शांति भंग होती है और घृणा फैलती है। इस संदर्भ में बुद्ध की यह मान्यता थी कि अपने को दूसरों में देखो, किसी को न मारो, न हानि पहुँचाओ, क्योंकि सभी मृत्यु से डरते है।[12] इस प्रसंग में स्वयं बुद्ध के सभी भूतों को आत्मवत देखने का परामर्श भी उद्धरणीय है। जहाँ कर्म के साथ वाणी से भी मनुष्य के अहिंसक होने का निर्देश मिलता है। यहाँ दूसरों को कटुवचन एवं अपशब्द बोलने की वर्जना मिलती है क्योंकि इससे लोगों का अपमान होता है जिससे वक्ता के प्रति घृणा दुर्भाव और परस्पर संघर्ष एवं कलहमय आचरण की सहज आशंका होती है।[13]

सामाजिक, आर्थिक और राजनतिक क्षेत्र में व्याप्त असमानता और अन्याय का भी हिंसक गतिविधियों में योगदान होता है। उनसे अशांति और अराजकता को बढ़ावा मिलता है। विमभाषा सूत्र में उल्लेख मिलता है कि महत्वाकांक्षा और लोभवश राजा–राजा, राज्य–राज्य, भिक्षु–भिक्षु, क्षेत्र–क्षेत्र परस्पर लड़ते रहते है। वे यदि जीतते है, तो उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और यदि हारते है तो रोष और विषाद पैदा होता है।[14] कूटदन्त सुत्त में उल्लेख है कि कुछ लोग सुखमय जीवन की इच्छा से भौतिक सुविधा की चाह में अस्त्र–शस्त्र से युक्त हो, अपराधपूर्ण काम करने लगते है क्योंकि आर्थिक विषमता शांति भंग का महत्वपूर्ण कारण है। वास्तव में सामाजिक अशांति और गरीबी में बौद्ध धर्म, कार्य–कारण सम्बन्ध देखता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से कर्मनिष्ठ होने की अपेक्षा की गई है। सामाजिक असमानता भी अन्याय है जो हिंसा और अशांति के उत्तरदायी घटक के

रूप में उभरकर सामने आती है। बुद्ध न केवल इससे सुपरिचित थे वरन् इस संदर्भ में 'चत्तारो वण्ण समसमा' उनका सिद्धांत वाक्य था। वे कर्म को ही दायाद और योनि सब कुछ मानते थे। भौतिक उपादानो की प्राप्ति की उत्कट इच्छा अथवा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग या अन्य के प्रति द्वेष की भावना से भी हिंसा और अशांति की आशंका होती है। बुद्ध की शिक्षाओं में इससे भी बचने के उपदेश मिलते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना बौद्ध धर्म की प्रमुख देशना है। उन्होंने अहिंसा पर बल देकर उसे अपनी मुख्य शिक्षाओं में शामिल किया, उसे सैद्धांतिक आधार प्रदान किया तथा इसे अतुलनीय अच्छाई बताया। चक्र का निशान जो धर्मयुद्ध का प्रतीक था, उसे धर्म शान्ति के प्रतीक चिह्न (धम्म चक) में परिवर्तित कर बौद्ध धर्म ने अहिंसा के क्षेत्र में मौलिक और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बौद्ध अहिंसा अन्तर्दृष्टि को विविध क्षेत्रों जैसे कि पर्यावरणीय, आचार संहिता, दैनिक जीवन, अन्य प्राणियों से सम्बन्ध तथा उनके प्रति नैतिक विचार एवं समाज में किनारे कर दिये गये वर्गो की दशा को समझने की आवश्यकता में निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है। बुद्ध अतीत में कितने आवश्यक थे इसका प्रमाण उनकी प्रसिद्धि है किन्तु बुद्ध अतीत से अधिक वर्तमान में प्रासंगिक है क्योंकि कलिंग जैसा युद्ध आज हर देश लड़ रहा है ऐसा वातावरण में शांति स्थापना हेतु बुद्ध के विचार आज भी अनुसरणीय है। इसी को आदर्श मानकर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा व नरसंहार के पश्चात भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और एक नये युग का सूत्रपात हुआ।

संदर्भ–सूची

1. दुबे सीताराम–बौद्ध संघ का प्रारंभिक विकास, पूर्वा संस्थान, गोरखपुर, 1988, पृ0 126
2. सब्ब पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा। सचित्त परियोदपनम्, एतं बुद्धान शासनम, धम्म पद, बुद्ध वग्ग 14.183
3. यम्हि सच्चं च धम्मो, च, अहिंसा संयमो दमो। स वे वन्तमलो धीरो, थेरो इति पवुच्चति। धम्म पद, धम्मट्ठक वग्गो। 19.261
4. न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति। अहिंसा सब्ब पाणानं अरियो तु पवुच्चति।। धम्म पद, वही 19.270

5. अहिंसा ये मुनयो विच्चं कायने संवुता। ते यन्ति अच्चुतं ठान, यत्थ गन्त्वा न सोचरे।। धम्म पद वही 17.223
6. अंगुत्तर निकाय 8.3.4. तथा 8.3.6 (महानाम सुत्त तथा जीवक सुत्ता)
7. दुबे सीतारामः बौद्ध संघ का प्रारंभिक विकास, पूर्वा संस्थान गोरखपुर, 1988 पृ0 131
8. मज्झिम निकाय, सालेय्यक सुत्त।
9. मज्झिम निकाय, महादुक्खख्खन्ध सुत्त, विभाषा सुत्त।
10.अंगुत्तर निकाय, पालि टेक्स्ट सोसाइटी, जिल्द–2, पृष्ठ 66–68, अंगुलिमाल सुत्त।
11. मज्झिम निकाय, कमचूपम सुत्त।
12.धम्मपद, दण्डवग्ग 10.1, 10.2
13.वही, दण्डवग्ग 10.5
14.मज्झिम निकाय, विभाषा सुत्त

डॉ0 आलोक कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
डॉ0 श0 मि0 पु0 विश्वविद्यालय, लखनऊ।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

गाँधी जी का समाज–दर्शन

– मधु तिवारी

गाँधी जी राजनीतिक कम, कर्मयोगी अधिक थे। वे एक ऐसे राजनेता थे जिनकी कथनी एवं करनी में एकरूपता हुआ करती थी। इन्हीं महात्मा गाँधी के विचारों पर आधारित गाँधीवाद भारतीय सामाजिक राजनीतिक चिंतन में एक अनोखी विचारधारा है। गाँधीवाद कोई ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन नही है जो सुविचारित ढंग से सुसम्बद्ध तरीके से प्रतिपादित किया गया हो। गाँधी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोन के दौरान समय–समय पर परिस्थिति के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विषयों पर जिन विचारों एवं मन्तव्यों को व्यक्त किया, उनके अनुयायियों ने कालान्तर में उन्हें ही 'गाँधीवाद' नाम दे दिया। उन्होंने अपने सिद्धान्तों को विशेष प्रणाली के रूप में विकसित करने के लिए किसी विवरणात्मक ग्रन्थ की रचना नहीं किया। तथापि एक जीवन पद्धति के लिए अपेक्षित सभी विशेषताएं गांधीवाद में दिखाई देती है। गाँधीवाद एक निश्चित जीवन–दर्शन है। इसके कुछ आधारभूत सिद्धान्त है। जिनके आधार पर उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। गाँधी ने 'वाद' को तिरस्कृत करते हुए कहा, ''गाँधीवाद नाम की कोई वस्तु नही है और न मैं अपने पीछे कोई समुदाय छोड़ जाना चाहता हूँ।'' उनका जीवन ही उनका संदेश है और उनका विचार एक खुली पुस्तक। इसीलिए सत्य के प्रयोग ही उनकी आत्मकथा है और अहिंसा का कर्मयोग ही उनका जीवनचरित। संक्षेप में विचार, वाणी एवं व्यवहार में एकता ही उनका समग्र जीवन–दर्शन है। इसीलिए गाँधीवाद कहने की अपेक्षा सर्वोदयवाद कहना अधिक उपयुक्त होगा।

गाँधी का विचार एक प्रवहमान जीवन–दृष्टि तथा आचार–धर्म है। वह वाणी का विषय न होकर व्यवहार का विषय है। इसीलिए गाँधी जी ने सत्य पर प्रवचन न देकर समाज में सत्य का प्रयोग किया और सत्य पर कोई सिद्धान्त न गढ़ के सत्य की साधना की। सत्य–व्रत का पालन ही हरिश्चन्द्र और सुकरात जैसे लोगों ने भी किया, किन्तु गाँधी जी ने सत्याचरण को केवल वैयक्तिक जीवन का श्रृंगार नहीं माना अपितु इसको

सामाजिक–राजनीतिक जीवन का आभूषण बना दिया। उनका सत्याग्रह किसी व्यक्ति का आग्रह न होकर सामाजिक जीवन के सत्य की अनुभूति का मार्ग है। उनकी वाणी में बुद्ध की करूणा और कृष्ण की कर्मठता है।' उनका हिन्दुत्व विश्वधर्म की पीठिका है और उनकी भारतीयता विश्व नागरिकता की भूमिका है। गाँधी ने अहिंसा को भूतदया तक ही सीमित नहीं रंखा अपितु उसे सामाजिक धर्म बना दिया। गाँधी ने स्वयं कहा है ''अहिंसा केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आध्यात्मिक एवं राजनैतिक व्यवहार की मांग है। समाज धर्म व प्रजातंत्र की वह मॉग है कि अन्याय के प्रतिकार का आरम्भ ऐसा हो जो समाज के साधारण व्यक्ति के व्यवहार में आसानी से उतर सके। सत्याग्रही तो सुकरात और प्रहलाद भी थें किन्तु गाँधी ने सारे समाज को सुकरात बनाने का विज्ञान बनाया सारा भारत प्रहलाद बनने की प्रक्रिया में आ गया।

गाँधी के कर्मयोग का आवश्यक अंग 'समाज–सेवा' है। सत्याग्रही ज्यो–ज्यो प्रगति करता है त्यों–त्यों उसके 'स्वं' का विस्तार होता जाता है। उसका स्वधर्म बढ़ता जाता है। तब व्यक्ति, व्यक्ति नहीं रह जाता अपितु वह तरल होकर समाज बन जाता है। व्यक्ति समाज बनता है, तभी वह अपने में समाज को और समाज में अपने को देख पायेगा। यही 'स्वं' का समाजीकरण है और सेवा धर्म के रहस्य का उद्घाटन भी। सेवा भाव से गाँधी ने आश्रमों की स्थापना की और वहॉ से सेवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें समाज–सेवा में नियेाजित किया। गाँधी जी अस्पृश्यता को समाज पर लांछन मानते थे।

सामाजिक जीवन की दिशा निर्धारित करने में गाँधी जी का विशेष योगदान हैं। गाँधी जी एक संत है, नैतिक राजनेता है, सुधी चिंतक है, उच्च कोटि के समाज–सुधारक और विश्व शिक्षक है। गाँधी जी सामाजिक विचार सरणि को समझने के लिए उनकी जीवन–कला तथा उससे सम्बन्धित विविध धाराओं का हृदयगत शोध अपरिहार्य है। इसके बिना इस महान कर्मयोगी तथा सत्याग्रही के जीवन्त विचारों को समझना आसान नहीं है। गाँधी को समझने के लिए गाँधी बनाना होगा।

गाँधी का सर्वोदय दर्शन दलितों की आह से उपजा दर्शन है। विश्व की युद्ध क्लान्त मानवता को यह विश्वास होने लगा है कि जब

जीवन जीने के सभी प्रयोग विफल हो जायेंगे तो सर्वोदय का सिद्धान्त जीवन के अंधियारे गलियारें में दीप स्तम्भ का कार्य करेगा। 'ऋत्' या शाश्वत नैतिक व्यवस्था में सर्वोदय का अखण्ड विश्वास झलकता है। सर्वोदय का ईश्वर सब का है, क्योंकि वह सत्य हो ही ईश्वर मानता है। सत्य स्वभाव से निर्विवाद है, जिसे आस्तिक एवं नास्तिक दोनों बिना किसी विरोध के सहर्ष स्वीकार कर लेते है। इस दृष्टि से सत्य ही ईश्वर का सही नाम है। सत्य को ईश्वर मान लेते से गांधी के सर्वोदय–दर्शन में तात्विक अनाग्रहवाद को भरपूर प्रतिष्ठा मिलती है। गाँधी के सर्वोदय दर्शन में आचार मीमांसा का सर्वाधिक महत्व है। आचार मानव–जीवन का भूषण है। जो मानो उसे जीवन में उतारों' यही गांधी की आचार मींमासा है और सर्वोदय का महामंत्र भी। नैतिक आचरण से ही व्यक्ति का विकास, समाज का उत्थान और सार्वजनिक कल्याण सम्भव है। अनीति के विरोध में क्रान्तियां होगी और सर्वोदय का मार्ग प्रशस्त करेगी। सर्वोदय दर्शन में जीव को स्वयं अपने भाग्य का विधाता माना जाता है। लोकसग्रह के भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सही अर्थ में सर्वोदयी है। सर्वोदयी ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन एवं शोषणविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जहॉ प्रत्येक व्यक्ति या समूह को अपने सर्वागीण विकास का अवसर मिल सकें। समाज की स्थापना में यह क्रान्ति अहिंसा एवं सत्य के अनुपालन से ही सम्भव हो सकेगी। सबको आवश्यकता के अनुसार दो और शक्ति के अनुसार लो यही सर्वोदय का आदर्श है। वास्तव में सर्वोदयी समाज एक समतावादी समाज है, जहॉ किसी भी प्रकार शोषण नहीं है। ऐसे समाज में सभी लोग एवं दूसरे का अभ्युदय करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते देखे जाते है। इस समाज की स्थापना अहिंसा के द्वारा लोक को स्वयं करनी पड़ती है। इस समाज में सम्पत्ति का न्याययुक्त बंटवारा करने के लिए ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का अनुपालन करना होता है, जिसके अनुसार जिसके पास जितनी अतिरिक्त सम्पत्ति है वह सब समाज की है। धनिक वर्ग अपनी इस सम्पत्ति का मात्र ट्रस्टी या न्यासी है। व्यक्ति की पवित्रता तथा समाज में साम्य सर्वोदय का मूलमंत्र है। सर्वोदय की चिंतनधारा प्रतियोगिता के बदले सहकारिता का मूल्य अपने समग्र दर्शन में उजागर करती है। ज्ञानमीमांसा में वैचारिक सहकारिता का मूल्य अपने समग्र दर्शन में

उजागर करती है। ज्ञानमीमांसा में वैचारिक सहकारिता (बौद्धिक अनाश्रह) तत्वमीमांसा में तात्विक सहकारिता (सत्य ही ईश्वर है, यह सूत्र आस्तित्व–नास्तिष्क सभी को समान रूप से स्वीकार्य है) और आचार मीमांसा में सहजीवन सर्वोदय का समग्र दर्शन है। प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्दता से संघर्ष एवं कलह की प्रवृत्तियॉ जड़ जमाने लगती है और समाज में टूटन पैदा करने लगती है। अतः समाज संघर्ष के स्थान पर शान्ति और प्रतियोगिता के स्थान पर सहकारिता पर टिका है। समाज का इतिहास दर्शन इसी बात को पुष्ट करता है। गांधी के सर्वोदयी समाज की कल्पना में सर्वत्र अद्वैत है सभी एकता में समाहित है। गाँधी जी लिखा है समाजवाद एक सुन्दर शब्द है और जहाँ तक मुझे मालूम है, समाजवादी व्यवस्था में सभी सदस्य बराकर होते है न कोई नीचा होता है और न कोई ऊचा। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब अंग बराबर होते है वैसे ही समाजरूपी शरीर के सारे अंग बराबर होते है। यही सर्वोदयी समाजवाद है।

गांधी ने सर्वोदयी समाज में भारी उद्योगों की जरूरत नहीं होगी। उनके विचार में औद्योगीकरण मानव–जाति के लिए अभिशाप है। इससे एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण होता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोरो के रंग–भेद नीति के विरूद्ध संघर्ष चलाया। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होनें भारत में सामाजिक अन्याय, अत्याचार तथा उत्पीड़न का घोर विरोध किया। गांधी जातिगत संकीर्णता का जोरदार खण्डन किया। गांधी का समाज दर्शन विलासितापूर्ण बनावटी जीवन के परित्याग की बात करता है और सादा जीवन उच्च विचार का जोरदार समर्थन करता है। इसलिए उन्होंने ग्रामोद्वार का बीड़ा उठाया।

गांधी जी वर्णाश्रम–धर्म पर वैदिक दृष्टिकोण से विश्वास करते थे। गांधी के सर्वोदयी समाज–दर्शन का प्रयोजन नये मानव की तलाश है, जिसमें बुराई और हिंसा की प्रवृत्ति तक न हो। सर्वोदयी ऐसे वर्गहीन, जातिविहीन एवं शोषणविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास का अवसर मिल सके। सर्वोदय का अर्थ सभी के जीवन के सभी पक्षों की सम्पूर्ण प्रगति है।

गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा व्यक्तिगत चीज नहीं है, अपितु यह सामाजिक चीज है। यदि अहिंसा हमारी सामाजिक बुराईयों को दूर नहीं

कर पाता है तो वह बेकार है। गांधी की अहिंसा नैतिक या धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, यह समाजोपयोगी चीज है। गांधी ने अहिंसा के विषय में कहा—अहिंसा का अर्थ यदि प्रेम है तो वहां शोषण और उत्पीड़न का स्थान नहीं होगा। प्रेम और परिग्रह, प्रेम और उत्पीड़न, प्रेम और वैषम्य, प्रेम और शोषण साथ—साथ नहीं चलेगा अहिंसा और प्रेम व्यक्ति के भूषण होने के साथ—साथ समाज के अलंकरण भी है। इस दृष्टि से व्यक्ति और समाज परस्परोपेक्षी हैं। सामाजिक परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन से आयेगा, बंदूक से नहीं। अद्वैत के साथ जाति—भेद और साम्ययोग के साथ शोषण नहीं चलेगा। बुद्धि बिलास के लिए आचार शास्त्र में सद्गुणों की मीमांसा करने से समाज का भला होने वाला नहीं। इन सद्गुणों को समाज से जोड़ने की साधना करनी होगी। मानव—जाति का भविष्य एकता में है। विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों इस दिशा की ओर संकेत करते है। विज्ञान को समाज से और आत्मज्ञान को व्यक्ति से जोड़कर चलना समझदारी है। इसीलिए गांधी जी कहते है कि वैज्ञानिक प्रगति के पूर्व आध्यात्मिक व नैतिक प्रगति जरुरी है। आत्मज्ञान से विज्ञान संवरता है और विज्ञान से आत्म ज्ञान का सामाजिक प्रसार होता है। दूसरे के जीवन में शामिल होना और दूसरे को अपने जीवन में शामिल करना ही तो संस्कृति है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

1. गांधी, आत्म कथा, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।
2. गांधी प्रार्थना—प्रवचन भाग—1 व 2 सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली।
3. गांधी हिन्दू धर्म, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद।
4. डा0 डी0एम0 दत्त, दि फिलॉसाफी आफ महात्मा गांधी।
5. संगम लाल पाण्डेय, गांधी का दर्शन, दर्शनपीठ, इलाहाबाद, 1985।
6. गांधी, एथिकल रेलिजन, मद्रास, 1922।
7. जॉन रास्किन, अण्दू दिस लास्ट, आर्य एलेन एण्ड अनविन सदन।

डॉ0 मधु तिवारी
पी0—एच0 डी0, दर्शनशास्त्र
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

तीन तलाक : एक संवैधानिक नैतिकता

– दिलीप द्विवेदी

हमारे समाज में तलाक का अर्थ है परित्याग करना। तलाक एक उर्दू शब्द है। मुसलमानों में divorce को तलाक कहते है। अगर हम इस्लाम के नियम की बात करें तो, अगर पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलता है तो दोनों में तलाक हो जाता है अभी कुछ सालों में बहुत से मुसलमानों ने इसका दुरूपयोग किया है बहुत से लोगों ने ईमेल या फिर whatsapp पर अपनी पत्नी को तलाक दिया, जो की महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है बहुत से लोगो ने छोटी–छोटी बात पर अपनी पत्नी को तलाक देने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत से मुस्लिम महिलाओं का शोषण हुआ। बहुत से मुस्लिम महिलाएँ इसका षिकार हुई है।

अगर हम बाकी देष से तुलना करे तो बहुत से मुस्लिम देष पकिस्तान, श्रीलंका, इराक, ईरान, सउदी अरब, इन सभी देषों में तीन तलाक पर रोक हैं। तीन तलाक को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस्लाम धर्म में विवाह (निकाह) क्या है। इस्लाम में यह एक 'अहदो पैमान' यानी एक समझौता होता है, जो एक पुरूष और एक स्त्री की आपसी सहमति के बाद अस्तित्व में आता है। पति–पत्नी को इस समझौते को निभाने के लिए सैकेड़ो हिदायतें दी गई। कुरान में विवाह (निकाह) को मसिक–ए –गलीत; मजबूत समझौता) करार दिया गया है। इसलिए इस्लाम में जायज कामों में तलाक को सबसे पुरा कहा गया है। इस्लाम में निकाह को समाप्त करने को तलाक कहते है।

दरअसल वर्तमान में चर्चा का केन्द्र बना तीन तलाक (तलाक, तलाक, तलाक) का मामला तलाक–उल बिद्त की उपज है कि अगर कोई पुरूष तलाक के सही तरीके को न मानते हुए एक ही बार में तलाक–तलाक–तलाक कह देता है, तो तलाक हुआ मान लिया जाता है, यानी की तलाक–ए–मुगल्लजा हो गया माना जाता है।

तलाक के प्रकार में–

(1) <u>तलाक–उस–सुन्नत</u> को वापस होने योग्य तलाक कहते है। पैगम्बर मोहम्मद के जीवन काल में केवल यही तलाक प्रचलन में था, तलाक उल–सुन्नत के निम्नलिखित दो रूप है :–

1. तलाक अहसन तथा
2. तलाक हसन।

(2) तलाक – उल बिद्त (तीन तलाक)

यह अप्रतिसंहरणीय (free vocable) अर्थात वापस नहीं होने वाला तलाक है। यह केवल सुन्नी विधि में मान्य है यह षिया विधि में मान्य नहीं है। अमीर अली के अनुसार, यह उमैयद शासकों द्वारा अपनी सुविधा के लिए प्रचलन में लाया गया था।

तलाक – उल बिद्त में मुस्लिम पति एक ही समय पर 'तलाक' शब्द तीन बार उच्चारित (तलाक के आषय से) करता है । ऐसी घोषणा के साथ ही तलाक पूर्ण, अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय अर्थात वापस होने योग्य नही हो जाता है। इसे ही तीन तलाक कहते है।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक बार में तीन तलाक यानी 'तलाक–ए बिद्त' को असंवैधानिक करार दिया है। दरअसल, इस मुद्दे को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर पॉच जजों की संवैधानिक पीठ इस वर्ष के गई से सुनवाई कर रही थी, इस दौरान न्यायालय ने तीन तलाक के सभी पहलुओं पर विचार किया। इससे पूर्व केन्द्र सरकार ने भी तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन बताया था।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद तीन तलाक पर देषव्यापी चर्चा शुरू हो गई है। अतः यह आवष्यक है कि इस पूरे मुद्दे को समझा जाए, लेकिन उससे पहले यह देखते है कि इस संदर्भ में न्यायालय का विचार क्या है। न्यायालय का कहना है कि 'तलाक–ए–बिद्द' इस्लाम का अभिन्न अंग नही है, अतः इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता।

इसी के साथ न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा–2 में दी गई ''एक बार में तीन तलाक'' की मान्यता को रद्द कर दिया। देष की सबसे बड़ी आदालत ने तीन–दो के बहुमत से 'एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक बताया।

मामले की पृष्ठ भूमि– दरअसल, उतराखण्ड की रहने वाली षयरा नाम की एक महिला को उसके पति ने तीन बार तलाक शब्द के उच्चारण मात्र से तलाक दे दिया था। फलस्वरूप शयारा ने तीन तलाक,

निकाह हलाला और बहु–विवाह के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता की पहचान करते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला संवैधानिक मुद्दों से संबंधित है। अतः संविधान पीठ को इसकी सुनवाई करनी चाहिये। 22 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय ने शायरा बानो बनाम भारत संध और अन्य के मामले में 3:2 के बहुमत से तलाक–ए–बिद्द को असंवैधानिक किया। इसी कारण सरकार द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को संसद में पेष किया गया।

28 दिसम्बर 2017 को विधि और न्याय मंत्री रविषंकर प्रसाद ने लोक सभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को पेष किया। इसी दिन इस विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया

विधेयक के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दो द्वारा, चाहे वे बोले गए हो या लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रिति में हो, तलाक की उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी

- यह विधेयक तलाक कहने को संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध घोषित करता है।
- तलाक कहने वाले पुरूष (पति) को तीन वर्षो तक के कारावास की सजा हो सकती है और उसे जुमार्ना भी भरना पड़ सकता है।

निष्कर्ष– उच्चतम न्यायालय तीन तलाक को असंवैधानिक करार देने का यह फैसला निष्चित ही स्वागतयोग्य है। उच्चतम न्यायालय के आदेषानुसार, सरकार ने तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्द) के कारण विवाहित मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने तथा उन्हे राहत प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। प्रस्तुत विधेयक मुस्लिम महिलाओं को लैगिंक न्याय और लैंगिक समानता के बृहत्तर संविधानिक ध्येयों को सुनिष्चित करेगा। साथ ही इसके द्वारा उनमें सषक्तिकरण में सहायता प्रदान किए जाने की भी उम्मीद है। इस विधेयक के माध्यम से पीढ़ियों से चली आ रही तीन तलाक की कुप्रथा, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइष ही नहीं रहती, को अवैध घोषित किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. डॉ0 आर0 के0 सिन्हा, मुस्लिम विधि, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, सातवॉ संस्करण (2011)

2. प्रतियोगिता दपर्ण, अगस्त 2017 पृष्ठ 65
3. सम–सामायिक, घटना चक्र, मई 2017, पृष्ठ 5
4. करेंट अफेयर्स टुडे, दृष्टि, सितम्बर 2017, पृष्ठ 37
5. सुप्रीमा लॉ डिक्षनरी, सेन्ट्र्ल लॉ पब्लिकेषन, इलाहाबाद
6- https://khabar.ndtv.com
7- https://m.navbharatime.indiatimes.com
8- https:// indiankanoon.org

दिलीप द्विवेदी
असिस्टैण्ट प्रोफेसर, विधि विभाग
अतिबल सिंह विधि महाविद्यालय, मेजा, इलाहाबाद,
सम्बद्धः–इलाहाबाद राज्य विष्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

उषा प्रियंवदा के कथा–साहित्य में चित्रित नारी समस्या

– अरूण कुमार वर्मा

पिछले चार पाँच दशकों से भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, उसकी पराधीनता का प्रश्न और स्वाधीनता की आकांक्षा से जुड़ी समस्याओं पर विचार–विमर्श और रचनाशीलता की प्रक्रिया तेज हुई है और व्यापक भी। पुरातन मूल्यों, जर्जर रूढ़ियों और आधुनिक सभ्यता के तथाकथित अधिकारों के मध्य नारी की समस्या बढ़ती गयी है। पुरूष केन्द्रित समाज में नारी अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर अन्य सामान्य समस्याओं की भाँति एक वस्तु के रूप में उपस्थित हुई है। स्त्री–पुरूषों के सम्बन्ध सामाजिक संस्कारों के कारण परम्परित मानदण्डों और परिवर्तित मूल्यों के आधार पर प्रतिष्ठित है।

भारतीय स्त्री परिवार विवाह और दाम्पत्य आदि संस्थाओं की सीमाओं और रूढ़ियों में कैद रही है। विवाह के बाद स्त्री अपनी अस्मिता खो देती है, उसका नाम बदल जाता है, उसके नाम के साथ पति के कुल गोत्र और जाति का नाम जुड़ जाता है। समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जा प्राप्त है। समाज का ढांचा पुरूष प्रधान द्वारा निर्मित है जो स्त्री को गुलामी का जीवन देने के लिए बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में तो यह स्थिति तो और भयावह है। गाँव में रहने वाली स्त्रियाँ अधिकांशतः अशिक्षित होती है। इस कारण अपने होने वाले शोषण को भी वे नहीं जानती। गाँव की स्त्रियों का शोषण दो तरफा होता है– उन परिवार की आरे से और समाज की ओर से।

आधुनिक युग में हमारे समाज में ऐसे पुरूषों की कमी नहीं है जो पत्नी को केवल शोभा की वस्तु समझते हैं। उसकी रोटी, कपड़ा, मकान आदि बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। 'हमारे खानदान में औरतें नौकरी नहीं करती' जैसे नकली जुमले के सहारे इन औरतों को नौकरी कर आत्मनिर्भर होने से रोका जाता है। और उन पर मनचाहा जुल्म ढ़ाहा जाता है। उन्हें घर की कालकोठरी में हमेशा के लिए बन्द कर दिया जाता है। उनके समूचे व्यक्तित्व को नकारकर उसमें केवल समर्पण भावना को कूट–कूट कर भर दिया जाता है। काम–काजी विधवा अथवा परित्यक्ता स्त्रियों की समस्या

विवाहित अथवा परिवार वाली स्त्रियों से भिन्न होती है। डॉ0 घनश्याम दास मूतड़ा के अनुसार 'सबसे दयनीय परित्यकता होती है। इनके पास न भूतकाल की सुखद स्मृतियाँ हैं न भविष्य की स्पष्टता। पति द्वारा छोड़ी गयी यह नारी अपमान को झेलते हुए जीवित रहती हैं। पुनश्च विवाह करके अब वह कोई खतरा उठाना नहीं चाहती।[1]

वर्तमान युग में स्त्री–पुरूष के पारस्परिक संबंधों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। नैतिकता–बोध, मूल्य दृष्टि और जीवन परिस्थितियां बदल जाने से नर–नारी संबंधों में परिवर्तन आना सहज संभावी था। यह परिवर्तन विवाह और विवाहेतर प्रेम–संबंधों, दोनों में दिखाई है। नारी जब रोजी–रोटी की तलाश में अपनी घर की चारदीवारी की लक्ष्मण रेखा को लांघकर आई तो उसकी जीवन–स्थितियों में बहुत अंतर आ गया।[2] घर से बाहर आकर वह एकाधिक पुरूषों के संपर्क में आई और अब तक पुरूष जिस विवाहेतर प्रेम को मात्र अपना अधिकार समझता था, वह स्त्री की पहुंच में भी आ गया। यदि नारी घर में पति से संतुष्ट नहीं है या वह विवाहित नहीं है अथवा उसके विवाह को किसी न किसी कारण से टाला जाता रहा है तो उसके पास एक स्वाभाविक आधार था कि वह किसी पुरूष की ओर आकर्षित हो अथवा जिस प्रकार पुरूष अपनी भ्रमर–वृत्ति से एकाधिक पत्नियों या प्रेमिकाओं से प्रेमालाप कर सकता था, उसी प्रकार नारी किसी भी पुरूष या एकाधिक पुरूषों से प्रेम–संबंध स्थापित कर सकती है।

नैतिकता के नए बोध ने यौन–शुचिता की धारणा को मंजित कर काम को मात्र एक दैहिक, जैविक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा। इस दृष्टि से प्रेम और विवाह की परंपरागत अवधारणाओं को समाप्त कर दिया। नारी ने जो स्वतंत्रता आर्थिक दृष्टि से प्राप्त की, समकालीन कहानी में स्त्री–पुरूष के इन बदलते संबंधों पर बहुत अधिक लिखा गया। विवाह और प्रेम की विविध और सूक्ष्मातिसूक्ष्म समस्याएं और स्थितियां समकालीन कहानीकारों ने चित्रित की। कलाकार की प्रेम और विवाह की स्थितियों के चित्रण में भी वह यथार्थपरक दृष्टि ही प्रधान रही। विवाह या प्रेम में रोमानी आदर्शों को निभाने का आग्रह यहाँ नहीं है अपितु वास्तविक जीवन–स्थितियों को रेखांकित करने का ईमानदार सफल प्रयत्न हुआ।

कहानी में प्रेम–चित्रण को इस प्रवृत्ति ने एक सर्वथा नूतन आयाम प्रदान किया।

नारी की जीवन परिस्थितियों में आज काफी दृष्टिगोचर परिवर्तन होता है। आज नारी का एक नया व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। वह पहले से अधिक सक्रिय और सजग दिखाई देती है। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण उसकी मानसिकता पूर्णतः बदल चुकी है। उसने स्वतंत्र दृष्टि से चिंतन करना प्रारम्भ कर दिया है। इसके बावजूद भारतीय समाज में नारी के प्रति अनेक वर्जनाएँ अभी भी विद्यमान हैं। जिनसे मुक्त होने का नारी भरसक प्रयत्न कर रही है परन्तु उसकी नवीन मुक्त जीवन–प्रणाली समाज में व्याप्त रूढ़ियों और जटिल संस्कारों से बाधित हो रही हैं। उसका संघर्ष अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की तलाश में आज भी जारी है।

नारी समस्या हमारे समाज में आज भी अपने निष्क्रिस्टतम् स्वरूप में विद्यमान हैं। दहेज–प्रथा, बाल–विवाह, अनमेल विवाह, लड़की को बोझ समझना, कन्या भ्रूण हत्या, भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, विधवा स्त्री का शोषण, बलात्कार परिवार एवं कार्यालयों में शोषण, मारपीट एवं चारदीवारी तक सीमित रहने जैसे अंधविश्वास आज भी वैसे ही हैं। महानगरों में जिन पढ़ी–लिखी महिलाओं ने नौकरी और व्यवसाय को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाकर घर की चारदीवारी छोड़ी हैं वे बाहर आकर पुरूष की मानसिकता को देख रही हैं कि उनकी दृष्टि में स्त्री आज भी वैसी ही यौन रूपा है जिसका भोग उनके जीवन की सार्थकता है। जितना परिवर्तन और विकास के दावे–सत्री के जीवन में हुए हों लेकिन स्त्री के प्रति पुरूष की दृष्टि आज भी वहीं की वहीं है। घर और बाहर शिक्षित स्त्रियाँ भी इन दोनों स्थानों पर पिसकर कोई स्वतंत्र पहचान नहीं बना पा रही हैं। इस संदर्भ में अनामिका कहती है कि– ''एक खास तरह का सह–अस्तित्व भी कोई असंभव स्थिति नहीं बस एक अलग तरह का सच है, इस सदी का सच या तीन बच्चे हो सकते हैं तो दो या तीन प्रियजन क्यों नहीं हो सकते?''[3]

आधुनिक नारी का व्यक्तित्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उससे भिन्न–भिन्न व्यक्तित्वों की माँग के कारण खंडित होने लगा है। दोहरे स्तर पर जीवन जीने के लिए विवश नारी की नैसर्गिक सरलता और

सहजता लुप्त होने लगी है। एक मानसिक तनाव के मकड़ जाल से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही है। इस संदर्भ में अलका सरावगी का कथन इस प्रकार है– ''ऐ औरत, तूने जब भी किसी भी कोने में पुरूष से अलग अपना कुछ बनाया है, तो तुझे उसकी कीमत देनी पड़ी है। लेकिन... तुम इस 'अपने' पैसे की, जो कभी तुम्हारा नहीं था और न कभी तुम्हारे हाथ में था, आखिर कितनी कीमत चुकाओगी?''[4]

स्वयं को आज नारी कितनी भी स्वतंत्र एवं उन्नत कर ले पर स्वयं को रूढ़ एवं परम्पराओं के जाल से मुक्त नहीं कर पायी है। यह संघर्ष नारी के जन्म से ही शुरू होता है और जीवन पर्यन्त चलता रहता है। लड़के और लड़की के जन्म से ही सामाजिक तथा पारिवारिक दोनों स्तरों पर भेद किया जाता है। यह भेद आज के समय में भयावह रूप ले रहा है। और धीरे–धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लड़के और लड़की में भेद केवल लिंग के आधार पर ही नहीं अपितु पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षा के स्तर पर भी किया जाता है।

आज नारी पुराने रूढ़ियों को तोड़कर अपने जीवन के अनुकूल नये मानदंडों का निर्माण कर अपने विकास की नयी भावभूमि तलाशने लगी है। स्त्री भी पुरूषों की भाँति समाज में अपनी स्वायत्तता स्थापित करना चाहती है। नारी रूढ़िवादी सामाजिक संस्कारों के प्रति सजग हों इन्हें स्वीकारने से मना कर रही है। पर इस चेतना को परूष प्रधान समाज स्वीकार नहीं कर पाता।

वस्तुतः हर समाज और धर्म में नारी के लिए एक नरक रचा गया है जिसमें जीने के लिए वह अभिशप्त है। मर्यादायें, मूल्य और आदर्श सब को सहेजने की जिम्मेंदारी इसी के ऊपर डाल दी गयी है। इस सम्बन्ध में जैसे ही वह विफल होती है उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता है। सदियों से सारे धर्म एवं धर्मशास्त्र उसे नारी के रूप में जन्म लेने का दंड देते आ रहे हैं जन्म से पूर्व ही उसे मार डालने के षड़यन्त्र रचे जाते हैं।

आज समाज में नारी इस बहुस्तरीय जटिल संघर्ष को झेल रही है इस संघर्ष में उसके विरूद्ध पुरूष, पुरूष और उसका अहंकार की मानसिकता, पुरूष की जैविक हवस ही नहीं बल्कि उसकी सशक्त प्रतिबन्धी के रूप में औरत स्वयं भी है। गुलामी को एक सुख की तरह समझती औरत, लुभावने और मोहक विशेषणों से ठगी हुई औरत, सदियों

के संस्कारों से जड़ी–मड़ी औरत, उन्हें मूल्य आदर्श के रूप में छाती से चिपकायी हुयी औरत, और जब औरत ही सामने हो, तो लड़ाई औरत को खुद अपने से लड़नी होती है। उसे अपनी आत्ममुग्धता और आत्मछलना से लड़ना है। अपने भीतर विद्यमान सदियों की संस्कारबद्धता से लड़ना है। आज नारी की त्रासदी एवं असुरक्षा के मूल में उसका नारी देह है।

पुरूष द्वारा बनायी गयीं सीमाओं, मर्यादाओं और मान्यताओं का पालन जब तक स्त्री करती रहती है, तब तक वह 'देवी' है। पर ज्यों ही वह अपने व्यक्तित्व को उभारना चाहती हैं, 'मुक्त और स्वतंत्र' होना चाहती है, त्यों ही वह कुलटा करार दी जाती है, क्योंकि इससे पुरूष निर्मित ढ़ाचा चरमदाता हैं। पुरूष समाज स्त्री को देवी के पद पर आसीन करता है या फिर उसे कुलटा घोषित करता है। मनुष्य बनने का अधिकार उसे नहीं है। एक निर्बल स्त्री सामाजिक नियमों को तोड़ने का साहस कर सकती हैं, समाज के रहनुमा सपने में भी ऐसी आशा नहीं कर सकते।

आज पुरूष अपने को प्रगतिशील घोषित कर रहा हैं। पर अब भी उसे स्त्री की स्वच्छन्दता रास नहीं आती। इसी कारण अब भी हमारा समाज विधवा विवाह को मान्यता नहीं दे पाया है। इब तो पुनः सतीप्रथा की बात की जा रही है और भारत को पुनः मध्ययुग में खींच ले जाने की कोशिश की जा रही है। स्त्री से अपने सम्बन्धों के सन्दर्भ में अधिकांश भारतीय आज भी मध्य युग में जी रहे हैं। भारतीय परिवार, विवाह–संस्था और पति–पत्नी सम्बन्ध से विचलन घातक माना गया है। 'लिव इन रिलेशन', विवाहेतर सम्बन्ध आदि सम्बन्धों की त्रासदी दिखाकर इसे पूरी तरह नकार दिया गया हैं वस्तुतः स्त्री का अपना वजूद उसकी दृढ़ता और आत्म–निर्णय पर कायम है। जो उसे पुरूष के वर्चस्व से मुक्त होकर ही हासिल हो सकता है। अधिकांश लड़कियाँ अपने से अयोग्य लड़कों से ब्याह रचाकर और अपने को मारकर जिन्दा रहती हैं, पर जो उसे तोड़कर बाहर निकल आती है, उन्हें कदम–कदम पर अपनों से, परायों से, परिवार से, समाज से, मित्रों से, सहपाठियों से, सहकम्रियों से लड़ते रहना पड़ता है। क्योंकि स्त्री अगर पुरूष का मुकाबला करने चलेगी तो उसे लड़ना तो पड़ेगा ही।

नारी शोषण की समस्या अशिक्षा–अज्ञानता और अधीनता के अंधकार युग से शिक्षा और जागृति और समानता के प्रकाश पुंज में आने के पश्चात् भी मुँह बाए खड़ी है। स्वतंत्रता हेतु आवश्यक है आत्मनिर्भरता और वह भी आर्थिक आत्मनिर्भरता। आज नारी ने अपने दलित–शोषित रूप को उतार फेंका है, नारी जागृति के साथ–साथ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी अंतर आया है। आर्थिक दृष्टि से आज वह स्वावलंबिनी बनकर पुरूषों के समक्ष अधिकार माँगती हैं आज वस्तुतः नारी आधुनिक शिक्षा का प्रभाव पड़ने के कारण स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर रही है। वह सामाजिक रूढ़ियों–कुरीतियों की अवहेलना कर आगे बढ़ती जा रही है। वह अन्याय को मौन रहकर सहना पसंद नहीं करती अपितु वह उन्नति चाहती है, परिवर्तन की आकांक्षी है पर हमारे समाज में पुरूष मुक्त एवं नारी बंद है।

अतीत से लेकर आज तक नारी कुछ अपवादों को छोड़कर, पुरूष की दृष्टि में उपेक्षणीय है। उसके सौंदर्य को पुरूषों ने भोग की वस्तु एवं उसके अस्तित्व को मायारूप समझा। मिथलेश कुमारी मिश्र इस सम्बन्ध में कहती हैं कि– ''मैं नारी हूँ और यह विश्वास करो कि मृत्यु शैय्या पर पड़ी नारी भी कलंक का पात्र हो सकती है। इसलिए तुम स्वयं विचार कर देख लो कि सर्वनाश से बाल–बाल बचने के लिए मुझे इसी वैराग्य ने कवच पहनाया, इसी गेरूए ने यौवन को अपने अंक में छिपा लिया। सोचों इस भेष में भी पुरूष वर्ग फब्तियाँ कसने से नहीं छोड़ता, फिर यदि मैं सबकी तरह रही होती तो आज क्या होता।''[5]

आज की कहानी में अत्यन्त सूक्ष्मता और प्रमाणिकता के साथ स्त्री–पुरूष सम्बन्धों के विविध स्तरों को सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। सेक्स के नाम पर 'बोल्ड' कहानियाँ बतौर फैंशन के लिखने की प्रवृत्ति आज समाप्त प्रायः हो चली है। आज स्त्री–पुरूष सम्बन्धों के अनाम भावनाओं, अनछूए प्रसंगों एवं सूक्षम से सूक्ष्म स्तरों को जिन रूपों में कहानी में वाणी मिली है उसे हिन्दी कहानी की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है।

हमारे परिवर्तित सामाजिक परिवेश के कारण ही आज कहानीकार स्त्री–पुरूष सम्बन्धों के विविध स्तरों को अपने कहानियों में प्रस्तुत कर रहा है। आज स्त्री और पुरूष शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार से सामाजिक

रूप में एक–दूसरे के बहुत अधिक समीप आ रहे हैं। पहले शिक्षा प्राप्त करते समय स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में, फिर शिक्षा प्राप्त करते समय स्कूल, कॉलेज, विश्विविद्यालयों, दफ्तरों, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दफ्तरों, बैंकों आदि में एक साथ काम करते हुए लड़के–लड़कियाँ एक दूसरे के संपर्क के अधिकाधिक अवसर पा रहे हैं।

अब से दो–तीन दशक पूर्व स्कूल, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में लड़कियां जाती भी थीं तो प्रायः उन्हें अभिभावकों या नौकरों की 'चौकीदारी' में छोड़ने और फिर लेने जाया जाता था, लेकिन आज इसके ठीक विपरीत है, आज कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बिल्कुल फर्क देखने को मिल रहा है। बिना किसी संकोच के जींस और टॉप से लेकर अनेक प्रकार के नए फैशनों में सजे–धजे लड़के–लड़कियों के झुंड किसी भी पेड़ के नीचे अथवा रेस्तरां, काफी हाउस की मेजों पर गप करते देखे जा सकते है। इस प्रकार बातचीत करते हुए इनमें यह बोध नहीं है कि वे किसी प्रकार अपने चिरत्र–स्तर को निम्न कर रहे हैं, जब लड़के परस्पर बातचीत कर सकते हैं तो लड़के–लड़कियां क्यों नहीं, वे भी तो सहपाठी हैं।

जिस तरह परस्पर लड़के–लड़कियों के बात करने मात्र को अनुचित समझा जाता था, वह स्थिति आज नहीं रहीं। महानगरों में इस बातचीत की स्थिति से आगे बढ़कर 'डिस्कोथे' और 'डैटिंग' तक बात पहुंचने लगी। यदि किसी भी रूप में पारंपरिक दृष्टिकोण वाले अभिभावक इन छात्र–छात्राओं की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं तो या तो उसके प्रति विद्रोह क्रियात्मक रूप ले लेता है या फिर दबे–छिपे ही नहीं पीढ़ी का आक्रोश सुलगता रहता है। विभिन्न दफ्तरों और दफ्तरों तक पहुँचाने वाली सवारियों– बस, ट्राम, रेल आदि में अत्यन्त सहज भाव से स्त्री–पुरूष एक–दूसरे के संपर्क में आते हैं।

इस संपर्क का एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि स्त्री–पुरूष के बीच हुई कोई भी बातचीत केवल प्रेम या एक–दूसरे के प्रति आकर्षण की ही संज्ञा पाए, यह स्थिति अब समाप्त हो गई हैं अब नारी 'छुई–मुई' की स्थिति से उबर सकी है। पुरूष भी अपने को अब अधिक 'दिल–फेंक' स्थिति में नहीं पाता है। यदि कोई महिला बस, ट्रेन, दफ्तर, कॉलेज,

आदि में किसी भी प्रकार की थोड़ी–सी भी सहायता मांगती है तो पुरूष उसका अतिरिक्त अर्थ समझने की मूर्खता नहीं करता है।

अब यह संपर्क अधिक यथार्थ, प्रकृत (अनरोमैंटिक) धरातल प्राप्त कर गया है। इसलिए आज स्त्री–पुरूष के काम और प्रेम–संबंधों को अधिक ठोस और व्यावहारिक धरातल प्राप्त हो गया है। अधिकाधिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार से यह स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ होती चली गई है। नारी का हीनता भाव आज पुरूष की तुलना में प्रायः लुप्त होता जा रहा है।

आज लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में योग्यता–सूची ('मैरिट–लिस्ट') में अधिक आ रही हैं। उनके परिणाम अखिल भारतीय सेवाओं में भी और उपलब्धियां कुछ कम गौरवपूर्ण नहीं है। इससे योग्यता के स्तर पर लड़कियों का हीनताबोध समाप्त प्रायः है। नारी अपनी योग्यता की छाप विभिन्न प्रशासनिक पदों, कार्यालयों, चिकित्सा–क्षेत्र आदि में भी आज सबसे आगे है। ये सब स्थितियां स्त्री–पुरूष के संपर्क को एक बहुत स्वाभाविक समानता का आधार प्रदान कर रही हैं। यहाँ इस तथ्य को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा रहा है कि इतना सब होते हुए भी देश की संसद और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में आए दिन स्त्रियों पर हुए अत्याचार, बलात्कार आदि के प्रश्न उठाए जाते हैं।

ये तो मानवीय व्यवहार की असामनताएं ('एबनारमलटीज') है, जो शिक्षा के प्रसार से ही दूर हो सकती है। स्त्री–पुरूष संबंधों का वर्णन कहानी में जिस वर्ग का और जिस कलाकार के द्वारा हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि स्त्री–पुरूष संबंधों का यह प्राकृत आधार ही है कि वे प्रत्येक दृष्टि से समान हैं। आज वे एक–दूसरे के लिए 'हउआ' या 'अजूबा' नहीं रह गए हैं, एक–दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने–पहचानने वाले सामाजिक प्राणी हैं।

समाज की स्त्री–पुरूष संबंधों के संदर्भ में बदली हुई परिस्थितियों का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आज ज्ञान–विज्ञान का क्षितिज अत्यंत विस्तृत होकर यह ज्ञान–विज्ञान सामान्य मनुष्य की पहुंच में है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए गर्भ–निरोध के साधनों का आविष्कार ही नहीं, उनकी पहुँचने ने सामान्य जनता तक

स्त्री–पुरूष के संबंधों को एक नई भूमिका प्रदान की है। जन–संपर्क के विविध साधनों ने दिल्ली जैसे महानगरों की बसों, समस्त नगरों के सार्वजनिक स्थानों, रेडियो, टी.वी. आदि के माध्यम से 'निरोध' के प्रचार–प्रसार को बीड़ी–सिगरेट जैसी सामान्य–वस्तु बना दिया है। आज गर्भ निरोध की चर्चा कोई पाप–बोध या वर्जना–भाव लिए हुए नहीं है, वह बातचीत का सामान्य विषय बन गया है।

आयातित हिप्पी संस्कृति ने अमेरिका जैसे देशों से इस यौन स्वच्छंदता के दर्शन को नवयुवकों में विशेष लोकप्रिय बनाया। मानसिक शांति की खोज में धर्म के अनेक मठाधीश, 'नव–भगवान' भी साधना के नाम पर यौन–सुख की संस्कृति विकसित कर रहे हैं। पश्चिम के 'वीमेन लिब' जैसे आंदोलन, क्लब–संस्कृति, ब्ल्यू फिल्म्स, हिन्दी–सिनेमा तथा अन्य कामोत्तेजक साहित्य आदि ने आज एक नई यौन–नैतिकता का प्रचारित किया है, जिसमें देह–सुख ही चरम लक्ष्य है। आज कहानी पर भी इन सब स्थितियों का प्रभाव पड़ा है। बिना किसी संकोच के कहानी में काम–संबंधों की चर्चा इस नई यौन–नैतिकता के धरातल पर ही की गई है, किंतु यहां 'अकहानी' के कथाकारों के समान चटखारे लेकर ये काम–संबंध वर्णित नहीं हुए, अपितु कलाकार ने जीवन–अनुभव के अंग रूप में इनका चित्रण किया है। इन अनुभवों के चित्रण में कोई निषेध भाव या झिझक पुरूष अथवा महिला कथाकारों में नहीं है। इन यौन–अनुभवों को पूरी निस्संगता से, उन्हें कुत्सित या अश्लील बनाए बिना, कहानीकार ने अपनी लेखन का विषय बनाया है।

सामाजिक परिदृश्य को नारी–शिक्षा बहुत द्रुत गति से बदला है। नारी ने आज घर–परिवार की लक्ष्मण–रेखा को पार कर, चौके–चूल्हे की घुटन को छोड़कर सभी पुरूष–क्षेत्रों में समानता के स्तर पर पदार्पण किया। इससे जहाँ एक ओर वह पुरूषों के अधिकाधिक संपर्क में आई है, उसका युग–युग से अभिवेदित अबला रूप भी समाप्त हो गया। नारी का व्यक्तित्व पुरूष क्षेत्रों में पदार्पण के साथ आज तेजोदीप्त है। ब्रह्म–समाज से लेकर आर्य–समाज जैसे विविध समाज–सुधार आंदोलनों एवं आधुनिक शिक्षा ने भी उसे यहाँ तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार आज नारी 'बेचारी' नहीं रह गई है, वह किसी भी प्रकार की संघर्षशील स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर है। नौकरीपेशा होने से

जहाँ उसे आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन प्राप्त हुआ, इस स्थिति ने उसे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक बनाया। आज वह अपने दयनीय स्थिति को भाग्य का विधान अथवा समाज की देन या पति परमेश्वर का वरदान स्वीकार करने को तैयार नहीं। पुरूष को खुली चुनौती देकर आज वह उन दुहरें प्रतिमानों पर प्रहार करती है, जहाँ स्त्री और पुरूष के लिए पुरूष–नियंत्रित समान और व्यवसाि ने अलग–अलग बटखरे बनाए हैं ंयह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर प्रत्येक शोषण का सामाजिक और कानूनी स्तर पर विरोध करती है। इस प्रकार स्त्री को आर्थिक सुरक्षा, अपने पैरों पर खड़े होने के बल ने पुरूष नियंत्रित समाज और व्यवस्था की प्रत्येक चुनौती का सामना करने में योग्य बनाया है। नारी को भारतीय इतिहास के सिर्फ इस युग में ही सामाजिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो सकी है।

इस बदलाव में सामाजिक परिवेश का यह परिणाम हुआ कि स्त्री–पुरूष संबंधें के सूक्षम से सूक्षम स्तर, मानव–मन की पर्तों की गहराई और नई से नई अनुछुई अनुभूतियों, अनछुए कोने–अंतर, बड़ी बेबाकी से कहानी में आईं। इस क्षेत्र में महिला कथाकारों को पुरूष कथाकारों से अधिक सफलता मिली है। इसका एक सबसे महत्वूपर्ण कारण यह है कि अब नारी–मन को स्त्री की दृष्टि से नहीं देखा गया था। नारी–मन को पुरूष कथाकार अपनी ही दृष्टि से कल्पित कर गढ़ी हुई कहानियां लिख रहे थे। उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती और नई कहानी के दौर की मन्नू भंडारी की कहानियों ने इस ओर पहल कर दी थी, किंतु दांपत्य और प्रेम की बारीकियों को सूक्ष्मता से अभिव्यंजित करने का श्रेय समकालीन कहानी के महिला–कथा–लेखन को ही है। नारी अनेक सामाजिक दबावों से जीवन में भी जिन अनुभूतियों को अभिव्यक्ति नहीं दे पाई, उन्हें कहानी में अभिव्यक्ति मिली है। आठवें दशक में रचना–प्रवृत्त नई और पुरानी कथा–लेखिकाओं की कहानियों में दांपत्य और प्रेम के एक से एक नए, सर्वथा अनछुए कोण और अनाम संबंध सामने आए हैं। अनेक कथा–पत्रिकाओं में ताजी से ताजी कहानी से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री–पुरूष संबंधों के दायरे में इतनी अधिक कहानियां लिखे जाने के बाद भी अभी कहने के लिए कितना कुछ पड़ा है, जिसे विशेषतः महिला कथा–लेकिखकाएँ ही अवाज दे सकती हैं।

सन्दर्भ–

1. घनश्याम दास भूतड़ा–समकालीन हिन्दी कहानियों में नारी के विविध रूप, पृष्ठ 110–111
2. द्रष्टव्य : प्रतिमा कपूर, 'भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएं'।
3. अवांतर कथा, अनामिका (नारी का उपन्यास बनाम उपन्यास की नारी, वीरेन्द्र यादव, आलोचना, पृ0सं0 78)
4. शेष कादम्बरी, अलका सरावगी, पृ0 78 (नारी का उपन्यास बनाम उपन्यास की नारी, वीरेन्द्र यादव, आलोचना, पृ0सं0 18)
5. डा. मिथलेश कुमारी मिश्र, पृ0सं0 29–30 (वैरागिनी नारी का उपन्यास बनाम उपन्यास की नारी, यादव, आलोचना, पृ0सं0 18)

अरूण कुमार वर्मा
शोध–छात्र, (नेट) हिन्दी विभाग
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की आध्यत्मिक मीमांसा

– अच्छेलाल यादव

मानव का सामाजिक मनोविज्ञान : – समाज का एक मनोवैज्ञानिक आधार है जो बहुत कुछ नैसर्गिक है। अरविन्द ने मानव समाज के विकास के सोपानों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया है। उनके अनुसार समाज का विकास मानवों का ही सामूहिक विकास है और मानव का विकास मनोवैज्ञानिक विकास है। अरविन्द के शब्दों में इस विकास में अज्ञान की क्रियाओं पूर्ण रूप से ज्ञान की क्रियाओं में परिवर्तित हो जाती है। आरोहण का आरम्भ अचेतनता से होता है। उसका मध्य अज्ञान है और लक्ष्य ज्ञान है।[1] मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' अरस्तु के इस कथन को सामान्यतः प्राचीनकाल से लेकर अब तक के सभी विचारक स्वीकार करते हैं। प्रश्न उठता है कि मानव के शारीरिक व मानसिक रचना विधान का उसके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

सामाजिकता मानवता का अविभाज्य अंग है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही समाज का स्वतः सदस्य बन जाता है। ऐसा कहना उसके लिए अपरिहार्य है। यह सत्य है कि सामान्यतः व्यक्ति अपने रक्त सम्बन्धियों पर अधिक विश्वास करता है परन्तु परिवार के सीमित क्षेत्रों के भीतर ही उसके जीवन के महान उद्देश्यों की परिपूर्ति सम्भव नहीं है। अतएव पारस्परिक सहयोग का क्रम दिन–प्रतिदिन अपेक्षित होकर विकसित होता है और वह उनके समुदायों से बढ़कर विश्व समाज तक पहुँच जाता है।[2]

भौतिकवादी दृष्टि हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि भारतीय जीवन दर्शन दोनों प्रकार की विचार पद्धति को ही एकांकी कहता है और एक समन्वित मार्ग प्रस्तुत करता है जिसके अन्तर्गत मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों प्रकार के विकास को अभीष्ट माना गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था एवं पुरूषार्थ व्यवस्था इसी समन्वयवादी प्रवृत्ति के परिणाम है। दीनदयाल का समाजशास्त्रीय चिन्तन इसी विशिष्ट संस्कृतिवाद का संरक्षक एवं पोषक है।[3]

दीनदयाल के विचारानुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के पूर्व हमारे लिए एक और विषय पर विचार कर लेना आवश्यक है। यद्यपि

संसार की प्रत्येक वस्तु व्यवस्था एवं दर्शन के केन्द्र में मनुष्य है, परन्तु वह अकेला नहीं है, प्रस्तुत इसके साथ अन्य चेतन एवं अचेतन वस्तुएं वृक्ष, तारे नक्षत्र आदि भी है अतएव किसी भी व्यवस्था को कृति रूप देते समय हमें इन सभी का संकलित विचार करना होगा, इसके अभाव में कोई भी व्यवस्था चिरंजीवी नहीं हो सकेगी।[4]

पं0 दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन में पूर्ण मानव की अवधारण में सुख सम्प्रत्यय– मानववादी दार्शनिकों के अनुसार एकात्म मानववाद वह दर्शन है जो कि मानववाद को एकात्मकता के मूलतत्व पर आधारित करता है। एकात्म मानववाद के अनुसार हमारा लक्ष्य इहलोक में व्यक्तिगत, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति है। यह इहलोकवादी दर्शन है। इसके अनुसार मानव का लक्ष्य व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सत्यम् शिवम् सुन्दरम् के मूल्यों का साक्षात्कार करना है। मानव प्रगति की योजना बनाते समय एकात्म मानववाद केवल व्यक्तिगत व राष्ट्रीय जीवन पर दृष्टि रखता है। समस्त मानव समाज के कल्याण का यह आदर्श राष्ट्रीय कल्याण का निषेध न होकर उसका पूरक है। अरस्तु एकात्म मानववादी दृष्टिकोण व्यक्ति, समाज, परिवार व समस्त मानव के क्रमशः बढ़ते हुए दायरों में प्रभावशाली होता है।

एकात्म मानववाद अत्यन्त व्यापक व गतिशील दृष्टिकोण है। एकात्मवादी दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय दर्शन में जगत के विभिन्न तत्वों कें अन्तर्गत एक तत्व पर जोर दिया गया है। जहाँ सांख्य दर्शन एवं गीता में प्रकृति पुरूष की परस्पर पूरकता व एकात्मकता से सृष्टि की उत्पत्ति होती है वहीं शंकर का वेदान्त दर्शन अद्वैत का संदेश देता है।

चार्वाक जैसे दर्शनों के अपवाद को छोड़ दे तो प्राचीन वेदों उपनिषदों के दार्शनिकों से लेकर समकालीन भारतीय दार्शनिकों जैसे–रवीन्द्र नाथ टैगोर, श्री रामकृष्णा परमहंस, विवेकानन्द, गॉधी जैसे प्रमुख दार्शनिकों के विचारों में यह एकात्मवादी दृष्टिकोण दिखयी देता है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही समकालीन दार्शनिक है जिन्होनें अपने दर्शन में एकात्मक सृष्टि की अवधारणा प्रस्तुत की। जिसके अनुसार मानव परिवार से जुड़ा है, परिवार समुदाय से, एक दूसरे के पूरक है। कहीं भी संघर्ष नहीं है सृष्टि में संघर्ष को देखना दृष्टिकोण है, अज्ञान है।

अपने इस दर्शन को आधार मानते हुए उन्होनें राजनीतिक ,सामाजिक तथा आर्थिक चिन्तन प्रस्तुत किया है किन्तु इस एकात्म मानव के दर्शन का केन्द्र पूर्णमानव है।

दीनदयाल उपाध्याय न मानव की मूल प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं का सूक्ष्मतम अध्ययन किया तथा उनकी श्रेष्ठतम प्राप्ति का विचार करके पूर्णमानव कल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार मानव स्वभावतः सुख चाहते है और केवल मानव ही नही अन्य प्राणी भी सुख के लिए कियाएं करते ह।[5]

दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्ति के लिए चार प्रकार के सुखों तथा शारीरिक सुख मानसिक सुख बौद्धिक सुख और आत्मिक सुख की आवश्यकता को स्वीकार किया है। दीनदयाल के अनुसार मनुष्य सुख चाहता है किन्तु उसकी सुख की कल्पना प्रायः एकांकी होती है। उसका सुख मात्र उपभोक्तावाद में सिमट गया है। उसकी यही भावना रहती है कि इन्द्रियों द्वारा मिलने वाला शारीरिक सुख ही सम्पूर्ण सुख है। परिणामतः मानव की दौड़ इसी प्रकार का सुख अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने की दिशा में चला करती है।

इस प्रकार एकात्म मानव दर्शन में उपाध्याय जी ने इन्द्रिय सुखों को प्राप्त करने की दौड़ को रोकने हेतु मन बुद्धि और आत्मा के सुखों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इस प्रकार एक या दो सुखों की प्राप्ति मानव की अपूर्णता है। वास्तविक सुखी वही व्यक्ति है जो चारों सुखों कोप्राप्त करता है। दीनदयाल उपाध्याय मानव सुखों की समग्रता की बात करते हुए प्रगति के साथ–साथ आध्यात्मिक उन्नति पर भी बल देते है।

दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा स्वार्थपूर्ण नहीं है। यह सुख समाज का भी है क्योंकि सम्यक सुख की प्राप्ति बगैर समाज के सम्भव नहीं है। वे कहते है कि हम जो भोजन करते हैं वह केवल हमारे ही परिश्रम का फल नहीं है। अनेक बन्धओं काउसमें सहयोग है। रसेइये से लेकर दुकानदार, मजदूर, किसान आदि कितने ही लोग है जो हमारे सुख का कारण बने है। इतना ही नहीं समस्त सुखोपयोग के साधन हो और व्यक्ति अकेला हो तो वह दुःखी हो उठता है। चूंकि व्यक्ति के सारे सुख समाज के कारण ही सम्भव है इसलिए व्यक्ति के सुखों तथा समाज के सुखों की एकात्मकता आवश्यक हैं।

(यहाँ दीनदयाल जी अपने दर्शन को स्वार्थवाद से बचाकर परार्थवादी सिद्ध करते है।)[7]

पं0 दीनदयाल उपाध्याय की चतुर्विध सुख की अवधाारणा विकासात्मक है जो कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, भोग से योग की ओर तथा भौतिक से अभौतिक की ओर बढ़ती है। वे मानव का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि शारीरिक सुखों के लिए अनेक साधनों की जरूरत होती है। उनकी तुलना में मन, बुद्धि तथा आत्मा आदि सुखों के लिए उत्तरोत्तर कम साधनों की आवश्यकता होती है।

इन्द्रिय सुख क्षणिक होते है जबकि दूसरी श्रेणी के सुखों की परिधि दीर्धकाल तक होती है किन्तु फिर भी मानव वाह्मय सुखों की ओर दौडता है। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि शारीरिक सुखों की भूख अपने आप जागती है। जैसे समय होते ही भूख लगने लगती है। यौवन प्राप्त करते ही रति सुख का आकर्षण बढ़ता है। शरीर के थक जाने पर नींद रोके नहीं रूकती। इसी प्रकार मन, बुद्धि व आत्मा की भूख भी नैसर्गिक होती है किन्तु उसका बोध इतनी सरलता से नहीं होता । इस बोध को अध्ययन व संस्कार के द्वारा जागृत करना पड़ता है।[8]

प्रश्न है कि इन चतुर्विध सुखों की प्राप्ति का साधन क्या है? तथा जीवन का लक्ष्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जीवन दर्शन के अनुरूप चार पुरूषार्थों– धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष हैं। एकात्म मानव दर्शन में की गयी पुरूषार्थ की विवेचना, वेदों, उपनिषदों का अर्थ निरूपण मात्र न होकर सर्जनात्मक तथा नवीन है।[9]

दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार चारों पुरूषार्थ मानवता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर, मन बुद्धि व आत्मा चारों सुख मनुष्य के लिए आवश्यक है उसी प्रकार धर्म, अर्थ काम और मोक्ष पुरूषार्थ भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। वे कहते हैं– सुख प्राप्ति हेतु जिन साधनों को अपनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उन्हें हमारे यहाँ पुरूषार्थ कहा गया हैं। ये चारों पुरूषार्थ एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थ पुरूषार्थ शरीर के लिए धर्म पुरूषार्थ समाज के लिए काम पुरूषार्थ कामना के लिए और मोक्ष पुरूषार्थ आत्मा के लिए होता है। अर्थात् इन चारों पुरूषार्थ चतुष्टय की अगली कड़ी के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ने पूर्ण मानव की कल्पना की। पूर्ण मानव के प्रत्यय में वे यह बताना चाहते हैं

कि मानव केवल भौतिक ही नहीं होना चाहिए और न केवल बौद्धिक मात्र उसे आध्यात्मिकता सहित समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। इसी प्रकार उसे न केवल धार्मिक होना चाहिए और न मोक्षार्थी बल्कि अर्थ व काम को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। वे कहते हैं– व्यक्ति के शरीर, भूमि जल और उपभोग से **अर्थ पुरूषार्थ**, योगक्षेम मन की इच्छायें राष्ट्र का संकल्प और यज्ञभाग से **काम पुरूषार्थ**, बुद्धि राष्ट्र की परम्परायें, यज्ञभाग और शिक्षा इन चारों से **धर्म पुरूषार्थ,** तथा कर्म ,ज्ञान राष्ट्र के आदर्श व आत्मा से **मोक्ष पुरूषार्थ** बनता है।

ज्ञान, कर्म, भोग, यश एवं चारों पुरूषार्थो को मिलाकर पूर्ण मानव का विचार किया गया है। इस अवधारणा को सुन्दर शब्दों में रखते हुए श्री गुरू जी गोवलकर कहते हैं– समाज की आवधारणा का विचार करने वाला, समाज की व्यवस्था पर आँच न आये ऐसा गुणोत्कर्ष करने वाला समाज में विकृति न हो इस मात्रा में अर्थोपार्जन और कामोपभोग को मर्यादित करने वाला और संयमित एवं एकाग्र अनतःकरण से अपने मनोनुकूल किसी प्रकार की उपासना पद्धति का अवलम्ब कर चतुर्थ और अन्तिम लक्ष्य रूप मोक्ष पुरूषार्थ को प्राप्त करने का सतत् प्रयत्न वाला ही परिपूर्ण मानव है।[9]

एकात्म मानववाद का पूर्ण मानव फ्रेड्रिक नीत्शे के सुपरमैन (अतिमानव) से पूर्णतः भिन्न है। नीत्शे का अतिमानव शारीरिक दृष्टि से सबल है किन्तु मन, बुद्धि और अध्यात्म से उसका कोई वास्ता नहीं है। वह हिंसा प्रधान है तथा निर्बलों को नष्ट कर देता है। वह संघर्ष पर जीता है एवं उसके लिए संघर्ष आवश्यक है। वह आत्म केन्द्रित है किन्तु एकात्ममानव दर्शन का पूर्णमानवआत्मकेन्द्रित न होकर समष्टि केन्द्रित है। उसका शरीर मन, बुद्धि और आत्मा समाज के शरीर, मन बुद्धि व आत्मा से संयुक्त है। वह समष्टि की संरचना के साथ संयुक्त होकर मानवता तथा विश्व बन्धुत्व का जयघोष करता है।

उपाध्याय जी ने पूर्ण मानव को कर्मक्षेत्र में उसकी समस्त ऊर्जा और विकसित शक्तियों के साथ उतारा है। पूर्ण मानव उसकी वैचारिक शाक्ति का अलंकरण है। वह वीर है पर हिंसक नही सत्ताधारी है किन्तु परपीड़क नहीं वह मनीषी है पर हठवादी नहीं वह दयालु है पर दुर्बल नहीं, वह धार्मिक है पर सहिष्णु नहीं वह दाता है, पर अहंकारी नहीं वह

क्षमाशील है पर कायर नहीं।[10] उनका दर्शन विवेकानन्द, श्री अरविन्द, डॉ0 राधाकृष्णन, महात्मा गॉधी के दर्शन से ओत–प्रोत है। समाज सुधार के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द ने गरीबो को दरिद्र नारायण का नाम दिया तथा उनके देह को जीवित मन्दिर माना। गॉधी जी ने मानव सेवा को मोक्ष का साधन स्वीकार किया। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय ने भी "**नर सेवा नारायण सेवा** का आदर्श प्रस्तुत किया।"

इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय दार्शनिक मानव को आध्यात्मिक प्राणी मानते है और उसके विकास में आध्यात्मिकता के विकास को सबसे अधिक महत्व देते हैं किन्तु उन्होनें मानव प्रकृति के शारीरिक व मानसिक पहलुओं की कभी भी अवहेलना नहीं की है। उनके अनुसार सर्वाग विकास ही आध्यात्मिक विकास है। वे कठोरवादी व भोगवादी अतिवादी प्रवृत्तियों का निषेध किया है। दीनदयाल उपाध्याय ने आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक दृष्टिकोण से पूर्ण मानव की अवधारणा प्रस्तुत की।

सन्दर्भ गंथ सूची

1. शर्मा डॉ0 रामनाथ राष्ट्रद्रष्टा अरविन्द लोकहित प्रकाशन, लखनऊ पृष्ठ–22
2. ऋग्वेद 10/191/2, 4
3. नेने विनायक वासुदेव "पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, भाग–2 सुरूचि प्रकाशन नई दिल्ली (पृष्ठ–13)
4. नेने विनायक वासुदेव पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन भाग–2 सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली पृष्ठ 25
5. राष्ट जीवन की दिशा 'दीन दयाल उपाध्याय पृष्ठ–16
6. दीनदयाल विचार दर्शन खण्ड–2 पृष्ठ–26
7. दीनदयाल विचार दर्शन खण्ड–2, पृष्ठ–27
8. मध्य भारत पव पर्व– पुरूषार्थ चतुष्टय–पृष्ठ–290
9. राष्ट्रजीवन की दिशा पं0 दीनदयाल उपाध्याय–पृष्ठ 127
10. मध्य प्रदेश संदेश सितम्बर 92, पृष्ठ–13
11. राष्ट्र जीवन की दिशा पं0 दीनदयाल उपाध्याय पृष्ठ–192

अच्छेलाल यादव

पी0–एच0 डी0, दर्शनशास्त्र

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' में परिलक्षित मानवाधिकार की अवधारणा

– प्रमा द्विवेदी

अधिकार किए गए कर्तव्यों का अनुसरण करते हैं और मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए, जीवन मे विकास एवं उत्कर्ष के लिए प्राप्त होते हैं। 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की ऐतिहासिक, सार्वभौमिक घोषणा की गई थी जिसे सामान्यतः 'मानवता का महाधिकार पत्र' माना जाता है। इस अन्तर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक घोषणा का सुन्दर निरूपण संविधान की प्रस्तावना में है। प्रस्तावना का एक–एक षब्द मानव के मूलभूत अधिकारों और कर्त्तव्यों का गम्भीरतापूर्वक प्रतिष्ठापन करता है।[1] संवैधानिक रूप में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993–94 संख्या– 10, धारा–2(घ) के अनुसार–

मानवाधिकार से अभिप्राय संविधान द्वारा प्रत्याभूत तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सम्मिलित एवं भारत के न्यायालयों में प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता एवं गरिमा से है। भारत के मानवाधिकार भारत के वे मूलाधिकार हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने की गारण्टी भारतीय संविधान में दी गयी है। वे हैं– समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मानवाधिकार की अवधारणा अपेक्षाकृत नवीन है, परन्तु सभी भारतीयों के लिए यह राष्ट्रीय गर्व की बात है कि हमारे प्राचीन तथा अर्वाचीन संस्कृत ग्रन्थों में अवान्तर शब्दों में मानवाधिकारों के विचारों को सर्वोच्च महत्व दिया गया है।

महाकविकालीदास की विश्वप्रसिद्ध कृति 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' में जीवन का अधिकार– राजन्, आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः।[2] समानता का अधिकार– सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया।[3] शोषण के विरूद्ध अधिकार (अहिंसा)–क्वश्च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते[4] दृष्टिगत होता है। महर्षि कण्व ने जन्मदाता माता–पिता द्वारा परित्यक्ता कन्या शकुन्तला के भरण–पोषण, रक्षण, शिक्षण की सुव्यवस्था करके–उज्झितायाः शरीर संवर्धनादिभिस्तात काश्यपोऽस्याः पिता[5] तथा

उसके विवाह के निर्णय को सहर्ष स्वीकार करके– दिष्ट्याधूमाकुलित दृष्टेरपि राजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता[6] शिशु एवं वयस्क के सामाजिक संरक्षण के अधिकारों का भी सर्वथा पालन किया है।

प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक मूल्य समान होने के कारण सबको सम्मान सहित जीवन जीने एवं व्यक्तित्व विकास करने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। कालिदास वर्णाश्रमधर्म के प्रति आस्था रखते हुए सभी वर्णों के कर्मों को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार जन्मना प्राप्त कर्म निन्दित होने पर भी त्याज्य नहीं हैं– सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम्।[7] इस नाटक के प्रारम्भ में ही मंगलाचरण[8] में शिव की अष्टमूर्तियों का साक्षात्कार प्रकृति के भीतर कराकर पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संदेश दिया है। इन अष्टमूर्तियों में पृथ्वी, पावक, पवन, गगन और जल ये पांच तत्व मानव शरीर के उपादान ही हैं। अतः इन्होंने प्रत्येक मनुष्य में शिव स्वरूप का ही अवलोकन कराकर मानव को किसी भी प्रकार का विभेद नही करने की शिक्षा दी है।

मानवाधिकारों का सम्यक्रूपेण संरक्षण तभी हो सकता है जब प्रजा–हित को सर्वोपरि माना जाय। अभिज्ञानशाकुन्तलम् में यह भावना दृष्टिगत होती है, जहां कहा गया है कि राजा प्रजा का वास्तविक पिता होता है– प्रजाः प्रजा स्वा इव तन्त्रयित्वा।[9] प्रजा के कल्याण में लगे हुए राजा को विश्राम नहीं मिलता क्योंकि लोकतन्त्र का अधिकार विश्राम रहित होता है– अथवाऽविश्रमोऽयं लोकतंत्राधिकारः।[10] दुष्यन्त के राज्य में मानवाधिकार के सहज विकास के लिए सबको उपयुक्त परिवेश उपलब्ध है। वह उद्दण्ड एवं कुमार्गगामियों को उचित दण्ड देकर तत्क्षण नियंत्रित करते हैं।[11] परिणामतः उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कुपथगामी नहीं है –न कश्चिदवर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते।[12] मानवधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं चाहे उनका मूलवंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता के अनुरूप हैं तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए सहायक होते हैं। ये इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि मानव के भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते है। अधिकारों के बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता।[13] महर्षि कण्व के आश्रम में उनके निर्दशन में शिष्यगण शिक्षा

प्राप्त करते हुए अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शार्ङरव निरत थे। महर्षि कण्व के दो शिष्य शार्गंख तथा शारद्वत वृद्धा वापसी गौतमी के साथ शकुन्तला के हस्तिनापुर पहुॅचाने जाते हैं वहां दुष्यन्त के रूप में अस्वीकार किए जाने पर आश्रमवासी निर्भीकतापूर्वक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजा को धिक्कारने में भी पीछे नहीं हटे–

आजन्मनःशाठ्यमशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य।
पराति सन्धानमधीयते यैर्विधेति से सन्तु किलाप्तवचः।[14]

जब महर्षि कण्व शकुन्तला को हस्तिनापुर के लिए विदा कर रहे थे, तो उन्होंने शकुन्तला को राजभवन में सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार करने की शिक्षा दी, जो कर्त्तव्याधिकार के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध का उत्कृष्ट निदर्शन है। सपत्नियों से प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करने पर गृह में शान्ति बनी रहेगी और दास–दासियों के प्रति उदारता का व्यवहार करने से उनके अधिकारों की रक्षा होगी। वैसे भी मनुष्य के साथ मानववत् आचरण करना भारतीय संस्कृति की निजी विशिष्टता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौम घोषणा (1948) के अनुच्छेद 5 में भी यही कहा गया है कि किसी को भी शारीरिक यातना न दी जायगी और न किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा।[15] महर्षि कण्व शकुन्तला को शिक्षा देते हैं–

शुश्रूषस्व गुरून् कुरुप्रियसखीवृत्तिं सपत्नी जने
शर्तुर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपंगमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामा कुलस्याधयः।[16]

न केवल शकुन्तला अपितु दुष्यन्त को भेजे गए संदेश में भी महर्षि कण्व ने स्पष्ट शब्दों में नारी के अधिकारों को संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि, आप अपने उच्च कुल को स्मरण रखते हुए ऐसा आचरण करें, जिससे आपका उन्नत कुल कलंकित न होने पाए। साथ ही उन्होंने अपने संयम रूपी धन का कथन करके संकेत किया है कि अन्यथा आचरण करने पर आप हमारे तेज से संतप्त होंगे।[17]

परित्यक्ता शकुन्तला को मारीच के आश्रम में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिलता है और वह सम्मानपूर्वक अपने शिशु को जन्म देती है। दुष्यन्त के आश्रम में आने पर मारीच ऋषि शकुन्तला से कहते हैं कि

शाप के कारण स्मृति शक्ति से अवरुद्ध हो जाने से कठोर पति के द्वारा तुम्हारा परित्याग हुआ था। परन्तु अब से अपने पति पर तुम्हारा ही अधिकार होगा।[18] इस प्रकार भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ कण्वाश्रम एवं मारीचाश्रम में शकुन्तला एवं उसके पुत्र सर्वदमन को उनके अधिकारों की प्राप्ति हुई है।

वस्तुतः कर्त्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कालिदास ने दुर्वासा के शाप की उद्भावना करके यही शिक्षा दी है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्त्तव्य–धर्म को सम्पादित करें। क्योंकि कर्त्तव्य–संपादन से मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण संभव है।

सन्दर्भ सूची –

1. डा. कृष्ण मोहन माथुर, स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानवाधिकार, पृ0 14
2. डा. कपिलदेव द्विवेदी, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 2014, पृ0 सं0 – 25
3. वही, 4.17, पृ0 सं0 –227
4. वही, 4.11, पृ0 सं0 –26
5. वही, प्रथम अंक, पृ0 सं0 –71
6. वही, चतुर्थ अंक, पृ0 सं0 –197
7. वही, 6.1, पृ0 सं0 –308
8. वही, 1.1, पृ0 सं0 –1
9. वही, 4.17, पृ0 सं0 –227
10. वही, पंचम अध्याय, पृ0 सं0 –249
11. वही, 5.8, पृ0 सं0 –257
12. वही, 5.10, पृ0 सं0 –261
13. डा. एच.ओ. अग्रवाल, मानवाधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, पृ0 02
14. 'अभिज्ञान0', वही, 5.25, पृ0 सं0 –292
15. डॉ. के.एस. द्विवेदी, मानवाधिकार के आयाम, 2001, पृ0 सं0 –14
16. 'अभिज्ञान0' वही, 4.18, पृ0 सं0 –229
17. वही, 4.17, पृ0 सं0 –227
18. वही, 7.32, पृ0 सं0 –446

प्रमा द्विवेदी
प्रवक्ता, डायट, इलाहाबाद, उ0प्र0

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

कामायनी का संदेश

ओंकार नाथ

सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास के पश्चात् जयशंकर प्रसाद का नाम उभरकर सामने आता है जिन्होंने अपनी दृष्टि से जीवन के मर्म को परखकर अपने साहित्य के माध्यम से दिग्भ्रान्त केवल भारतीय जनता का ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व की मानवता का मार्गदर्शन किया। विगत वर्षों में तुलसी के राम ने आस्था के भीषण संकट के समय संबल बन कोटि–कोटि हिन्दू जनता को अनुप्राणित किया था जीवन का उदात्त अध्याय खोला था। आधुनिक काल में 'विषमता की पीड़ा से व्यस्त' मानव को देखकर महाकवि जयशंकर प्रसाद का मन आन्दोलित हो उठा और इस भीषण समस्या के स्थायी समाधान के लिए तुलसी के रामचरितमानस की भाँति कामायनी नामक महाकाव्य की रचना की। सचमुच कामायनी चिरंतन जीवन धर्म का एक अनुपम आख्यान हैं। कामायनी के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि आज का स्वार्थ संकुल संतप्त व्यक्ति अपने को मनु की भाँति कटी पतंग की तरह भटका हुआ दिग्मूढ़ अनुभव कर रहा है–

''क्या कहूँ आज मैं हूँ उद्भ्रान्त, विवर में नीलगगन के आज
वायु की भटकी एक तंरग, शून्यता का उजड़ा सा राज''

मनुष्य की इस मनोदशा का कारण बताते हुए जय शंकर प्रसाद ने कहा है कि इच्छा मन का, ज्ञान मस्तिष्क का और क्रिया इन्द्रिय का व्यापार है। इन तीनों में सामंजस्य ही जीवन की पूर्णता है। इसके अभाव में जीवन एकांगी हो जायेगा।

''ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की।
एक दूसरे से न मिल सकें। यह विडम्बना है जीवन की।''

मनुष्य की रही सही जीवन शक्ति इस यांन्त्रिक युग ने जर्जर कर डाली–

प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी।
शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी।।[1]

इस प्राण सोखी अवस्था में मानव एक विद्रूप ध्वस्त प्राय टूटा हुआ जीवन इस यंत्र युग की विभीषिका तले दम तोड़ता हुआ जीवन जी रहा है। मनुष्य आस्थाहीन और श्रद्धा–विरहित, जीवन के लिए बाध्य है। ऐसे में

श्रद्धा व्यर्थ की उदासीनता, अनासक्तता के कृत्रिम केंचुल को उतार फेंक जीवन संग्राम में मनुष्य को प्रवृत्त करती है।

अरे तुम इतने हुए अधीर,
हार बैठे जीवन का दाँव, जीतते मरकर जिसको वीर

श्रद्धा की युक्तियों में पलायन का स्वर नहीं है, प्रत्युत संसार की बाधाओं से लोहा लेने की प्रबल प्रेरणा मिलती है। उसका दृष्टिकोण सर्वथा 'आशावादी' है। वह कहती है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य या सत्य तपस्या नहीं है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लक्ष्य भी है, जिसकी पूर्ति आवश्यक है। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि निराशा और वेदना से होकर कर्म में निरत हो जावे—

''तप नहीं केवल जीवन सत्य, करूण यह क्षणिक दीन अवसाद
तरल, आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद''[2]

मनुष्य दुःख और विपत्ति को आया देखकर घबरा जाता है उसका सामना करने के बजाय वह विचलित हो उठता है। किन्तु प्रसाद का कहना है कि जिस प्रकार नीलाकाश का आवरण अपने भीतर विकसित एवं मंगलमय प्रभात को छिपाये रखता है, उसी प्रकार दुःख का झीना सा नील आवरण अपने भीतर मंगलमय प्रभात को छिपाये है—

दुःख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात
एक परदा यह झीना नील, छिपाये है जिसमें सुखगात।[3]

मानव जीवन आज अनेक वैषम्यों से ग्रस्त है। इन्हीं वैषम्यों का दिग्दर्शन प्रसाद ने कामयनी में सूक्ष्म मनोविज्ञानिक दृष्टि से कराया है। इन वैषम्यों का परिहार भी वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। इसके निमित्त उन्होंने भारतीय दर्शन के समन्वय प्रधान स्वरूप का आधार लिया है। कामायनी में यह समन्वयात्मक दर्शन समरसता के नाम से अभिहित है— नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान
व्यथा में नीली लहरों बीच, बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान।[4]

'परिवर्तन' प्रकृति का अटल नियम है। प्रसाद की दृष्टि में परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है। स्वामी विवेकानन्द ने भी ऐसा ही कहा था। जीवन की सफलता के लिए अनिवार्य है कि नीरसता, क्षीणता आदि की ओर प्रेरित करने वाले तत्वों को जीवन में

प्रविष्ट न होने दिया जाय और मनुष्य सदैव अपने को यौवन के सौन्दर्य, उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण बनाए रखे–

पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक
नित्य नूतनता का आनन्द, किए हैं परिवर्तन में टेक।[5]

प्रसाद निवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति मार्ग को अधिक महत्व देते हैं जो शैव दर्शन के अत्यधिक निकट है। श्रद्धा मनु को प्रवृत्ति का संदेश देती हैं, शक्ति संचय कर जीवन में सफलता प्राप्त करने को प्रेरित करती है– ''और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान
शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूँज रहा जयगान''[6]

प्रसाद जी मानव जाति को अन्य की अपेक्षा अधिक क्षमतावान तथा कर्मशील मानते हैं। इसीलिए वे मानव के चरम् विजय में विश्वास रखते हैं तथा उसके लिए कामना करते है। यह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी शक्ति को पहचाने तथा अपने अन्दर श्रद्धा वृत्ति को जगाये।

शक्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त, विकल विखरे हैं हो निरूपाय
समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाय।[7]

निष्कर्षतः कर्म सौन्दर्य का जीवन्त महिमागान करने वाला एवं मानव को कर्म की ओर उन्मुख करने वाला हिन्दी साहित्य में कामायानों के अतिरिक्त अन्य कोई काव्य ग्रन्थ नहीं है। कामायनी मानवता को जीवन के अंधेरे बीहड़ वनों में सदैव आलोक रश्मि प्रदान करने वाली कृति है।

<u>संदर्भ गंथ सूची</u>

1. कामायनीः जयशंकर प्रसाद, लोक भारती प्रकाशन, पृष्ठ–181 ।
2. वही, पृष्ठ –55।
3. वही, पृष्ठ –53।
4. वही, पृष्ठ –54।
5. वही, पृष्ठ –55।
6. वही, पृष्ठ –57।
7. वही, पृष्ठ –59।

ओंकार नाथ
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग
संत राम लखन डिग्री कालेज, बरौत इलाहाबाद

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की शाहगंज तहसील में साक्षरता का परिवर्तित प्रतिरूप

– विकास कुमार मिश्रा

साक्षरता का सम्बन्ध बुनियादी तौर पर लोगों के जीवन से है मानव की भौतिक सांस्कृतिक और आध्यामिक उन्नत्ति करना ही इसका परम ध्येय है, साक्षरता आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का एक विश्वसनीय सूचकांक माना जाता है।

शिक्षा किसी भी समाज के पर्यावरण पर सामाजिक–आर्थिक विकास का सूचकांक का एक प्रमुख संकेतक है। शिक्षा न केवल मानव जीवन की योग्यता को दर्शाता है वर्तमान में निश्चित रूप से सामाजिक–आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। साक्षरता के दृष्टिकोण भारत वर्तमान स्वरूप में विश्व के कई देशों से पिछे है पाश्चात्य देशों के शिक्षा के दृष्टिकोण में यहां के क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अत्याधिक दयनीय दृष्टिगोचर होती है। शिक्षा का सामाजिक आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वर्तमान समय में शिक्षा समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। 1978 में न्छभ्ब्व ने अपनी संकल्पना में व्यक्ति की कार्यक्षमता को आधार मानकर कहाँ वह व्यक्ति साक्षर होगा जिसमें कार्य करने की क्षमता को जिनके लिए साक्षरता आवश्यक हो और उनके कार्य क्षमता को अधिक कार्यकुशल बनाये, साक्षरता को सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक जागरूकता सामाजिक आर्थिक विकास इत्यादि सभी का सुदृढ़ माध्यम माना गया है, शिक्षित जनसंख्या अनेको मानवीय सामाजिक सांस्कृतिक आत्मसम्मान, स्थायी मान आत्मसशक्तिकरण, आत्मविश्वास बौद्धिक क्षमता, भौतिक एवं अध्यामिक ज्ञान के साथ–साथ उसे अपने पर्यावरण का ज्ञान होना अतिआवश्यक है, वर्तमान समय में मानव अपने विकासवादी दृष्टिकोण और आधुनिकता की रफ्तार में अपने पर्यावरण को असन्तुलित करता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई है, जो समय रहते न चेताया गया तो भविष्य में बहुत ही घातक सिद्ध होगी और मानव

के सामाजिक आर्थिक विकास को शिथिल कर देगी और पर्यावरण स्वरूप मानव उस त्रासदी से बच नहीं पायेगा।

वर्तमान समय में प्रत्येक समाज एक ज्ञान आधारित सामाजिक आर्थिक विकास का केन्द्र बनता जा रहा है जहाँ अशिक्षित व्यक्ति अपने को असहज महसूस करने लगा है। जो सर्वविदित सामाजिक उद्देश्य है। जिनमें दरिद्रता से निजात, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से छुटकारा, लिंग आधारित भेद–भाव से छुटकारा पर्यावरण संतुलन के साथ सतत् विकास सुनिश्चित करना, शान्ति इत्यादि प्रमुख है, इनके प्राप्ति का मुख्य केन्द्र शिक्षित जनसंख्या ही है, शिक्षित व्यक्ति को अपने निर्णय लेने में सुगमता होती है और उसे स्वंय में विश्वास होता है कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्यों में सकरात्मक सुधार होता है। शिक्षित स्त्री को अपने स्वास्थ का अधिक ज्ञान होता है, और परिवार नियोजन के लाभ की समस्त जानकारी उसे भली–भाँति होती है, इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षरता और पर्यावरण पर सामाजिक–आर्थिक विकास तथा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में घनिष्ट सम्बन्ध है।

अतः जो क्षेत्र जितना अधिक साक्षर होगा वह उतना ही सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होगा।

शाहगंज अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता का स्तर वर्तमान समय में 58. 22 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय साक्षरता 64.32ः से कम है जो चिन्ता का विषय है। सारणी से स्पष्ट है कि 1991 में 29.75 प्रतिशत थी जबकि 1961 में 15.24 प्रतिशत थी।

सारणी

शाहगंज तहसील : साक्षरता (प्रतिशत में) 1961–2011

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
1961	15.24	25.59	5.40
1971	19.03	30.14	7.78
1981	23.18	36.35	10.02
1991	29.75	42.83	16.45
2001	36.68	49.83	24.45
2011	58.22	68.97	49.74

स्रोत :–1. जिला जनगणना हस्तपुत्तिका जौनपुर 1961,1971,1981,1991

2. राष्टीय सूचना केन्द्र जौनपुर 2001 जनगणना
3. राष्टीय सूचना केन्द्र जौनपुर 2011 जनगणना

और 2001 में 36.78 प्रतिशत था इस प्रकार विगत पचास वर्षो में साक्षर जनसंख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले दो दशक (1991–2011) के दौरान साक्षर जनसंख्या में दुगुना वुद्धि हुई है। साक्षरता दर में वृद्धि अध्ययन क्षेत्र में हो रही है, और इसका प्रभाव अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक–आर्थिक विकास की सूचक है। साक्षरता से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में धीर–धीरे जागरूकता, परम्परावादी विचारों त्यागना, मनोवैज्ञानिक, जन्मदर–मृत्युदर में कमी, चिकित्सा स्वास्थ्य, भूमिका उपयोग कार्य की मानसिकता में बदलाव प्रयास इत्यादि स्तर पर दृष्टिगोचर हो रही है यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता का स्तर आकड़ों के अनुसार दयनीय दशा परिलक्षित होती है। साक्षरता स्तर के विशेषण हेतु न्याय पंचायतों को चार वर्गों में विभक्त किया गया है।

सारणी

शाहगंज तहसील : साक्षरता (प्रतिशत में) और लिंगानुपात 2011

क्र0 सं0	न्याय पंचायत का नाम	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात महिलाएँ / 1000 पुरूष
1.	डीह अशार्फाबाद	62.48	70.71	53.25	944
2.	मयारी	58.35	67.25	49.62	1020
3.	सवायन	58.02	66.99	49.10	996
4.	अरसियाँ	60.41	69.64	53.34	1025
5.	गैरवाह	59.32	64.91	52.90	872
6.	जमदरा	60.09	69.08	51.07	1000
7.	बुमकहाँ	54.78	63.72	45.88	1010
8.	सुइथाकलॉ	55.95	64.72	47.30	1016
9.	समोधपुर	59.94	68.78	59.39	1031
10.	शाहमऊ	62.87	71.03	54.66	996
11.	डेहरी	58.48	67.64	49.75	1052
12.	मोहिउद्दीनपुर	52.43	61.64	43.06	984
13.	कोपा	59.46	69.66	49.06	981
14.	ताखापुरवा	60.00	68.01	51.42	935

15.	बड़ागाँव	57.00	63.75	50.07	974
16.	भादी	59.00	66.90	50.85	923
17.	सबरहद	58.00	65.28	50.56	953
18.	पाराकमाल	58.00	64.21	51.77	1005
19.	रानीमऊँ	48.00	61.56	35.40	1076
20.	खेतासराय	54.00	61.79	47.71	1035
21.	रूधौली	55.00	63.69	46.64	1026
22.	जमदहाँ	54.00	59.95	48.00	1015
23.	बरंगी	57.00	63.58	5149	1072
24.	मानीकलाँ	57.00	63.25	50.34	962
25.	बड़उर	58.00	66.29	4928	990
26.	कुहियाँ	58.00	67.78	49.32	1025
27.	मेहरावाँ	54.00	63.58	44.39	1000
28.	खलीलपुर	56.00	66.42	46.18	1036
29.	पट्टी नरेन्दपुर	63.00	70.73	55.01	920
30.	तिसौली	62.00	72.17	52.08	984
31.	निजमापुर	59.00	68.64	49.70	1033
32.	सौरइयाँ	59.00	68.45	49.69	1020
33.	पटइला	60.00	68.51	52.20	1031
34.	डिहियाँ	61.00	70.77	51.72	1043
35.	खुटहन	61.00	70.39	50.95	962
36.	भागमलपुर	61.00	70.81	52.43	1047
37.	टिकरीखुर्द	57.00	66.01	48.20	1075
38.	मरहट	61.00	69.91	51.63	976
39.	मुबारकपुर	57.00	66.97	47.11	995
40.	छतौरा	58.00	67.65	49.49	996
	शाहगंज तहसील	58.22	68.97	49.74	

प्रथम वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के उन न्याय पंचायतों को समाहित किया गया है जहाँ साक्षरता स्तर 50 प्रतिशत से कम है। इस वर्ग में रानीमऊ (48 प्रतिशत) न्याय पंचायत आती है जो सबसे कम साक्षरता वाली न्याय पंचायत है।

द्वितीय वर्ग में वे न्याय पंचायतों है जहाँ का साक्षरता स्तर 50—55 प्रतिशत के मध्य पायी जाती है। इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की 5 न्याय पंचायत आती है। अध्ययन क्षेत्र की बुमकहाँ (54.78 प्रतिशत), मोहिउद्दीनपुर (52.43 प्रतिशत), खेतासराय (54 प्रतिशत), जमदहाँ (54 प्रतिशत), एवं मिहरावाँ (54 प्रतिशत), न्याय पंचायत है।

तृतीय वर्ग के अन्तर्गत उन न्याय पंचायतों को शामिल किया गया है, जहाँ साक्षरता 55—60 प्रतिशत के मध्य हैं इनमें अध्ययन क्षेत्र की मयारी (58.35:), सवायन (58.02:), गैरवाह (59.32:), सुइथाकला (55.94:), समोधपुर (59.94:), डेहरी (58.48:), कोपा (59.46:), बड़ागाँव (57:), भादी (59:), सवरहद (58:), पाराकमाल (58:), रूधौली (55:), बरंगी (57:), मानीकला (57:), बड़उर (58:), कुहिया (58:), खलीलपुर (56:), निजामपुर (59:), सौरइयाँ (59:), टिकरीखुर्द (57:), मुबारकपुर (57:), छतौरा (58.59:), न्याय पंचायते शामिल की जाती हैं

चर्तुथ वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की उन न्याया पंचायतों को शामिल किया गया है। जहाँ साक्षरता का स्तर 60 प्रतिशत से अधिक है। इनमें डीह आशर्फाबाद (62.48:), अरसिया (60.41:), जमदरा (60.09:), शाहमऊ (60.87:), ताखापुरवा (60:), पट्टीनरेन्द्रपुर (63:), तिसौली (62:), पटइला (60:), डिहिया (61:), खुटहन (61:), भागमलपुर (61:), मरहट (61:), न्याय पंचायतें हैं।

पुरूष साक्षरता—अध्ययन क्षेत्र शाहगंज में सन् 1961 में पुरूष साक्षरता दर 25.59 प्रतिशत थी, 1971 में 30.14 प्रतिशत, 1981 में 36.35 प्रतिशत 1991 में 42.83 प्रतिशत, 2011 में 49.11 प्रतिशत एवं 2011 में बढ़कर साक्षरतादर 68.97 प्रतिशत हो गयी। लेकिन यह पुरूष साक्षरता दर राष्टीय साक्षरता दर की तुलना में कम है। अध्ययन क्षेत्र शाहगंज तहसील में पुरूष साक्षरता दर सर्वाधिक शाहमऊ (71.03 प्रतिशत) न्याय पंचायत, जब कि न्यूनतम जमदहाँ (59.95 प्रतिशत) न्याय पंचायत में है। न्याय पंचायतों को विश्लेषण हेतु चार वर्गों में विभक्त किया गया है।

प्रथम वर्ग उन न्याय पंचायते को शामिल किया है जहाँ 60 प्रतिशत से कम है। इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की सिर्फ एक न्याय पंचायत, जमदहाँ (59.95 प्रतिशत) आती है।

द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की 12 न्याय पंचायते आती है। जिनकी साक्षरता दर 60–65 प्रतिशत के बीच हैं। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र की गैरवाह (61.64प्रतिशत) बुमकहाँ (63.72 प्रतिशत), सुइथाकला (64. 72 प्रतिशत), मोहिउद्दीनपुर (61.64 प्रतिशत), बड़ागाँव (63.75 प्रतिशत), पाराकमाल (64.21 प्रतिशत), खेतासरा(61.79 प्रतिशत), रूधौली (63.75 प्रतिशत), बरंगी (63.58 प्रतिशत), मानीकला (63.25 प्रतिशत), मिहरावाँ (63.58 प्रतिशत), रानीमऊ (61.56 प्रतिशत), न्यायपंचायते शामिल हैं।

तृतीय वर्ग अन्तर्गत उन न्याय पंचायतो को शामिल किया गया है जहाँ पुरूष साक्षरता दर 65–70 प्रतिशत के बीच पायी जाती है। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र की 20 न्याय पंचायते आती हैं। मयारी (67.75%), सवायन (66.99%), अरसिया (67.64%), जमदरा (69%), समोधपुर (68.78%), डेहरी (67.64%), कोपा (69.66%), ताखापुरवा (68%), भादी (66.90%), सवरहद (65.28%), बडउर (66.29%), कुहियाँ (67.78%), निजमापुर (68.64%), सौरइंया (68%), पटइला (68%), टिकरीखुर्द (66%), मुबारकरपुर (66.97%), छतौरा (67.65%), न्याय पंचायते शामिल की गयी है।

चतुर्थ वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की उन न्याय पंचायतों को सम्मिलित किया गया है जिसकी पुरूष साक्षरतादर 70 प्रतिशत से अधिक है। इस वर्ग के अन्तर्गत डीह अशर्फावाद (70.71%), शाहमउ (71.03%), पट्टीनरेन्द्रपुर (63%), तिसौली (72.17%), डिहिया (70.77%), खुटहन (70.39%), भागमलपुर (70.81%) 7 न्याय पंचायते आती हैं।

महिला साक्षरता– अध्ययन क्षेत्र शाहगंज तहसील में महिला साक्षरता वर्तमान में 49.74 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता (56. 99ः)से कम है अध्ययन क्षेत्र में महिला साक्षरता सन् 1961–5.40 प्रतिशत थी जो 1971 में 7.78 प्रतिशत, 1981 में 10.02 प्रतिशत 1991 में 16.45 प्रतिशत 2001 में 24.45 प्रतिशत, वहीं 2011 में दुगुनी (49.74 प्रतिशत) हो गयी। महिला साक्षरता के आधार पर न्याय पंचायतों को तीन वर्गों में बाँटा गया है।

प्रथम वर्ग में अध्ययन क्षेत्र की 45 प्रतिशत से कम साक्षरता वाली न्याय पंचायतें शामिल की गयी है। रानीमऊ (35.40%), मोहिउद्दीनपुर (43.06%), मिहरावां (44.39%), न्याय पंचायतें शामिल की जाती है।

द्वितीय वर्ग में अध्ययन क्षेत्र की उन न्याय पंचायतों को शामिल किया गया है। जिसमें महिला साक्षरता दर 45–50 प्रतिशत के बीच पायी जाती है। इस वर्ग में मयारी (49.62%), सवायन (49.10%), बुमकहाँ (45.88%), सुइथाकला (47.30%), डेहरी (49.75%), कोपा (49.06%), खेतासराय (46.71%), रूधौली (46.64%), जमदहाँ (48%), बडउर (49.28%), कुहियाँ (49.32%), खलीलपुर (46.18%), निजमापुर (49.70%), सौरइया (49.69%), टिकरी खुर्द (48.20%), मुबारकपुर (47.11%), छतौरा (49.49%) अध्ययन क्षेत्र की 17 न्याय पंचायते आती हैं।

तृतीय वर्ग के अन्तर्गत उन न्याय पंचायतों को शामिल किया गया है जहाँ साक्षरता दर 50 प्रतिशत से अधिक है। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र की 20 न्याय पंचायते आती है। डीह अशर्फावाद (53.25%), अरसिया (53.34%), गैरवाह (52.90%), जमदहाँ (51.07), शाहमऊ (54.66%), ताखापुरवा (51.42%), बडागाँव (50.07%), भादी (50.85%), सबरहद (50.56%), पाराकमाल (51.77%), बरंगी (51.49%), मानीकला ;50ण्34ः्द्धए तिसौली (52.08%) पटइला (52.20%), डिहिया (51.72%), खुटहन (50.95%), भागमलपुर (52.43%), मरहट (51.63%), समोधपुर (59.39%), पट्टीनरेन्द्र (55%) न्याय पंचायते शामिल है।

अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा के प्रति लगाव जनमानस में जागरूकता में वृद्धि हो रही है। पिछले कई दशकों तक बालिकाओं को सिर्फ घरेलू कार्य तक नियमित रखा जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में इन्हें शिक्षण कार्य हेतु, शिक्षण संस्थाओं की ओर प्रेरित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के प्रति महिलाओं की रूझान बढ़ी है। अतः यदि शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षण संस्थाओं में समुचित प्रबन्धन एवं सरकारी व्यवस्था में सुधार होता है तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी, जो सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि सन 2011 की जनगणना की आंकड़ों से प्रतीत होता है कि साक्षरता स्तर में वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र के न्याय पंचायत स्तर पर शाहमऊ (62.87 प्रतिशत) सर्वाधिक साक्षरता वाली न्याय पंचायत है और सबसे कम साक्षरता वाली न्याय पंचायत रानीमऊ (48 प्रतिशत) है।

शाहगंज तहसील के साक्षरता स्तर में अनवरत वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। सन 2001 में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 36.78 प्रतिशत था, जो 2011 में बढ़कर 58.22 प्रतिशत हो गयी। वहीं पुरूषों की साक्षरता दर 49.11 प्रतिशत से बढ़कर 68.97 प्रतिशत हो गयी। महिलाओं की साक्षरता दर में विगत दस वर्षों में 2001–2011 के बीच 24.45 प्रतिशत से बढ़कर 49.74 प्रतिशत हो गयी, जो अच्छे संकेत का प्रतीक है। शिक्षा के प्रति जागरूकता और सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रचार–प्रसार तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के कारण साक्षरता स्तर पर धनात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है। अध्ययन के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बिजली, सड़क, परिवहन के साधन, संचार व्यवस्था, मनोरंजन के साधन, महिलाओं के प्रति सुरक्षा, बाजार केन्द्र इत्यादि सुविधाओं में सुधार हो रहा है। हाल के वर्षों में भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय ठोस उपलब्धियों के सचेष्ट है। इसके कार्य क्षेत्र को प्रान्तों तक फैलाकर तथा प्रान्तों से जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनवरत सचेष्ट रहने की आवश्यकता है, जहां पर्यावरणीय समस्यायें अभी सीमित क्षेत्रों तक अपना प्रभाव बना सकी है। निरोधात्मक प्रबन्धन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वप्रथम लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे यह नकारात्मक प्रभाव को जानकर सकारात्मक प्रभाव की ओर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह कि यहां के लोगों का पर्यावरण के तरफ ध्यान केन्द्रित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक–आर्थिक विकास की सतत रूप से अग्रसर हो रही है। वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र के लोगों का पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ रहा है। पर्यावरण के साथ जनमानस के सम्बन्ध को अधिक महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ने के कारण पर्यावरण की समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के पश्चात ही अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण पर सामाजिक–आर्थिक विकास का सकारात्मक मार्ग प्रशस्त सम्भव है।

References

1. Bhande, A. (1975) : Teaching and Research in Population studies, Deonar, Bombay, Bose.
2. Das Gupta, R. (1970) : Population and good, National Publishing, Calcutta.

3. Gopal Rao, D. (1934) : Population Education, Sterling publishers.

4. Rao, V.K.R.V. (1970) : Population Growth and its relation to cmployment, Govt. of India, New Delhi.

5. Chandra, R.C. etal. (1980) Introduction to population Kalyari Publishers, New Delhi.

6. Golden Hilda, H (1968) "Literacy," International Encyclopaceolia of the social Sciences Vol. 9, Macmillan Company and free Press.

7. Gosal, G.S. (1964) " Literacy in India: An Interpretative study", Rural Sociology, Vol. 29

8. Shariff, A. (1999) India Human Development Report, Oxford P. 129.

9. Trewartna, G.T. (1969) A Geography of Population : World Patterns, John Wiley and sons, New York.

विकास कुमार मिश्रा
शोध छात्र (जे0 आर0 एफ0), भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

जौनपुर जनपद की शाहगंज तहसील में जनसंख्या वृद्धि का भौगोलिक विश्लेषण

– एस. के. मिश्र

किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण पर सामाजिक–आर्थिक विकास में जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रबुद्ध जनसंख्या एवं क्रियाशील समुन्नत, प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन कर सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के उन्नत स्तर को प्रापत करना होता हैं जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार उस क्षेत्र के सर्वागीण विकास को प्रकट एवं प्रतिरूप को निर्धारित करती है। राष्ट्र की समस्या योजनाएं जनसंख्या के सन्दर्भ से क्रियान्वित की जाती है (मिश्र एस0के0 1993 पृष्ठ–98) तीव्रगति से बढ़ती जनंसख्या पर्यावरण संतुलन में बाधा बन सकती हैं जनसंख्या जो कि मानव संसाधन के रूप में सर्वोतकृष्ट संसाधन मानी जाती है जो किसी भी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानी जाती है। किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकतिक संसाधनों और जनसंख्या के बीच का सन्तुलन उसके जीवन स्तर को उच्च और स्वर्णिम भविष्य का परिचायक है परन्तु उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से ज्यादा जनसंख्या और उसके विकास की प्रवृति शिथिल कर उसमें बेरोजगारी, गरीबी जीवन मूल्यों में ह्यस इत्यादि का जन्म देती हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या सामाजिक–आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाँधा है।

जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्यदो निश्चित समय के अन्तराल पर क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते है किसी क्षेत्र की जनसंख्या वद्धि दो बातों पर निर्भर करती हैं–

1. प्राकृतिक जनवृद्धि जब जन्मदर से मृत्युदर कम होती है।
2. अप्राकृतिक जनवृद्धि या देशान्तरण द्वारा जनवृद्धि जब उत्प्रवास से आप्रवास अधिक हो जाता हैं।

भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1871 में लार्ड मेयो के काल में करायी गयी थी। दूसरी जनगणना 1881 में लार्ड लिटन के काल में व्यवस्थित जनगणना करायी गयी इसके पश्चात् प्रति दस वर्ष के अन्तराल में देश में जनगणना कार्य सम्पन्न किया जाता है। अद्यतन जनगणना 2011 में सम्पन्न कारायी गयी है। इस प्रकार 2011 की सम्पन्न जनगणना देश की 15वीं जनगणना है। जो 21वीं शदाब्दी की दूसरी बड़ी गणना हैं। जिसका ध्येय हमारी जनगणना, हमारा भविष्य'। सम्पूर्ण भारत वर्ष की तरह सन् 1881 से ही शाहगंज तहसील की जनगणना नियमित रूपसे की जाती है प्राप्त आकड़ों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र शाहगंज तहसील में 1861 ई0 में 259243 जनसंख्या थी जो 1971 में 305260 हो गई इस दौरान दशकीय वृद्धि 17.75% था। वार्षिक वृद्धि 1.77% तथा जन घनत्व 367 व्यक्ति प्रति वर्ग किसी से बढ़कर 423 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 हो गया इस दौरान दशकीय वृद्धि 31.19% तथा वार्षिक वृद्धि 3.11% थी तत्पश्चात् शाहगंज तहसील की सन् 1981 में जनसंख्या 383519 हो गई। 1971 में 1981 के मध्य 25.63% की दशकीय वृद्धि थी। जन घनत्व जो 1971 में 432 व्यक्ति वर्ग किमी0 था बढ़कर 501 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 हो गया।

सन् 1991 की जनसंख्या 483350 एवं 2001 की 633960 हो गई 2011 में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या बढ़कर 763849 हो गई इस दौरान दशकीय वृद्धि क्रमशः 20.49% वार्षिक वृद्धि 2.05 हो गई थी। सन् 1991 में शाहगंज तहसील का जनघनत्व 684 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 था वही 2001 में बढ़कर 897 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 हो गया तत्पश्चात् 2011 में 1081 हो गया (सारणी 1) तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण स्वास्थय सुविधाओं में विस्तार खाद्य आपूर्ति की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, गहन कृषि लोगों के आर्थिक स्तर में वृद्धि को द्योतक है।

शाहगंज तहसील में जनसंख्या वृद्धि 1.

क्र0स0	वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि	वार्षिक वृद्धि	घनत्व प्रति व्यक्ति किमी0
1.	1961	259243	—	—	367
2.	1971	305260	17.75	1.78	432

3.	1981	383519	25.63	2.56	501
4.	1991	483350	26.03	2.60	684
5.	2001	633960	31.19	3.20	897
6.	2011	763849	20.49	2.05	1081

शाहगंज तहसील जनसंख्या वृद्धि

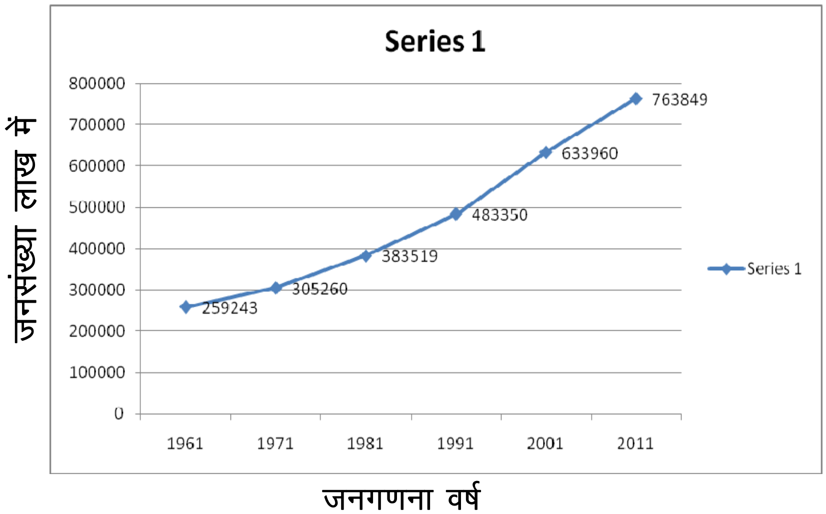

स्त्रोत

1. जिला जनगणना पुस्तिका, जौनपुर (1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011)
2. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र जौनपुर (1991 जनगणना)
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र जौनपुर (2001 जनगणना)
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र जौनपुर (2011 जनगणना)

सारणी 2 में शागंज तहसील की न्याय पंचातय स्तर पर पिछले पांच दशक की जनसंख्या वृद्धि न्याय पंचायत स्तर दशकीय वृद्धि एवं वार्षिक वृद्धि को वर्गीकृत किया गया है।

शाहगंज तहसील में 2001–2011 के दौरान वार्षिक वृद्धि प्रथम वर्ग के अन्तर्गत 19 न्याय पंचायतों आती है जिनकी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1-2% के मध्य है। अरसिया, जमदहा, सुइथाकला, समोधपुर, शाहमऊँ, डेहरी, रूथेाली, मिहरावाँ, पट्टीनरेन्द्रपुर, तिसौली सौरइयाँ, पटईला, डिहियाँ, खुटहन, भागमलपुर, टिकरी खुर्द, मरहट, मुबारकपुर, छतौरा, न्याय पचांयत समहित है। द्वितिय वर्ग के अर्न्तगत 2 में 3% के

जनसंख्या वर्ग आते है डीह अशर्फाबाद, मयारी, सवायन, गैरवाह, बमकहाँ, मोहिउदुदीनपुर, कोपा, ताखापुरवा, बड़ागाँव, भादी, पाराकमाल, रानीमऊँ, खेतासराय, जमहदाँ, बरंगी, बड़उर, कुहिया, निजमापुर 18 न्याय पंचायते शामिल हैं। तृतीय वर्ग के अर्न्तगत शाहगंज तहसील की 3-4% के वर्ग आते है जिनकी न्याय पंचायतों की संख्या 3 है सबरहत, मानीकलाँ और खलीलपुर हैं।

सारणी–2

शाहगंज तहसील में जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)

क्र0 स0	न्याय पंचायत का नाम	दशकीय वृद्धि				वार्षिक वृद्धि
		1971–81	1981–91	1991–2001	2001–11	2001–11
1.	डीह अशार्फाबाद	28.88	13.35	18.47	27.70	2.70
2.	मयारी	18.33	21.75	26.87	26.41	2.64
3.	सवायन	20.44	22.69	27.81	23.20	2.32
4.	अरसियाँ	14.71	26.25	31.37	18.36	1.84
5.	गैरवाह	22.87	16.09	21.21	23.86	2.39
6.	जमदरा	23.58	44.89	50.01	11.96	1.20
7.	बुमकहाँ	26.80	21.58	26.70	25.98	2.50
8.	सुइथाकलॉ	28.45	16.48	21.60	11.94	1.19
9.	समोधपुर	18.98	24.19	28.31	12.26	1.23
10.	शाहमॉऊ	18.98	24.19	26.09	11.96	1.20
11.	डेहरी	23.73	17.31	22.43	11.45	1.20
12.	मोहिउद्रीनपुर	23.40	24.17	29.29	25.55	2.56
13.	कोपा	24.43	32.25	36.37	22.60	2.60
14.	ताखापुरवा	20.34	27.42	32.56	27.66	2.77
15.	बड़ागॉव	24.90	31.36	35.48	24.37	2.44
16.	भादी	34.73	35.05	39.17	25.75	2.56
17.	सबरहद	14.51	24.90	30.02	30.67	3.10
18.	पाराकमाल	42.83	27.99	33.11	28.59	2.86

19.	रानीमऊँ	06.80	21.01	26.13	23.12	2.31
20.	खेतासराय	31.36	28.69	33.18	24.18	2.48
21.	रूधौली	19.85	30.58	35.70	16.56	1.66
22.	जमदहॉ	22.51	28.42	33.94	21.19	2.20
23.	बरंगी	17.60	31.60	35.72	23.18	2.32
24.	मानीकलाँ	22.86	33.16	37.28	34.56	3.46
25.	बड़उर	31.52	29.78	34.90	23.89	2.39
26.	कुहियाँ	34.39	27.82	32.94	22.59	2.26
27.	मेहरावाँ	21.17	20.17	25.29	12.63	1.26
28.	खलीलपुर	26.19	24.77	28.34	33.78	3.38
29.	पट्टी नरेन्दपुर	19.25	24.77	28.89	11.64	1.17
30.	तिसौली	24.76	20.14	25.26	18.69	1.87
31.	निजमापुर	16.09	32.94	37.06	24.53	2.45
32.	सौरइयॉ	11.40	29.05	34.17	11.65	1.11
33.	पटइला	23.73	37.00	41.12	17.22	1.72
34.	डिहियाँ	22.34	47.51	51.13	19.01	1.90
35.	खुटहन	26.78	15.15	20.27	17.11	1.71
36.	भागमलपुर	22.69	22.11	27.23	16.92	1.69
37.	टिकरीखुर्द	22.11	28.92	33.04	17.62	1.76
38.	मरहट	24.60	29.19	34.31	18.24	1.82
39.	मुबारकपुर	22.80	17.96	23.08	18.70	1.81
40.	छतौरा	4.68	28.90	34.02	14.49	1.45
	शाहगंज तहसील	26.63	26.03	31.15	20.49	2.05

शाहगंज तहसील में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आजादी के पश्चात् प्रारिम्भक समय में परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों की असफलता का सूचक है साथ ही साथ खाद्याय्र पदार्थो की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आर्थिक विकास देवतक है और जन मानस में रूढ़िवादी, परम्परावादी, अल्पपशिक्षित के कारण छुवा–छूत, ऊँच–नीच, जाति–पाति,

अमीर–गरीब, बाल–विवाह, इतयदि सामाजिक समस्याओं की वजह से जनसंख्या तीव्र वृद्धि देखने को मिलती हैं सन् 2001 में शाहगंज तहसील में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कम होने लगती हैं। जिसका प्रमुख कारण है। कि यहाँ के लोगों का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है। जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक विकास की तरफ अग्रसर हो रहें हैं। जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए परिवार नियोजन, स्त्री–शिक्षा, देर से विवाह, रहन–सहन में सुधार, लोगों का बाहर जाकर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, अवागमन के मार्गो के साथ–साथ परिवहन सुविधाओं का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण यह हैं कि लोगों का तीव्र गति में विकास की ओर अग्रसर होने से लोगों के मानसिकता में परिवर्तन महत्वपूर्ण है जिसका 2001 से 2011 के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि को देखने से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

References-

1. Agarwala, S.N. (1977) - India's Population Problem, McGraw Hill, New Delhi.
2. Chondna, R.C. (1998) - Population, Kalyani Popular Science Series, New Delhi, P. 135
3. Chatterjee, P.K. (1979) Aspects of Human Fertility : A socio-Economic Study, University of Kalyani, West Bengal.
4. Clarbe, John. 1 (1972) population Geography, Pergamon Press, Oxford.
5. Gosal, G.S. (1982) "Recent population Growth in India" population Geography, Vol 4, PP. 33-53
6. लाल एच 1986–सरयूपार मैदान (उ0प्र0) में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, 22 गोरखपुर
7. जनसंख्या अध्ययन ब्यूरो (1991 दिल्ली)।

डॉ0 एस0 के0 मिश्र
भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

भारत में उच्च शिक्षा का बदलता परिदृश्य

– मीनू पाण्डेय

'शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं।''

– **नेल्सन मण्डेला**

''यह प्रसिद्ध उक्ति बताती है कि शिक्षा का कितना अधिक महत्व है। हमारे देश के संदर्भ में यह बात और भी सच है। एक युवा लोकतंत्र के तौर पर भारत शिक्षा के मोर्चे पर बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। राष्ट्र की बुनियाद रखने वालों ने शैक्षिक विकास को पर्याप्त महत्व प्रदान कर जो दूरदर्शिता दिखाई थी उसका भरपूर लाभ हमें मिला है।

किसी भी सभ्य समाज के मूल्यांकन का आधार समाज के लोगों का शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन स्तर होता है, अर्थात् शिक्षा सभ्य समाज के मूल में है जिसमें शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्र के विकास हेतु मानवीय संसाधनों का विकास करना होता है। जिससे लोगों में सांस्कृतिक, सामाजिक, न्यायिक, धर्म निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समानता, नैतिकता और अहिंसा जैसे मूल्यों का विकास हो सके।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अधिकार है। मानव अधिकारों की घोषणा में इस तथ्य को मूलभूत रुप से स्वीकार किया गया है। इसके लिए शिक्षा और ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है, यह तथ्य सबके लिए शिक्षा की धारणा में बहुत आगे है। **फ्रेड्रिक हेयाक** ने ज्ञान और शिक्षा में जो अंतर किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है; उन्होंनें इसके दो बिल्कुल अलग बिन्दुओं को इस तरह बताया कि बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत प्रयुक्त किया जाने वाला बहुत सा ज्ञान न तो कोडिफाई (कूटीकृत) किया जा सकता है और न ही उसका भौतिकता से कोई संबंध होता है। जैसे कि दर्जी, रंगाई करने वाले, बेकारी वाले आदि अपने क्षेत्र का जो ज्ञान रखते हैं उसका कोई भी संबंध औपचारिक शिक्षा से नहीं होता। इस प्रकार आर्थिक अवसरों के साधन के रूप में औपचारिक शिक्षा की बड़ी सीमाएं हैं। औपचारिक शिक्षा कुछ अलग तरह के लोगों को बनाती है जैसे नौकरशाह, प्रबन्धक, डॉक्टर, वकील आदि परन्तु

व्यावसायिक शिक्षा के विकास के बावजूद आर्थिक गतिविधियों में संलग्न और सफल बहुसंख्यक समाज अपना ज्ञान शिक्षा केन्द्रों से अलग हट कर पाता है। इसलिए खिलाड़ी, फैशन मॉडल, फिल्मी कलाकार आदि एक इंजीनियर या समाजशास्त्री शिक्षक से कई गुना अधिक पैसा कमाते हैं। ज्ञान के इस पक्ष को आवश्यक रुप से ध्यान में रखना चाहिए।

प्लेटो ने कहा था कि– ज्ञान ही अच्छाई है। यद्यपी इस पर आज ढेर सारे प्रश्न खड़े किए जाते हैं लेकिन इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि शिक्षा ही शक्ति का स्रोत है। आजकल आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ श्रेष्ठतम स्थिति में हैं। आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या तेजी से बढ़ी है, किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान में शिक्षा के मात्रात्मक प्रसार के साथ–साथ उसका गुणात्मक मूल्य कम होता जा रहा है और कुछ विशेष केन्द्रों को छोड़कर अधिकांश शिक्षण संस्थाएं डिग्रिया बांटने के केन्द्र बनकर रह गई हैं।

शिक्षा के दो उद्‌देश्य होते हैं– एक तो वह व्यक्ति को शिष्ट, सभ्य, सामाजिक नागरिक बनने में मदद करती है एवं दूसरा वह आजीविका का साधन होती है। वर्तमान भारतीय समाज में जिस प्रकार के व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अपराध एवं एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखने एवं शिक्षितों के द्वारा अपराधों में वृद्धि के हालात बने हुए हैं, उससे इस उद्‌देश्य की पूर्ति की विफलता साफ जाहिर होती है। भारतीय श्रम रिपोर्ट, 2013 में पाया गया कि रोजगार के अवसर तो हैं पर उसके लिए काबिल लोगों की कमी है। एक तरफ तो लोग भारतीय प्रतिभा की तारीफ कर रहें है एवं दूसरी ओर 80 प्रतिशत लोग प्रतिभाविहीन हैं। रिपोर्ट के अनुसार 53 प्रतिशत युवाओं में वांछित कौशल की कमी पायी जाती है, हालांकि 8 प्रतिशत युवा ही बेकार हैं। रिपोर्ट में साफ–साफ कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। आज उपलब्ध रोजगार के अवसरों में 90 प्रतिशत व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता होती है जबकि 90 प्रतिशत कॉलेजों और स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा केवल किताबी है। अगले चार वर्षों में विश्व की 25 प्रतिशत श्रम शक्ति भारत में होगी। सन् 2025 तक 30 करोड़ युवा श्रमशक्ति के तौर पर उपलब्ध होगें और अगर वे काबिल हुए तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर रहेगा।

वर्तमान में देश के लगभग सभीं बुद्धिजीवी इस बात पर सहमत है कि इस शिक्षा प्रणाली को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। 1835 में मैकाले ने शिक्षा का जो सिद्धान्त थोपा था उसके बाद से सैकड़ो कमीशन और समितियां बन चुकी है लेकिन इसके बावजूद उच्च शिक्षा अब तक उस मुकाम तक नहीं पहुँची है जहां पर होना चाहिए था। देश में केवल 11 प्रतिशत विद्यार्थी ही उच्च शिक्षा तक पहुंचते हैं। इस आंकड़े में जबर्दस्त सुधार की जरूरत है। इसके लिए हमें जहां अपने संसाधन एवं विश्वविद्यालय की संख्या तो बढ़ानी ही होगी साथ ही साथ पूरी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा।

अगर 21वीं सदी में भारत के 6 से 14 वर्ष के 6 करोड़ बच्चे अशिक्षित रहते हैं और बेरोजगारों और अर्ध–बेरोजगारों की फौज बढ़ती है, तो यह गहन चिंता का विषय है। देश में एक ओर कौशल सम्पन्न लोगों की भारी कमी महसूस की जा रही है और दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं है और इस संबंध में कई योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं। इसके परिणामस्वरूप वृद्धि तो हो रही है पर समस्या गुणात्मक वृद्धि की है।

स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के हर स्तर पर यह समस्या विद्यमान है। संख्या की दृष्टि से स्कूल और कॉलेजों (सरकारी व निजी) की संख्या बहुत अधिक है किन्तु कुछ अपवादों को छोड़कर गुणवत्ता की दृष्टि से शिक्षा का स्तर काफी नीचा है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कमोवेश परम्परागत पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद रोजगार की सम्भावना बहुत कम है। रोजगार देने वाले व्यक्तियों को पुनः प्रशिक्षित करना होता है। डिग्रियां केवल छंटाई करने की प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल होती है या फिर आवेदन करने के लिए पासपोर्ट के तौर पर।

यदि थोड़ा बारीकी से देखें तो पाएंगें कि विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के उपरान्त भी भारी संख्या में विद्यार्थी बेरोजगार बने रहते हैं; कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर विषयों का जीवन की वास्तविकताओं से संबंध कम ही होता है; इस तरह यह शिक्षा ज्यादातर एक त्रासदी ही रचती है। इसमें दो स्तरों पर बदलाव की जरूरत है– एक एकेडमिक्स में नवाचार, दूसरा – विषयों को जीवन से जोड़कर आजीविका पक्ष की मजबूती। शिक्षा के पाठ्यक्रम को समकाल का सहचर होना चाहिए तथा

उसमें हमारे आन्तरिक सौंदर्य को प्रतिबिंबति करने की क्षमता भी होनी चाहिए, पाठ्यक्रमों में समयानुकूल बदलाव आवश्यक है। इसके लिए प्रतिभाशाली विद्वानों, चिंतकों तथा विषय पर गहरी पकड़ रखने वालों को जोड़े रखना चाहिए। इतिहास का समकालीन अध्ययन बेहद रोचक तथा रोजगार परक हो सकता है। संस्कृति को सूचना प्रौद्योगिकी तथा मेडिकल से जोड़कर नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। उपर्युक्त बातों को सैद्धान्तिक और एकेडमिक अध्ययन की शिथिलता से न जोड़ा जाए। प्रयोजन सिर्फ यह है कि नए क्षितिज खोजकर संभावनाएं विकसित की जाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति ने हाल में पेश की गई अपनी एक रिपोर्ट में देश में शोध और उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है; अपनी चिंता में समिति ने यह भी कहा है कि आखिर उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? वर्तमान में उच्च शिक्षा की अधिकांश संस्थाएं डिग्री बांटने तक सीमित हैं। देश में मौजूदा समय में लगभग 800 विश्वविद्यालयों और इनसे जुड़े तकरीबन 40 हजार महाविद्यालय हैं।

पिछले दिनों लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान और भविष्य पर सार्थक चर्चा करने के लिए शिक्षा विदों का समागम हुआ। शिक्षा से सफलता के सूत्र गढ़ने के उद्देश्य से दैनिक जागरण के **''जागरण कुलपति फोरम''** में राज्यपाल रामनाइक के साथ प्रदेश के केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया। राज्यपाल महोदय द्वारा उच्च शिक्षा की चुनौतियों का जिक्र किया गया। उनका पहला प्रश्न था कि जब योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो उच्च शिक्षा की बदहाली कैसे सुधरेगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 45 से 50 प्रतिशत पद रिक्त होनें पर चिंता जताते हुए राज्पाल महोदय ने कहा कि यह उच्च शिक्षा के लिए कैंसर है। मानको के दर किनार कर कालेजों को सम्बद्धता दिए जाने के **व्यापार** का जिक्र करते हुए कहा कि अक्सर नए महाविद्यालय की स्थापना का मकसद शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि अनाप–शनाप तरीके से कमाई गई रकम को ठिकाने लगाना होता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से उच्च शिक्षण संस्थाओं

के मूल्यांकन के दयनीय स्थिति को भी राज्यपाल महोदय ने उजागर किया। जोर–जुगाड़ से सम्बद्धता हासिल करने की बढ़ती प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालयों को नसीहत दी कि सम्बद्धता व्यापार नहीं बल्कि मिशन है।

यूजीसी के मानकों के अनुसार, स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 12 छात्रों पर एक शिक्षक तथा स्नातक छात्रों के लिए 15 छात्रों पर एक शिक्षक निर्धारित है, परन्तु ऑकड़े बताते हैं कि वर्तमान में यह अनुपात 23 छात्रों पर एक शिक्षक का है। इस प्रकार उच्च शिक्षा से जुड़े ऑकड़े जो संकेत देते हैं उससे ऐसा अनुमान है कि 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 30 फीसदी तक जा सकता है। ऐसे में देश को लगभग 900 विश्वविद्यालयों और तकरीबन 70 हजार महाविद्यालयों की आवश्यकता होगी।

भारतीय उच्च शिक्षा की एक अन्य बड़ी समस्या आर्थिक संसाधनों का अभाव भी है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। आज दुनिया के विकसित देश अपनी उच्च शिक्षा पर कुल बजट का 9 से 10 फीसदी तक खर्च कर रहे हैं, परन्तु भारत में राष्ट्रीय आय का महज एक फीसदी से भी कम उच्च शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। 1964में शिक्षा में सुधारों के लिए बने **कोठारी कमीशन** ने शिक्षा पर छह प्रतिशत (6%) खर्च करने का सुझाव दिया था। **भारतीय ज्ञान आयोग** ने भी अपने सुझाव में उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का डेढ़ फीसदी (1.5%) खर्च करने की बात कही थी, परन्तु देश की आजादी के 67 सालों बाद भी हम उच्च शिक्षा पर खर्च एक फीसदी तक भी पहुँचा नहीं पाए हैं। यह अनुमान स्वतः लगाया जा सकता है कि उच्च शिक्षा के इतने सीमित बजट में शिक्षण और शोध की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आज दुनिया के ताकतवर व समृद्ध देशों की सफलता का कारण उनकी विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा ही है। शोध से जुड़े आँकड़े बताते हैं कि ब्रिक्स देशों में केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ शोध पर कुल जी.डी.पी. का मात्र 0.9 फीसदी खर्च किया जाता है। दूसरी ओर चीन में यह 1.9 फीसद, रूस में 1.5 फीसद ब्राजील में 1.3 फीसद तथा दक्षिण अफ्रिका में एक फीसद खर्च होता है।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों को भी इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, हलांकि इसके अतिरिक्त सरकार को अपने नियम दुरुस्त करने होंगे, क्योंकि अमेरिका या यूरोपीय अनुभवों के उलट भारत में निजी क्षेत्र मुनाफे के चक्कर में गुणवत्ता से हमेशा समझौता करते हुए नजर आता है। इन सबके अतिरिक्त शिक्षा से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का विकास, पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति को सुनिश्चित किया जाना शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल के निर्माण में सहायक है।

शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिक स्तर से ही बेहतर सुधारी जा सकती है, उसे बाद में सुधारना कठिन है। **प्रो. यशपाल** ने 1992 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि– भारत में स्कूली शिक्षा में बड़ी संख्या में आरंभिक कक्षाओं में ही बच्चों के अक्रांत हो जाने की एक वजह उसका दुर्बोध होना है। सूचनाओं से पुस्तक लेखक भी आतंकित रहते हैं एवं पुस्तकों में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं डाल देतें हैं। परिणाम यह होता है कि न तो छात्र और न शिक्षक ही उसे समझ पाते हैं। इतना ही नहीं पाठ्यक्रम के सुधार के नाम पर उसका स्तर बढ़ा दिया जाता है और तमाम ऐसी चीजें भर दी जाती हैं जिन्हें उस स्तर के बच्चे नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में रटने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता इसलिए ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती। यह बात स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक विद्यमान है। इसलिए छात्र डिग्री पाने के लिए पुस्तकों के बजाय गाइड्स और नकल का सहारा लेतें हैं। वर्तमान में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग यहीं दोहरा रहे है कि सैद्धांतिक व आदर्श की बातों से व्यवसाय नहीं चलता है। तमाम विषय अपने परिवेश से अलग होते हैं। छात्रों को लगता है कि ज्ञान नितांत बाहरी, अनावश्यक और किताबी बात है न कि जीवन में उपयोग आने वाली आवश,यक पूंजी।

शिक्षकों पर डंडा चलाकर शिक्षा को सुधारा जा सकता है, यह धारणा तत्काल बदल देनी चाहिए क्योंकि शिक्षण कोई कारखाना नहीं है और न ही स्कूल मजदूर, जो कि समय पर जाकर काम चालू कर उत्पादन शुरू कर दें। अगर शिक्षक की अन्तःप्रेरणा उसे पढ़ाने और सिखाने के लिए तैयार नहीं करती, तो शिक्षा नहीं दिलाई जा सकती। उसे कक्षा में निश्चित समय हाजिर तो किया जा सकता है और निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है, पर शिक्षा छात्रों

तक पहुँचेगी इसकी गारंटी नही ली जा सकती। शिक्षा के लिए मात्र शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, स्वयं छात्र, परिवार और सम्मपूर्ण वातावरण– ये तीनों समान रूप से शिक्षा में योगदान करते हैं। शिक्षकों को भी अपनी भूमिका और गम्भीरता से निभानी होगी। शिक्षकों को भी समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, अभी इसका अभाव है। पुराने शिक्षक नई तकनीक और सूचनाओं से अपडेट रहें यह जरूार है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों का अनुशासित होना बहुत जरूरी है। शिक्षक अनुशासित होंगे तो छात्र भी अनुशासित होंगे। अनुशासन से ही व्यक्ति में जिम्मेदारी व ईमानदारी का भाव पैदा होता है और वह देश के लिए बेहतर ढ़ंग से काम करने के लिए तत्पर होता है।

विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक संस्कृति का विकास करना चाहिए, जिससे शिक्षकों और शिक्षार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। वेहतर हो कि परम्परा और नई दृष्टि का मेल रखा जाए। अपने समय को अलक्षित नहीं किया जा सकता। आधुनिकता की दौड़ में शाश्वत विचारों और साहित्य से वंचित होना उचित नहीं, उसी तरह धुर पारम्परिकता से समकाल को पहचाना नहीं जा सकता। परम्परा का औचित्यपूर्ण अवगाहन तथा समकाल की चेतना का वाजिब स्वीकार– दोनों का संतुलन उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय को नया संबल दे सकते हैं। विश्वविद्यालयों में विचारो ंकी गहमगहमी और पारंपरिक संवाद बना रहना चाहिए। ग्यान के नवीनतम क्षेत्रों के प्रति उत्सुकता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रांसगिक बनाए रख सकती है। परन्तु ध्यान रखिए विचारों की नवीनता, पारस्परिकता, कर्मठता, प्रयोगशीलता, दृष्टिगत खुलापन और आत्मीयता से उच्च शिक्षा ही नहीं, जीवन की चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है। हम विश्व में है और विश्व हमारे अंतस में है। यह विद्या की पारपरिकता है।

हमारी परीक्षा प्रणाली पढ़ने–जानने–सोचने के बजाय नम्बर लाने की तरकीब खोजने को प्रेरित करती है। इसका खुला प्रमाण यह भी है कि कथित पाठ्य–पुस्तकों को एक बार भी देखे बिना परीक्षार्थी मजे से परीक्षाएं पास कर सकते हैं। विविध गाइड, हेल्प–बुक आदि के सहारे यह होता है। फिर टिक लगाने (ऑब्जेक्टिव) जैसी परीक्षाओं के चलते छात्रों की अभिव्यक्ति, भाषाई क्षमता के साथ जो विध्वंस हुआ है वह अलग

करूण कथा है। पाठ्य–सामग्री के चयन में अपने भाषा साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को प्रमुख स्थान देना चाहिए। उन्हें तैयार करने में सर्वोत्तम शिक्षकों की भूमिका मुख्य हो। हमारे राज्यों में पाठ्य–पुस्तकें नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम एक रहे। तदनुरूप विभिन्न उत्कृष्ट पाठ्य–पुस्तकें तैयार करने को प्रोत्साहन मिले। इस प्रतियोगी भावना से उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

सार यह है कि उच्च शिक्षा की अकादमिक क्रियाओं एवं उनसे अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीकों के उचित समन्वय से शिक्षा के मूल उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का युक्ति युक्त समाधान किया जा सकता है। संभव है कि प्रारंभिक स्तर पर नवीन तकनीक अपनाने में कुछ विषमताएं आएं परन्तु उचित सहयोग और समन्वय से भविष्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगें।

वर्तमान समय में अब उच्च शिक्षा में सुधार सबकी चिंता का विषय बन गया है। स्वाभाविक है कि यह चिंता ही उच्च शिक्षा के उत्थान की गाथा लिखेगी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. गिरीश चन्द्र त्रिपाठी कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति वहीं है जो चरित्रवान एवं संस्कारित हो। वे संस्कारयुक्त राष्ट्रीयता से ओत–प्रोत उच्च शिक्षा की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि विद्यार्थी को आजीविका की चिंता नहीं होनी चाहिए यदि ज्ञान है तो रास्ता बन ही जायेगा। आज शैक्षिक संस्थानों को स्वयत्तता देनें के के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। अच्छी संस्थाओं को ज्यादा स्वयत्तता मिलनी चाहिए और खराब संस्थाओं पर अधिक सख्ती होनी चाहिए। वर्तमान केन्द्रीय सरकार कह रही है कि स्वयत्तता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही नीति घोषित की जायेगी।

सही मायनों में हमें आज राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के ढाँचे को वैश्विक रूप प्रदान करने की महती आवश्यकता है। साथ ही अपनी संस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए उनमें ढांचागत सुधार, शोध श्रेष्ठता, शिक्षक–छात्र अनुपात व मानकों के अनुरूप शिक्षकों की अविलम्ब नियुक्ति जैसे मुद्दों पर गंभीरता व त्वरित गति से काम करके उच्च शिक्षा की छवि को सुधारा जा सकता है।

उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए संगोष्ठी एवं परिचर्चा का समय–समय पर आयोजन किया जाय, जिससे उच्च शिक्षा में सुधार हो सके और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार एवं सम्मान मिल सके और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों में जगह मिल सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1- लर्निंग : द ट्रेजर विदिन, यूनेस्को पब्लिशिंग, पेरिस, 1996

2- सेवन सोशल सिन्स, जे.एस. राजपूत, एलाइड पब्लिशर्स, दिल्ली, 2014

3- गुप्ता आशा, उच्चतर शिक्षा के अदलते आयाम, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेषालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

4- यंग इण्डिया , 22 अक्टूबर, 1925.

5- अग्रवाल पवन 2006, भारत में उच्च शिक्षा

6- पाठक पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ।

7- दैनिक जागरण समाचार पत्र 21 दिसम्बर 2014, 13 मई,15 मई, 1 जुलाई, 13 अगस्त, 15 अगस्त 2015

8- योजना, सितम्बर 2009, जून 2010

9- यूजीसी एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2014–15

10-www.ugc. ac. in

11-परीक्षा मंथन

12-www.wikipedia .org

13-समसामयिकी क्रॉनिकल

14-घटनाचक्र समसामयिकी

15-राष्ट्रीय जनगणना अभिलेख, 2011

मीनू पाण्डेय शोध छात्रा (शिक्षाशास्त्र)
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

मन्नू भंडारी के कथा–साहित्य में नारी जीवन

– गरिमा गुप्ता

हिन्दी कथा साहित्य में मन्नू भंडारी का विशिष्ट स्थान है। मन्नू भंडारी ने साहित्य के विविध रूपों जैसे उपन्यास, कहानी एवं नाटक आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मन्नू भंडारी ने भारतीय समाज में स्त्री की दशा एवं दिशा का मार्मिक चित्रण किया है और वे पुरुष के वर्चस्ववादी समाज में स्त्री की मुक्ति के प्रश्न को गंभीरता से उठाती है। ''उन्होंने परम्परागत रूढ़ियों, मान्यताओं तथा नैतिकता से शोषित स्त्री के मौलिक व्यक्तित्व की खोज की है। वह स्त्री को पारंपरिक स्त्रीत्व के भार से मुक्त करना चाहती हैं''[1]

मन्नू भंडारी अपने कथा साहित्य में स्त्री के जीवन में पुरुष की अनिवार्यता को स्वीकार करती हैं। वे स्त्री को पति की सहगामिनी के रूप में देखती हैं, अंधानुगामिनी के रूप में नहीं। उन्होंने स्त्री को विभिन्न पारिवारिक सम्बन्धों और व्यापक सामाजिक संदर्भों में अंकित किया है।''[2] उनका दृष्टिकोण एक तरह से सुशिक्षित, स्त्री चेतना से सजग उस भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय समाज की परम्पराओं को तो स्वीकार करती है लेकिन उन सभी रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध करती है।

मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में स्त्री समाज के विविध रूप हैं। 'दीवार बच्चे और बरसात' कहानी में ऐसी शिक्षित स्त्री का वर्णन है, जो बलात् पुरुष को अपना शरीर न दे पाने की अपराधी है। पुरुष समाज की दृष्टि में ही नहीं बल्कि अशिक्षित स्त्रियों की दृष्टि में भी स्त्री पुरुष की एक सम्पत्ति है। स्त्री केवल भोग्या है, वह मात्र शरीर है व्यक्ति नहीं।'[3]

'कमरा और कमरे, कहानी में स्त्री के दबे हुए व्यक्तित्व को, चित्रित करती है। समाज में स्त्री को परित्यक्ता और विधवा का अभिशाप भोगना पड़ता है, पुरुष को नहीं। न जाने कितने रीति–रिवाज हैं जहाँ पर विधवा की उपस्थिति अशुभ मानी जाती है। मन्नू जी ऐसी दकियानूसी विचारधारा को सिरे से नकारती हैं। परिवार भारतीय समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार वह सेतु है जो व्यक्ति को समाज अथववा समाज को व्यक्ति से जोड़ता है। परिवार में ही व्यक्ति के विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों

की नींव है स्त्री और पुरुष। 'आपका बंटी' उपन्यास के केन्द्र में परिवार हैं और इसमें परिवार के टूटने से बच्चे के जीवन में अकेलेपन की समस्या के साथ–साथ स्त्री के संघर्ष एवं टूटने की पीड़ा को भी चित्रित किया गया है। मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में संयुक्त परिवार व्यवस्था की कमियों की अभिव्यक्ति 'आकाश के आइने में' कहानी में की गयी है। मन्नू भंडारी ने 'छत बनाने वाले' और 'अंकुश' कहानी में संयुक्त परिवारों के विखण्डन और एकल परिवारों के निर्माण की समस्याओं को चित्रित किया है। आज की स्त्री चेतना सम्पन्न नारी एकल परिवार को महत्व देती है, लेकिन उसमें भी अनेक विसंगतियाँ हैं, एकाकीपन है। इस व्यवस्था में भी स्त्री को वह स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी वह अधिकारिणी है।

भारतीय समाज में स्त्री की कोई पहचान नहीं हैं विवाह पूर्व उसकी पहचान पिता से, विवाह के बाद पति से और अंत में पुत्र से जुड़ जाती है। आज स्त्री ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व के लिए प्रतिरोध करना प्रारम्भ कर दिया है जो उसकी जागरूकता का सूचक है। आधुनिक शिक्षित स्त्री के लिए प्रेम न गुप्त है औन न पाप। आधुनिक स्त्री संस्कृति, समाज के बंधन की मानसिकता का विरोध करती है। मन्नू भंडारी की कहानी 'त्रिशंकु' में समाज–व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध है।''[4] 'मैं हार गई' कहानी में राजनैतिक व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध है। 'आपका बंटी' उपन्यास की नारी पात्र शकुन ने शोषण एवं उत्पीड़न के प्रति प्रतिरोध व्यक्त किया है।''[5] 'एक इंच मुस्कान' उपन्यास में 'अमला' के मन में विवाह को लेकर अनिच्छा सी है। 'ईसा के घर इंसान' कहानी की एंजिला धर्म के नाम पर होने वाली स्त्री शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध करती है तथा अन्याय के लिए चर्च और फादर का भंडाफोड़ करती है।''[6] 'रानी माँ का चबूतरा' कहानी में गुलाबी अपने पति को झाडू मार–मार कर घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि वह शराबी और निकम्मा है, मन्नू भंडारी की दृष्टि में प्रतिरोध यदि सार्थक होगा तो समाज के विकास की गति परिवर्तित होगी। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण होगा तथा समानता, सद्भाव, सहभागिता और सामंजस्य विकसित होगा।

शहरी जीवन की संस्कृति जटिल और गतिशील होती है। इससे मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन कृत्रिम हो जाता है। नगरीकरण का प्रमुख कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी है। सहानुभूति और मानवीयता का स्थान स्वार्थ,

तनाव, अकेलेपन और कुंठा ने ले लिया है। मन्नू भंडारी ने महानगरीय जीवन को जिया है, इसे निकटता से देखा है। इसलिए उनकी रचनाओं में स्वाभाविकता का मंगल–कुंकुम सर्वत्र बिखरा हुआ है।''[7] शहरी जीवन की संस्कृति में प्रेम, विवाह, तलाक सामान्य है, जिसका वर्णन मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में है। शहरों में स्त्री स्वतंत्र एवं शिक्षित होती है, इसलिए निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। 'भाभी' संयुक्त परिवार में रहने के कारण घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है। मन्नू भंडारी ने शहरी और ग्रामीण स्त्री पात्रों के परिवेशगत अन्तर को भी चित्रित किया है।

समाज और संस्कृति के निर्माण में पुरुष अपना वर्चस्व स्थापित कर स्त्री को अपने अधीन कर लेता है, और नारी इसे अपनी नियति मान लेती है। भारतीय समाज में वर्चस्व की संस्कृति जाति व्यवस्था में निहित है। जाति व्यवस्था में शूद्र एवं स्त्री शोषित हैं।[8]

भारतीय समाज प्रारम्भ में गुण एवं कार्य के आधार पर विभाजित था, फिर भी ब्राह्मण व्यापार और क्षत्रिय कृषि आदि कर सकता था। कालान्तर में जाति व्यवस्था और वर्ग बन गये। तद्नन्तर उच्च वर्ग के लोग कानून, नियम और संस्था बन गये तथा निम्नवर्गीय लोग इस पद सोपान में बंधते चले गये। इस प्रकार उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शेाषण का दौर प्रारम्भ हो गया। निम्न वर्ग के साथ–साथ स्त्रियेां को भी इसी वर्ग में माना जाता है।''[9] शिक्षा से वंचित रहने के कारण स्त्री सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक दृष्टि से पुरुष के अधीन होती चली गई। ''पुरुष यदि स्त्री को देवी के पद पर आसीन कर उसकी स्तुति कर सकता था, तो देवी को छिन्न–भिन्न करने की ताकत भी उसके पास थी।''[10] पुरुष का वर्चस्व अर्थ, ज्ञान और शारीरिक बल के कारण है, जिसके अभाव में स्त्री पराधीन है। स्त्री घर में कैद रहती है, और युद्ध के समान वह पुरुष की दास है। समाज की मर्यादा, नैतिकता और आदर्श उस पर आरोपित है। वह सम्पूर्ण जीवन पति की सेवा करती है, अंत में पति के साथ सती कर दी जाती है। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह शोचनीय है।

मन्नू भंडारी के कथा–साहित्य में भारतीय स्त्री की विविध स्थितियों को चित्रित किया गया है। स्त्री की समस्याएँ आज भी हैं, जिनसे मुक्ति मिलने का प्रयास नारी कर रही है। जब स्त्री अपनी विविध स्थितियों में अपने अस्तित्व और अस्मिता को सुरक्षित रख सकेगी, तभी

उसे गरिमा प्राप्त होगी। ''अब अनपढ़ स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर उन्हें पाने के लिए सक्रिय हैं।''[12] नारी विमर्श में यौन स्वतंत्रता का मन्नू भंडारी विरोध करती हैं। कथाकार ने अपने को किसी वाद से नहीं जोड़ा है बल्कि खुली–आँखों से चारों ओर फैली–बिखरी जिन्दगी को देखा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनका कथा साहित्य है। वस्तुतः नारीवाद, न तो पुरुष, विरोधी है और न पुरुष से आगे जाने का प्रयास है अपितु वह तो समानता का संघर्ष है। ''जहाँ नारी शोषण की बात आती है, वहाँ वह नारीवादी हो जाती है।''[13] वह परम्परा को तोड़कर नया आकार निर्मित नहीं करती, बल्कि परम्परा के चौखटे में ही आधुनिकता का आह्वान करती है।

संदर्भः

1.डॉ0 बंशीधर डॉ0 राजेन्द्र मिश्र मन्नू भंडारी का श्रेष्ठ सृजनात्मक साहित्य साक्षात्कार पृष्ठ 101
2.मन्नू भंडारी, मैं हार गई, पृष्ठ 40
3. वही, पृष्ठ 94
4. मन्नू भंडारी, त्रिशंकु, पृष्ठ 65
5. मन्नू भंडारी, 'आपका बंटी, भूमिका
6. मन्नू भंडारी, 'मैं हार ई, पृष्ठ 19
7.डॉ0 ब्रजमोहन शर्माः कथालेखिका मन्नू भंडारी, पृष्ठ 108
8. मन्नू भंडारी, त्रिशंकु, पृष्ठ 70
9. पुरुषोत्तम अग्रवालः संस्कृति–वर्चस्व और प्रतिरोध, पृष्ठ 23
10.वही पृष्ठ 38
11.सीमोन द बोउवार (अनुवाद डॉ0 प्रभा खेतान) स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ 55
12.सं0 हरिनारायण–कथादेश (पत्रिका) जनवरी–2009 साक्षात्कार, पृ0 175
13.डॉ0 दिलीप मेहरा–मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में मानव जीवन समस्याएँ, पृष्ठ 243

कु0 गरिमा गुप्ता
शोध–छात्रा, हिन्दी विभाग
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय

आधुनिक जीवन शैली में योग

– अवध नारायण

योग एक ऐसी ऊर्जा है जो मन में प्रविष्ठ होकर एक सशक्त विचार बन जाती है और जब यह विधा अभ्यास में उतरती है तो कई व्याधियों से उबरने का समर्थ साधन सिद्ध होती है।योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। योग अब विश्वभर में लोकप्रिय है। इसने क्षेत्र, जाति, समुदाय, और राष्ट्रीयता की सीमाएं पार कर ली हैं भारतीय ग्रंथों में योग को प्राचीन विज्ञान कहा गया है, जिसे ऋषियों ने विकसित किया था और शताब्दियों से जिसका अभ्यास किया जा रहा हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों के संदर्भ देकर कई वर्षों से योग पर साहित्य तैयार किया गया हैं यह पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसकी लोकप्रियता तथा मानव मस्तिष्क एवं शरीर पर इसके प्रभाव को पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। किंतु, अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि योग का विकास जीवन को परिवर्तित करने वाले अनुभव के रूप में हुआ है, जिसमें मानव सभ्यता को बेहतर बनाने की संभावना है।

योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। विश्व की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों पर यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। भगवान शिव के बाद वैदिक ऋषि–मुनियों से ही योग का प्रारम्भ माना जाता है। बाद में वासुदेव श्री कृष्ण, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके बाद महर्षि पतंजली ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। पतंजलि का योगसूत्र, जिसपर विभिन्न टीकाकारों ने टीकाएं लिखी हैं। पतंजलि ने योग का आठ अंगो वाला मार्ग बताया है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। यह अष्टांग योग व्यक्ति के सभी पक्षो का ध्यान रखता है।

अर्थप्रधान एवं अतिव्यस्त आधुनिक जीवन शैली अपनाने के कारण आज का मानव न चाहते हुए भी दबाव एवं तनाव, अविश्राम, अराजकता,

रोगग्रस्त, अनिद्रा, निराशा, विफलता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा अनेकानेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करने के लिए बाध्य हो गया है। जल, वायु, ध्वनि तथा अन्न प्रदूषण के साथ–साथ ऋणात्मक दुर्भावनाओं का भी वह शिकार बन चुका है। परिणामस्वरूप अनेकानेक शारीरिक रोगों के साथ–साथ मानसिक असंतुलन, चिंताएं, उदासी, सूनापन एवं दुर्भावनात्मक विचार उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। उसके मन की शान्ति भंग हो जाती है लेकिन इन परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए हमारी भारतीय पौराणिक योग पद्धति सहायता कर सकती हैं। तथ्य यह है कि मानव अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य एक मात्र योग है। उसका प्रादुर्भाव योग में रहने के लिए हुआ है। योग साधना को यदि अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया जाय तो यह मानव की खोई हुई राजसत्ता की पुनर्प्राप्ति का आश्वासन होता है एवं पुनः अनन्त सत्य के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। योग स्वयं जीवन का सम्पूर्ण सद्विज्ञान है। योग

हमारे सभी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक कष्टों एवं रोगों से मुक्ति दिलाता है। यह परिपूर्णता एवं अखण्ड आनंद के लिए वचनबद्ध है। आज मनुष्य के पास सभी कार्यों के लिए पर्याप्त समय है और यदि समय नहीं है तो अपने लिए ऐसी व्यस्तता किस काम की जिससे उच्च तनाव की स्थिति उत्पन्न हो एवं परिणामतः भयंकर रोगों को आमंत्रित किया जाता है। यदि हम अपने लिए प्रातः कालीन ब्रह्म बेला में अपनी शारीरिक क्षमतानुसार आधे से एक घण्टे का समय अपने शरीर की सेवा हेतु निकालें तो बहुत लाभ होंगे। शरीर साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी ने ठीक ही कहा है– जान है तो जहां है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है– पहला सुख निरोग काया।

योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा विज्ञान है, जीवन जीने की एक कला है। योग शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है– जोड़, दूसरा है–समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ते, समाधि तक पहुंचना कठिन होगा अर्थात् जीवन में सफलता की समाधि पर परचम लहराने के लिए तन, मन और आत्मा का स्वस्थ होना अति आवश्यक है और ये मार्ग और भी सुगम हो सकता है, यदि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें।योग उपचार, स्वास्थ्य एवं

स्वस्थ जीवन की औषधि रहित पद्धति भी हैं स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में इसके अपने सिद्धांत एवं अवधारणाएं हैं। यह स्वास्थ्य के प्रति सर्वांगीण दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसमें जीवन के दैहिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्ष आते हैं। अच्छे स्वास्थ्य एवं रोग निवारण के लिए स्वस्थ जीवन के विभिन्न सरल एवं सुगम तरीके बताए गये हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुरूप दैनिक जीवन में भी शामिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी इसका प्रयोग प्रयोग किया जा सकता है।

मनुष्य की बदलती हुई स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए शोधकर्ता एवं साधक अब योग पद्धतियों का व्यापक प्रयोग कर रहे हैं। योग पर अब पूरी दुनिया का ध्यान जा चुका है। स्वास्थ्य की रक्षा एवं संवर्द्धन के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न रोगों पर नियंत्रण के लिए भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में योग पद्धतियों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तनाव के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधियों एवं मनोदैहिक विकारों के निवारण एवं नियंत्रण के लिए विभिन्न योग गुरू और चिकित्सा पेशेवर योग से जुड़ जीवन शैली के कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। योगाभ्यास से स्वास्थ्य बढ़ता है, रोगों का निवारण होता है, मनोदैहिक विकारों पर प्रभावी नियंत्रण होता है और चेतना के उच्च स्तर की बेहतर समझ बनती है। योग प्रणाली का दृष्टिकोण सर्वांगीण है और यह व्यक्ति का संपूर्ण उपचार करने में विश्वास करती है। योग की लोकप्रिय पद्धतियां, क्रियाएं, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, विश्राम की विधियां, बंध एवं मुदाएं, ध्यान आदि हैं।

वैदिक संहिताओं के अंतर्गत तथा प्राचीन काल में वेदों में (900 से 500 ई. पू.) तपस्वियों का उन्लेख मिलता है, जबकि तापसिक साधनाओं का समावेश प्राचीन वैदिक टिप्पणियों में प्राप्त है। कई मूर्तियाँ जो सामान्य योग या समाधि मुद्रा को प्रदर्शित करती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वज्ञ ग्रेगरी पोस्नेह के अनुसार ''ये मूर्तियाँ योग के धार्मिक संस्कार के योग से सम्बन्ध का संकेत करती है।'' यद्यपि इस बात का निर्णायात्मक सबूत नहीं है, फिर भी अनेक पंडितों की राय में सिंधु घाटी सभ्यता और योग–ध्यान में सम्बंध हैं ध्यान में उच्च चैतन्य को प्राप्त करने की रीतियों का विकास ऋग्वैदिक परम्पराओं द्वारा एवं उपनिषद की

परंपरा द्वारा विकसित हुआ था। बुद्ध के पूर्व एवं प्राचीन ब्रह्मिनिक ग्रंथों में ध्यान के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। बुद्ध के दो शिक्षकों के ध्यान के लक्ष्यों के प्रति कहे वाक्यों के आधार पर वह यह तर्क करते हैं कि निर्गुण ध्यान की पद्धति ब्रह्मिन परंपरा से निकली, इसलिए उपनिषद की सृष्टि के प्रति कहे कथनों में एवं ध्यान के लक्ष्यों के लिए कहे कथनों में समानता है। यह संभावित हो भी सकता है और नहीं भी।

उपनिषदों में ब्रह्माण्ड संबंधी बयानों के वैश्विक कथनों में किसी ध्यान की रीति की सम्भावना के प्रति तर्क देते हुए कहा गया है कि नासदीय सूक्त किसी ध्यान की पद्धति की ओर ऋग्वेद से पूर्व भी इशारा करते हैं। यह बौद्ध ग्रंथ शायद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें ध्यान तकनीकों का वर्णन प्राप्त होता है। वे ध्यान की प्रथाओं और अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, जो बुद्ध से पहले अस्तित्व में थीं और साथ ही उन प्रथाओं का वर्णन करते हैं, जो पहले बौद्ध धर्म के भीतर विकसित हुई। हिन्दू वांग्मय में योग शब्द सबसे पहले कथा उपनिषद में प्रस्तुत हुआ, जहाँ ज्ञानेन्द्रियों का नियंत्रण और उच्चतम स्थिति प्रदान करने वाला माना गया है। योग का ठोस आधार पतंजलि के 'योगसूत्र' से देखने को मिला है। 'योगसूत्र' योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह हिन्दूओं के छः दर्शनों में से एक है और योगशास्त्र का एक ग्रंथ है। छः दर्शनों में योगदर्शन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे समय के साथ योग की कई शाखाएं निकली, जिनका प्रभाव बड़े व्यापक रूप में अनेक भारतीय पंथों संप्रदायों और साधनाओं पर पड़ा।

योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने (योग) का काम होता है। यह शब्द, प्रक्रिया और धारणा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण–पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है और इस समय पूरी दुनिया में लोग इससे परिचित हैं। भगवद्गीता में योग शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, कभी अकेले और कभी सविशेषण, जैसे बुद्धियोग, संन्यासयोग, कर्मयोग। वेदोत्तरकाल में भक्तियोग और हठयोग नाम भी प्रचलित हो गए हैं। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का व्यवहार किया है। पतंजलि योदर्शन में क्रियायोग शब्द देखने में आता हैं पाशुपत योग और माहेश्वर योग जैसे

शब्दों के भी प्रसंग मिलते हैं। इन सब स्थलों में योग, शब्द के जो अर्थ हैं वह एक–दूसरे के विरोधी हैं परंतु इस प्रकार के विभिन्न प्रयोग को देखने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि योग को परिभाषित करना कठिन कार्य है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अव्यापित और अतिव्याप्ति दोषों से मुक्त हो। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है 'योग' कर्मसु कौशलम' अर्थात् योग से कर्म में कुशलता आती है। साफ है कि यह वाक्य योग की परिभाषा नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिल जाने को योग कहते है। पंतजलि ने योगदर्शन में, जो परिभाषा दी है 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'। इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैंः चित्तवृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है या इस अवस्था को लाने के उपाय को योग कहते हैं।

युवा वर्ग संबंधी सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं में ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनमें इंगित होता है कि हमारे समाज में युवा वर्ग व्यक्तिगत पसंद, पर्यावरणीय प्रभावों और जीवनशैली में बदलाव के कारण कई संचारी और गैर–संचारी विकारों से प्रभावित होता हैं। युवाओं की समस्याएं केवल सामाजिक और आर्थिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। पीड़ादायक संबंधों और अकेलेपन के कारण वे मादक पदार्थों और शराब के व्यसनी हो जाते हैं। युवाओं की अन्य समस्याओं में सहकर्मियों का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारी और काम का बोझ शामिल हैं। उचित परामर्श या देशभाल की कमी के चलते कई बार युवा अपने जीवन का अंत भी कर देते हैं। युवाओं की आम स्वास्थ्य समस्याएं जैसे– मोटापा, तनाव, चिंता और अवसाद, युवाओं में हिंसा, आत्महत्या की प्रवृत्तियां, तंबाकू का सेवन, शराब और मादक पदार्थों की लत, गैर–संचारी रोग इत्यादि।

योग के महत्व को आज दुनिया ने समझ लिया है। यही कारण है कि 21 जून, 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरूआत की गयी। योग के इतिहास में 27 सितंबर, 2014 का वह दिन बहुत ही ऐतिहासिक था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के महत्व को दुनिया को समझा रहे थे। उन्होंने कहा था कि 'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य ओर भलाई के

लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवनशैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है।' भारत की इस इस पहल का पूरी दुनिया में स्वागत हुआ।

योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर तरह से आवश्यक है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन अर्थात् योग बनाना है। योग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा, ध्यान और श्वसन सम्बंधी अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग की क्रियाओं में जब तन, मन और आत्मा के बीच योग बनता है, तब आत्मिक संतुष्टि, शांति और चेतना का अनुभव होता हैं इसके अतिरिक्त योग शारीरिक और मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। योग शरीर को शक्तिशाली एवं लचीला बनाए रखता है, साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है, जो रोजमर्रा की जिन्दगी के लिए आवश्यक है । योग से शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है। योग करने वाले वृद्धावस्था में भी चुस्त दुरूस्त रहते हैं। आयु के संदर्भ में भी योग लाभप्रद है। योग किसी भी उम्र के स्वस्थ स्त्री–पुरूष कर सकते हैं। स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानियों में भी योग किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है। जो व्यक्ति शरीर को बहुत अधिक घुमा–फिरा नहीं सकते, वे भी कुर्सी पर आराम से बैठकर योग कर सकते हैं। योग हर किसी की जरूरत है। कामकाजी लोग अपने दफ्तर में भी कुछ देर योग करके अत्यधिक काम के दबाव के बावजूद भी खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। छात्र मन की एकाग्रता और ध्यान के लिए योग कर सकते हैं।

इस प्रकार योग हमारे दिनचर्या को अनुशासित करने का सर्वोतम मार्ग हैं योग को संपूर्णता में स्वीकारने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे में यह जरूरी है कि देश का हर नागरिक योग के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन में अंगीकार करें और यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम वैज्ञानिक आधार पर योग की शरण लेकर शरीर एवं मन को पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखें।

संदर्भ ग्रंथ–

- ईश्वर एन आचार्य, केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली, 2015।
- उशाराबुध, आर्य पंडित, फिलोसोफी ऑफ हठ योग, 2. एड. पेन्नीसिलवेनिया हिमालयन इंस्टीट्यूट प्रेस 1985।
- के, जॉन (2000) इण्डिया : एक हिस्ट्री न्यू यार्क : ग्रोव प्रेस
- चांग, जी सी सी (1999) तिब्बती योग, न्यू जर्सी : केरल पब्लिकेशन ग्रुप
- पतंजलि (2001) योगा सूत्र ऑफ पंतजलि, स्टूडियों 34 योगा हिलिंग आर्टस, अधिगमन तिथि : 2008, 11–24।
- फ्यूएर्स्टे, जोर्ज, दी शक्भाला गाइड यूटुयोगा, 1. एड बोस्टन एंड लन्दन : शक्भाला पब्लिकेशन 1996।
- मित्रा, धर्म श्री, आसन : 608 योग मुद्रा, 1 एड कैलिफोर्निया : नई वर्ल्ड लाइब्रेरी 2003।
- क्युलर (1899), अध्याय 7, ''योग फिलोसोफी'', पी. 104।
- रस्तोगी राजीव, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली, 2016।
- सरस्वती स्वामी सत्यानन्द नवम्बर 2002 (12वें संस्करण) ''आसन प्राणायाम मुद्रा बंधा''
- हरीनन्द, स्वामी, योगा एण्ड द पोर्टल, जय दी मार्केटिंग।

अवधनारायण

शोध–छात्र, प्राचीन इतिहास विभाग,

नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी वि0वि0 इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

समकालीन समाज में स्त्रियों की भूमिका

– बालसुधा यादव

मानव सभ्यता के इतिहास में स्त्री अस्मिता उसके अधिकार और स्वतंत्रता का प्रश्न अत्यंत जटिल और उलझनपूर्ण रहा है। स्त्री को लेकर आज तक जितनी व्यवस्थायें बनी हुई प्रायः सभी में स्त्री को दोयम दर्जे पर रखा गया है ओर पुरूषवादी सोच के सांस्कृतिक प्रतीकों के अस्त से स्त्री की स्थायी दासतां को रचा गया है। समाज व्यवस्था को मिला दोयम दर्जा, हीनता बोध, जाति, धर्म तथा संस्कृति की रूढ़ि मान्यताओं के कारण अपने 'स्व' की आहुति दे परिवार की चक्की में पीसना ही स्त्री की पहचान रही है। जहाँ तक समाज में स्त्रियों की भूमिका का प्रश्न है तो हिन्दी उपन्यास का आरम्भ 'स्त्री–विमर्श' से हुआ तथा आजादी के पहले उपन्यासों में किसानों के बाद स्त्रियों की समस्याओं को प्रमुख स्थान मिला। समकालीन लेखन का सीधा सम्बन्ध वर्तमान लेखन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात् आज की सम–विषम परिस्थितियों का साक्षात्कार हो और बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने समय के सच के पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया हों समकालीन होने का तात्पर्य यह भी है कि अपने समय के वैचारिक एवं रचनात्मक दबावों को झेलते हुए तमाम तनावों के बीच अपनी सृजनशीलता द्वारा अपने होने को प्रमाणित करना।

समाकालीन लेखन का साहित्य विमर्श स्त्री विषय दृष्टि के बिना अधूरा है जिसके प्रयत्न के केन्द्र में समसामायिक जीवन संदर्भो के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न रूप एवं आकार लेती स्त्री चेतना है। ''महिला कथाकारों ने नारी की स्वायत्तता को अनेक रूपों में चित्रित किया है। वह अपने जीवन में अपने संगी–साथियों के चयन में स्वतंत्र विचार रखना चाहती है। अब नारी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए समाज में आमूल परिवव्रन की कामना करती है।''

महिला रचनाकारों ने समकालीन परिवेश में स्त्री समाज की त्रासदी और विडम्बना उसकी रूढ़िग्रस्त मान्यताओं और धारणाओं से जुड़े प्रश्नों को खुले, तीखे एवं साहसपूर्वक ढंग से अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वरिष्ठ और प्रसि़द्ध कथा लेखिकाओं–उषा प्रियंवदा, मन्नू भण्डारी, कृष्णा सोवती, ममता कालिया, अनीता इत्यादि से लेकर

इधर पिछले लगभग दो दशकों के दौरान कथा रचना के क्षेत्र में अधिक सक्रिय और चर्चित मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, नासिराशर्मा, मालती जोशी, राजीसेठ, सूर्यबाला, शशिप्रभा शास्त्री, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, कात्यायनी, क्षमाशर्मा, अलका सरावगी इत्यादि महिला कथाकारों की एक लंबी परंपरा है, जिन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसे स्त्री–पात्रों को प्रमुखता दी है, जो अपनी स्वतंत्र सोच रखती हैं, अपनी आँखों से जिन्दगी के अंधेरे–उजाले पक्षों और विस्मृत होने को देखती हैं, एवं मानवीय रिश्तों के तमाम उलझे पृष्ठों को खोलने का प्रयत्न करती है, अपने स्त्री वर्ग पर थोपे गये व सदियों से चले आते विभिन्न प्रकार के मिथकों एवं भौतिक धार्मिक मान्यताओं की असामयिकता, व्यर्थता तथा जड़ता का खुलासा करती है।

समकालीन स्त्री विषयक दृष्टि में आत्माभित्यक्तिं के साथ–साथ आत्मसजगता का रेखांकन केन्द्र बिन्दु रहा। तथा नये प्रयोगों द्वारा वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक संरचना, 'संवाद' के जरिये साकार करता है। कुछ वर्ष पहले महिला लेखन पर आरोप लगाया जाता था कि यह समिति दृष्टि का साहित्य है, वह परिवार के दायरे से बाहर कि वह समय समाज के उन पेचीदा आयामों को नहीं उठता जो समकालीन जीवन को परिभाषित करें। राजीसेठ (गलत होता पंचतंत्र) सूर्यबाला (अंतरंग) इंदुरश्मि (दूसरी दुनिया) क्षमाशर्मा (रास्ता छोड़ों डार्लिंग), कुसुम अंसल (मेरे आशिक का नाम) नासिराशर्मा (संगसार) चित्रामुगदल (लकड़बग्घा), सारा राय (हनीमून) तथा अन्य कहानी लेखिकाओं की कहानियों में व्यक्त विषय स्थितियों। मनःस्थितियों को इन लेखिकाओं ने अपने सघन और एकांतिक अनुभवों से जोड़ने का प्रयास किया है। आधुनिक समाज और सभ्यता का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि पुरूष की वासना भरी लोलुप निगाहों से स्त्री अपने को कैसे बचाये।

आधुनिक नारी की दशा एवं दिशा तथा उसकी नियति को केन्द्र में रखकर चित्रामुद्गल ने 'आवाँ' उपन्यास में पूँजीवादी हथकंडो को भी बेनकाब किया है। कृष्णा सोवती ने अपनी औपन्यासिक कृतियों के जरिये व्यक्ति एवं समाज के माध्यम से अपनी सामाजिक जागरूकता का कलात्मक परिचय दिया है। सामाजिक फुसफुसाहटों और लुक छिपकर होने वाले संबंधों को 'सूरजमुखी अंधेरे' में व्यक्त करती हैं सत्य तो यह है

कि व्यक्ति का स्व कुछ भी नहीं, उसे अपने स्व को समाज के लिए विसर्जित करना पड़ता है। यही होता भी है। इसी तरह नासिरा शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक जटिलताओं के पशोपेश में जकड़ी और संघर्ष करती नारी का चित्रण है, जहाँ वह सामाजिक ताने–बाने से विषय परिस्थितियों से जूझती तथा अपने अस्तित्व और स्वाभिमान के साथ सकारात्मक कदम उठाती है। 'ठीकरे की मंगनी' उपन्यास में रूढ़िवादी, परम्परागत और तेज रफ्तार जिंदगी के असंतुलन से उपजी स्थितियों में जीवन का संतुलन ढूँढती मुस्लिम परिवार की लड़की महरूख की कहानी है। ''यही वह रोशनी थी, जिसकी तरफ चलकर वह अपने और अपने लोगों को पहचान सकती है और यह पहचान एक जंग का मैदान है, जिसमें अपने और दूसरों के लिए लड़ाई उसी को लड़नी है। इसीलिए वह उनके साथ बंधकर अपनी लड़ाई को एक पहचान देना चाहती है।''

मैत्रेयी पुष्पा एवं ऋचा शुक्ला जैसी लेखिकाएं महानगों की तुलना में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अविकसित और पिछड़े कस्बाई और ग्रामीण अंचलों के परिवेश को अपनी रचनाओं का आधार बनाती है, तथा विलुप्त होती एक स्त्री की पहचाने के कटे–फटे अवशेषों को एकत्र करके उपन्यास रचती है। चाहे वह 'इदन्नमम' की मंदाकिनी, कुसुमा हो या 'चाक' का सारंग 'अगनपाखी' की भुवनमोहिनी हो या 'अल्मा कबूतरी' की कदमबाई और अल्मा, सब चरित्रों को लेखिका ने लीक से हटकर गढ़ा है। इसी क्रम में समकालीन नारीवादी चिन्तक आशारानी व्होरा लिखती है कि ''सृष्टि रचना में स्त्री का योगदान पुरूष के समान कहीं ज्यादा है वह मानव की जन्मदात्री है, फिर संसार के विकास में उसका योगदान क्यों नगण्य रहा? माँ की भूमिका के रूप में स्त्री का स्थान श्रेष्ठ होने के बाद भी हमेशा से गौण स्थान ही मिलता रहा है। उसे पुरूष से हर तरह से हीन समझा गया।

'औरत की कहानी' में सुधा अरोड़ा लिखती हैं कि जबकि आज की नारी चहारदीवारी में बन्द नहीं रहना चाहती। वह समता की खोज में निकल पड़ी है उसने अपने अस्तित्व की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ही ले ली है समानता के अधिकार को पाने के लिए विश्व भर में स्त्रियों द्वारा अनेक आन्दोलन किये गये और अनेक नारी संगठन बनाये गये। इस प्रकार स्त्रियों ने अपनी कुशलता को प्रदर्शित करके यह दिखा दिया है

कि वह किसी भी तरह पुरूषों से पीछे नहीं है। अब स्त्रियाँ पुरूष प्रधान समाज और पितृसत्तात्मक परिवार की कुप्रथाओं और कुरीतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दहेज प्रथा, बाल–विवाह जैसी कुप्रथाओं और कुरीतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दहेज प्रथा, बाल–विवाह जैसे कुप्रथाओं के उन्मूलन में वे स्वयं अपनी भूमिका निभा रही है और पारिवारिक दायित्वों के भार को वहन करने के साथ ही साथ चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनैतिक, आध्यात्मिक हो विद्वत्सम्मेलन हो, संगोष्ठियाँ हो, उपनिषद् युग में स्त्रियाँ सदैव इसी प्रकार गतिशील रही जैसे हमारी नस–नाड़ियों में रक्त प्रवाहमान रहता है। पुरूषों के ही समान वे समाज का स्थायी एवं गोरवशाली अंग थी। इस प्रकार नारी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वह व्यवसायिक ऊँचाइयों को छू रही है और साथ ही एक आदर्श पत्नी, पुत्री और माता की भूमिका भी अदा कर रही है। समर्थन और प्रेम चूँकि उसके स्वाभाविक गुण है इसलिए वह आध्यात्मिक विकास के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने की योग्यता रखती है और अन्त में सार रूप में यह कहा जा सकता है कि मनु की वाणी को जीवन्त रखने और उसके कटे हुए वाक्य के अनुसार स्त्री को दयनीय, शोचनीय स्थिति से उबरने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, जिसमें स्त्रियों की अहम् भूमिका है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. आदमी की निगाह में औरत – राजेन्द्र यादव
2. स्त्री संघर्ष का इतिहास – राधा कुमार
3. स्त्री के विविध आयाम – कल्पना वर्मा

कु0 बालसुधा यादव
शोध छात्र, हिन्दी विभाग,
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

युवा एवं ग्रामीण विकास

– ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी

भारत गावों को देश है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गावों की संख्या लगभग 7 लाख थी जो वर्तमान में घटकर लगभग 5 लाख रह गयी है। जिससे यह प्रदर्शित होता है कि गांवों के अस्तित्व पर गहरा संकट है क्योंकि नगरीकरण की तीव्र गति के कारण गांव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गये है। हमारे गांव में निवास करने वाले युवा देश की धरोहर हैं किन्तु हमारे युवाओं की पलायन की प्रवृत्ति गांव और देश के लिए गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न कर रही हैं। आज के युवा के बारे में कहा जा सकता है कि – थोड़ा पढ़ा तो काम छोड़ा। ज्यादा पढ़ा तो गांव छोड़ा।

और ज्यादा पढ़ा तो हिन्दुस्तान छोड़ा।

गावों का वास्तविक विकास तभी होगा जब गांव का युवा गांव के लिए सोचेगा। जब गांव का युवा कृषि की पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, विज्ञान की पढ़ाई केवल शहरी नर्सिंग होम खोलने के लिए नही, प्रबंधन की पढाई केवल कारपोरेट सेक्टर में नौकरी के लिए नही बल्कि गांव का भविष्य सुधारने के लिए शुरू करेगा। ग्रामीण भारत युवाओं के प्रयासों से ही बन संवर सकता है। भारत में युवाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। किन्तु हमें आज की वैश्विक गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में अपने युवाओं को विकसित तथा प्रशिक्षित करने की महती आवश्यकता है। इस निमित्त युवाओं को कौशल विकास के साथ–साथ नैतिक मूल्यों की सीख देने की भी आवश्यकता है। आज हमारे देश में कैरियर के 10,000 से भी अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। पर युवाओं को शार्टकट से बचना होगा।

समस्यायें :– वर्तमान ग्रामीण भारत में युवाओं के सम्मुख विभिन्न प्रकार की समस्यायें हैं जो निम्नलिखित हैं:– ► अशिक्षा ► उदासीनता ► बेरोजगारी ► निपुणता का आभाव ► पलायन ► निराशा तथा भविष्य की चिंता ► वैयक्तिक विघटन ► शार्टकट वाली सोच ► तकनीकी का दुरूपयोग ► मानवीय तथा नैतिक मूल्यों का अभाव ► नियमित दिनचर्या का अभाव। इन समस्याओं के उपरान्त भी युवाओं में कई प्रकार की सकारात्मकताएं है। भारत विश्व में सर्वाधिक युवाओं की संख्या वाला देश है जो देश के विकास हेतु एक बहुत बड़ा मानव संसाधन है। युवाओं में

अपार ऊर्जा है जिसका सकारात्मक उपयोग देश तथा समाज के विकास के लिए किया जा सकता है। युवाओं की एक सकारात्मक शक्ति उनकी जोखिम लेने की क्षमता तथा साहस है। आज का युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जोखिम लेने से भी नही कतराता है। युवाओं में रचनात्मक शक्ति तथा प्रवृत्ति पायी जाती है। युवा अपने विकास के साथ –साथ देश तथा समाज के लिए भी अपनी रचनात्मकता के द्वारा कुछ नवीन ज्ञान तथा संसाधनों का सृजन कर सकता है।

सुझाव :–

➢ सभी नागरिकों, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा औद्योगिक घरानों का यह कर्तव्य हो कि सभी संगठित होकर युवा विकास तथा कल्याण हेतु कार्य करें।

➢ युवाओं को कभी भी असफलता से निराश नही होना चाहिये क्योंकि हर सफलता को चुनौती के रूप में लेकर उससे कुछ सीखते हुए निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए युवाओं को धैर्यवान तथा साहसी होने की आवश्यकता है।

➢ युवाओं को गांव में उपलब्ध ग्रामीण संसाधनों से परिचित करवाया जाना चाहिये।

➢ गुणवत्ता परक तथा कौशल आधारित शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना चाहिए ताकि युवा एक मानव संसाधन के रूप में विकसित हो सकें।

➢ युवाओं को गांव में ही स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा सहायता उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

➢ गावों में कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए तथा युवाओं को लघु उद्योगों हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

➢ युवा विकास के कार्यक्रमों का विधिवत् नियोजन तथा क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए।

➢ काउंसिलिंग के द्वारा युवाओं को कैरियर निर्माण की दिशा में सहायता दी जा सकती है ताकि वे अपनी रूचि तथा योग्यता के अनुसार अपने कैरियर का निर्माण कर सकें।

➢ युवाओं में नैतिक शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए तथा व्यक्तित्व के विकास साथ साथ नैतिकता तथा राष्ट्रवाद का संचार किया

जाना चाहिए ताकि पलायन तथा वैयक्तिक विघटन जैसी समस्याओं को रोका जा सके।

➢ ग्रामीण युवाओं को कृषि का महत्व समझाकर उन्हें कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने तथा कृषि हेतु आवश्यक प्रशिक्षण तथा परामर्श प्रदान किया जाना चाहिये।

➢ व्यवसायिक समाजकार्य की विधियों तथा प्रविधियों जैसे वैयक्तिक सेवा कार्य, परामर्श, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पर्यावरणीय आशोधन, अहम संवर्धन, अन्तर्दृष्टि– विकास तथा रिहैबिलीटेशन द्वारा युवाओं को वैयक्तिक विघटन, निराशा, बेरोजगारी से बचाते हुये समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है

➢ गांव के युवाओं को योग प्रशिक्षण तथा उपयोग हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि युवा स्वास्थ्य संरक्षण के साथ–साथ प्रकृति से निकटता और सानिध्य बनाये रख सकें तथा तनावमुक्त एवं क्रियाशील होकर स्व विकास कर सकें।

➢ युवाओं की रचनात्मक शक्ति का यथासंभव सद उपयोग राष्ट्र निर्माण हेतु किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

- डॉ0 एस0 वी0 प्रभात, यूथ एण्ड सरल इण्डिया, एडीशन (2011) आइ0 एस0 बी0 एन0 978–81–89630–48–5.
- एन0 सी0 आर0 आई0 का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, एन0 जी0 बी0 वि0, 2011.

डॉ0 ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग,

नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन

– रितेश कुमार केसरवानी

प्रस्तावना– किसी भी शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा उसमें कार्यरत (सेवारत) अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। किसी भी समाज में समय और स्थान से परे शिक्षक को अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है। उससे आशा की जाती है कि वह छात्रों के लिए अत्यधिक प्रेरणा व संवेगात्मक स्रोत बने। यह शिक्षकों की निष्ठा तथा बलिदान ही है जो उनको समाज में अद्वितीय सम्मान दिलाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति प्राथमिक स्कूल का शिक्षक है अथवा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, दोनों में ही अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए।

शिक्षा किसी देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक उन्नयन तथा सांस्कृतिक स्थानान्तरण में परिवर्तन लाने का एक अतिप्रभावशाली उपकरण है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा का विकास एवं विस्तार अद्भुत रहा है और यह देश के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षण व्यवसाय में जाने वाले लोग सुयोग्य, प्रतियोगी, प्रशिक्षित तथा शिक्षण व्यवसाय में अत्यधिक रुचि लेने वाले हों। दुर्भाग्यवश इस तेजी से बदलते विश्व में इस तरह के शिक्षकों का मिलना, बहुत कठिन है। नये वैज्ञानिक युग की चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अप–टू–डेट शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के आरम्भ से ही शिक्षा के निजीकरण के प्रवेश का संकेत मिलने लगा था। इस नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए चन्दा इकट्ठा करना तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के इमारतों के रख–रखाव एवं रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की सहायता की बात कही गयी। इसी बीच विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों में शिक्षा के खर्च के

प्रतिरूप पर एक रिपोर्ट जारी की गयी जिसमें यह सलाह दिया गया कि आर्थिक संसाधनों की कमी को देखते हुए उच्च शिक्षा पर आने वाले खर्च के एक बड़े हिस्से की जिम्मेदारी अभिभावकों पर डाला जाय। वर्ष 1991 में ढाँचागत समायोजन के अन्तर्गत भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण को आगे बढ़ाया जिसमें स्पष्ट हो गया कि उच्च शिक्षा को विश्व बैंक के सुझावों के अनुरूप ढाला जायेगा। उसी दौरान विश्वभर में उपजे खाड़ी संकट की आड़ में उच्च शिक्षा के बजट में यू.जी.सी. द्वारा 35 प्रतिशत की कटौती की गयी।

आज के तकनीकि व वैज्ञानिक युग में आजीविका अथवा रोजी–रोटी की समस्या सभी वर्गों तथा स्तरों के मनुष्य के समक्ष है। इस समस्या के निराकरण हेतु मानव किसी न किसी रोजगार अथवा व्यवसाय को अपनाता है, परन्तु किसी भी व्यवसाय अथवा रोजगार में सफल होने के लिए व्यक्ति को उस व्यवसाय एवं रोजगार के विषय में सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, अथवा यूँ कह सकते हैं कि उस व्यवसाय अथवा रोजगार से सम्बन्धित शिक्षा व्यक्ति को प्राप्त है तो व्यवसाय में सफलता की भावना बढ़ जाती है।

सम्बन्धित व्यवसाय अथवा रोजगार की शिक्षा इस बात को सुनिश्चित नहीं करती है कि व्यक्ति को उस व्यवसाय अथवा रोजगार में निश्चित सफलता प्रापत होगी। किसी भी व्यवसाय अथवा रोजगार में सुनिश्चित सफलता के लिए अथवा उस व्यवसाय को प्रारम्भ करने के पश्चात् व्यक्ति के अन्दर उस व्यवसाय से सम्बन्धित सकारात्मक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है।

व्यवसायिक सन्तुष्टि को परिभाषित करते हुए **ब्लूम तथा नेलर** ने कहा है कि ''व्यवसायिक सन्तोष शिक्षक की उन अभिवृत्तियों का परिणाम है जिन्हें वह अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बन्धित अनेक कारकों एवं सामान्य जीवन के प्रति बनाये रखना है।''[1] ''कार्य–संतुष्टि'' किसी शिक्षक की अपने कार्य के प्रति सकारात्मक एवं अनुकूल भावनात्मक मनोवृत्ति है, जो उसके अपने कार्य और कार्य के परिवेश से जुड़े घटकों से निर्मित होती है।

व्यवसाय के किन पक्षों अथवा रीतियों से सन्तोष प्राप्त होता है यह मनोवैज्ञानिक विषय हैं एक व्यक्ति के लिये काम की अच्छी से अच्छी

दशाएं, सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा, उत्तम वेतन, मनोवांछित स्थान पर नियुक्ति होने के बावजूद उसे वह सन्तोष प्राप्त नहीं होता है जो किसी समान योग्यता रखनेवाले किसी दूसरे व्यक्ति को कम सुविधाजनक अवस्थाओं और कम वेतन में भी प्राप्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सन्तोष अथवा सन्तुष्टि एक आन्तरिक चीज है वाह्य नहीं। इसका सम्बन्ध मनुष्य के ह्रदय से होता है। ऐसे अनेक व्यक्ति होते है जो श्रेष्ठतम अवस्थाओं में भी असन्तुष्ट दिखाई देते हैं और इसके विपरीत अनेक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो प्रतिकूल प्रतिस्थितियों में अपने कार्य के प्रति सन्तुष्ट नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है कि सन्तुष्टि अथवा सन्तोष की भावना के मूल में भी कुछ प्रवृत्ति मूलक और भौतिकवादी परिस्थितियाँ होती है। एक व्यक्ति किसी व्यवस्था को इतना अधिक पसन्द करता है कि वह अच्छी से अच्छी भौतिक सुविधाएं व सम्मान मिलने वाले किसी बड़े से बड़े पद को ठुकरा सकता है। इसके विपरीत कुछ लोग उसी व्यवसाय या कार्य को करना पसन्द करते है और उसी में सर्वाधिक तृप्ति अनुभव करते हैं जिसमें सर्वाधिक श्रेष्ठ आर्थिक एवं भौतिक सुविधाएँ मिलें। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय से मिलने वाले सन्तोष के लिए सबसे पहली आवश्यकता प्रवृत्तिजन्य होती है, अर्थात् अपने स्वभाव, प्रवृत्ति रूचि और इच्छाओं के अनुरूप प्राप्त व्यवसाय मे अधिक सन्तुष्टि की पहली शर्त है।

व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य सन्तुष्टि में सम्बन्ध के अध्ययन में **शेरगिल, त्रिवेदी, राहिनी पी. (2012)**[2] के अध्ययन से इंगित होता है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक प्रभाव पाया गया। **सी. दिव्या (2014)**[3] के अध्ययन से इंगित होता है कि हाईस्कूल के शिक्षकों को आयु के आधार पर 30 वर्ष से कम, 30 वर्ष एवं 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बीच प्रबन्धन शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर पाया गया एवं 30 एवं 30 वर्ष से अधिक शिक्षकों में प्रबन्धन शिक्षा के प्रति उच्च अभिवृत्ति पायी गयी।

राज, तिलक एवं ललिता (2013)[4] के अध्ययन से इंगित होता है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों अध्यापक के मध्य भविष्य के कैरियर के अवसर को लेकेर असंतुष्टि की भावना रहती है तो उनमें संतुष्टि की भावना को बढ़ाने के लिए प्रबंधन को शिक्षकों के भविष्य को लेकर अवसर

प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। **उसोप एवं अन्य (2013)**[5] के अध्ययन से इंगित होता है कि अधिकांश शिक्षक स्कूल की नीतियों में, पर्यवेक्षण में, पारस्परिक सम्बन्धों में, संवर्द्धन एवं विकास के लिए अवसरों में, काम की परिस्थितियों में, स्वकार्य में, उपलब्धि में, मान्यता में एवं जिम्मेदारी से सम्बन्धित बिन्दुओं पर संतुष्ट नजर आते है। **एन.एन. प्रहलाद एवं एस. सन्दीप (2015)**[6] के अध्ययन से इंगित होता है कि पूर्व विश्वविद्यालय कालेज के शिक्षकों के कार्य संतुष्टि का शिक्षण अभिवृत्ति के आयाम व्यवसायिक शिक्षण के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया। अतः विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि व्यावसायिक अभिवृत्ति का शिक्षकों के कार्य संतुष्टि पर सकारात्मक एवं सार्थक प्रभाव पड़ता है।

समस्या कथन– ''उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन''।

शोध का उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है–

1. उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत पुरुष शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत महिला शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है–

1. उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में कोई सम्बन्ध नहीं है।
2. उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत पुरुष शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में कोई सम्बन्ध नहीं है।

3. उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत महिला शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में कोई सम्बन्ध नहीं है।

अनुसंधान प्रविधियाँ– प्रस्तुत शोध में शोध समस्या एवं शोध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये शोधकर्त्ता ने वर्णनात्मक अनुसंधान का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रयोग किया है।

जनसंख्या– एक क्षेत्र विशेष जनपद इलाहाबाद क्षेत्र के समस्त महाविद्यालय जिसमें वित्तपोषित महाविद्यालयों के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अपने शोध की जनसंख्या के रूप में माना गया है।

न्यादर्श– प्रस्तुत अध्ययन में 10 वित्तपोषित महाविद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है। इसमें 100 शिक्षकों का चयन महिला एवं पुरुष शिक्षकों के आधार पर किया गया है।

उपकरण– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया है– 1. व्यावसायिक अभिवृत्ति– श्री एस0पी0 आहलूवालिया

2. कार्य सन्तुष्टि प्रश्नावली –प्रमोद कुमार और डी.ए. मुथा

सांख्यिकीय विधियाँ– प्रस्तुत अध्ययन में **गुणनफल आघूर्ण सहसम्बन्ध का प्रयोग किया गया है–** $r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

उद्देश्य–1 उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना– उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

तालिका संख्या–1

उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक

समूह	न्यादर्श का आकार	स्वतंत्रता का अंश (df)	प्राप्त सहसम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
शिक्षक	100	98	0.2699	सार्थक

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0.2699 है जो जो 98 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.195 से अधिक है। यह मान 0.05 स्तर पर सार्थक है व शून्य परिकल्पना निरस्त होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है।

उद्देश्य–2 **उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत पुरुष शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन करना।**

परिकल्पना– **उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत पुरुष शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।**

तालिका संख्या–2

उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत पुरुष शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक

समूह	न्यादर्श का आकार	स्वतंत्रता का अंश (df)	प्राप्त सहसम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
पुरुषशिक्षक	50	48	0.2058	सार्थक

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत पुरुष शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0.2699 है जो जो 48 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.273 से कम है। यह मान 0.05 स्तर पर असार्थक है व शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत पुरुष

शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

उद्देश्य–3 **उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत महिला शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि में सम्बन्ध का अध्ययन करना।**

परिकल्पना– **उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत महिला शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।**

तालिका संख्या–3

उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत महिला शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक

समूह	न्यादर्श का आकार	स्वतंत्रता का अंश (df)	प्राप्त सहसम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
महिलाशिक्षक	50	48	0.3350	सार्थक

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत महिला शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0. 3350 है जो जो 48 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.273 से अधिक है। यह मान 0.05 स्तर पर सार्थक है व शून्य परिकल्पना निरस्त होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत महिला शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

- उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है।

- उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत पुरुष शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं है।
- उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत महिला शिक्षकों के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों एवं महिला के व्यावसायिक अभिवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि के मध्य धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध जबकि पुरुष शिक्षकों में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।

सन्दर्भ सूची

- **त्रिवेदी, राहिनी पी. (2012).** ए स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टूवर्डस टीचिंग प्रोफेशन टीचिंग एट डिफरेन्ट लेवल, ISSN : 2277-4262, वाल्यूम–1, इश्यू–5, मई 2012, पृ0 24–29.
- **सी. दिव्या (2014)** ने एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टूवर्डस देयर प्रोफेशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, The Criterion, An Internatinational Journal of English, Vol. 5, Issue-IV, ISSN 0976-8165, pp. 69-74, www.the-criterion.com
- इन्ट्रा ओनल जर्नस ऑफ सोशल साइंस एण्ड इण्टरडिसपिलिनरी रिसर्च, IJSSIR, Vol. 2(9) सितम्बर 2013, पृ0 151–158
- **उसोप एवं अन्य (2013)** ने वर्क परफार्मेन्स एण्ड जॉफ सैटि्स्फैकन्श एमंग टीचर्स, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3, No. 5, pp. 245-251
- **एन.एन. प्रहलाद एवं एस. सन्दीप (2015).** ए स्टडी ऑन जॉब सेटिसफेक्शन रिलेटेड टू एटीट्यूड टूवर्ड टीचिंग ऑफ प्री–यूनिवर्सिटी टीचर्स, Research Paper Education, Indian Journal of Applied Research, Vol. 5, Issue 5, ISSN 2249-555X, pp. 19-21

रितेश कुमार केसरवानी
शोध छात्र, शिक्षक शिक्षा संकाय
नेहरू ग्राम भारती (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

मुगल बादशाहों की पारिवारिक महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

– दिवाकर त्रिपाठी

प्रस्तुत शोध लेख का प्रतिपाद्य मुगल बादशाहों की पारिवारिक नारियों की राजनीतिक गति विधियों, सक्रियतायें तथा शासन सत्ता के कुशल संचालन में की गई उनकी सहभागिता का एक ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करना है। जिससे यह स्पष्ट संज्ञान ग्रहण किया जा सके कि मुगल शासकों का किस रूप में उनकी मातायें, बहने, बुआ तथा बेटियों ने शासन कार्य में सहयोग किया था।

ज्ञातव्य है कि मुगल काल के पूर्व सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन प्राप्त होते हैं जिसमें स्त्रियों को 'मल्के जहां' तथा 'मख्दमू जहाँ' की सम्मानित उपाधियाँ दी जाती थी।[4] गुलाम वंश की रजिया सुल्तान उसकी माँ शाहतुर्कन तथा अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी 'मल्के जहाँ' का उदाहरण मुगलकाल के पूर्व के मुस्लिम शासकों के परिवार की स्त्रियों के देखे गए हैं। मुगलकाल के पूर्व के मुस्लिम शासकों के परिवार की स्त्रियों के देखे गए हैं। मुगलकाल के शासकों की राजनीतिक सहयोगी के रूप में उनके परिवार की महिलाओं ने पर्याप्त योगदान किया है। बाबर ने तैमूर तथा चंगेज खाँ द्वारा चलाई गयी परम्परा का पालन करते हुए अपनी महिलाओं को भी राजनीतिक सक्रियता के लिए उत्साहित किया था।[5] यद्यपि उसने किसी भी नारी को प्रभुता सम्पन्न होने नहीं दिया था।[6] बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु सन् 1494 ई0 में हुई उस समय बाबर की उम्र मात्र 11 वर्ष ही थी। दादी एहसान दौलत बेगम ने ही बाबर को शासन करने की प्रेरणा और हुनर दिया था दादी के ही तौर तरीकों से बाबर ने अपनी शासन शक्ति अर्जित किया।[7] इसी तरह बाबर की माता कुतलुक निगार खानम हमेशा स्वयं बाबर का हौसला बढ़ाते हुए उसे युद्धों में भी साथ देती रहती थी।[8] इतना ही नहीं अपितु बाबर की पत्नी महीम बेगम भी पति की समस्याओं एवं मुश्किलों में हमेशा साथ मौजूद रहती थी। राज्य कार्य में प्रवीण होने के कारण उसका बड़ा सम्मान था। वह बाबर के साथ दिल्ली तख्त के

पास में बैठती भी थी।[9] बीबी मुबारिका नामक बाबर की अन्य पत्नी ने अपने पैतृक कबीले युसूफ जई के लोगों से बाबर के मतभेद दूर करवाकर समझौता कराने में सफल हुई थी। इस सुलह से बाबर का प्रभुत्व अफगानिस्तान तक कायम रह सका था।[10] बाबर के शासन काल में उसकी दादी, मां तथा पत्नियों ने प्रशासकीय राजनीतिक एवं सामरिक सहयोग कर बाबर की सम्प्रभुता को सुदृढ़ बनाया था।

हुमायूँ की बुआ (बाबर की बड़ी बहन) खानजादा बेगम ने अपनी दक्षता से हुमायूँ तथा उसके तीनों अन्य भाईयों कामरान, अस्करी तथा हिन्दाल के बीच समझौता कराने का असफल किन्तु प्रशंसनीय प्रयास किया था। इसे बहीम बेगम के इन्तकाम के बाद ''बादशाह बेगम'' की खिताब प्राप्त हुई थी।[11] इसी तरह ''वली नियामत'' की उपाधि प्राप्त हराम बेगम भी थी जो हुमायूँ के चचेरे भाई सुल्तान मिर्जा की बेगम थी। इसने हुमायूँ को सन् 1549 ई0 काबुल से बल्ख पर आक्रमण करने के समय सहायता की थी। वह काबुल पर अपना अधिकार करना चाहती थी किन्तु अन्ततः सफल न हो पायी। उससे शासन के लोग सदैव डरते थे। बदखशाँ का शासन भी उसी ने सँभाला था। उसका सम्मान उसके तेज स्वभाव और कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण सर्वत्र था।[12]

प्रसंगतः यह भी उल्लेखनीय है कि शेरशाह सूरी के समय चुनार के अफगान गवर्नर ताह खाँ सारंखानी की बेगम लाड़मलका अपने राज्य में अत्यधिक प्रभावशाली बेगम थी। उनके पति की मृत्यु के बाद शेरशाह ने उनसे विवाह कर चुनार पर अपना प्रभुत्व जमाया था।[13]

अकबर के शासनकाल में उसके परिवार के अन्तर्गत सबसे अधिक प्रभावशालिनी महिला के रूप में सौतेली माता थी। इसने काबुल के शासक पर अपना प्रभाव बनाया। उसका बेटा मिर्जा मुहम्मद हकीम काबुल सन् 1556 ई0 में वहाँ का गवर्नर बना। अकबर के संरक्षक बैरम खाँ के विनाश का कारण अकबर की श्रेष्ठ दादी महाम अन्गा ही थी। जिसका शाही दरबार में दबदबा रहता था इससे अकबर प्रभावित रहता था।[14]

इसी क्रम में हम पाते है कि अकबर की चचेरी बहन बरन्नुन्निशा बेगम जो मिर्जा मुहम्मद हकीम की सगी बहन थी, मुहम्मद हाकिम के काबुल में विद्रोह करने के बाद अकबर ने उसी को सन् 1581ई0 में काबुल का गवर्नर नियुक्त कर अपने विद्रोही दुश्मन मिर्जा मुहम्मद हाकिम

का बड़ा ही अपमान किया। अकबर के महल में उसके परिवार की महिलाओं में उसकी मां मरयिम मकानी तथा अकबर की बीबी सलीमा बेगम शासन सत्ता की राजनीति में पर्याप्त दखल रखती थी। अकबर के पुत्र सलीम के द्वारा सन् 1599 ई0 में किए गए विद्रोंह के समय मरियम मकानी ने ही अपने प्रभाव से पिता अकबर और पुत्र सलीम के बीच सुलह करवाया था। इसी तरह पुनः सलीम ने सन् 1601 ई0 में जब दुबारा विद्रोह किया तो सलीमा बेगम तथा गुलबदन बेगम इन दोनों महिलाओं ने सलीम को अकबर से क्षमा करवाया था।[16]

बादशाह जहाँगीर के गद्दीनसीन होने के एक साल के बाद अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह करने पर उसके उकसाने वाले मिर्जा अजीज कोका को प्राण दण्ड देने का निर्णय ले रहा था, उस समय सलीमा बेगम ने बादशाह जहाँगी को पर्दे के पीछे से कहकर महल के जनान खाने में तुरन्त चले आने का आग्रह किया तथा यह भी कहा कि यदि बादशाह जनान खाने में नहीं आते हैं, तो महल की महिलायें ही बादशाह के पास चली आयेंगी। विवश हुआ जहांगीर जनानखाने में गया तथा महिलाओं के आग्रह पर ही मिर्जा अजीज कोका को बख्श दिया तथा महिलाओं के ही कहने पर अपने पुत्र खुसरो को अपने समीप आने देने का आदेश किया था।[17] जहाँगीर के शासनकाल की सर्वाधिक प्रभावशाली महिला रही हैं, जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा सामरिक क्षेत्र में अपनी दक्षता और क्षमता का भरपूर परिचय दिया है। प्रशासनिक कार्यो के अतिरिक्त भी उनमें अद्भुत सैनिक क्रिया कुशलता विद्यमान थी। इसी बल से उन्होंने महावत खां के चंगुल से अपने पति को मुक्त करवा लिया था। निर्धनों को पुत्रियों के निकाह के लिए उसने अनुदान दिए जाने की शासकीय व्यवस्था की थी। शानशौकत वाले वस्त्रों का प्रचलन करवाया था। जहाँगीर के इन्तकाम के साथ ही वह उक्त सभी कार्य क्षेत्रों से अपने को पृथक कर लिया था।[18]

राजनीतिक दृष्टि से शाहजहाँ की पारिवारिक स्त्रियों में सर्वाधिक प्रभाव शालिनी महिला मुमताज महल थी। उसने पुर्तगालियों के विरोध में सैनिक कार्यवाही करने के लिए शाहजहाँ को प्रेरणा दी थी, साथ ही गुजरात के गवर्नर सैफ खाँ के बचाव कार्य कर शाहजहाँ से उसके प्राण की रक्षा की थी।[19] इसकी मृत्यु सन् 1631ई0 में हो जाने के बाद

शाहजहाँ की पुत्री जहाँनारा की राजनीतिक सहभागिता और सक्रियता बढ़ी। अपनी पुत्री के कहने पर ही किसी भी प्रकार का कार्य करता था। यह तथ्य उस समय सर्वविदित हो गया था।[20] अपने परिवार की रक्षा में दु:खियों के प्रति सहानुभूति रखती हुई उसने शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब को उसने कई बार माफ करवाया था। इतिहासकार कानूनगो के अनुसार जहाँनारा को पत्र लिखकर गोलकुण्डा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुबशाह ने अपने ऊपर औरंगजेब द्वारा किये जाने वाले आक्रमण को रोकने के लिए बादशाह शाहजहाँ पर प्रभाव डालने की सहायता मांगी थी।[21]

जहाँनारा ने हमेशा बादशाही की सेवा की थी। अपने भाइयों की सन्तानों की भी परवरिश किया, जिन भाइयों को औरंगजेब ने मरवा दिया था। ध्यातव्य है कि औरंगजेब भी जहाँनारा का सम्मान हमेशा करता था। शाहजहाँ की मृत्यु हो जाने पर औरंगजेब ने अपनी सम्वेदना भरा पत्र जहाँनारा को लिखा था, जिसके उत्तर में जहाँनारा ने बादशाह औरंगजेब के पति साधुभाव व्यक्त किया था।[22] शाहजहाँ की दूसरी बेटी रोशनारा ने हमेशा औरंगजेब का ही साथ दिया था, जबकि अपने ज्येष्ठ भाई दारा की इतनी विरोधी थी कि दारा को सजाये मौत के लिए बादशाह औरंगजेब के ऊपर उसने दबाव बनाया था। औरंगजेब रोशनारा से प्रभावित था। सन् 1669ई0 में औरंगजेब द्वारा रोशनारा को ''शाह बेगम'' की खिताब तथा 5 लाख रूपये के साथ देकर उसे नवाजा था। यही रोशनारा सन् 1662 ई0 में औरंगजेब के अस्वस्थ होने पर शाही मोहर को अपने अधिकार में कर बादशाह के अस्वस्थ होने की खबर को दबाए रखी थी।[23] इन दोनों बहनों के अतिरिक्त औरंगजेब की दोनों बेटियों–जेबुन्निसा बेगम तथा जीनतुन्निसा ने भी औरंगजेब की राजनीति में खूब सक्रियता दिखाई थी। जेबुन्निसा बेगम ने शाहनवाज खाँ को औरंगजेब से दण्डित होने से बचाया था। जीनतुन्निसा बेगम ने अपने पिता द्वारा सौपे गए मराठा कैदियों, शम्भुजी की विधवा पत्नी और शाहू की हिफाजत का दायित्व सौंपा था।[24] जिसका निर्वाह उसने यथासम्भव किया था।

स्मरणीय तथ्य है कि सन् 1712–13 ई0 में मुगल बादशाह के रूप में फर्रूखसियर गद्दी पर अपनी माता की राजनीतिक सक्रियता से ही बैठा। उसकी माँ ने सैयद भाईयों का पूर्ण समर्थन हासिल करके अपने

पुत्र को सम्राट बनवायाथा।[25] मुहम्मद शाह की माँ नवाब कुरेसिया बेगम की राजनीतिक भूमिका से सैय्यद भाईयों का पूर्णतः पतन हो गया।[26]

पूर्व लिखित विवेचनों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुगल शासकों की प्रचण्ड राजनीतिक गतिविधियों में उनके परिवार की महिलाओं ने सक्रियता के साथ सहभागिता निश्चित की थी। जिनमें बादशाहों की मातायों, पत्नियां, दादी, बुआ, बहने तथा पुत्रियों को राजनीति में अह भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए देखा जाता है। इन महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता ने मुगल राजनीति को गतिमयता प्रदान की थी। साथ ही मुगल बादशाहों की सुरक्षा, संरक्षा और स्थितरता कायम रखने में भरपूर सहायता की है। यदि महिलाओं की भागीदारी ने होती तो सम्भव था कि मुगल शासन अपने सुदीर्घ काल की सत्ता में वंचित रह जाता।

सन्दर्भ

1. एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी सुल्तान्स आफ देहली–पृष्ठ–65– आई0एच0 कुरैशी, लाहौर–1942

2.वीमेन इन मुगल इण्डिया, पृश्ठ–16, 17 दिल्ली

3.सम आस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन– पृष्ठ 109, आर0पी0 त्रिपाठी इलाहाबाद – 1956

4.एन एम्पायर बिल्डर आफ दी सिक्स्टीथ सेन्चुरी–पृष्ठ–34ए रश ब्रुक–विलियम्स

5.द्र बाबर नामा– (बेवरिज) जिल्द–1, पृष्ठ–21 तुजके बावरी, बाबर की आत्मकथा अंग्रेजी अनुवाद– जे0 लीडन और अर्सकीन, आक्सफोर्ड, 1921

6.वही–पृष्ठ– 358

7.हुमायूँ बादशाह, जिल्द–2 पृष्ठ–322

8.वही जिल्द–2 पृष्ठ–314–15 तथा दि लाइफ एण्ड टाइम्स आफ हुमायूँ–पृष्ठ– 222 ईश्वरी प्रसाद, कलकत्ता–1956

9.अकबर नामा–बेवरीज, जिल्द–2–पृष्ठ–40, 212 तथा पृष्ठ 407–409

10.हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐजटोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स–जिल्द–4 पृष्ठ 344–45ए इलियट एण्ड डासन, लन्दन–1887 तथा पुनर्मुद्रण, किताब महल, इलाहाबाद–1964

11.विशेष हेतु द्रष्टव्य है– ''महाम अनगा एण्ड अकबर'' आर0पी0 त्रिपाठी का शोध लेख–जर्नल आफ इ0 हिस्ट्री, जिल्द–1, संख्या–1, पृष्ठ–338
12.वही जिल्द–3 पृष्ठ–1140 तथा पृष्ठ–1222, 1230
13.हिस्ट्री आफ जहाँगीर–पृष्ठ–328–बेनी प्रसाद, इलाहाबाद–1962 तथा तुजुके जहाँगीरी–रोजर्स, जिल्द–1ए पृष्ठ–252
14.वही बेनी प्रसाद– पृष्ठ–356
15.हिस्ट्री आफ शाहजहाँ आफ देहली पृष्ठ–61, बनारसी प्रसाद सक्सेना इलाहाबाद, 1958
16.विशेष हेतु द्रष्टव्य है– जर्नल आफ पंजाब हिस्टारिकल सोसाइटी वाल्यूम–2 पृष्ठ– 155 सन् 1912 शोध लेख ''जहाँनारा'' ले0जी0याजदानी
17.दारा शिकोह–पृष्ठ–136–37 कालिका रंजन कानूनगो।
18.इण्डियन हिस्टारिकल रेकाडिंस कमीशन, जिल्द–3, पृष्ठ 23, सन् 1921 ई0
19.ट्रेबेल्स इन दी मुगल एम्पायर–पृष्ठ –123, बर्नियर
20.न्यू हिस्ट्री आफ मरहठाज जिल्द सं0–1, पृष्ठ 350, जी0एस0 सरदेसाई
21.पार्टीज एण्ड पालिटिक्स एट दि मुगल कोर्ट– पृष्ठ 91, सतीश चन्द्र, अलीगढ़ सन् 1959ई0
22.वीमेन इन मुगल इण्डिया– पृष्ठ 56, रेखा मिश्रा, दिल्ली तथा द्रष्टव्य है– लेटर मुगल्स जिल्द–2, पृष्ठ–265, विलियम इरविन, सम्पादक–यदुनाथ सरकार कलकत्ता

डॉ0 दिवाकर त्रिपाठी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद, उ0प्र0।

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

Prime Minister Modi and Good Governance Initiatives

- Chanchal Kumar & Dinkar Tripathi

Introduction

Prime Minister NarendraModi is well known in India and across the globe as a leader who is totally committed to development and good governance. His record four terms as the Chief Minister of his home state of Gujarat in Western India exemplifies.NarendraModi's commitment to a development Agenda, rising above all other political considerations. He ushered in a paradigm shift towards pro-people and pro-active good governance, bringing in a positive change in the life of each and every citizen of Gujarat. His tireless efforts were guided by the principle of SabkaSaath, SabkaVikas (Collective efforts, inclusive growth) where each and every person was an important stakeholder in Gujarat's development journey.

The BharatiyaJanata Party(BJP) and its allies foughtthe 2014 LokSabha electionson the plank of goodgovernance and development.The country gave the party anoverwhelming mandate and peoplebelieved in the vision and NarendraModi's promise of better quality of lifeand a better tomorrow.Today, there is no denying the factthat India is not in the best of financialhealth. The country is passing througha trying time and navigating it willrequire a visionary leadership. Thestrength of the leadership that has wonon the promise of pulling the countryout of the big mess will also be put totest.[1]

The Prime Minister Modi's government has been in office for one year (25th May, 2015). In that period,his Finance Minister has presented a budget, Modi himself has been active inseveral international fora and has used his annual Independence Day address tomake a major public statement about his government's priorities, severalministries have announced programs and priorities, and his government hasintervened decisively in the WTO trade facilitation negotiations.His election-time slogan *'Less government, more*

governance' does not indicate a withdrawal of the state from its customarilyimportant role in the Indian economy. Rather, his guiding philosophy appears tobe that the state will continue to pay a major role, but that his government willdo a better job of delivering on governance.[2]

Meaning of Good Governance- Good governance is an indeterminate term used in international development literature to describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources. Governance is "the process of decision-making and the process by which decisions areimplemented (or not implemented)". The term governance can apply to corporate, international, national, local governance or to the interactions between other sectors of society.

The concept of "good governance" often emerges as a model to compare ineffective economies or political bodies with viable economies and political bodies. The concept centreson the responsibility of governments and governing bodies to meet the needs of the masses as opposed to select groups in society. Because the governments treated in the contemporary world as most "successful" are often liberal democratic states concentrated in Europe and the Americas, those countries' institutions often set the standards by which to compare other states' institutions when talking about governance. Because the term good governance can be focused on any one form of governance, aid organizations and the authorities of developed countries often will focus the meaning of good governance to a set of requirement that conform to the organization's agenda, making "good governance" imply many different things in many different contexts. Because concepts such as civil society, decentralisation, peaceful conflict management and accountability are often used when defining the concept of good governance, the definition of good governance promotes many ideas that closely align with effective democratic governance. Not surprisingly, emphasis on good governance can sometimes be equated with promoting democratic government.According to the UNDP governance can be seen as the exercise of economic, politicaland administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises themechanisms, processes

and institutions through which citizens and groups articulate theirinterests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences.Good governance is, among other things, participatory, transparent and accountable. It isalso effective and equitable, and it promotes the rule of law. It ensures that political,social and economic priorities are based on broad consensus in society and that the voicesof the poorest and the most vulnerable are heard in decision-making over the allocation ofdevelopment resources.[3]Generally, public involvement includes three elements or 'pillars':

1. *Public access to information;*
2. *Public participation in decision-making processes;*
3. *Public access to judicial and administrative redress often termed 'access tojustice'.*

It promotes openness ofgovernment action, decision-making processes, and consultative processes amongpublic sector and all stakeholders. These processes are subject to scrutiny by othergovernment institutions, civil society and external institutions.Good governance leads to a number of positive consequences, including:

- People trust your organization
- You know where you're going
- Your board is connected to your membership and stakeholders
- You get good decisions; people value your work
- You have the ability to weather crises
- Financial stability

Modi and Good Governance- The Prime Minister NarendraModi is a "*wildcard*", an "*unknown quantity*"to his counterparts in Washington, Beijing, Paris, Germany, and Canada. At home, Modi has worked to conveyan image of political strength: showcasing his ability todrive growth through the Gujarat model, making commitmentsto create jobs and work for the poor, promisingto tackle corruption, signalling a path for greater foreigninvestment, and more.In India and outside, there are great expectations of Modi.For now, India's tech-savvy prime minister has shown he isa proactive leader – a visible

head of state who tweets histhoughts and experiences daily.But despite his convincing victory in the elections, thereare still those who fear for the future of minority groups inIndia; who question the road forward for freedom of speechand the press; and who worry about the practice of cronycapitalism.

The Prime MinisterNarendraModi government has decided to conduct a study to assess impact and bottlenecks in the implementation of good governance initiatives and best practices being followed in the states and at the Centre.Prime Minister NarendraModi had in July, 2014 launched a website '*www.mygov.in*' to help citizens contribute in governance by giving their opinions and views on important issues like clean Ganga, clean India, skill development, job creation and girl child education among others.The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions has decided to engage a consultant to conduct research and evaluation study on good governance initiatives.[4]

Modi's Independence Day address to the nation was expected to give aclearer picture of his policy priorities. The issues he did emphasize – sanitationand the societal treatment of women and girls - are particularly important inIndia, and were widely praised and appreciated. Economics did find a mentionin that Modi outlined a vision of India manufacturing rather than importingthe goods she needs. India could become an export hub as a side benefit, but theessential underlying message seemed to be: why buy something abroad when itcan be made here. Now this could be interpreted two ways. *One,* as recognitionthat India has been a difficult place for manufacturers, and as a suggestion that his government planned to do something about it. *Alternatively,* as a statementthat India would follow Japan, South Korea, Singapore and China in choosing andsupporting specific industries - an industrial policy, in other words.
According to *Modi,"Mere good governance is not enough; it has to be pro-people and pro-active. Good governance is putting people at the centre of development process."Citizen-First" is our mantra, our motto and our guiding principle. It has been my dream to bring government closer to our citizens, so that they become active participants in the governance process."*

Vision of MODI-Nai SochNai Ummeed

8 Point Development Model

1. Education & Job Opportunities for Youth: IITs, IIMs and AIIMS in all states
2. Children & Women's Empowerment: BetiBachao Programme
3. Urban Development / Infrastructure: 100 smart Cities, Twin City Concept,Satellite Cities, Interlinking rivers, Golden Quadrilateral of bullet trains
4. Inflation/Price Control: Price Stabilisation Fund, Special courts for black marketers
5. Agriculture Reform: Data bank for Agri Produce, National Agriculture Market
6. Health Care for All: Preventive health care
7. Federal Structure: Addressing regional aspirations
8. Anti-Corruption Measures: Bring Back Black Money Stashed Abroad

Modi'sBrand India- Brand India focus on 5-Ts- **1.**Talent **2.**Trade **3.** Tradition **4**.Tourism **5.**Technology

Rainbow of India- 1. Work on a seven-point "rainbow" principle 2. India's Culture **3.** Youth Power 4. Women Empowerment **5.** Agriculture **6.** Natural Resources **7.** Democracy[5]

Initiatives of the Prime MinisterModi

1. PradhanMantri Jan DhanYojna

NarendraModi launched his mega pet project, the PradhanMantri Jan DhanYojana. The Jan DhanYojna aimed to make available formal banking to 1 crore people and provided accident insurance cover to "1.5 crore people". The initiative also aims to provide bank accounts to 100 crore people in the next one year. NarendraModi had mentioned the National Mission on Financial Inclusion titled, 'PradhanMantri Jan DhanYojana' (PMJDY) in his first Independence Day speech on August 15, 2014. According to the reports, 5.29 crore bank accounts have been opened and 1.78 crore Rs. debit cards have been issued so far under the Jan DhanYojna.

2. Swachch Bharat Abhiyan

In a symbolic way, NarendraModi launched Swachch Bharat Abhiyan on the birth anniversary of Mahatma Gandhi. The motive of the mission is to make India a cleaner and greener place.

3. Make in India

Inviting global companies to India, NarendraModi launched his campaign 'Make in India'. The initiative has been taken to boost the economy of the country by inviting global companies to invest in the Indian market. Modi first mentioned the words 'Makein India' during his maiden speech as PM on Independence Day. As the NDA government has eased the foreign direct investment cap in several areas like construction, defence and the railways, the programme gives international companies easy access to the Indian market.

4. Scrapping of Planning Commission

On Independence Day, Prime Minister NarendraModi announced that the 64-year-old Planning Commission would be replaced by a new institution. Planning Commission had been accused of being insensitive towards the problem of the states. Modi had said that new institution replacing planning commission will be brought soon. But no development has been seen after that.The motive behind scarping planning commission is to increase the involvement of state governments in decision making process. It remains to be seen whether the new think-tank makes state government equal partners with centre or not.

5. Mann Ki Baat

NarendraModi always tries to reach out the people. Even before he became the Prime Minister, he always used to try to connect with people through social platform. After Indira Gandhi, Modi became the first PM to address the people on radio. NarendraModi started programme 'Mann Ki Baat' to reach out to the rural as well as the urban population. Through his speeches aired during 'Mann Ki Baat', Modi coveys his thoughts and messages directly to the countrymen.The initiative is unique as it clearly indicates that the PM of the country is concerned about people. It also conveys the message that the PM is not out of the reach and tries to understand the problems of masses.

6. MyGov

Aiming to get the feedback of people about the government, NarendraModi launched a web portal 'MyGov'. MyGov (mygov.nic.in), a technology-driven medium that will provide citizens

an opportunity to contribute towards good governance. It aims to help citizens contribute in governance by giving their opinions and views on important issues. The web portal is focused on six main issues as of now- Girl Child Education, Clean India, Skilled India, Digital India, Clean Ganga, and job creation. It has not limited itself to mere discussions but people can also upload documents, case studies, pictures, and videos which will be monitored by National Informatics Centre.[6]

e-governance- PM Modi calls for Digital India to improve governance: PM Modi underlined the need for using information technology to improve governance and spread education and medical facilities.Several dimensions and factors influence the definition of e-governance or electronic governance. The word “electronic” in the term e-governance implies technology driven governance. E-governance is the application of information and communication technology (ICT) for delivering government services, exchange of information communication transactions, integration of various stand-alone systems and services between government-to-customer (G2C), government-to-business (G2B), government-to-government (G2G) as well as back office processes and interactions within the entire government framework. Through e-governance, government services will be made available to citizens in a convenient, efficient and transparent manner. The three main target groups that can be distinguished in governance concepts are government, citizens and businesses/interest groups. In e-governance there are no distinct boundaries.

Minimum Government, Maximum Governance- For decades, we have had extraordinarily large governments while ironically the quality of governance has been quite poor. There has been more attention paid to the size of the government and not so much to its quality. Thus, NarendraModi’s model of a small yet efficient government stands out. NarendraModi believes that the role of a Government in businesses should be limited to that of a facilitator.NarendraModi’s has translated his beliefs into reality with Gujarat ranking as the number one state in economic freedom in India. The economic freedom index shows that Gujarat under NarendraModi,

has small-size state machinery, and is very efficient in protecting human life and property vis-a-vis the quality of the justice mechanism measured by the availability of judges, the completion rate of cases by courts. The investigation quality by the police is also impressive.In addition, the labour scenario in the state has been found to be superior under him. Thus NarendraModi had demonstrated that a good justice delivery mechanism and an entrepreneur-friendly environment is possible, even with a small and less intrusive government.

The concept of "*Minimum Government Maximum Governance*" captures what was perhaps the most alluring slogan of the BJP's election campaign.The idea of minimum government and maximum governance is an appealing one as it implies that government will be efficient, and that a smaller bureaucracy with more skilled people will be better than a larger one. This implication itself points to at least one condition that must be satisfied for small government to be effective – the presence of skilled people, or more generally, the placement of the right person in the right position.

Make in India- Make in India is an initiative of the Government of India, to encourage companies to manufacture their products in India. It was launched by Prime Minister NarendraModi on 25 September 2014.[7]Make in India initiative has been on main agenda in various foreign visits of NarendraModi.Modi had hinted towards the initiative in his Independence Day speech of 15 August 2014. It was launched on 25 September 2014 in a function at the VigyanBhawan. On 29 December 2014, a workshop was organised by the Department of Industrial Policy and Promotion which was attended by Modi, his Cabinet ministers, chief secretaries of states and various industry leaders.[8] The major objective behind the initiative is to focus on 25 sectors of the economy for job creation and skill enhancement. Some of these sectors are: automobiles, chemicals, IT, pharmaceuticals, textiles, ports, aviation, leather, tourism and hospitality, wellness, railways, auto components, design manufacturing, renewable energy, mining, bio-technology, and electronics. The initiative hopes to increase GDP growth and tax revenue.[9]The initiative also aims at high quality standards and minimising the impact on the environment.[10] The initiative hopes to attract capital and technological investment in India.

The campaign was designed by the Wieden+Kennedy (W+K) group which had previously worked on the Incredible India campaign and a campaign for the Indian Air Force.[11]In August 2014, the Cabinet of India allowed 49% foreign direct investment (FDI) in the defence sector and 100% in railways infrastructure. The defence sector previously allowed 26% FDI and FDI was not allowed in railways. This was in hope of bringing down the military imports of India. Earlier, one Indian company would have held the 51% stake; this was changed so that multiple companies could hold the 51%.[12] Out of 25 sectors, except Space (74%), Defence (49%) and News Media (26%), 100% FDI is allowed in rest of sectors.[13]

The BJP-led NDA government is following its 'less government, more governance' mantra. Prime Minister NarendraModi on 26th July,2014 launched a web portal titled MyGov where citizens can post their suggestions to the government. The initiative is a step ahead to digitize the government.Modi said MyGov (mygov.nic.in) is a technology-driven medium that will provide citizens an opportunity to contribute towards good governance.National Informatics Centre (NIC) of the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) will implement and manage the platform.There are multiple theme-based discussions on MyGov where a wide range of people can share their thoughts and ideas with the government.At present, there are six groups on the platform, Clean Ganga, Girl Child Education, Clean India, Skilled India, Digital India and Job Creation.[14]

The platform - MyGov - External website that opens in a new window - encourages citizens as well as people abroad to 'Discuss' and 'Do'. There are multiple theme-based discussions on MyGov - External website that opens in a new window where a wide range of people can share their thoughts and ideas. Further, any idea shared by a contributor will also be discussed on these discussion forums, allowing constructive feedback and interaction among participants. MyGov - External website that opens in a new window aims to establish a link between Government and Citizens towards meeting the goal of good governance in the country. For those who wish to go beyond discussions and wish to contribute on the ground, MyGov - External website that opens in a new window offers several avenues to do so.

Citizens can volunteer for various tasks and submit their entries. These tasks would then be reviewed by other members and experts. Once approved, these tasks can be shared by those who complete the task and by other members on MyGov - External website that opens in a new window platform. Every approved task would earn credit points for completing the task.

MyGov - External website that opens in a new window is an innovative platform launched to ensure citizens' engagement in decision making by the Government so that the ultimate goal of "*Good Governance*" for building India is achieved. This initiative is an opportunity for citizens and well-wishers from across the world to share their views on key issues directly with the Prime Minister of India - External website that opens in a new window.

The Prime Minister believes that "the success of democracy is impossible without participation of the people". Groups and creative corners are an important part of MyGov - External website that opens in a new window. The platform has been divided into various groups namely Clean Ganga - External website that opens in a new window, Green India - External website that opens in a new window, Job Creation - External website that opens in a new window, Girl Child Education - External website that opens in a new window, Skill Development - External website that opens in a new window, Digital India - External website that opens in a new window, Swachh Bharat (Clean India) - External website that opens in a new window. Each group consists of online and on ground tasks that can be taken up by the contributors. The objective of each group is to bring about a qualitative change in that sphere through people's participation.

AT MYGOV - CITIZENS CAN

- Directly connect with the Government, Ministries and Departments led by Hon. Prime Minister
- Realize their hidden potential and talent on a national platform and get recognized
- (Discuss) Express views on policies, programs and matters of national interest
- (Do Tasks) Collaborate on key areas of development and governance

- Contribute to nation building while earning credits along the way by Posting views on Discussions
- Completing tasks volunteered for
- View ideas and viewpoints of others and share the same

Government Can

- Understand viewpoints of citizens and gather feedback
- Get people's ideas and their contribution through the tasks
- Identify talent and expertise which can be garnered towards the success of projects with people's participation
- Implement best ideas and achieve the goal of 'Good Governance'

End Notes

1. “Technology + data analysis = good governance” RajendraPratap Gupta, E-gov Agenda, http://www.continuaalliance.org/good-governance.pdf
2. “Decoding Mr.Modi's Economic Policies” R. Chandrasekar, http://www.fsvc.org
3. Towards good governance http://reform.gov.bb/GOOD_GOVERNANCE.pdf
4. “Modi government to identify bottlenecks in good governance initiatives” DNA, 13 January 2015.
5. “Minimum Government, Maximum Governance”,May 14, 2014 http://www.narendramodi.in/minimum-government-maximum-governance/
6. “NarendraModi-government completes six months: Top 6 initiatives of the Prime Minister”AadilIkramZakiIqbal, November 26, 2014http://www.india.com/top-n/narendra-modi-government-completes-six-months-top-6-initiatives-of-the-prime-minister-
7. "Look East, Link West, says PM Modi at Make in India launch". Hindustan Times. 25 September 2014.
8. "Centre, States to ready ‘Make in India’ plan". The Hindu. 28 December 2014.
9. "Focus on 'Make In India'". Business Standard, 25 September 2014.
10. "Modi for ‘zero defect’ Make in India products". The Hindu Business Line. 29 December 2014.

11. "Revealed: Man behind PM's Make in India campaign". DNA India. 18 November 2014.
12. "Modi Launches 'Make in India' Campaign, Portal and Logo". The New Indian Express. 26 September 2014.
13. "Cabinet approves raising FDI cap in defence to 49 per cent, opens up railways". The Economic Times. 7 August 2014.http://www.makeinindia.com/sectors
14. “Modi launches web portal to take suggestions on good governance” CNN-IBN @ibnliveJul 26, 2014http://ibnlive.in.com/news/modi-launches-web-portal-to-take-suggestions-on-good-governance

Dr. Chanchal Kumar (Assistant Professor)
Dept. of Political Science,
Janki Devi Memorial College, Delhi.
Dr. Dinkar Tripathi (Assistant Professor)
Dept. of Political Science,
Feroze Gandhi College, Rai Bareli.

ISSN-2319-9997 / Volume: V / Issue: 1 & 2 / Year: 2016

न्यू मीडिया की अवधारणा एवं स्वरूप

– सुमीत द्विवेदी

भाषायी अथवा कलात्मक अभिव्यक्ति के संप्रेषण के अनेक माध्यम हैं, इसे ही हम ''मीडिया'' के नाम से जानते हैं। पिछली कई सदियों से प्रिंट मीडिया इस संदर्भ में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। छायाचित्रों एवं रंगों का समावेश संभव होने पर दृश्य अभिव्यक्ति भी प्रिंट मीडिया के द्वारा संभव, बहुरंगी कलेवर में और भी प्रभावी हुई। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी साथ–साथ अपनी जगह बनाई, जहाँ पहले तो श्रव्य अभिव्यक्ति को रेडियो के माध्यम से प्रसारित करना संभव हुआ तथा बाद में टेलीविजन के माध्यम से श्रव्य–दृश्य दोनों ही अभिव्यक्तियों का प्रसारण संभव हो सका। प्रिंट मीडिया की अपेक्षा यहाँ की दृश्य अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी हुई, क्योंकि यहाँ चलायमान दृश्य अभिव्यक्ति भी संभव हुई।

बीसवीं सदी में कंप्यूटर के विकास के साथ एक नए डिजिटल माध्यम ने जन्म लिया। आरम्भ में इस कंप्यूटर आधारित इस माध्यम का दायरा सीमित था किन्तु आज इसने विश्वव्यापी रूप अख्तियार कर लिया है। इंटरनेट के प्रचार–प्रसार और निरंतर तकनीकी विकास ने एक ऐसी वेब मीडिया को जन्म दिया, जहाँ अभिव्यक्ति के पाठ्य, दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य–श्रव्य सभी रूपों का यानिकि 'मल्टीमीडिया' का एक साथ प्रसारण संभव हुआ। कम्प्यूटर एवं इंटरनेट आधारित यह वेब मीडिया ही **'न्यू मीडिया'** है, जो एक कंपोजिट मीडिया है, जहाँ संपूर्ण और तत्काल अभिव्यक्ति संभव है, जहाँ एक शीर्षक अथवा विषय पर उपलब्ध सभी अभिव्यक्यों की एक साथ जानकारी प्राप्त करना संभव है, जहाँ किसी अभिव्यक्ति पर तत्काल प्रतिक्रिया देना ही संभव नहीं, बल्कि उस अभिव्यक्ति को उस पर प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं के साथ एक जगह साथ–साथ देख पाना भी संभव है। इतना ही नहीं, यह मीडिया लोकतंत्र में नागरिकों के वोट के अधिकार के समान ही हरेक व्यक्ति की भागीदारी के लिए हर क्षण उपलब्ध और खुली हुई है।

'न्यू मीडिया' पर अपनी अभिव्यक्ति के प्रकाशन–प्रसारण के अनेक रूप हैं। कोई अपनी स्वतंत्र 'वेबसाइट' निर्मित कर वेब मीडिया पर अपना एक निश्चित पता और स्थान निर्धारित कर अपनी अभिव्यक्तियों–

सूचनात्मक, रचनात्मक, कलात्मक अभिव्यक्ति के पाठ्य अथवा ऑडियो/वीडियो डिजिटल रूप को प्रकाशित–प्रसारित कर सकता है। बहुत–सी वेबसाइटें संवाद के लिए समूह–निर्माण की सुविधा देती हैं, जहाँ समान विचारों अथवा उद्देश्यों वाले लोग एक–दूसरे से जुड़कर संवाद कायम कर सकें। 'वेबग्रुप' की इस अवधारणा से कई कदम आगे बढ़कर फेसबुक और ट्विटर जैसी ऐसी वेबसाइटें भी मौजूद हैं, जो प्रायः पूरी तरह समूह–संवाद केन्द्रित हैं। इनसे जुड़कर कोई भी अपनी मित्रता का दायरा दुनिया के किसी भी कोने तक बढ़ा सकता है और मित्रों के बीच जीवंत, विचारोत्तेजक, जरूरी विचार–विमर्श को अंजाम दे सकता है। इसे सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया का नाम दिया गया है।

'न्यू मीडिया' का एक अन्य लोकप्रिय हिस्सा 'ब्लॉगिंग' का है। कई वेबसाइटें ऐसी हैं, जहाँ कोई भी अपना पता और स्थान आरक्षित कर अपनी रुचि और अभिव्यक्ति के अनुरूप अपनी एक मिनी वेबसाइट का निर्माण बिना किसी शुल्क के कर सकता है। प्रारंभ में 'वेब लॉग' के नाम से जाना जानेवाला यह उपक्रम अब 'ब्लॉग' के नाम से सुपरिचित है। अभिव्यक्ति के अनुसार ही ब्लॉग पाठ्य ब्लॉग, फोटो ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग (वोडकास्ट), म्यूजिक ब्लॉग, रेडियो ब्लॉग (पोडकास्ट), कार्टून ब्लॉग आदि किसी भी तरह के हो सकते हैं। यहाँ आप नियमित रूप से उपस्थित होकर अपनी अभिव्यक्ति अपलोड कर सकते हैं और उस पर प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकते हैं। 'ब्लॉग' निजी और सामूहिक दोनों तरह के हो सकते हैं। यहाँ अपनी मौलिक अभिव्यक्ति के अलावा दूसरों की अभिव्यक्तियों को भी एक–दूसरे के साथ शेयर करने के लिए रखा जा सकता है। बहुत से लोग 'ब्लॉग' को एक डायरी के रूप में देखते हैं, जो नियमित रूप से वेब पर लिखी जा रही है, एक ऐसी डायरी, जो लिखे जाने के साथ ही सार्वजनिक भी है, सबके लिए उपलब्ध है, सबकी प्रतिक्रिया के लिए भी। एक नजरिये से 'ब्लॉग' नियमित रूप से लिखी जानेवाली चिट्ठी है, जो हरेक वेबपाठक को संबोधित है, पढ़े जाने के लिए, देखे–सुने जाने के लिए और उचित हो तो समुचित प्रत्युत्तर के लिए भी। न्यू मीडिया के क्षेत्र में जाने पहचाने नाम हैं प्रभासाक्षी डॉट कॉम के बालेन्दु शर्मा दाधीच। वे कहते हैं कि– ''यूं तो दो–ढाई दशक की जीवनयात्रा के बाद शायद 'न्यू मीडिया' का नाम 'न्यू मीडिया' नहीं रह जाना चाहिए क्योंकि वह

सुपरिचित, सुप्रचलित और परिपक्व सेक्टर का रूप ले चुका है। लेकिन शायद वह हमेशा 'न्यू मीडिया' ही बना रहे क्योंकि पुरानापन उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। वह जेट युग की रफ्तार के अनुरूप अचंभित कर देने वाली तेजी के साथ निरंतर विकसित भी हो रहा है और नए पहलुओं, नए स्वरूपों, नए माध्यमों, नए प्रयोगों और नई अभिव्यक्तियों से संपन्न भी होता जा रहा है। नवीनता और सृजनात्मकता नए जमाने के इस नए मीडिया की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। यह कल्पनाओं की गति से बढ़ने वाला मीडिया है जो संभवतः निरंतर बदलाव और नएपन से गुजरता रहेगा, और नया बना रहेगा। फिर भी न्यू मीडिया को लेकर भ्रम की स्थिति आज भी कायम है। अधिकांश लोग न्यू मीडिया का अर्थ इंटरनेट के जरिए होने वाली पत्रकारिता से लगाते हैं। लेकिन न्यू मीडिया समाचारों, लेखों, सृजनात्मक लेखन या पत्रकारिता तक सीमित नहीं है। वास्तव में न्यू मीडिया की परिभाषा पारंपरिक मीडिया की तर्ज पर दी ही नहीं जा सकती। न सिर्फ समाचार पत्रों की वेबसाइटें और पोर्टल न्यू मीडिया के दायरे में आते हैं बल्कि नौकरी ढूंढने वाली वेबसाइट, रिश्ते तलाशने वाले पोर्टल, ब्लॉग, स्ट्रीमिंग ऑडियो–वीडियो, ईमेल, चौटिंग, इंटरनेट–फोन, इंटरनेट पर होने वाली खरीददारी, नीलामी, फिल्मों की सीडी–डीवीडी, डिजिटल कैमरे से लिए फोटोग्राफ, इंटरनेट सर्वेक्षण, इंटरनेट आधारित चर्चा के मंच, दोस्त बनाने वाली वेबसाइटें और सॉफ्टवेयर तक न्यू मीडिया का हिस्सा हैं। न्यू मीडिया को पत्रकारिता का एक स्वरूप भर समझने वालों को अचंभित करने के लिए शायद इतना काफी है, लेकिन न्यू मीडिया इन तक भी सीमित नहीं है। ये तो उसके अनुप्रयोगों की एक छोटी सी सूची भर है और ये अनुप्रयोग निरंतर बढ़ रहे हैं। जब आप यह लेख पढ़ रहे होंगे, तब कहीं न कहीं, कोई न कोई व्यक्ति न्यू मीडिया का कोई और रचनात्मक अनुप्रयोग शुरू कर रहा होगा।''

न्यू मीडिया अपने स्वरूप, आकार और संयोजन में मीडिया के पारंपरिक रूपों से भिन्न और उनकी तुलना में काफी व्यापक है। पारंपरिक रूप से मीडिया या मास मीडिया शब्दों का इस्तेमाल किसी एक माध्यम पर आश्रित मीडिया के लिए किया जाता है, जैसे कि कागज पर मुद्रित विषयवस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रिंट मीडिया, टेलीविजन या

रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दर्शक या श्रोता तक पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। न्यू मीडिया इस सीमा से काफी हद तक मुक्त तो है ही, पारंपरिक मीडिया की तुलना में अधिक व्यापक भी है। पत्रकारिता ही क्या, न्यू मीडिया तो इंटरनेट की सीमाओं में बंधकर रहने को भी तैयार नहीं है। और तो और, यह कंप्यूटर आधारित मीडिया भर भी नहीं रह गया है। न्यू मीडिया का दायरा इन सब सीमाओं से कहीं आगे तक है। हां, 1995 के बाद इंटरनेट के लोकप्रिय होने पर न्यू मीडिया को अपने विकास और प्रसार के लिए अभूतपूर्व क्षमताओं से युक्त एक स्वाभाविक माध्यम जरूर मिल गया। न्यू मीडिया किसी भी आंकिक (डिजिटल) माध्यम से प्राप्त की, प्रसंस्कृत की या प्रदान की जाने वाली सेवाओं का समग्र रूप है। इस मीडिया की विषयवस्तु की रचना या प्रयोग के लिए किसी न किसी तरह के कंप्यूटिंग माध्यम की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं कि वह माध्यम कंप्यूटर ही हो। वह किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल युक्ति हो सकती है जिसमें आंकिक गणनाओं या प्रोसेसिंग की क्षमता मौजूद हो, जैसे कि मोबाइल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पीडीए), आई–पॉड, सोनी पीएसपी, ई–बुक रीडर जैसी युक्तियां और यहां तक कि बैंक एटीएम मशीन तक। न्यू मीडिया के अधिकांश माध्यमों में उनके उपभोक्ताओं के साथ संदेशों या संकेतों के आदान–प्रदान की क्षमता होती है जिसे हम 'इंटरएक्टिविटी' के रूप में जानते हैं।

न्यू मीडिया के क्षेत्र में हिन्दी की पहली वेब पत्रिका 'भारत दर्शन' शुरु करने वाले अप्रवासी भारतीय रोहित हैप्पी कहते हैं– '' 'न्यू मीडिया' संचार का वह संवादात्मक स्वरूप है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हुए हम पॉडकास्ट, आर एस एस फीड, सोशल नेटवर्क (फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर), ब्लाग्स, विक्किस, टैक्स्ट मैसेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए पारस्परिक संवाद स्थापित करते हैं। यह संवाद माध्यम बहु–संचार संवाद का रूप धारण कर लेता है जिसमें पाठक/दर्शक/श्रोता तुरंत अपनी टिप्पणी न केवल लेखक/प्रकाशक से साझा कर सकते हैं, बल्कि अन्य लोग भी प्रकाशित/प्रसारित/संचारित विषय–वस्तु पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। यह टिप्पणियां एक से अधिक भी हो सकती हैं। बहुधा सशक्त टिप्पणियां परिचर्चा में परिवर्तित हो जाती हैं। वे फेसबुक का उदाहरण देकर समझाते हैं कि– यदि आप कोई

संदेश प्रकाशित करते हैं और बहुत से लोग आपकी विषय–वस्तु पर टिप्पणी करते हैं तो कई बार पाठक वर्ग परस्पर परिचर्चा आरम्भ कर देते हैं और लेखक एक से अधिक टिप्पणियों का उत्तर देता है। वे कहते हैं कि न्यू मीडिया वास्तव में परम्परागत मीडिया का संशोधित रूप है जिसमें तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन व इसका नया रूप सम्मिलित है। न्यू मीडिया का उपयोग करने हेतु कम्प्यूटर, मोबाइल जैसे उपकरण जिनमें इंटरनेट की सुविधा हो, की आवश्यकता होती है। न्यू मीडिया प्रत्येक व्यक्ति को विषय–वस्तु का सृजन, परिवर्धन, विषय–वस्तु का अन्य लोगों से साझा करने का अवसर समान रूप से प्रदान करता है। न्यू मीडिया के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन अधिकतर निशुल्क या काफी सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं।''

संक्षेप में कह सकते हैं कि न्यू मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें लेखक ही संपादक है और वही प्रकाशक भी है। यह ऐसा माध्यम है जो भौगोलिक सीमाओं से पूरी तरह मुक्त, और राजनैतिक–सामाजिक नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र है। जहां अभिव्यक्ति न कायदों में बंधने को मजबूर है, न अल कायदा से डरने को। इस माध्यम में न समय की कोई समस्या है, न सर्कुलेशन की कमी, न महीने भर तक पाठकीय प्रतिक्रियाओं का इंतजार करने की जरूरत। त्वरित अभिव्यक्ति, त्वरित प्रसारण, त्वरित प्रतिक्रिया और विश्वव्यापी प्रसार के चलते ही न्यू मीडिया का स्वरूप अद्वितीय रूप से लोकप्रिय हो गया है

कानूनी पक्ष –

न्यू मीडिया समाज में अभिव्यक्ति का एक ऐसा मंच है जहां पर बोलने को लेकर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी पाबंदी लगा पाना लगभग असंभव है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी प्रकार की सूचना है वह उस सूचना को न्यू मीडिया के जरिये से दुनिया के सामने उजागर कर सकता है। यह सूचना किसी तथ्यता पर ही आधारित हो यह जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति छद्‌म नाम से किसी को गैरप्रामाणिक सूचना दे सकता है जिससे कि उस सूचना की जवाबदेही व्यक्ति की नहीं रह जाती। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई व्यक्ति जो न्यू मीडिया पर नहीं भी होता है उसका कोई फर्जी अकाउण्ट न्यू मीडिया पर खोल दिया जाता है और उस अकाउण्ट के जरिये से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई जा

सकती है साथ ही उस व्यक्ति की व्यावसायिक साख का फायदा अपना कार्य करने में भी उठाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप हाल ही में देखने आया कि जी न्यूज के राजनीतिक संपादक पुण्य प्रसून वाजपेयी का फेसबुक पर कोई अकाउण्ट चलता हुआ मिला, यह खाता पुण्य प्रसून के नाम से चलाया जा रहा था और पुण्य प्रसून जो भी पोस्ट अपने ब्लॉग पर करते थे उस पोस्ट की लिंक को इस खाते पर डाल दिया जाता था। मीडिया का प्रतिष्ठित नाम होने की वजह से कुछ ही समय में इस खाते के मित्र सदस्यों की संख्या पांच हजार को छू गई। मित्रों के द्वारा पुण्य प्रसून को पता चला तो उन्होंने खाते की गतिविधियों से अनभिज्ञता दिखाई। हालांकि इस खाते से कोई गलत कार्य नहीं किया गया किन्तु इस बात की संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि उस खाते से किसी व्यक्ति की नौकरी आदि में अप्रोच भी लगाई जा सकती थी। इस प्रकार न्यू मीडिया के द्वारा फर्जी तरीके से व्यावसायिक हितों में उपयोग हो सकता है।

न्यू मीडिया के द्वारा रोज नए–नए तरीके से कोई ना कोई गैर कानूनी कार्य होने लगा है इसलिए यह जरूरी हो गया है कि न्यू मीडिया को कानून के घेरे में लाया जाए। कानून सिर्फ नकारात्मक नहीं होता। कानून के द्वारा अभिव्यक्ति को एक प्रखरता ही मिलती है। वर्तमान में यदि किसी वेब पोर्टल पर नजर दौड़ाई जाए जहां पर किसी भी ब्लॉग पर किसी को भी कमेण्ट करने की स्वतंत्रता है तो वहां पर बहुत से ऐसे कमेण्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो किसी ना किसी दुर्भावना से बहुत ही अनर्गल भाषा में लिखे जाते हैं। ये कमेंट्स बताते हैं कि अभी न्यू मीडिया पर कार्य करने की हमारी शैली परिपक्वता के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। बच्चे हर किसी के घर में होते हैं और हर कोई जानता है कि उनमें परिपक्वता की कमी होती है इसीलिए उनको देखभाल की आवश्यकता होती है, कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ बंधनों की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि न्यू मीडिया के हमारे समाज में दस्तक दिए हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। वह अभी अपरिपक्व अवस्था में है। उसे अभी जरूरत है देखभाल की, निगरानी की। जब प्रिंट मीडिया की शुरूआत हुई थी तब बहुत से नियम, कायदे–कानून उस पर लादे गए थे। लोगों ने इन

कायदे–कानूनों के कारण सीखा कि कैसे प्रिंट मीडिया का सदुपयोग किया जा सकता है। इन निगरानी का सबसे बड़ा फायदा यह भी रहा कि शुरू से ही प्रिंट मीडिया अपने दुरुपयोग से दूर रही। जिस देश में पूर्ण स्वच्छंदता प्रिंट मीडिया को दी गई वहीं पर उसका दुरुपयोग किया गया। रूपर्ट मर्डोक का 'न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही अखबारों में गिना जाता था जिसने मीडिया के किसी कानून को नहीं माना और किसी आचार–संहिता का पालन नहीं किया। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है कि आज वह अखबार इतिहास बनकर रह गया है। आज का न्यू मीडिया किशोर एवं किशोरियों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। डेली अपडेट, चौटिंग और स्टेटस जांचने में वे अपना काफी समय लगाते हैं। न्यू मीडिया पर सक्रियता नुकसानदायक नहीं है लेकिन इससे जब दूसरों को नुकसान पहुंचने लगे, तब यह खतरनाक साबित हो सकती है। इनके बहाने बच्चों के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उन्हें कई बच्चे घरवालों को बताते तक नहीं।

ग्लोबल मार्केट रिसर्च कम्पनी, इप्सोस द्वारा भारतीय बच्चों पर किए गए सर्वे के अनुसार दस में से तीन भारतीय अभिभावकों का मानना है कि उनका बच्चा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक और ऑर्कुट के जरिये साइबर बुलिंग का शिकार बना। सर्वे में पाया गया कि 45 प्रतिशत भारतीय पैरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चों का उनके साथियों द्वारा शोषण किया जाता है। 60 प्रतिशत लोगों का मानना है कि साइबर बुलिंग को पंख लगाने का काम सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक आदि के द्वारा हुआ है। उत्तराखण्ड के एक नामी गिरामी व्यवसायी की पत्नी का फेसबुक पर फेक अकाउण्ट बनाया गया और उस अकाउण्ट को ऐसे ऑपरेट किया गया कि वह असली अकाउण्ट हो, इस तरह शुरू में दोस्त बना लेने के बाद उस अकाउण्ट पर आपत्तिजनक कंटेंट बनाकर डाला जाने लगा। साइबर दुनिया से अनभिज्ञ उन महिला को जब दोस्तों के द्वारा इसका पता चला तो उन्होंने देहरादून में पुलिस से सम्पर्क किया। पुलिस ने इसको साइबर अपराध के प्रावधान के तहत माना और कार्यवाही करके वह फर्जी फेसबुक अकाउण्ट बन्द करवा दिया। इसी तरह एक चार्टर्ड एकाउण्टेंट ने अपने तहत काम कर रहे एक कर्मचारी की तनख्वाह कुछ महीनों से रोक रखी थी जिससे तंग आकर उस

कर्मचारी ने चुपके से सीए के व्यावसायिक कम्प्यूटर में एक वाइरस डाल दिया जिससे कि सभी '4' अंक '3' अंक में बदल गए। सीए का तो सारा काम ही चौपट हो गया। उसने पुलिस में शिकायत की। इसको भी साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया और पुलिस ने उस कर्मचारी के ऊपर अपना शिकंजा कसा। उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि न्यू मीडिया के आ जाने और छा जाने से ही सब–कुछ नहीं हो जाता। न्यू मीडिया को एक सही दिशा में अग्रसरित करने के लिए कुछ कानूनों का होना अत्यंत आवश्यक है। कानूनों की बदौलत ही हम न्यू मीडिया के घातक दुरूपयोगों से बच सकते हैं। किसी के घर में चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ कर चोरी गया माल तब भी पकड़ा जा सकता है लेकिन न्यू मीडिया के अपराधों में से ज्यादातर की भरपाई करना लगभग असम्भव होता है। ना तो किसी की प्रतिष्ठा में हुए क्षय को लौटाया जा सकता है और ना ही किसी सीए के कम्प्यूटर के क्षतिग्रस्त हुए आंकड़ों को दोबारा पाया जा सकता है। साइबर मीडिया को इस लाइलाज मर्ज से बचाने का एक यही उपाय है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़े से कड़े प्रावधान कानून में रखे जाएं। इन कड़े प्रावधानों के कारण ही ऐसे अपराधों में कमी लाई जा सकती है।

न्यू मीडिया के क्षेत्र में इन कानूनों की उपयोगिता तब है जब ये कानून लोगों की जानकारी में हों और वे जान सकें कि इन कानूनों का उपयोग वे किन–किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। अर्थात सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि न्यू मीडिया में कानून की उपयोगिता तो है ही साथ ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है कानूनों के बारे में जागरूकता की। कुछ क्षेत्रों में कानूनों को और व्यापक और व्यावहारिक बनाने की भी आवश्यकता है क्योंकि भारत के लिए साइबर क्षेत्र में तकनीकी स्तर पर बहुत ज्यादा काम हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां काम करने वाली वेबसाइटों में से ज्यादातर के सर्वर देश से बाहर स्थित हैं जिन पर उन्हीं देशों का कानून चलता है। अगर उस देश के साथ भारत के अच्छे सम्बन्ध हैं तो उससे जानकारी मांगी जा सकती है जिसके भी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती और वो जानकारी कितने समय में मिलेगी, इसका भी कोई हिसाब नहीं होता फिर भी न्यू मीडिया जो कि अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है को और प्रामाणिक तरीके से उपयोग

करने के लिए आवश्यक है कि उस पर कानून उचित रूप से लागू हों। किसी भी बात की प्रामाणिकता के लिए आज भी हम ब्रिटानिका जैसी किताबों पर ही ज्यादा भरोसा करना पसंद करते हैं बजाय कि किसी वेबसाइट पर लिखी जानकारी के क्योंकि प्रिंट माध्यम में उचित कानून बनाए जा चुके हैं। न्यू मीडिया पर आम आदमी का विश्वास बनाने के लिए आवश्यक है कि न्यू मीडिया में भी ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे कि प्रामाणिक जानकारी लागों को मिल सके। न्यू मीडिया में कानून की सबसे बड़ी उपयोगिता यही होगी कि साइबर अपराधों में कमी आए और कंटेंट में प्रामाणिकता का अहसास हो सके।

सन्दर्भ –

1- सुरेश कुमार, इंटरनेट पत्रकारिता, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली
2- www.bbc.co.in/hindi
3- http://patrakaritajagat.wordpress.com
4- www.navbharattimes.indiatimes.com
5- Palazzi, P.(2011), The early days of the www.
6- भारतीय प्रेस परिषद
7- आईटी एक्ट 2000, सुरेश कुमार, इंटरनेट पत्रकारिता, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली
8- भारत में प्रेस कानून और पत्रकारिता, गंगा प्रसाद ठाकुर
9- *www.newswriters.in/tag/न्यू-मीडिया/*
10- *www.balendu.com/content.aspx?*

डॉ0 सुमीत द्विवेदी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय।